दश माला, खंड 26, अंक 1

सोमवार, 15 जुलाई, 2002
24 आषाढ़, 1924 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date 13/6/2003

(खण्ड 26 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)

अंक 1, सोमवार, 15 जुलाई, 2002/24 आषाढ़, 1924 (शक)

विषय	**कॉलम**
तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की अद्यतन वर्णानुक्रम सूची	i-xiv
लोक सभा के पदाधिकारी	xv
मंत्रिपरिषद	xvi-xviii
राष्ट्रगान	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
मंत्रियों का परिचय	1-3
निधन संबंधी उल्लेख	
और	
जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग के नजदीक आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के बारे में उल्लेख	3-10
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	10-49
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 214	49-354

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की
अद्यतन वर्णानुक्रम सूची

अ

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा (बुलढाना)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी. (कन्नानौर)

अमीर आलम, श्री (कैराना)

अम्बरीश, श्री (माण्डया)

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत (अकोला)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मरिलादुतुरई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अलवी, श्री राशिद (अमरोहा)

अहमद, श्री ई. (मंजेरी)

अहमद, श्री दाऊद (शाहाबाद)

आ

आंग्ले, श्री रमाकांत (मारमागाओ)

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री कीर्ति झा (दरभंगा)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधी नगर)

आदि शंकर, श्री (कुड्डालोर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता (करोलबाग)

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट (कनारा)

इ

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार (सिरसा)

ई

ईडन, श्री जार्ज (एर्णाकुलम)

उ

उमा भारती, कुमारी (भोपाल)

उराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम (बारपेटा)

ए

ए. नरेन्द्र, श्री (मेडक)

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी. (नामनिर्दिष्ट)

एम. मास्टर मथान, श्री (नीलगिरि)

एलानगोवन, श्री पी. डी. (धर्मपुरी)

ओ

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनूं)

ओवेसी, श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन (हैदराबाद)

क

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कटारिया, श्री रतन लाल (अम्बाला)

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कन्नप्पन, श्री एम. (तिरूचेन्गोड़े)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

करूणाकरन, श्री के. (मुकुन्दपुरम)

कलिअप्पन, श्री के. के. (गोबिचेट्टिपालयम)

कश्यप, श्री बली राम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कानूनगो, श्री त्रिलोचन (जगतसिंहपुर)

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव (उस्मानाबाद)

किन्डिया, श्री पी. आर. (शिलांग)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्री अरूण (जहानाबाद)

कुमार, श्री वी. धनंजय (मंगलौर)

कुमारासामी, श्री पी. (पलानी)

कुरुप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (दमोह)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्णदास, श्री एन. एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्णमराजू, श्री (नरसापुर)

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम (ओंगोले)

कृष्णमूर्ति, श्री के. ई. (कुरनूल)

कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरुमबुदुर)

कौर, श्रीमती प्रेनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

ख

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री अबुल हसनत (जंगीपुर)

खां, श्री मनसूर अली (सहारनपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खांदोकर, श्री अकबर अली (सेरमपुर)

खान, श्री हसन (लद्दाख)

खाबरी, श्री बृजलाल (जालौन)

खुराना, श्री मदन लाल (दिल्ली सदर)

खूंटे, श्री पी. आर. (सारंगढ़)

खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)

गढ़वी, श्री पी. एस. (कच्छ)

गमांग, श्रीमती हेमा (कोरापुट)

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (अमेठी)

गाड्डे, श्री राम मोहन (विजयवाड़ा)

गामलिन, श्री जारबोम (अरुणाचल पश्चिम)

गालिब, श्री जी. एस. (लुधियाना)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गावीत, श्री रामदास रूपला (धुले)

गिलुवा, श्री लक्ष्मण (सिंहभूम)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरी)

गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, प्रो. चमन लाल (उधमपुर)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोयल, श्री विजय (चांदनी चौक)

गोविन्दन, श्री टी. (कासरगौड़)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी (हसन)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत (खजुराहो)

चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश)

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया, उत्तर प्रदेश)

चिन्नासामी, श्री एम. (करूर)

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई (जूनागढ़)

चेन्नितला, श्री रमेश (मवेलीकारा)

चौटाला, श्री अजय सिंह (भिवानी)

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम (बाड़मेर)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल)

चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खां (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पदमसेन (बहराइच)

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री राम रघुनाथ (नागौर)

चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)

चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)

चौधरी, श्रीमती रीना (मोहनलालगंज)

चौधरी, श्रीमती रेणूका (खम्माम)

चौधरी, श्रीमती सन्तोष (फिल्लौर)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर)

चौहान, श्री बालकृष्ण (घोसी)

चौहान, श्री शिवराजसिंह (विदिशा)

चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगतरक्षकन, डा. एस. (अर्कोनम)

जगन्नाथ, डा. मन्दा (नगर कुरनूल)

जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जाधव, श्री सुरेश रामराव (परभनी)

जयशीलन, डा. ए. डी. के. (तिरूचेंदूर)

जाफर शरीफ, श्री सी. के. (बंगलौर उत्तर)

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद (बेतिया)

जायसवाल, श्री जवाहर लाल (चन्दौली)
जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद (वाराणसी)
जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)
जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)
जालप्पा, श्री आर. एल. (चिकबलपुर)
जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)
जावीया, श्री जी. जे. (पोरबंदर)
जाहेदी, श्री महबूब (कटवा)
जीगाजीनागी, श्री रमेश सी. (चिक्कोडी)
जैन, श्री पुष्प (पाली)
जोशी, डा. मुरली मनोहर (इलाहाबाद)
जोशी, श्री मनोहर (मुम्बई उत्तर मध्य)
जोस, श्री ए. सी. (त्रिचूर)

झ

झा, श्री रघुनाथ (गोपालगंज)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)
ठाकुर, डा. सी. पी. (पटना)
ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई (भंडारा)
ठाकुर, श्री रामशेठ (कुलाबा)

ड

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स (नामनिर्दिष्ट)
डूडी, श्री रामेश्वर (बीकानेर)
डोम, डा. राम चन्द्र (बीरभूम)

ढ

ढिकले, श्री उत्तमराव (नासिक)

त

तिरुनावुकरसर, श्री सु. (पुदुक्कोट्टई)
तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)
तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)
तिवारी, श्री सुन्दर लाल (रीवा)
तुड़, श्री तरलोचन सिंह (तरनतारन)
तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)
तोमर, डा. रमेश चंद (हापुड़)
त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि (देवरिया)
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर (पुरी)
त्रिपाठी, श्री रामनरेश (सिवनी)

थ

थामस, श्री पी. सी. (मुवत्तुपुजा)

द

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू (बापतला)
दत्त, श्री त्रिभुवन (अकबरपुर)
दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)
दलित इजिलमलाई, श्री (तिरूचिरापल्ली)
दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दास, श्री नेपाल चन्द्र (करीमगंज)
दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)
दाहाल, श्री भीम (सिक्किम)
दिनाकरन, श्री टी. टी. वी. (पेरियाकुलम)
दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)
दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी (चिमूर)
दीपक कुमार, श्री (उन्नाव)

दुराई, श्री एम. (वन्डावासी)

दूलो, श्री शमशेर सिंह (रोपड़)

देलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नगर हवेली)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवगौड़ा, श्री एच. डी. (कनकपुरा)

देवी, श्रीमती कैलाशो (कुरुक्षेत्र)

न

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागमणि, श्री (चतरा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री अली मोहम्मद (अनंतनाग)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)

प

पटनायक, श्रीमती कुमुदिनी (आस्का)

पटवा, श्री सुन्दर लाल (होशंगाबाद)

पटेल, डा. अशोक (फतेहपुर)

पटेल, श्री आत्माराम भाई (मेहसाना)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी (खरगौन)

पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई (दमन और द्वीप)

पटेल, श्री दिन्शा (कैरा)

पटेल, श्री दीपक (आनंद)

पटेल, श्री धर्म राज सिंह (फूलपुर)

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (बालाघाट)

पटेल, श्री मानसिंह (मांडवी)

पण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा (काकीनाड़ा)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पवैया, श्री जयमान सिंह (ग्वालियर)

पांजा, डा. रंजीत कुमार (बारासाट)

पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

पांडियन, श्री पी. एच. (तिरुनेलवेली)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव (बेलगाम)

पाटिल, श्री आर. एस. (बागलकोट)

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड (बीजापुर)

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के. (इरन्दोल)

पाटील, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड (बीड)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री भास्करराव (नांदेड़)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री शिवराज वी. (लादूर)

पाटील, श्री श्रीनिवास (कराड़)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पायलट, श्रीमती रमा (दौसा)

पार्थसारथी, श्री बी. के. (हिन्दुपुर)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पासवान, डा. संजय (नवादा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसेड़ा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पासी, श्री राजनारायण (बांसगांव)

पासी, श्री सुरेश (चायल)

पुगलिया, श्री नरेश (चन्द्रपुर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री, ई. (चिदंबरम)

प्रधान, डा. देवेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर. (मथुरापुर)

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराजनगर)

प्रेमाजम, प्रो. ए. के. (वडागरा)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)

फारूक, श्री एम. ओ. एच. (पांडिचेरी)

ब

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वारस)

बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह (जलेसर)

'बचदा,' श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बनातवाला, श्री जी एम. (पोन्नानी)

बब्बन राजभर, श्री (सलेमपुर)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह (हिसार)

बराड़, श्री जे. एस. (फरीदकोट)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बलिराम, डा. (लालगंज)

बसवनागौड़, श्री कोलुर (बेल्लारी)

बसवराज, श्री जी. एस. (तुमकुर)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बालू, श्री टी. आर. (मद्रास दक्षिण)

बिन्द, श्री रामरती (मिर्जापुर)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन (नवद्वीप)

बुन्देला, श्री सुजानसिंह (झांसी)

बेगम नूर बानो (रामपुर)

बेहरा, श्री पद्मनाव (फूलबनी)

बैंदा, श्री रामचन्द्र (फरीदाबाद)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री (जबलपुर)

बैस, श्री रमेष्ण (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोचा, श्री सत्यनारायण (बोब्बिली)

बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)

ब्रह्मनैया, श्री ए. (मछलीपटनम)

भ

भगत, प्रो. दुखा (लोहरदगा)

भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)

भडाना, श्री अवतार सिंह (मेरठ)

भाटिया, श्री आर. एल. (अमृतसर)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांतिलाल (झाबुआ)

भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मकवाना, श्री सवशीभाई (सुरेन्द्रनगर)

मलयसामी, श्री के. (रामनाथपुरम)

मलिक, श्री जगन्नाथ (जाजपुर)

मल्याला, श्री राजैया (सिद्दीपेट)

मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी. (दावणगेरे)

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार, (दक्षिण दिल्ली)

महंत, डा. चरणदास (जांजगीर)

महताब, श्री भुर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)

महतो, श्रीमती आभा (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्री वाई. जी. (जलगांव)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर (मालेगांव)

मांझी, श्री रामजी (गया)

माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

मान, सरदार सिमरनजीत सिंह (संगरूर)

माने, श्री शिवाजी (हिंगोली)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)

मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)

मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)

मिस्त्री, श्री मधुसूदन (साबरकांठा)

मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)

मीणा, श्रीमती जस कौर (सवाई माधोपुर)

मुखर्जी, श्री सत्यव्रत (कृषनगर)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनिलाल, श्री (सासाराम)

मुनियप्पा, श्री के. एच. (कोलार)

मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)

मुरुगेसन, श्री एस. (तेनकासी)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री सालखन (मयूरभंज)

मूर्ति, श्री ए. के. (चेंगलपट्टू)

मूर्ति, डा. एम. वी. वी. एस. (विशाखापत्तनम)

मेघवाल, श्री कैलाश (टौंक)

मेहता, श्रीमती जयवंती (मुम्बई दक्षिण)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)

मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)

मोहोल, श्री अशोक ना. (खेड़)

य

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा (महेन्द्रगढ़)

यादव, डा. जसवंतसिंह (अलवर)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री भालचन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मुलायम सिंह (सम्भल)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)

येरनायडू, श्री के. (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डा. जयन्त (स्वशासी जिला असम)

रमैया, डा. बी. बी. (एलूरू)

रवि, श्री शीशराम सिंह (बिजनौर)

राजवंशी, श्री माधव (मंगलदोई)

राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री (पूर्णिया)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

राधाकृष्णन, श्री सी. पी. (कोयम्बटूर)

राधाकृष्णन, श्री पोन (नागरकोइल)

राम सजीवन, श्री (बांदा)

राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन. (टिंडिवनाम)

रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)

रामुलु, श्री एच. जी. (कोप्पल)

रामैया, श्री गुनीपाटी (राजमपेट)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री विष्णु पद (अंदमान और निकोबार द्वीप)

राय, श्री सुबोध (भागलपुर)

राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण (राजामुन्दरी)

राव, श्री गंता श्रीनिवास (अनकापल्ली)

राव, डा. डी. वी. जी. शंकर (पार्वतीपुरम)

राव, श्री वाई. वी. (गुंटूर)

राव, श्री सीएच. विद्यासागर (करीमनगर)

राव, श्रीमती प्रभा (वर्धा)

रावत, प्रो. रासासिंह (अजमेर)

रावत, श्री प्रदीप (पुणे)

रावत, श्री रामसागर (बाराबंकी)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण मध्य)

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण (पाटन)

रिजवान जहीर, श्री (बलरामपुर)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रूडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)

रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एन. आर. के. (चित्तूर)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर (नालगोंडा)

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश (हनमकोण्डा)

रेड्डी, श्री जी. गंगा (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री बी. वी. एन. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री वाई. एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेनु कुमारी, श्रीमती (खगड़िया)

ल

लाहिड़ी, श्री समीक (डायमंड हार्बर)

लेपचा, श्री एस. पी. (दार्जिलिंग)

व

वंग्चा, श्री राजकुमार (अरुणाचल पूर्व)

वनगा, श्री चिंतामन (दहानू)

वर्मा, डा. साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली)

वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह (शाहजहांपुर)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वाडियार, श्री एस. डी. एन. आर. (मैसूर)

विजयन, श्री ए. के. एस. (नागापट्टिनम)

विजया कुमारी, श्रीमती जी. (अमालापुरम)

विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम. (भद्राचलम)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा (नेल्लौर)

वेंकटस्वामी, डा. एन. (तिरूपति)

वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी (तेनाली)

वेंकटेस्वरलु, श्री बी. (वारंगल)

वेणुगोपाल, डा. एस. (आदिलाबाद)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुपत्तूर)

वेत्रिसेलवन, श्री वी. (कृष्णागिरि)

वैको, श्री (शिवकाशी)

व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)

श

शर्मा, कैप्टन सतीश (रायबरेली)

शशि कुमार, श्री (चित्रदुर्ग)

शहाबुद्दीन, मोहम्मद (सिवान)

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शान्ता कुमार, श्री (कांगड़ा)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)

शिवकुमार, श्री वी. एस. (तिरुअनन्तपुरम)

शुक्ल, श्री श्यामाचरण (महासमुन्द)

शेरवानी, श्री सलीम आई. (बदायूं)

श्रीकांतप्पा, श्री डी. सी. (चिकमंगलूर)

श्रीनिवासन, श्री सी. (डिंडीगुल)

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा (अनन्तपुर)

ष

षणमुगम, श्री एन. टी. (वेल्लौर)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़ उत्तर)

संखवार, श्री प्यारे लाल (घाटमपुर)

संगमा, श्री पूर्णो ए. (तुरा)

संघाणी, श्री दिलीप (अमरेली)

सईद, श्री पी. एम. (लक्षद्वीप)

सईदुज्जमा, श्री (मुजफ्फरनगर)

सनदी, प्रो. आई. जी. (धारवाड़ दक्षिण)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरकार, डा. बिक्रम (पंसकुरा)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्रीमती सुशीला (मिसरिख)

सरोजा, डा. वी. (रासीपुरम)

सांगतम, श्री के. ए. (नागालैंड)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)

सामन्तराय, श्री प्रभात (केन्द्रपाड़ा)

साय, श्री विष्णुदेव (रायगढ़)

साहू, श्री अनादि (बरहामपुर, उड़ीसा)

साहू, श्री ताराचन्द (दुर्ग)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य मा. (गुना)

सिंह, कुंवर अखिलेश (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश)

सिंह, कुंवर सर्वराज (आंवला)

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र (रोहतक)

सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली)

सिंह, डा. रमण (राजनंदगांव)

सिंह, डा. रामलखन (भिण्ड)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप (सिधी)

सिंह, श्री चन्द्र भूषण (फरुखाबाद)

सिंह, श्री चन्द्र विजय (मुरादाबाद)

सिंह, श्री चन्द्रनाथ (मछलीशहर)

सिंह, श्री चरनजीत (होशियारपुर)

सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री जयभद्र (सुल्तानपुर)

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद (कोडरमा)

सिंह, श्री टीएच. चाओबा (आंतरिक मणिपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय (बांका)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री बलबीर (जालन्धर)

सिंह, श्री बहादुर (बयाना)

सिंह, श्री बृज भूषण शरण (गोंडा)

सिंह, श्री महेश्वर (मंडी)

सिंह, श्री राजो (बेगुसराय)

सिंह, श्री राधामोहन (मोतिहारी)

सिंह, श्री राम प्रसाद (आरा)

सिंह, श्री रामजीवन (बलिया, बिहार)

सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)

सिंह, श्री रामानन्द (सतना)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्रीमती कान्ति (बिक्रमगंज)

सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)

सिंह, श्रीमती श्यामा (औरंगाबाद, बिहार)

सिंह, सरदार बूटा (जालौर)

सिंह देव, श्री के. पी. (ढेंकानाल)

सिंह, देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिकदर, श्री तपन (दमदम)

सिन्हा, श्री मनोज (गाजीपुर)

सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती) (पेद्दापल्ली)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम. (शिवगंगा)

सुधीरन, श्री वी. एम. (अलेप्पी)

सुनील, दत्त, श्री (मुम्बई उत्तर पश्चिम)

सुब्बा, श्री एम. के. (तेजपुर)

सुमन, श्री रामजीलाल (फिरोजाबाद)

सरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेनगुप्ता, डा. नीतिश (कोन्टाई)

सेल्वागनपति, श्री टी. एम. (सेलम)

सोमैया, श्री किरीट (मुम्बई उत्तर पूर्व)

सोरोके, श्री विनय कुमार (उदुपी)

सोरेन, श्री शिबू (दुमका)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह (गोधरा)

स्वाइं, श्री खारबेल (बालासोर)

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल (करनाल)

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (जौनपुर)

ह

हंसदा, श्री थामस (राजमहल)

हक, मोहम्मद अनवारूल (शिवहर)

हमीद, श्री अब्दुल (धूबरी)

हसन, श्री मोइनुल (मुर्शिदाबाद)

हान्दिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुसैन, चौ. तालिब (जम्मू)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (किशनगंज)

हौकिप, श्री होलखोमांग (बाह्य मणिपुर)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री मनोहर जोशी

उपाध्यक्ष

श्री पी. एम. सईद

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री पी. एच. पांडियन

श्री श्रीनिवास पाटील

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

श्री के. येरनायडू

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमंडल के सदस्य

श्री अटल बिहारी वाजपेयी	प्रधानमंत्री तथा ऐसे मंत्रालयों/ विभागों के प्रभारी जिनका प्रभार विशिष्ट तौर पर किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है अर्थात : (1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (2) योजना मंत्रालय (3) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (4) परमाणु ऊर्जा विभाग (5) अंतरिक्ष विभाग
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	उप–प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय तथा कोयला और खान मंत्रालय के प्रभारी
श्री अनन्त कुमार	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री
श्री टी. आर. बालू	पर्यावरण और वन मंत्री
श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री जार्ज फर्नान्डीज	रक्षा मंत्री
श्री वेद प्रकाश गोयल	पोत परिवहन मंत्री
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	नागर विमानन मंत्री
श्री जगमोहन	पर्यटन और संस्कृति मंत्री
डा. सत्यनारायण जटिया	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
डा. मुरली मनोहर जोशी	मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री
श्री के. जना कृष्णामूर्ति	विधि और न्याय मंत्री
श्री प्रमोद महाजन	संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री मुरासोली मारन	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री कड़िया मुण्डा	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री
श्री राम नाईक	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्री नीतीश कुमार	रेल मंत्री
श्री जुएल उराम	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री बालसाहिब विखे पाटील	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
श्री सुरेश प्रभु	विद्युत मंत्री
श्री काशीराम राणा	वस्त्र मंत्री
श्री अर्जुनचरण सेठी	जल संसाधन मंत्री
श्री शांता कुमार	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री अरूण शौरी	विनिवेश मंत्री तथा उत्तर–पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
श्री अजित सिंह	कृषि मंत्री
श्री जसवंत सिंह	वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री
श्री शत्रुघ्न सिन्हा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री यशवंत सिन्हा	विदेश मंत्री
श्रीमती सुषमा स्वराज	सूचना और प्रसारण मंत्री
कुमारी उमा भारती	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
डा. साहिब सिंह वर्मा	श्रम मंत्री
श्री शरद यादव	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री एम. कन्नप्पन	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत्र मंत्रालय के राज्य मंत्री

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती वसुन्धरा राजे	लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री
श्री एन. टी. षणमुगम	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी	इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री रमेश बैस	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती विजया चक्रवर्ती	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री निखिल कुमार चौधरी	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बंडारू दत्तात्रेय	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अनन्त गंगाराम गीते	वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विजय गोयल	प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. चमन लाल गुप्त	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. वल्लभभाई कथीरिया	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विनोद खन्ना	पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कृष्णमराजू	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुमित्रा महाजन	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुभाष महरिया	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती जयवंती मेहता	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सत्यव्रत मुखर्जी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. के. मूर्ति	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीपाद येसो नाईक	नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री उमर अब्दुल्ला	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. संजय पासवान	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरिन पाठक	रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री
श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अशोक प्रधान	श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री रवि शंकर प्रसाद	कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पोन राधाकृष्णन	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री ए. राजा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ओ. राजगोपाल	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. रमण सिंह	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन	वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सीएच. विद्यासागर राव	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री
श्री राजीव प्रताप रूडी	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री तपन सिकदर	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिग्विजय सिंह	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सु. तिरूनावुकरसर	पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. रीता वर्मा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हुक्मदेव नारायण यादव	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

सोमवार, 15 जुलाई, 2002/24 आषाढ़, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, आतंकवादी जम्मू में सामूहिक हत्याएं कर रहे हैं और सरकार बैठी सो रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी आप रुकिए। कृपया बैठिए।

[अनुवाद]

अब महासचिव हाल ही में हुए उप-चुनावों में नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करने के लिए उनके नाम पुकारेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्रीमती जी. विजया कुमारी (अमालापुरम)

श्री शिबु सोरेन (दुमका)

श्री त्रिभुवन दत्त (अकबरपुर)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

[हिन्दी]

मंत्रियों का परिचय

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से अपने नये सहयोगियों का परिचय कराने से पूर्व, श्री लाल कृष्ण आडवाणी का उप-प्रधान मंत्री के रूप में परिचय कराना चाहता हूं।

अब मैं अपने नये सहयोगियों का परिचय कराता हूं:

कैबिनेट मंत्री

1. श्री बालासाहिब विखे पाटिल -- भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
2. डा. साहिब सिंह वर्मा -- श्रम मंत्री
3. श्री शत्रुघ्न सिन्हा -- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
4. श्री के. जना कृष्णामूर्ति - विधि और न्याय मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

5. श्री एन. टी. षणमुगम -- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

6. श्री श्रीपाद येसो नाईक -- नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री
7. श्री निखिल कुमार चौधरी -- कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
8. श्री विनोद खन्ना पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
9. श्री अनन्त गंगाराम गीते -- वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
10. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल -- वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
11. डा. संजय परसवान -- संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
12. श्री ए. के. मूर्ति -- रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री

13. श्री सु. तिरूनावुकरसर — पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री

पूर्वाह्न 11.09 बजे

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

और

जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग के नजदीक आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के बारे में उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, हम आज लगभग दो माह के अन्तराल के बाद मिले हैं, मुझे अत्यन्त दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि लोक सभा के वर्तमान सदस्य श्री जगदम्बी प्रसाद यादव भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती तथा हमारे पांच पूर्व सहयोगी यथा श्री चन्द्र मोहन सिन्हा, श्री गुलशेर अहमद, श्री मोती राम बैगरा, श्री आर. आर. पटेल और श्रीमती महेन्द्र कुमारी तथा लोक सभा के पूर्व महासचिव और सभा के मानद अधिकारी, श्री एस. एल. शकधर अब हमारे बीच नहीं रहे।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव झारखंड के गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे। वह इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1977 से 1979 तक और 1996 से 1999 तक छठी, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के भी सदस्य रहे।

इससे पहले वह 1962 से 1967 तक बिहार विधान सभा और 1968 से 1974 तक और 1982 से 1988 तक राज्य सभा के सदस्य रहे।

एक कुशल प्रशासक श्री यादव ने 1977 से 1979 तक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा उद्योग के केन्द्रीय राज्य मंत्री के रूप में सेवा की।

एक सक्रिय सांसद के रूप में श्री यादव ने विभिन्न संसदीय और सलाहकार समितियों के सदस्य के रूप में भी सेवा की।

महान स्वतंत्रता सेनानी, श्री यादव ने 1942 से 1946 तक स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया।

एक कृषक और पेशे से वकील, श्री यादव एक सुविख्यात राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह भारतीय संस्कृति और धरोहर के संरक्षण और विकास में संलग्न रहे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं और कृषि तथा रेशम सहकारी समितियों पर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी अनेक लेख लिखे।

उन्होंने दलितों और समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा श्रमिक वर्गों के कल्याण के लिए अनवरत रूप से कार्य किया।

एक सुशिक्षित विद्वान, श्री यादव को सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रसार के लिए निरंतर प्रयास करते रहने में विशेष रुचि थी और उसकी उप–समिति के संयोजक भी रहे।

श्री यादव ने विदेशों का व्यापक भ्रमण किया और उन्होंने तत्कालीन सोवियत संघ में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन, हैम्बर्ग, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन तथा पेरिस, फ्रांस में संयुक्त परिवार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। वह मई–जून, में मेक्सिको गए। वह भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के भी सदस्य थे।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव का 20 जून, 2001 को कोयबंटूर, तमिलनाडु में कुछ समय बीमार रहने के बाद 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

[अनुवाद]

भारत के पूर्व उप–राष्ट्रपति, श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती का 7 जून, 2002 को बंगलौर, कर्नाटक में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने फरवरी से जुलाई, 1977 तक 5 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया।

श्री जत्ती ने अपने उत्कृष्ट प्रशासनिक और राजनैतिक जीवन के दौरान विभिन्न पदों पर देश की सेवा की।

पेशे से वकील, श्री जत्ती तत्कालीन जामखंडी रजवाड़े में, जो अब कर्नाटक में है, वकालत करते थे।

एक उत्कृष्ट राजनेता, श्री जत्ती 1968 से 1972 तक

पांडिचेरी के उप–राज्यपाल रहे और नवम्बर, 1972 में उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने 1974 से 1979 तक उप राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति पद पर कुशलतापूर्वक कार्य किया। इससे पूर्व, श्री जत्ती, जामखंडी नगर पालिका परिषद के सभापति और जामखंडी रजवाड़े के विधान मंडल के सदस्य रहे। उन्होंने जामखंडी के महाराजा के मंत्री के रूप में कार्य किया और मुख्यमंत्री भी बने। उन्होंने रजवाड़े के भारत संघ में विलय के प्रस्ताव की अगुवाई की और दक्षिण भारत में ऐसा करने वाले वह पहले व्यक्ति थे। उन्हें तत्कालीन संयुक्त बम्बई राज्य की विधान सभा के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया गया। वह तत्कालीन मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव बने। उन्होंने बम्बई के मोराजी देसाई मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य और श्रम उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया और तत्पश्चात् कुछ समय तक स्वास्थ्य और श्रम मंत्री भी रहे। वह राज्य की भूमि सुधार समिति के चेयरमैन भी नियुक्त किए गए और इस विषय पर उन्होंने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे "जत्ती समिति प्रतिवेदन" के रूप में जाना जाता है। इस प्रतिवेदन में राज्य में भूमि सुधार से संबंधित सभी समस्याओं और उनके संभावित समाधानों के बारे में विचार किया गया था। वह 1958 से 1962 तक पूर्व मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री, 1962 में वित्त मंत्री और 1966 में खाद्य मंत्री रहे। वह 1967 में मैसूर विधान सभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए।

श्री जत्ती साहित्यिक प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने दर्शन शास्त्र, साहित्य तथा अन्य संबद्ध विषयों पर अनेक लेख लिखे।

अपने सौम्य व्यवहार और विनम्रता के कारण वह सभी के प्रिय थे।

श्री चन्द्र मोहन सिन्हा वर्ष 1972 से 1979 तक पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उड़ीसा के मयूरभंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह वर्ष 1991–92 के दौरान राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

इससे पूर्व, श्री सिन्हा वर्ष 1961 से 1967 तक उड़ीसा विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने वर्ष 1962 से 1967 तक उड़ीसा राज्य में श्रम, गृह राजस्व और उत्पाद–शुल्क विभागों के उपमंत्री के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य किया।

सक्रिय राजनीति में पदार्पण करने से पूर्व, श्री सिन्हा वर्ष 1943 से 1949 तक सरकारी सेवा में रहे।

श्री सिन्हा ने वर्ष 1950 से 1961 तक विभिन्न श्रमिक संघों के अध्यक्ष और महासचिव के पदों पर कार्य किया। उन्होंने उड़ीसा के श्रम सलाहकार बोर्ड, अनुसूचित जन–जाति सलाहकार परिषद्, वन सलाहकार बोर्ड तथा भारतीय राष्ट्रीय खान मजदूर परिसंघ के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री सिन्हा एक सक्रिय राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने अनेक विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की तथा जनजातीय क्षेत्रों में विकास संबंधी अनेक परियोजनाएं चलाईं। अपने सम्पूर्ण राजनैतिक जीवन के दौरान उन्होंने दलितों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कल्याण के लिए साहसपूर्वक संघर्ष किया। वह उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री बीजू पटनायक द्वारा स्थापित कलिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे।

श्री चन्द्र मोहन सिन्हा का 13 मई, 2000 को उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

श्री गुलशेर अहमद 1980 से 1984 तक सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले श्री अहमद 1952 से 1956 तक राज्य सभा के और 1972 से 1977 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1972 से 1977 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया और वह 1993 के दौरान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे।

एक सुयोग्य सांसद के रूप में, श्री अहमद 1980 से 1984 तक लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के सभापति और 1980 से 1984 तक सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के तथा 1981–82 के दौरान नियम समिति के सदस्य रहे।

कृषक और पेशे से वकील श्री अहमद एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे। वे सतना, मध्य प्रदेश की विपणन समिति और शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1967 से 1972 तक भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश के निदेशक के भी कार्य किए।

शिक्षाविद् के रूप में, श्री अहमद, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट के कुलपति रहे।

श्री गुलशेर अहमद का 20 मई, 2002 को सतना, मध्य प्रदेश में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

श्री मोतीराम बैगरा 1946 से 1950 तक भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे और 1950 में अंतरिम संसद के लिए चुने गए जहां उन्होंने जम्मू–कश्मीर राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

श्री बैगरा 1951 में राज्य संविधान सभा और विधान सभा के लिए भी चुने गए। वह 1957 में विधान सभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए और 1962 तक उसके सदस्य रहे। बाद में वह जम्मू–कश्मीर विधान परिषद के लिए चुने गए और उन्होंने कई वर्षों तक परिषद की सेवा की।

श्री बैगरा जम्मू प्रोविंशियल नैशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष रहे। क्षेत्रीय स्वायत्तता के प्रबल समर्थक, श्री बैगरा जीवन पर्यन्त साम्प्रदायिक सौहार्द और भाई–चारे का पाठ पढ़ाते रहे।

महान स्वतंत्रता सेनानी, श्री बैगरा स्वतंत्रता के लिए निरन्तर संघर्षरत रहे। वह हमेशा धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील विचाराधारा के प्रति समर्पित रहे।

अपनी ईमानदारी और स्पष्टवादिता के लिए उनका सर्वत्र आदर किया जाता था।

श्री मोती राम बैगरा का 28 मई, 2002 को ऊधमपुर, जम्मू–कश्मीर में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

श्री आर. आर. पटेल 1971 से 1979 तक पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने दादरा और नगर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सुयोग्य सांसद के रूप में, श्री पटेल 1976-77 के दौरान गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

पेशे से कृषक, श्री पटेल एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे। वह 1955 से 1957 तक गुजरात मोटी ताम्बाडी पंचायत के सरपंच भी रहे।

श्री आर. आर. पटेल का 13 जून, 2002 को गुजरात के बलसाड में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

श्रीमती महेन्द्र कुमारी वर्ष 1991 से 1996 तक दसवीं लोक सभा की सदस्य रहीं और उन्होंने राजस्थान के अलवर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती महेन्द्र कुमारी वर्ष 1993 से 1996 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति की तथा 1993 से 1995 तक आवास समिति की सदस्य रहीं।

राजघराने में जन्म लेने के बावजूद, श्रीमती महेन्द्र कुमारी सही मायने में जनता की नेता थीं। उन्होंनें दलितों के उत्थान और उनकी उन्नति के लिए निरन्तर प्रयास किया और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए अनथक कार्य किया।

श्रीमती महेन्द्र कुमारी की खेलों में गहरी रुचि रही और वह महिला पिस्टल निशानेबाजी की पूर्व–चैम्पियन थीं। टेनिस, तैराकी और घुड़सवारी में भी उनकी विशेष रुचि थी।

श्रीमती महेन्द्र कुमारी ने अनेक देशों की यात्रा की और वह वर्ष 1995 में चीन के बीजिंग शहर में आयोजित चौथे विश्व महिला सम्मेलन में भारतीय संसदीय दल की सदस्य थीं।

श्रीमती महेन्द्र कुमारी का कुछ समय तक अस्वस्थ रहने के पश्चात् दिल्ली में 27 जून, 2002 को 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

श्री एस. एल. शकधर ने वर्ष 1950 में लोक सभा सचिवालय में उप–सचिव के रूप में सेवा आरम्भ की और वह वर्ष 1964 में लोक सभा के सचिव के पद पर पहुंचे। विश्व की संसदों के महासचिवों के प्रेजीडेंट निर्वाचित होने पर 13 नवम्बर, 1973 को उन्हें महासचिव बना दिया गया और वह इस पद पद 18 जून, 1977 को इस कार्यालय से सेवामुक्त होने तक, जब उन्हें भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया गया, कार्य करते रहे।

संसदीय पद्धति और प्रक्रिया तथा संवैधानिक विधि के एक विशेषज्ञ के रूप में, श्री शकधर ने श्री एम. एन. कौल के साथ लोक सभा में प्रक्रिया नियमों तथा परिपाटियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये नियम और परिपाटियां समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।

संसदीय पद्धति और प्रक्रिया में उनका गहन ज्ञान और व्यापक अनुभव, उनके और श्री एम. एन. कौल द्वारा रचित

"संसदीय पद्धति और प्रक्रिया" नामक ऐतिहासिक शोध ग्रन्थ में प्रतिबिम्बित होता है। यह शोध ग्रन्थ जो कौल एण्ड शकधर के नाम से विख्यात है, संसदीय पद्धति और प्रक्रिया संबंधी मामलों में एक अधिकृत ग्रन्थ माना जाता है तथा कार्यसंचालन के मामले में केवल भारत के ही नहीं अपितु विदेशों के विधायी निकाय भी इसका व्यापक अध्ययन करते हैं।

श्री शकधर के कई अन्य ज्ञानवर्धक तथा शिक्षाप्रद प्रकाशन भी हैं जैसे रिपोर्ट ऑन दि बजटरी सिस्टम ऑफ दि वेरियस पार्लियामेंट्स; प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन; इण्टर–पार्लियामेंटरी रिलेशन्स; बजट इन पार्लियामेंट; कंट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल इन इण्डिया एण्ड यू. के.–ए कम्पेरीजन; एडमिनिस्ट्रेटिव अकांउटेबिलिटी टू पार्लियामेंट; दि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्स; दि कांस्टीट्यूशन एंड पार्लियामेंट इन इण्डिया; संविधान और संसद तथा कई अन्य प्रकाशन।

श्री शकधर को अंतर–संसदीय संघ द्वारा संवक्ता नियुक्त किया गया तथा इस पद पर रहते हुए उन्होंने अन्तर–संसदीय संघ के सदस्य देशों में प्रचलित संसदीय समिति प्रणाली पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की।

उन्होंने विदेशों का व्यापक भ्रमण किया और वह कई संसदीय शिष्टमंडलों के साथ विदेश गए। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय क्षेत्र में वह एक जानी–मानी हस्ती थे।

महासचिव के पद से भारमुक्त होने के पश्चात् उन्हें लोक सभा का मानद अधिकारी नियुक्त किया गया था।

श्री एस. एल. शकधर का 18 मई, 2002 को 83 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे आशा है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं प्रकट करने में पूरी सभा मेरे साथ है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि 13 जुलाई, 2002 को जम्मू–श्रीनगर राजमार्ग के नजदीक उपनगरीय क्षेत्र, राजीव नगर में आतंकवादी हमले में 27 लोग मारे गए और अनेक घायल हुए। इन निर्दोष लोगों की हत्या पर हम गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और हिंसा के इस कायरतापूर्ण कृत्य की घोर निन्दा करते हैं। सभा इस दुखद घटना पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.23 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी का भुगतान

*1. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में कई उद्योगों द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किए जाने संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कानूनी उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के सांविधिक उपबंधों के अनुसार अपने–अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत कामगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, संशोधन और प्रवर्तन करती हैं। जहां तक प्रवर्तन का संबंध है, इसे केन्द्र और राज्य प्रवर्तन तंत्रों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। इन तंत्रों के अधिकारियों की नियुक्ति निरीक्षकों के रूप में की जाती है जो नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और जब कभी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न होने या कम भुगतान होने का कोई मामला सामने आता है तो वे नियोक्ताओं को पूरी मजदूरी का भुगतान करने की सलाह देते हैं। इसका अनुपालन न होने की स्थिति में, चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध अभियोजन चलाने का प्रावधान है।

केन्द्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले नियोजनों के संबंध में किए गए निरीक्षणों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण निम्नवत है :

केन्द्र सरकार

वर्ष	किए गए निरीक्षणों की संख्या	कामगारों को भुगतान कराई गई राशि (लाख रु. में)	आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या
1998-1999	112	2.56	877
1999-2000	125	2.15	816
2000-2001	154	1.84	805

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(करोड़ रु. में)

2000	6719	1.27	829
2001	6416	0.91	1040
2002 (मई माह तक)	3038	0.89	420

सोयाबीन/सोयाबीन तेल का उत्पादन

*2. **श्री रामानन्द सिंह :**
श्रीमती प्रभा राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान सोयाबीन तेल के सभी लोकप्रिय ब्रांडों के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इनमें ब्रांडवार कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सोयाबीन तेल की मांग की पूर्ति आयात द्वारा की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान कितने सोयाबीन तेल का आयात किया गया था;

(ङ) क्या सोयाबीन/सोयाबीन तेल के घरेलू उत्पादन में कुछ कमी आई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) सोयाबीन/सोयाबीन तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कारगर कदम उठाए गए हैं; और

(ज) सरकार द्वारा राज्यों को सोयाबीन/सोयाबीन तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) सोया तेल की कीमतें मांग और आपूर्ति की स्थिति के साथ-साथ खाद्य तेलों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती हैं। पिछले छह महीनों में खाद्य तेलों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है जिससे सोया तेल समेत सभी प्रकार के खाद्य तेलों के घरेलू मूल्यों में वृद्धि हुई है। खाद्य तेलों की ब्राण्डवार (छापवार) कीमतों की मानीटरिंग नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) खाद्य तेलों की मांग का आकलन किसी विशेष खाद्य तेल के आधार पर न करके सभी प्रकार के खाद्य तेलों के समग्र उत्पादन के आधार पर किया जाता है और मांग तथा आपूर्ति के बीच के अंतर की पूर्ति खाद्य तेलों का आयात करके की जाती है। वित्तीय वर्ष 2001-02 (जनवरी, 2002 तक) में 11.96 लाख टन सोयाबीन तेल का आयात किया गया है।

(ङ) और (च) वर्ष 1999-2000 की तुलना में 2000-01 और 2001-02 के दौरान सोयाबीन/सोया तेल का उत्पादन कम रहा है। सोयाबीन के उत्पादन में इस कमी का कारण प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियां थीं। वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के दौरान देश में हुए सोयाबीन के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) और (ज) सोयाबीन समेत सभी तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 28 राज्यों के 408 जिलों में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ. पी. पी.) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को विभिन्न प्रकार के आदानों और उत्पादन तथा संरक्षण प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए सहायता दी जा रही है जिससे

कि सोयाबीन समेत सभी तिलहनों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। सोयाबीन सहित सभी तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2001–02 के दौरान राज्यों को 73.23 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है।

विवरण

1999–2000 और 2000–01 दौरान देश में हुए सोयाबीन के उत्पाद का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन (000 मीटरी टन में)	
	1999–2000	2000–01
आंध्र प्रदेश	13.9	11.8
अरुणाचल प्रदेश	3.7	3.4
गुजरात	5.1	5.1
हिमाचल प्रदेश	1.1	1.0
कर्नाटक	59.5	58.8
मध्य प्रदेश	4743.0	3431.0
छत्तीसगढ़	–	9.0
महाराष्ट्र	1620.0	1266.2
मेघालय	0.9	0.8
मिजोरम	1.4	1.6
नागालैण्ड	14.0	11.7
उड़ीसा	–	–
राजस्थान	601.0	455.9
सिक्किम	3.4	3.4
उत्तर प्रदेश	14.0	9.9
उत्तरांचल	–	3.0
पश्चिम बंगाल	0.4	0.3
अखिल भारत	7081.4	5272.9

सड़क दुर्घटनाएं

*3. **श्री महेश्वर सिंह :**

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं;

(ग) सरकार द्वारा बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत कमी आई है;

(ङ) क्या सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तेल कंपनियों से पेट्रोल पंपों को राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाने के लिए कहा है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(छ) इस पर तेल कंपनियों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ज) पेट्रोल पंपों को राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाने से सड़क दुर्घटनाओं में कितनी कमी आने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूडी) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रति हजार मोटर वाहनों पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम हो रही है, जैसा कि नीचे दी गई हैं :

वर्ष	सभी श्रेणी के वाहनों की संख्या (हजार में)	राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की संख्या	प्रति हजार वाहन दुर्घटनाएं
1	2	3	4
1996	33783	89046(अ)	2.64

1	2	3	4
1997	37231	94014(अ)	2.53
1998	40939	98690(अ)	2.41
1999	45000 (अंतरिम)	103839	2.31

अ=अनंतिम (कुछ राज्यों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है)

सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता लगता है कि लगभग 83.5% दुर्घटनाएं चालकों की गलती के कारण होती हैं। वाहनों की स्थिति, सड़कें आदि जैसे कुछ अन्य कारण भी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। सड़क सुरक्षा के अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं–

(1) गत योजनावधि में लगभग 15,750 भारी मोटर वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(2) दृश्य–श्रव्य–पत्र–पत्रिका के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता के संबंध में प्रचार अभियान।

(3) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

(4) चालकों के प्रशिक्षण में सिमुलेटरों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

(5) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरूआत की गई है।

(6) स्कूली बच्चों में जागरूकता लाने के लिए उनके लिए सड़क सुरक्षा विषय पर अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।

(7) परिवहन वाहनों के लिए उपयुक्तता मानक कठोर बनाए गए हैं।

(8) सड़कों को चौड़ा करना/सुधार करना।

(ङ) से (ज) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीन कंपनियों से पेट्रोल पंपों को राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाने के लिए नहीं कहा है। तथापि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा तेल कंपनियों के परामर्श से दुर्घटनाएं कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर ईंधन स्टेशनों पर पहुंचने की रूपरेखा से संबंधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे रहा है। यह आवश्यक समझा गया है क्योंकि बेहतर सड़क के कारण तीव्र गति और मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण राजमार्गों पर यातायात का निर्बाध आवागमन आवश्यक हो गया है। ईंधन स्टेशनों की समुचित रूपरेखा के बगैर पेट्रोल पंप पर पहुंचने और राजमार्ग पर निकलने से यातायात में बाधा आती है और इससे प्रयोक्ताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।

[अनुवाद]

स्वतंत्र कृषि बीमा कंपनी की स्थापना

***4. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**

श्री वाई. वी. राव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश भर में केवल कृषि संबंधी कार्यकलापों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई स्वतंत्र कृषि बीमा कंपनी/फसल बीमा निगम की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात सहित लगभग 19 राज्य उक्त प्रस्ताव से सहमत हैं;

(घ) क्या देश में इनमें से कुछ राज्यों में फसल असफलता की सर्वाधिक दर दर्ज की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त कंपनी किसानों के लिए कहां तक सहायक होगी?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। नए संगठन को विद्यमान सार्वजनिक क्षेत्रीय साधारण बीमा कम्पनियां और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रवर्धित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात सहित सभी

कार्यान्वयन राज्यों (21 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों) ने एक पृथक राष्ट्रीय कृषि बीमा कम्पनी की स्थापना की जरूरत को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

(घ) खरीफ 2000 के दौरान गुजरात में फसलों का व्यापक रूप से नाश हुआ था और उसके परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति दावों की अब तक की सबसे अधिक 768.92 करोड़ रुपए की राशि का गुजरात में भुगतान किया गया।

(ङ) प्रस्तावित नया संगठन किसानों को निम्नलिखित रूप में सहायक होगा :

- एक पृथक बीमा कम्पनी पर्याप्त जनशक्ति/अवसंरचना की व्यवस्था कर सकेगी ताकि यह आसानी से किसानों की पहुंच में होगी और उपज सहित फसलों की प्रभावी मानिटरिंग करना भी सम्भव हो सकेगा।
- प्रस्तावित नई एजेन्सी से बीमे के इकाई क्षेत्र को कम करने में सुविधा होगी।
- किसानों, विशेषकर गैर-ऋणी किसानों को अपने बीमा प्रस्ताव सीधे बीमा कम्पनी को प्रस्तुत करने में सहायक होंगे।
- प्रस्तावित नया संगठन फसल बीमा पर संकेन्द्रण कर सकेगा और यदि अपेक्षित हो, योजना के शीघ्र क्रियान्वयन में आवश्यक परिवर्तन करेगा।

[हिन्दी]

कृषि-उत्पादों के मूल्यों को निर्धारित करने के लिए समिति का गठन

***5. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कृषि-उत्पादों के मूल्यों को निर्धारित करने के लिए किसी बोर्ड/समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बोर्ड/समिति में किसानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि-उत्पादों के मूल्यों को निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) कृषि मूल्य नीति के संबंध में सतत आधार पर सरकार को सलाह देने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) पहले से ही अस्तित्व में है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के संबंध में सिफारिशें करता है।

(ख) और (ग) कृषि उत्पादन और उपभोक्ता समस्याओं की समझ रखने वाले ख्यातिलब्ध व्यक्तियों को जो किसी समूह विशेष का अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में उन्हें अनुबंध के आधार पर सदस्यों (गैर-सरकारी) के तीन पदों पर नियुक्त किया जाता है।

(घ) सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा ऐसे अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए विभिन्न कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है। जो सरकार की राय में न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है।

न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (1) व्यापक रूप से राष्ट्रीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में उत्पादन पद्धति विकसित करने तथा उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए उत्पादक को प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता; (2) भूमि, जल तथा अन्य उत्पादन संसाधनों का युक्ति संगत उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता; (3) शेष अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से जीवन यापन की लागत, मजदूरी के स्तरों, औद्योगिक लागत संरचना आदि पर मूल्य नीति के सम्भावित प्रभाव; और (4) कृषि क्षेत्र तथा गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तों को ध्यान में रखता है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस को घाटा

***6. श्री रामजीवन सिंह :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस को पिछले तीन वर्षों से लगातार घाटा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप इसके बाजार की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस को वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 की संगत अवधि की तुलना में वर्ष 2001–2002 (आज की तिथि तक) के दौरान अनुमानतः कितना घाटा हुआ;

(ग) ऐसे घाटे के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष में इंडियन एयरलाइंस और एलाइंस एयर के निवल मुनाफा/(घाटे) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	निवल मुनाफा/(घाटा) (करोड़ रुपए में)	
	इंडियन एयरलाइंस	एलाइंस एयर
1999–2000	51.42	0.94
2000–2001	(159.17)	(71.19)
2001–2002 (अनुमानित)	(250.65)	(63.00)

विगत तीन वर्षों में एयरलाइंस और एलाइंस का घरेलू मार्केट शेयर निम्नानुसार है :

वर्ष	मार्के शेयर का प्रतिशत
1999–2000	56.0
2000–2001	50.9
2001–2002	49.7

इंडियन एयरलांइस का मार्केट शेयर में ह्रास होने की मुख्य वजह घरेलू विपणन क्षेत्र में क्षमता में कमी होना है। सामान्य आर्थिक मंदी और 11 सितम्बर को अमेरिका में हुई घटना को देखते हुए वर्ष 2001–2002 में यातायात में भी लगभग 7 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि क्षमता वृद्धि विपणन क्षेत्र की वृद्धि से अधिक रहा है।

(ग) इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर को निम्नाकिंत कारणों से घाटा हुआ :

1. विमानन टरबाईन ईंधन (ए.टी.आर.) की कीमत में वृद्धि
2. अवतरण एवं दिक्चालनात्मक प्रभारों में वृद्धि
3. पट्टे पर लिए गए विमानों के आयात पर विनिमय दर और सीमा–शुल्क लेवी में वृद्धि
4. बीमा प्रीमियम दरों में वृद्धि
5. नए हवाई अड्डे से प्रचालन आरंभ करने के बाद कोचीन हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग प्रभारों में वृद्धि, जब एयरलाइनों द्वारा उड़ानों की सेल्फ हैंडलिंग वापिस ले ली गई थी।
6. अतिरिक्त सुरक्षा व्यय
7. घरेलू यातायात में कमी।

(घ) राजस्व में इजाफा करने और प्रचालन लागत को यथावत् रखने के लिए इंडियन एयरलांइस और एलाइंस एअर ने निम्नांकित उपाय किए हैं :

– कठोरबजटीय नियंत्रण

– नई भर्ती पर प्रतिबंध

– मार्ग यौक्तिकरण तथा विपणन आवश्यकताओं पर आधारित विमानों को सेवा में लगाना

– फ्लेक्सी किराया नीति को लागू करना

– अभिनव विपणन रणनीति

– पुराने विमानों को बदलने/वैमानिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए पट्टे पर विमान लेना

– उत्पाद/ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता

***7. श्री चन्द्रनाथ सिंह :**

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केवल उन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है जिनके पास पर्यटन संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्ससंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में राज्यवार और परियोजनावार किन–किन राज्यों से पर्यटन परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, नहीं। पर्यटन विभाग, भारत सरकार देश में अवसंरचना के विकास तथा पर्यटन के संबंध हेतु राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, प्रत्येक वर्ष उनके परामर्श से अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1999–2000 से 2001–2002 के दौरान प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं तथा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने 967 परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की। धनराशि प्रस्ताव की पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत की जाती है। इन परियोजनाओं के लिए 238 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई और 104 करोड़ रुपए अवमुक्त किए गए।

[अनुवाद]

भूमिगत जल स्तर में गिरावट

***8. श्री अधीर चौधरी :**

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जून, 2002 के "द स्टेट्समेन" में इंडिया फेसेस् ग्राउन्ड वाटर डिप्लीशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश को भूमिगत जल की कमी के संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संकट से उबरने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) से (घ) सरकार ने 23 जून, 2002 के स्टेट्समेन में "इंडिया फेसेस ग्राउन्ड वाटर डिप्लीशन" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घकालीन प्रेक्षणों से देश के विभिन्न भागों में भू–जल स्तर में गिरावट का पता चला है। विभिन्न राज्यों में भू–जल स्तर में 4 मीटर (1981–2000) से अधिक गिरावट वाले स्थान पाए गए हैं, उनका नाम संलग्न विवरण में दिया गया है।

जल, राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन से संबंधित स्कीमों की योजना, उनका वित्तपोषण एवं कार्यान्वयन करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, भू–जल का कृत्रिम पुनर्भरण तथा छत के वर्षा जल का संचयन कर वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा दे रही है। केन्द्र सरकार द्वारा भू–जल की गिरावट को रोकने तथा उसका उपयोग करने के लिए अनेकों उपाय किए हैं। ये उपाय इस प्रकार हैं :

(i) भू–जल प्रबंधन एवं विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन।

(ii) वर्ष 1970 में एक मॉडल बिल परिचालित किया गया था जिसे सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1992 एवं वर्ष 1996 में पुनः परिचालित किया गया ताकि वे भूमि जल विकास के उपयोग को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए उचित कानून बना सकें।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भू–जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअल परिचालित करना ताकि वे भू–जल स्तर की गिरती प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्र विशेष की कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम तैयार कर सकें।

(iv) देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 23.48 करोड़ रुपये की लागत से "प्रायोगिक आधार" पर भू–जल के पुनर्भरण अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन करना।

(v) दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए 150 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भू–जल के पुनर्भरण के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का प्रस्ताव किया गया है।

(vi) पूरे देश में जल संचयम एवं भू–जल पुनर्भरण संबंधी जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

विवरण

भू–जल स्तर में 4 मीटर (1981–2000) से अधिक की गिरावट वाले स्थानों वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ जिलों के नाम

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिले
1	2
आन्ध्र प्रदेश	अदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, कुडप्पा, पूर्वी गोदावरी, गुन्टूर, हैदराबाद, करीम नगर, खम्माम, कृष्णा, कुरनूल, महबूब नगर, मेडक, नालगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विजियानगरम, विशाखपट्टनम, वारंगल, पश्चिमी गोदावरी।
बिहार (झारखण्ड सहित)	धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, दरभंगा।
छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनन्दगांव, सतना, सिधी।
गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, राजकोट, सूरत, सुरेन्द्रनगर।
हरियाणा	अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाडी, रोहतक, सोनीपत यमुनानगर।
कर्नाटक	बंगलौर (ग्रामीण), बेल्लारी, बेलगाम, बीदर, बगलकोट, बीजापुर, चित्रदुर्ग, देवनगिरी, धारवाड़, गदग, गुलबर्गा, हवेरी, हासन, कोलार, मैयूर, चमराजानगर, रायचूर, शिमोगा, कपोल तुमकुर, उत्तर कन्नड़।
मध्य प्रदेश	बेतुल, भिंड, छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, दामोह, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खाण्डवा, खरगौन, मंदसौर, मौरेना, नरसिंगपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, रायगढ़, रतलाम, सागर, सीहोर, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन, विदिशा।
महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, बीद, मुम्बई, धुले, गडचिरौली, कोल्हापुर, नांदेड़, नासिक, ओसमानाबाद, अमरावती, औरंगाबाद, भंडारा, बुलदाना, चंद्रपुर, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, परभनी, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सिंधुदुर्ग, थाने, सतारा, सोलापुर, वर्धा यवातमल।
उड़ीसा	अंगुल, बालासोर, बारगढ़ बोलंगीर, धेनकनाल, गजपति, गंजम, जजपुर, कालाहांडी, क्योंझर, खुर्दा, कोरापुट, मल्कानगिरी, मयूरभंज, नावापाड़ा, नौरंगपुर, सुंदरगढ़, सुवर्णपुर।

1	2
पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, फतेहगढ़, फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, नवाशहर, पटियाला, रोपड़, संगरूर।
राजस्थान	अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुन्झुन, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, उदयपुर
तमिलनाडु	कोयंबटूर, कुड्डालोर, धरमपुरी, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, मद्रास, पुदुकोट्टाई, शिवगंगाई, तंजावूर, थेनी, तिरूनेलवेली, तिरूवेल्लूर, तिरूवन्नामलाई, तिरूवरूर, तुतीकोरीन।
उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	आगरा, अलीगढ़ इलाहाबाद, बदायूं, बिजनौर, बुलंदशहर, एटा, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, हरदोई, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, उन्नाव।
पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा, वर्द्धमान, मिदनापुर, उत्तर–24 परगना, पुरूलिया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	महरौली, नजफगढ़ और शहरी खंड।
पांडिचेरी	पांडिचेरी।

कृषि उत्पादों की निर्यात लागत

***9. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पादों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कृषि उत्पादों की निर्यात लगत कम करने हेतु कोई नई कृषि–निर्यात नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पूर्व कृषि–निर्यात नीति की तुलना में नई रणनीति में कहां तक सुधार हुआ है; और

(ग) पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में पिछले तीन महीनों के दौरान कृषि–निर्यात में कितना सुधार दर्ज किया गया है?

कृषि मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने कृषि उत्पादों की निर्यात लागत को कम करने के लिए विभिन्न उपाय आरम्भ किए हैं ताकि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बढ़ाने और उन्नत अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कृषि निर्यात जोनों की स्थापना, ऋण का बेहतर प्रवाह, चुनिन्दा कृषि वस्तुओं के निर्यात संबंधी ढुलाई, रख–रखाव और प्रसंस्करण के लिए विपणन लागतों को कम करने के लिए सहायता के साथ–साथ पंजीकरण और पैकेजिंग से संबंधित निर्यात प्रतिबंधों को हटाना भी शामिल हैं इसके अलावा, किसानों को कृषि आदानों जैसे बीज, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशकों, कृमिनाशियों पर सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न कृषि विकास योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। और उत्पादन लागत को कम करने तथा कृषि उत्पादन की कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए अनुसंधान तथा विकास और विस्तार के लिए भी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

कृषि निर्यात का मूल्य वर्ष 1999–2000 में 25313.66 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2001–02 के दौरान 29485.85 करोड़ रुपए हो गया। इसी प्रकार, वर्ष 2001–02 की अन्तिम तिमाही के दौरान कृषि उत्पाद के निर्यात के मूल्य में भी वर्ष 2000–01 की संगत अवधि की तुलना में निम्नानुसार वृद्धि दर्ज की गई है :

कृषि वस्तुओं का निर्यात

(मूल्य : करोड़ रुपए में)

	वर्ष 2000–01	वर्ष 2001–02
जनवरी	2399.61	2841.96
फरवरी	2616.62	3100.12
मार्च	3234.25	2719.35
कुल	8250.48	8661.43

[हिन्दी]

खुरपका-मुंहपका रोग

***10. प्रो. दुखा भगत :**

श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में दुधारू पशु खुरपका–मुंहपका रोग से पीड़ित बताए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके परिणामस्वरूप अनुमानतः कितने पशुओं की मौत हुई है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या उपाए किए गए हैं; और

(घ) इन उपायों की समीक्षा करने की प्रक्रिया और गत समीक्षा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) खुरपका और मुंहपका रोग भारत में पूरे वर्ष फैला रहता है। इस रोग के कारण 1999, 2000 और 2001 में क्रमशः 884, 237 और 124 गोपशु मारे गए।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार इस रोग पर नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से समाज के कमजोर वर्गों के विदेशी, वर्ण संकरित और उच्च उत्पादकता वाले स्वेदशी गोपशुओं के लिए टीके की लागत के लिए अनुदान सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से समय–समय पर यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे इस रोग के होने और फैलने से बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहें और आवश्यक कदम उठाएं। इन उपायों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। नवीनतम समीक्षा जून, 2002 में की गई थी।

भारतीय उड़ानों पर पाकिस्तान की वायु सीमा में लगे प्रतिबंध के कारण हुआ घाटा

***11. श्री रामजीलाल सुमन :**

श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया को भारतीय उड़ानों पर पाकिस्तान की वायु सीमा में लगे प्रतिबन्ध के कारण भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध के कारण उन्हें अब तक इस प्रकार हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय वायु सीमा में पाकिस्तानी विमानों की उड़ानों पर लगे प्रतिबन्ध को इकतरफा तौर पर हटा लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार का विचार कोई पारस्परिक कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) जी, हां। एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा पहली जनवरी, 2002 से पाकिस्तान के वायु क्षेत्र को बंद करने की वजह से उड़ानों का मार्ग बदले जाने के परिणामस्वरूप क्रमशः 20.80 करोड़ रुपए तथा 4.6 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने 10 जून, 2002 को पाकिस्तानी विमानों तथा पाकिस्तानी एयरलाइंस पर से भारतीय वायु–क्षेत्र से होकर उड़ान भरने पर सभी प्रतिबंधों को उठा लिया। पाकिस्तान सरकार को औपचारिक रूप से इस निर्णय

से अवगत करा दिया गया। तथापि, पाकिस्तान ने इसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाए हैं।

[अनुवाद]

सर्कसों में करतब दिखाने वाले जानवर

***12. श्री पी. सी. थामस :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सर्कसों में जंगली जानवरों का प्रयोग अभी भी विभिन्न करतब दिखाने के लिए किया जा रहा है;

(ख) सरकार द्वारा इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) वर्ष 2001–02 के दौरान और उसके बाद विभिन्न सर्कसों से श्रेणीवार कितने जंगली जानवरों को छुड़ाया गया है;

(घ) छुड़ाए गए इन जानवरों को किस तरीके से रखा जा रहा है; और

(ङ) उन्हें जंगल में छोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) अधिकतर सर्कस करतब दिखाने के लिए कुछ या अन्य जंगली जानवरों का प्रयोग कर रहे हैं। भारत सरकार ने अक्टूबर, 1998 में भालू, बंदर, बाघ, तेंदुए तथा शेर द्वारा सार्वजनिक करतब दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस आदेश के विरुद्ध सर्कस मालिक दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील करने गए तथा अपील दिसम्बर, 1998 में रद्द कर दी गई थी। तत्पश्चात उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। वहां भी उनकी अपील खारिज कर दी गई लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा जंगली जानवरों को भारत सरकार के कब्जे में दिए जाने संबंधी कोई आदेश नहीं दिया गया। तब केन्द्र सरकार ने राज्यों के मुख्य वन्यजीव संरक्षकों से अनुरोध किया कि वे न्यायालयों द्वारा दिए गए विशिष्ट स्थगन आदेश वाले मामलों को छोड़कर सर्कसों के स्वामित्व संबंधी प्रमाण–पत्र रद्द कर दें और जानवरों को अपनी कस्टडी में लेकर उन्हें केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई धनराशि के माध्यम से बनाए गए बचाव केन्द्रों में उनका रखरखाव करें। सर्कसों से बचाव केन्द्रों को स्थानान्तरित जानवरों संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रत्येक जानवर को उनकी स्वतंत्र आवाजाही के लिए खुले स्थान सहित फीडींग/रात्रि शैल्टर प्रदान करवाया गया है। भारत सरकार उनके भोजन और स्वास्थ्य संबंधी देशभाल पर होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए इन बचाव केन्द्रों की अवस्थिति वाली संबंधित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है चूंकि ये जानवर जंगल में स्वयं की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं अतः इन्हें जंगल में छोड़ा जाना संभव नहीं है।

विवरण

विभिन्न सर्कसों से प्राप्त जानवरों की सूची

I. वर्ष 2000-2001 तक

क्र.सं.	सर्कस का नाम	शेरों की संख्या	बाघों की संख्या	भालुओं की संख्या	तेंदुओं की संख्या	कुल
1.	मोबाइल सर्कस, कोलार	—	1	—	1	2
2.	मोबाइल सर्कस, कुंदापुर	2	—	—	—	2
3.	गीता सर्कस	11	—	—	—	11
4.	कोमल सर्कस	29	—	1	—	30
	कुल	42	1	1	1	45

II. 2001 से आज तक

क्र.सं. सर्कस का नाम	शेरों की संख्या	बाघों की संख्या	भालुओं की संख्या	तेंदुओं की संख्या	कुल
5. जॉनसन इंडियन वैरायटी एंटरटेनमेंट	2	—	1	—	3
6. रॉयल मोबाइल सर्कस	6	—	1	1	8
7. प्राइवेट सर्कस	6	—	—	—	6
8. ग्रेट रेमैन सर्कस	15	8	1	—	24
9. गोल्डन सर्कस	2	—	—	—	2
10. एशियाड सर्कस	2	4	—	—	6
11. भारत सर्कस	5	—	—	—	5
12. शालीमार एण्ड न्यू सर्कसिज	6	—	—	—	6
13. राज कमल सर्कस	20	—	1	—	21
14. अजन्ता सर्कस	18	2	1	—	21
15. सांई बाबा सर्कस	1	—	—	—	1
16. फेमस सर्कस	9	21	—	—	30
17. राम्बो सर्कस	12	—	—	—	12
18. ग्रांड नेशनल सर्कस	12	2	—	—	14
कुल	116	37	5	1	159
प्राप्त किए गए कुल जानवर	158	38	6	2	204

[हिन्दी]

रिमोट सेंसिंग द्वारा कृषि उत्पादन

*13. **डा. अशोक पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय रिमोट सेंसिंग द्वारा कृषि उत्पादन के प्रमाणिक पूर्वानुमान के लिए अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से किसी परियोजना पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है और उसके क्या परिणाम निकलेंगे?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। कृषि में रिपोट सेंसिंग के प्रयोग के विकास हेतु कृषि मंत्रालय अंतरिक्ष विभाग से नियमित रूप से विचार--विमर्श कर रहा है। अन्तरिक्ष विभाग के माध्यम से फसल एकरेज तथा उत्पादन अनुमानन (सी.ए.पी.ई.) नामक एक परियोजना 1988 से कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करके क्षेत्र संबंधी प्रणाली विज्ञान तथा फसलों के कटाई--पूर्व उत्पादन अनुमान का विकास और उन्नयन करना

है। सरकार अब दसवीं पंचवर्षी य योजना के दौरान एक परियोजना कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है जिसका नाम "अंतरिक्ष, कृषि संबंधी मौसम विज्ञान और भू–आधारित प्रेक्षणों का उपयोग करके कृषि उत्पादन की पूर्वसूचना" (एफ. ए.एस.ए.एल.) है। यह एक छत्रक परियोजना है जिसका उद्देश्य फसल सूची अनुमानन पर विशेष ध्यान दिए जाने वाले सी. ए.पी.ई. सहित कृषि हेतु रिमोट सेन्सिंग की विविध उपयोगी वस्तुओं को संस्थागत करना है। यह परियोजना भी अंतरिक्ष विभाग के साथ संयुक्त रूप से परिकल्पित की गई है।

एफ ए एस ए एल दृष्टिकोण में अनुपूरक एवं संपूरक सूचना प्रदान करने वाले रिमोट सेन्सिंग, मौसम एवं खेत का निरीक्षण करने वाली प्रणालियों जैसे, तीन प्रकार के प्रेक्षणों से संबंधित आदानों को समेकित किया गया है ताकि कवरेज, परिशुद्धता और समयबद्धता से जुड़ी भविष्यवाणियां की जा सकें और पूर्वानुमान लगाए जा सकें।

इस परियोजना की परिकल्पना विभिन्न भौगोलिक स्तरों पर सी.ए.पी.ई. के अंतर्गत कई फसलों के लिए क्षेत्र और उत्पादन अनुमान के लिए रिमोट सेन्सिंग आंकड़ों का उपयोग करके विभिन्न प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों का विकास करने के उपरान्त की गई है। आरम्भ में यह प्रस्ताव है कि ग्यारह फसलों यथा चावल (खरीफ के. और रबी आर.), ज्वार (के. और आर.), मक्का, बाजरा (के.), पटसन, रागी, कपास, गन्ना, मूंगफली (के. और आर.) तोरिया तथा सरसों और गेहूं के लिये फसल सूची अनुमानन हेतु प्रौद्योगिकी उपयोग/विकसित की जाए। शुरू में ये अनुमान राष्ट्रीय और राज्यीय स्तरों पर किए जाने के लिए नियत किए गए हैं। कृषि में रिमोट सेन्सिंग के अन्य उपयोगों में भू उपयोग तथा बंजर भूमि मानचित्रण, सूखा अनुमानन, मृदा संसाधन, फसल पद्धति विश्लेषण, बागवानी फसल कवरेज आदि शमिल हैं।

एफ.ए.एस.ए.एल. परियोजना दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चरणवद्ध रूप से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि यह योजना के अंत तक पूर्णतया प्रचालन में आ जाए।

कृषि के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

*14. श्री राजो सिंह :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कृषि के सर्वागीण विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सशर्त वित्तीय सहायता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह यादव) : (क) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) विश्व बैंक द्वारा भारतीय कृषि के लिये वित्तीय सहायता देने हेतु कोई विशिष्ट शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं, जो विश्व बैंक की मौजूदा अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं और विनियमों आदि के तहत शासित होता है, जिसका कृषि क्षेत्र आधारित चालू परियोजनाओं सहित विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने वाली सभी परियोजनाओं द्वारा अनुसरण किये जाने की अपेक्षा है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	शामिल राज्य	विगत तीन वर्षों अर्थात 1.4.99 से 31.3.02 के दौरान विश्व बैंक की सहायता का उपयोग (रुपये करोड़ में)
1	2	3	4
1.	असम ग्रामीण अवसंरचना व कृषि सेवा परियोजना	असम	278.015

1	2	3	4
2.	बिहार पठार विकास परियोजना	बिहार	147.166
3.	कर्नाटक पनधारा विकास परियोजना	कर्नाटक	14.394
4.	कृषि विकास परियोजना–राजस्थान	राजस्थान	67.745
5.	कृषि विकास परियोजना–तमिलनाडु	तमिलनाडु	0.120
6.	उ.प्र. विविधीकृत कृषि सहायता परियोजना	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	182.844
7.	उ.प्र. क्षारीय भूमि सुधार परियोजना–चरण–I	उत्तर प्रदेश	55.927
8.	उ.प्र. क्षारीय भूमि सुधार परियोजना–चरण–II	उत्तर प्रदेश	237.723
9.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	अनुसंधान घटक–केन्द्रीय क्षेत्र आई.टी.डी. कम्पोनेन्ट–कवर किए गए 7 राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब और झारखण्ड	343.973
10.	समेकित पनधारा विकास परियोजना (मैदानी)	गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान को कवर करने वाली बहुराज्यीय परियोजना	3.377
11.	समेकित पनधारा विकास परियोजना (पहाड़ी)–चरण–II	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, और उत्तरांचल को कवर करने वाली बहुराज्यीय परिगोजना	218.259
12.	झींगा व मत्स्य संवर्धन परियोजना	आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को कवर करने वाली बहुराज्यीय परियोजना	24.121
13.	कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना	आंध्र प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु को कवर करने वाली बहुराज्यीय परियोजना	138.754
		कुल	1712.418

[अनुवाद]

बंजर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना

***15. श्री वी. के. पार्थसारथी :**
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंजर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन योजनाओं को किसी समयबद्ध कार्य योजना के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो राज्यवार इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) बंजर भूमि का आशय ढलान वाली पर्वतीय भूमि या बर्फ से ढकी भूमि तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों से है जिस पर आर्थिक दृष्टि से खेती करना संभव नहीं है। अतः ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए कोई स्कीम तैयार नहीं की गई है। तथापि भारत सरकार बंजर भूमि तथा अवक्रमित भूमि के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित कर रही है :

(1) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना

(2) मरुस्थल विकास कार्यक्रम

(3) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

(4) क्षारीय मृदा का सुधार

(5) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना

(6) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

(7) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण स्कीम।

स्कीम संख्या (1) से (3) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा और शेष स्कीम सं. (4) से (7) कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।

आम्र वनों का संरक्षण

***16. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार आम्र वनों का क्षेत्र कुल कितना है;

(ख) उनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान आम्र वनों की सुरक्षा के लिए निधियां आवंटित की हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में पर्यटकों को आकर्षित करने वाला सर्वाधिक प्रसिद्ध आम्र वन कौन–सा है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) वन रिपोर्ट (1999) की स्थिति के अनुसार भारत में कच्छ वनस्पति वनों का कुल क्षेत्र 4871 किलोमीटर है। देश में कच्छ वनस्पति क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) कच्छ वनस्पतियों के परिस्थितिकीय और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रायल ने वर्ष 1986 के दौरान कच्छ वनस्पति और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण एवं प्रबंधन की एक स्कीम आरंभ की है। राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति और प्रवाल भिति समिति की सिफारिशों पर देश में 30 कच्छ वनस्पति क्षेत्रों को गहन संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। सभी अभिनिर्धारित कच्छ वनस्पति क्षेत्रों पर प्रबंधन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान जारी किए गए हैं। कच्छ वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित अनुसंधान कार्यों के अतिरिक्त सर्वेक्षण एवं सीमांकन, पुनरुद्धार एवं सुरक्षा उपाय और शिक्षा एवं जागरूकता के कार्य शामिल हैं।

(ग) और (घ) अभिनिर्धारित कच्छ वनस्पति क्षेत्रों में प्रबंधन कार्ययोजनाओं के कर्यान्वयन के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 678.56 लाख रुपए की राशि जारी की गई। संबंधित वर्षों के दौरान राज्यवार जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ङ) पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन एवं उड़ीसा में भित्तारकनिका देश के सबसे अधिक प्रसिद्ध कच्छ वनस्पति वन हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

विवरण-I

कच्छ वनस्पतियों का राज्यवार क्षेत्र

(माध्यम : भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, 1999)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र (कि.मी.)
1	2	3
पूर्वी तट		
1.	पश्चिम बंगाल	2125
2.	उड़ीसा	215

1	2	3
3.	आंध्र प्रदेश	397
4.	तमिलनाडु	21
5.	अंडमान एवं निकोबार	966
	कुल	3724
पश्चिम तट		
6.	केरल	सूचना प्राप्त नहीं हुई*
7.	कर्नाटक	3
8.	गोवा	5
9.	महाराष्ट्र	108
10.	गुजरात	1031
	योग	1147
	कुल योग	4871

*मुख्य वन्यजीव वार्डन, केरल से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में 16.71 वर्ग कि.मी. कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। राज्य के वैंबनाड कच्छ वनस्पति क्षेत्र को संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित कच्छ वनस्पति क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है।

विवरण-II

वर्ष 2001–2002 के दौरान कच्छ वनस्पतियों पर प्रबंधन कार्य योजनाओं (एम.ए.पी.) के कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई राशि

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	कच्छ वनस्पति क्षेत्र	2000–2001	2001–2002	योग
1	2	3	4	5	6
1.	पश्चिम बंगाल	सुन्दरवन	—	45.00	45.00
2.	उड़ीसा	भित्तारकणिका	—	14.39	14.39
		महानदी	—	3.31	3.31
		सुर्वणरेखा	23.50	—	23.50
		देवी	17.25	1.72	18.97
		धमरा	15.00	—	15.00
		एम.जी.आर.सी.	—	22.00	22.00
3.	आंध्र प्रदेश	कोरिंगा	31.20	28.18	59.38
		कृष्णा	14.39	14.50	28.89
		पूर्वी गोदावरी	14.28	14.50	28.78
4.	तमिलनाडु	पिचावरम	16.00	12.20	28.20

1	2	3	4	5	6
		मुथ्थुपिट	64.00	61.95	125.95
		रामनाड़	4.70	14.00	18.70
		काजुवेली	—	15.00	15.00
5.	महाराष्ट्र	देवगढ़–विजयदुर्ग	9.74	—	9.74
		मुबरा–दीवा	26.41	—	26.41
		वैतरणा	14.05	—	14.05
		कुंडालिका–रेवडांडा	13.52	—	13.52
		वसई–मनोरी	11.79	—	11.79
		श्रीवर्धन–वरल–कलसुरी	13.49	—	13.49
6.	गोवा	गोवा	12.45	8.63	21.08
7.	अंड. एवं निको. द्वीपसमूह	उत्तरी अंडमान	7.64	8.54	16.18
		निकोबार	4.00	2.56	6.56
8.	गुजरात	खम्भात की खाड़ी	21.64	—	21.64
		कच्छ की खाड़ी	66.47	—	66.47
9.	कर्नाटक	कुन्डापुर	—	1.86	1.86
		होनावर डिवीजन	—	8.70	8.70
	योग		401.52	277.04	678.56

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट

*17. **श्री अशोक ना. मोहोल :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच आयोग की सिफारिशों की जांच कर ली है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसकी जांच और कार्यान्वयन कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : (क) जी, हां। आयोग ने 29.06.2002 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) से (ङ) रिपोर्ट का कार्य/जांच प्रगति पर है। यह

रिपोर्ट एक वृहत् दस्तावेज है, जिसमें विविध मुद्दों पर सिफारिशें हैं जिन्हें स्वीकार/क्रियान्वित किए जाने से पूर्व, सभी संबंधित संगठनों/एजेंसियों से परामर्श किया जाना अपेक्षित है। प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को देखते हुए रिपोर्ट की जांच, स्वीकृति और क्रियान्वयन के लिए निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

सार्वजनिक प्रयोग के लिए परती वन भूमि को मुक्त करना

***18. श्री के. एच. मुनियप्पा :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में सार्वजनिक प्रयोग के लिए परती वन भूमि मुक्त करने के संबंध में राज्यवार लम्बित आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक आवेदन-पत्र अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) परती वन भूमि जैसी कोई शब्दावली नहीं है और इसलिए ऐसी भूमि को सार्वजनिक प्रयोग के लिए मुक्त करने के संबंध में किसी अनुरोध का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तिलहनों और दलहनों संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

***19. श्री थावरचन्द गेहलोत :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1999 से जून, 2002 तक तिलहनों और दलहनों संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार दी गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा इस मिशन के अंतर्गत कितनी राशि मांगी गई थी;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने विशेषकर मध्य प्रदेश सरकार ने और अधिक निधियों की मांग की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार का आवंटन करने के लिए बनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.) और राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के अधीन 1999 से जून, 2002 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रदत्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) राज्यों को इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु निधियों का आवंटन तिलहन एवं दलहन के अधीन राज्य के क्षेत्र कवरेज सहित उनके द्वारा पिछले वर्षों में निधियों के उपयोग के आधार पर किया जाता है। मध्य प्रदेश और मिजोरम की सरकारों ने पिछले वर्ष के दौरान तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अधीन क्रमशः 367 लाख रु. एवं 95 लाख रुपए तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अधीन क्रमशः 75.84 लाख रुपए एवं 60 लाख रु. की अतिरिक्त सहायता की मांग की तथा इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु उन्हें यह राशि प्रदान की गई।

विवरण-I

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

1999 से जून, 2002 की अवधि के दौरान राज्यवार निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्तियां		
		1999-00	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	976.81	805.00	928.75
2.	बिहार	—	—	—
3.	छत्तीसगढ़	—	—	157.00
4.	गोवा	3.91	5.00	5.00

1	2	3	4	5
5.	गुजरात	1130.00	980.00	850.00
6.	हरियाणा	328.65	170.00	183.00
7.	हिमाचल प्रदेश	23.00	10.00	—
8.	जम्मू व कश्मीर	47.00	20.00	—
9.	झारखंड	—	—	30.00
10.	कर्नाटक	580.81	369.97	535.00
11.	केरल	50.00	35.00	35.00
12.	मध्य प्रदेश	1054.80	960.00	1207.00
13.	महाराष्ट्र	1030.43	825.00	825.00
14.	उड़ीसा	500.00	369.97	131.25
15.	पंजाब	20.00	15.00	—
16.	राजस्थान	1140.15	900.00	910.00
17.	तमिलनाडु	624.66	470.00	470.00
18.	उत्तर प्रदेश	458.00	75.00	100.00
19.	उत्तरांचल	—	—	50.00
20.	पश्चिम बंगाल	246.00	190.00	190.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	118.88	127.11	—
22.	असम	142.00	465.00	150.00
23.	मणिपुर	224.90	265.00	56.00
24.	मेघालय	80.00	121.67	—
25.	मिजोरम	120.00	276.25	190.00
26.	नागालैण्ड	160.00	185.00	136.00
27.	त्रिपुरा	140.00	165.00	115.00
28.	सिक्किम	60.00	50.00	69.00
	कुल	9260.00	8020.00	7320.00

पश्चलेख : वर्ष 2002–03 (जून, 2002 तक) राज्यों को कोई निधियां निर्मुक्त नहीं की गईं।

विवरण-II

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना

1999 से जून, 2002 की अवधि के दौरान राज्यवार निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्तियां		
		1999–00	2000–01	2001–02
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	105.00	91.00	87.00
2.	बिहार	—	—	—
3.	छत्तीसगढ़	—	—	85.00
4.	गोवा	3.00	1.00	1.00
5.	गुजरात	180.22	100.00	105.00
6.	हरियाणा	68.00	49.00	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	8.50	10.00
8.	जम्मू व कश्मीर	20.00	18.50	—
9.	झारखंड	—	—	27.66
10.	कर्नाटक	150.00	112.00	107.00
11.	केरल	12.00	6.50	5.00
12.	मध्य प्रदेश	369.00	398.00	275.84
13.	महाराष्ट्र	430.00	271.00	262.00
14.	उड़ीसा	180.00	145.50	58.50
15.	पंजाब	14.73	15.00	—
16.	राजस्थान	474.90	315.00	225.00
17.	तमिलनाडु	150.00	115.00	115.00
18.	उत्तर प्रदेश	281.39	330.00	107.00

1	2	3	4	5
19.	उत्तरांचल	–	–	55.00
20.	पश्चिम बंगाल	54.16	20.00	30.00
21.	दिल्ली	1.00	1.00	1.00
22.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.00	1.00	1.00
23.	अरुणाचल प्रदेश	43.88	50.00	5.00
24.	असम	44.43	70.00	32.00
25.	मणिपुर	89.96	115.00	31.84
26.	मेघालय	77.33	50.00	4.16
27.	मिजोरम	30.00	140.00	80.00
28.	नागालैण्ड	100.00	105.00	70.00
29.	त्रिपुरा	100.00	115.00	73.00
30.	सिक्किम	15.00	10.00	14.00
	कुल	2995.00	2648.00	1898.00

पश्चलेख : वर्ष 2002–03 (जून, 2002 तक) राज्यों को कोई निधियां निर्मुक्त नहीं की गई।

[अनुवाद]

जिनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का पूर्ण अधिवेशन

*20. **डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिनेवा में हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का पूर्ण अधिवेशन आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें भाग लेने वाले भारतीय भागीदारों का ब्यौरा क्या है और उसमें किस कार्य–सूची पर चर्चा की गई और उसके क्या परिणाम निकले?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। जिनेवा में 3 से 20 जून, 2002 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का पूर्ण अधिवेशन आयोजित किया गया था।

भारत से श्रम राज्य मंत्री के नेतृत्व में 26 सदस्यों (8 सरकारी प्रतिनिधि, 8 कर्मकारों के प्रतिनिधि तथा 8 नियोजकों के प्रतिनिधि) वाले एक त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, 2002 में भाग लिया था। मंत्री जी के निजी सचिव भी उनके साथ थे।

सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया :

- 2002–01 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यक्रम कार्यान्वयन पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक की रिपोर्ट।
- कार्य करते समय बुनियादी सिद्धान्तों एवं अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा के अनुवर्तन के अंतर्गत बाल श्रम पर वैश्विक रिपोर्ट।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्यक्रम और बजट तथा अन्य मामले।
- अभिसमयों एवं सिफारिशों की अनुप्रयोज्यता पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टें।
- एक सिफारिश को अंगीकार करने के उद्देश्य से सहकारिता को बढ़ावा देना।
- एक नयाचार (प्रोटोकॉल) तथा एक सिफारिश को अंगीकार किए जाने के उद्देश्य से व्यावसायिक दुर्घटनाओं तथा बीमारियों एवं व्यावसायिक रोगों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सूची की रिकार्डिंग तथा उसे अधिसूचित किया जाना।
- मर्यादित कार्य एवं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर सामान्य विचार–विमर्श।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 20 सिफारिशों को वापिस लिया जाना।

विचार–विमर्श के पश्चात् सम्मेलन ने निम्नलिखित को अंगीकार किया :

(क) व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अभिसमय से संबंधित एक नयाचार।

(ख) व्यावसायिक रोगों की सूची तथा व्यवसायजनित दुर्घटनाओं एवं बीमारियों की रिकार्डिंग एवं उन्हें अधिसूचित किए जाने की सिफारिश।

(ग) सहकारिता को बढ़ावा दिए जाने से संबंधित एक सिफारिश।

(घ) मर्यादित कार्य तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर चर्चा के निष्कर्ष।

(ङ) इसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उन 20 पुरानी सिफारिशों को भी वापिस लेने का निर्णय लिया है जिनकी उपयोगिता समाप्त मानी गई है।

[हिन्दी]

कृषि वानिकी और बागवानी को प्रोत्साहन

1. **श्री हरिभाई चौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर गुजरात में कृषि वानिकी और बागवानी ईकाईयों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) भारत सरकार देश में बागवानी तथा कृषि–वानिकी के विकास के लिए भी कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है जिसमें गुजरात भी शामिल है। सरकार की बागवानी विकास स्कीमें गुजरात सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आठवीं और नौवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की गई थीं। अक्तूबर, 2000 से बागवानी की स्कीमें 'कृषि के वृहत प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम–कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण' में समाहित कर ली गई हैं। इस स्कीम के कार्यक्रम अब कार्य योजना के माध्यम से राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित करने में अधिक लचीलापन प्रदान किया गया है।

गुजरात के मामले में, विभिन्न बागवानी स्कीमों के अंतर्गत राज्य को 1997–98 से सितम्बर, 2000 तक 811.5 लाख रुपए की राशि मुहैया की गई है। वृहत प्रबन्धन स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000–01 और वर्ष 2001–02 के दौरान राज्य को क्रमशः 15.11 करोड़ रुपए और 19.00 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है।

विदेशी पर्यटकों की यात्रा

2. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष वार कितने विदेशी पर्यटक भारत की यात्रा पर आये और इससे कितनी विदशी मुद्रा की आय हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष वार कितने विदेशी पर्यटकों ने बिहार की यात्रा की;

(ग) क्या सरकार ने बिहार समेत देश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत भ्रमण हेतु आए पर्यटकों की संख्या और पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा आय नीचे दिए गए अनुसार है :

वर्ष	भारत का भ्रमण करने वाले पर्यटकों की संख्या (मिलियन में)	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपयों में)
1997	2.37	10,511
1998	2.36	12,150
1999	2.48	12,951
2000	2.65	14,238
2001	2.54	14,344

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार राज्य के भ्रमण हेतु आए विदेशी पर्यटकों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है :

वर्ष	बिहार भ्रमण हेतु आए विदेशी पर्यटकों की संख्या
1997	1,30,375
1998	79,754
1999	76,389
2000	73,321
2001	85,673

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने आर्थिक वृद्धि के मुख्य यंत्र के रूप में पर्यटन को अवस्थित करने और पर्यावरणीय निरंतर विधि से रोजगार और गरीबी उन्मूलन के लिए इसके सीधे और गुणक प्रभाव लाने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 की घोषणा की है।

श्रम विवादों के लंबित मामले

3. **श्री शिवाजी माने** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र की श्रम अदालतों में श्रम विवाद के कितने मामले लंबित हैं या विचाराधीन हैं;

(ख) क्या पिछले दशक के दौरान लंबित मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु पीठासीन न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, देश में श्रम विवादों के 11,550 मामले केन्द्रीय सरकार औद्योगिकी न्यायाधिकरण सह–श्रम न्यायालयों के पास लंबित हैं, जिनमें महाराष्ट्र के केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह–श्रम–न्यायालयों (मुम्बई–I और मुम्बई–II) में लंबित 832 मामले भी शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि के कुछ प्रमुख कारण निम्नवत् हैं :

(i) औद्योगिक न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालयों की अपर्याप्त संख्या;

(ii) संबंधित पक्षों द्वारा दस्तावेज पेश करने के लिए स्थगन की मांग किया जाना;

(iii) आवेदकों और प्रतिवादियों दोनों का अनुपस्थित रहना;

(iv) पीठासीन अधिकारियों के पदों को समस्त प्रक्रियात्मक औपाचारिकताएं पूरी करने के बाद भरने में समय लगना।

(घ) वर्तमान में पीठासीन अधिकारियों के समस्त पद भरे हुए हैं।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ विमानपत्तन का उन्नयन

4. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ के विमानपत्तन टर्मिनल पर मौजूद अवसंरचना का उन्नयन करने और उसका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अन्य राज्यों की राजधानियों में स्थित विमानपत्तनों के समकक्ष चंडीगढ़ विमानपत्तन टर्मिनल को बनाने के मामले में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) चंडीगढ़ हवाई अड्डा रक्षा मंत्रालय (भारतीय वायु सेना) का है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल उड़ानों की हैंडलिंग के लिए एक सिविल इन्कलेव का रखरखाव करता है। मौजूदा टर्मिनल भवन की क्षमता एक बार में 200 यात्रियों को हैंडल करने की है और उसमें सभी आधुनिक यात्री सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इस हवाई

अड्डे पर मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूदा यातायात को हैंडल करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मौजूदा टर्मिनल भवन में एक ही समय में 400 यात्रियों को समायोजित करने के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं सहित इसका विस्तार और आधुनिकीकरण करने की और एबी–320 किस्म के विमानों को एक ही बार में समायोजित करने के लिए एप्रन का विस्तार करने की योजना तैयार की है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8

5. **श्री कैलाश मेघवाल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या अत्यधिक यातायात दबाव के कारण जयपुर–अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को छः लेनों में बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितना अनुमानित व्यय होगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के एक भाग के तौर पर राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के जयपुर–किशनगढ़ खंड को निर्माण–प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर विद्यमान दो लेन से चौड़ा करके छः लेन का विभाजित मार्ग बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस राजमार्ग पर ग्रेड विभाजित चौराहे, सुरक्षा विशेषताएं, प्रयोक्ता सुविधाएं तथा आपातकालीन कॉल बाक्स युक्त एम्बूलेंस, दो क्रेन आदि के साथ राजमार्ग यातायात प्रबंधन व्यवस्था होगी। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मई, 2002 में रियायत करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। निजी क्षेत्र से 646.83 करोड़ रु. के निवेश की संभावना है जिसमें से 211 करोड़ रु. अनुदान के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, निर्माण पूर्व कार्यों/पर्यवेक्षण कार्यों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 55 करोड रु. से अधिक का व्यय किए जाने की संभावना है।

गुजरात में पर्यटन सर्किट

6. **श्री मानसिंह पटेल : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गुजरात में अब तक कितने पर्यटन सर्किट स्थापित किए गए;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पर्यटन सर्किटों को विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इन पर कितना व्यय किया गया;

(घ) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में पर्यटन विकास हेतु कोई विशेष योजना बनाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से विकास हेतु नौवीं योजना में 21 परिपथों को अभिनिर्धारित किया गया था जिनमें गुजरात में निम्न दो (परिपथ) शामिल हैं :

(1) अहमदाबाद–राजकोट–द्वारका–पोरबंदर–सोमनाथ–गिरनार–पलिताना–अहमदाबाद

(2) अहमदाबाद–मोधरो–पाटन–अम्बाजी–माउंटआबू

(ख) और (ग) पर्यटक रुचि के स्थलों/परिपथों का विकास और संवर्धन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्वयं किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनके साथ परामर्श करके प्रत्येक वर्ष अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परिपथों पर स्थित स्थलों सहित गुजरात राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित सूचना नीचे दिए अनुसार है :

वर्ष	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1999–00	13	327.64
2000–01	19	510.84
2001–02	11	305.50

(घ) और (ङ) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन विभाग, भारत सरकार का वार्षिक आधार पर देश में 6 यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित करके उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास करने का प्रस्ताव है। इन परिपथों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और संबंधित भारत सरकार के विभागों के साथ गहन समन्वय और भागीदारी के बाद अंतिम रूप देकर, विकसित किया जाएगा। इसके अलावा यह प्रस्ताव है कि समग्र विकास के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक बड़ा गंतव्य स्थल अभिनिर्धारित किया जाए।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग

7. **श्री विकास चौधरी** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में सूचीबद्ध करने का पश्चिम बंगाल सरकार का निवेदन केंद्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल राज्य में राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने के लिए 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और अब उन्हें नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदंड के आधार पर समीक्षा किए जाने के लिए जून, 2002 में राज्य सरकार को वापस लौटा दिया गया है। निधियों की कमी के कारण फिलहाल देश में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, विभिन्न राज्यों से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्तावों में से कुछ राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने पर यातायात की आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर विचार कर सकती है।

बटरफ्लाई पार्क की स्थापना

8. **श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम के सहयोग से दिल्ली के सईद–उल–अजब नामक स्थान में "बटरफ्लाई पार्क" की स्थापना का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान को इस बात की जानकारी नहीं है कि दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम द्वारा दिल्ली में बटरफ्लाई पार्क बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए पहचान पत्र

9. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए पहचान–पत्र जारी करने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निर्माण कार्य में लगे कामगारों के लिए उनके नियोजकों द्वारा पहचान पत्र जारी करना आवश्यक बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) भारत सरकार ने भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया है। अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गठित करेगी। बोर्ड अपने साथ पंजीकृत प्रत्येक लाभभोगी को फोटो परिचय पत्र जारी करेगा जिसमें कार्डधारक द्वारा किए जा रहे कार्य के ब्यौरों का उल्लेख होगा।

केरल में राज्य भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा 31.01.2002 की स्थिति के अनुसार लगभग 9.70 लाख निर्माण कर्मकारों को पंजीकृत किया गया है। सरकार अन्य राज्य सरकारों को अधिनियम को शीघ्र अंगीकार करने के लिए राजी कर रही है।

राज्य कल्याण बोर्ड के साथ निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण स्वैच्छिक है और अधिनियम के लाभ उन कर्मकारों को उपलब्ध होंगे जिन्होंने बोर्डों के साथ स्वयं को पंजीकृत करवाया है।

टमाटर की वायरस रोधी किस्में

10. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलौर स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यू. ए. एस.) ने टमाटर की तीन वायरस रोधी किस्में विकसित की हैं जिससे इसकी खेती पर आने वाले खर्च में कमी आएगी और यह कीटनाशक मुक्त भी होगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का किसानों के बीच उक्त वायरस रोधी टमाटर को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) इन किस्मों को केवल कर्नाटक में राज्य स्तरीय किस्म रिलीज समिति द्वारा रिलीज किया गया है। तथापि, अभी इन किस्मों की जांच राष्ट्रीय स्तर पर की जानी है और यह जांच अलग–अलग स्थानों पर इन किस्मों का परीक्षण करते हुए की जाएगी।

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

11. श्री बी. वेत्रिसेलवन : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु किसी वृहत् या मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है और इस पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त परियोजनाओं के लिए कितनी राशि नियत की गई और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई। वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(रुपए करोड़ में/क्षमता हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/परियोजना	नवीनतम अनुमनित लागत	नौवीं योजना का परिव्यय	नौवीं योजना तक संचयी व्यय	नौवीं योजना तक सृजित क्षमता
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
1.	तुंगभद्रा एच एल सी चरण-II	618.50	150.00	215.48	47.07
2.	गोदावरी बैराज	151.65	5.90	186.77	स्थिरीकरण
3.	निजाम सागर का सुधार	83.35	10.74	43.05	स्थिरीकरण

1	2	3	4	5	6
4.	एन एस आर एस पी बांध अनुरक्षण	1129.00	—	989.00	सुरक्षा कार्य
5.	एन एस पी का सुधार	83.35	—	36.88	स्थिरीकरण
6.	पुलिचिंताला	815.23	100.00	5.67	स्थिरीकरण
7.	श्रीराम सागर चरण-II	993.00	100.00	10.59	0.00
8.	एस आर एस पी बाढ़ प्रवाह नहर	2741.00	25.00	0.00	0.00
9.	टी बी पी एच एल सी का आधुनिकीकरण	50.85	—	35.85	स्थिरीकरण
10.	कृष्णा डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण	659.16	—	0.10	स्थिरीकरण
11.	गोदावरी डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण	62.40	—	54.10	स्थिरीकरण
12.	प्रकासम बैराज	8.08	—	5.50	स्थिरीकरण
13.	आर डी एस संपर्क नहर	20.00	—	4.00	आर.डी.ए. आयाकट तक बढ़ाया गया
14.	गोस्ता नदी नहर व नाली	3.81	—	3.53	—
असम					
1.	जमुना आधुनिकीकरण	60.27	1.30	0.1162	0.05
बिहार					
1.	सोन आधुनिकीकरण	235.93	57.10	167.13	23.50
2.	कादवान	10.50	0.00	9.83	—
3.	जमानियां पंप	104.36	27.03	37.05	4.23
4.	पूर्वी कोसी, गंडक और अन्य प्रणाली का सुधार	—	60.00	24.45	125.10
गुजरात					
1.	मित्ती का सुधार	932.00	0.05	26.16	—
2.	लवणता प्रवेश की रोकथाम (एच एल सी-I व II)	209.20 1971.47	161.41	330.46	23.67
3.	कदाना दायां तट नहर	30.50	5.00	27.73	1.05
4.	उकाई से गोर्धवीयर तक संपर्क नहर	44.50	2.00	4.83	0.00

1	2	3	4	5	6
	5. कदाना पुनर्भरण चैनल	471.00	3.00	6.06	0.00
	6. कदाना दायां तट नहर सहित संपर्क भादर मुख्य नहर	4.13	3.00	0.00	–
	7. कदाना एल बी एस सी एल	35.00	0.10	1.07	0.00
हरियाणा					
	1. मौजूदा पुरानी नहर का सुधार/पुनःमरम्मत तथा रिमॉडलिंग	417.18	147.44	277.98	2.00
	2. बी एम एल की सुधार क्षमता	16.15	11.10	18.13	–
जम्मू व कश्मीर					
	1. मार्तंड नहर का आधुनिकीकरण	17.72	1.80	8.64	–
	2. जैंगीर नहर का आधुनिकीकरण	13.66	2.00	9.29	4.90
	3. रणवीर नहर का आधुनिकीकरण	84.40	35.00	50.46	2.19
	4. न्यू प्रताप नहर का आधुनिकीकरण	21.68	7.52	9.75	0.15
	5. कथुआ नहर का आधुनिकीकरण	15.68	8.37	9.51	0.17
कर्नाटक					
	1. तारका	51.00	–	26.30	स्थिरीकण
	2. के आर एस नहर का आधुनिकीकरण	355.20	46.00	151.53	स्थिरीकरण
	3. महाहाई डाइवर्जन	180.76	–	0.47	स्थिरीकरण
केरल					
	1. बी/आर चमवत्तन	120.00	–	10.00	0.00
	2. बी/आर थिरथला	26.00	–	16.00	0.00
मध्य प्रदेश					
	1. चंबल लिफ्ट	25.80	0.00	4.18	उपलब्ध नहीं
	2. हरसी का आधुनिकीकरण	24.80	0.00	10.51	उपलब्ध नहीं
	3. सिंध रिमुवा संपर्क	22.31	0.00	9.18	उपलब्ध नहीं
	4. चंबल फेज-II	9.07	0.00	8.87	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र					
1.	भातघर का सुदृढ़ीकरण	7.57	0.00	6.75	0.00
2.	राधानगरी बांध का सुदृढ़ीकरण	15.22	0.00	6.44	0.00
3.	कृष्णा नहर का विस्तार	30.10	0.24	6.77	11.29
4.	एकरूख बांध का सुदृढ़ीकरण	13.20	–	1.93	0.00
5.	खोदासी पर गेटेडवीयर	17.45	0.27	9.56	0.00
6.	संगोला शाखा नहर	169.04	104.69	116.21	3.50
मणिपुर					
1.	लोकाक लिफ्ट				
2.	खोपम बांध				
3.	सकमाई बैराज	115.47	8.50	2.10	,32.75
4.	इंफाल बैराज				
5.	सिंग्दा बांध				
उड़ीसा					
1.	ऊपरी इंद्रावती विस्तार	85.00	–	15.06	0.00
2.	ऊपरी कोलाब विस्तार	50.50	–	7.00	0.00
3.	ऊपरी जोंक विस्तार	18.00	–	10.38	0.00
4.	गोवर्द्धनपुर बैराज	10.78	–	7.96	–
5.	गोबकुंडा एच एल ब्रिज	7.48	–	6.05	–
6.	जल संसाधन समेकन परियोजना	1357.22	–	673.58	17.51
पंजाब					
1.	शाहनहर नहर प्रणाली का विस्तार और सुधार	273.01	16.98	127.55	24.237
2.	फेज-II की चैनलों को पक्का करना	282.51	45.08	243.08	62.928
3.	फ्री बोर्ड मुहैया कराने के लिए बी एम एल नहर को पक्का करना	20.56	1.40	9.97	–

1	2	3	4	5	6
4.	जालंधर शाखा दोआब नहर के 2.03–760 आर डी पर सुपर पैसेज का निर्माण	10.07	5.63	5.09	–
5.	होशियारपुर से बालाचौड़ तक कांडी नहर के फेज-II का विस्तार	147.13	61.00	8.69	–
6.	चैनलों को पक्का करना	49.02	27.00	0.00	–
7.	यू बी डी सी प्रणाली की चैनलों की रिमॉडलिंग	177.80	98.01	81.38	–
राजस्थान					
1.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-I	121.92	85.00	111.54	543.00
2.	गंग नहर का आधुनिकीकरण	445.73	20.00	83.41	–
तमिलनाडु					
1.	जल संसाधन समेकन परियोजना	1089.14	807.90	643.93	0.00
उत्तर प्रदेश					
1.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण	89.84	37.39	14.24	5.00
2.	बुंदेलखंड और बघेलखंड में चैनलों को पक्का करना	97.00	5.00	7.61	6.43
3.	लचुरा एच डब्ल्यू का आधुनिकीकरण	102.00	57.14	6.26	0.00
पश्चिम बंगाल					
1.	मयूराक्षी की विशेष मरम्मत	10.00	9.00	12.86	0.00
2.	मयूराक्षी का आधुनिकीकरण	66.00	1.00	3.68	0.00
3.	डी वी सी का आधुनिकीकरण	110.00	1.00	3.41	0.00
4.	मिदनापुर नहर की विशेष मरम्मत	2.75	1.00	2.62	0.00
5.	कंग्सावती का आधुनिकीकरण	491.00	5.00	99.32	0.00
6.	बंधु का विस्तार	6.10	1.02	5.32	0.52

टिप्पणी : सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले बजटीय आवंटन पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल में मवेशियों की गणना

12. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जम्मू और कश्मीर एवं पश्चिम बंगाल में मवेशियों की गणना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में पशुओं विशेषकर, दुधारू पशुओं की संख्या कितनी है;

(ग) इन राज्यों में संकर नस्ल के पशुओं की स्थिति क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पशुओं की संख्या बढ़ाने और उनकी नस्ल में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने वर्ष 1997 में 16वीं पशुधन संगणना करवाई जबकि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा पशुधन संगणना नहीं करवाई गई।

(ख) जम्मू एवं कश्मीर में, कुल पशु जनसंख्या 31.75 लाख है जिसमें से दुधारू पशुओं की कुल संख्या 6.99 लाख है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रक्षेपित आंकड़ों के आधार पर कुल पशु जनसंख्या 178.32 लाख होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें से दुधारू पशुओं की संख्या 30.37 लाख है।

(ग) जम्मू एवं कश्मीर में कुल संकर नस्ल की पशु जनसंख्या 1083 लाख है और पश्चिम बंगाल में कुल संकर नस्ल की पशु जनसंख्या 9.36 लाख है।

(घ) वर्तमान में सरकारी नीति का मुख्य केन्द्र बिन्दु पशुधन स्वास्थ्य सुरक्षा को अपनाकर पशुओं की मृत्यु में कमी लाना है। यह महसूस किया गया है कि पशुओं की संख्या भूमि की उपलब्धता से अधिक है और भूमि के उत्पाद के लिए बढ़ती हुई मनुष्यों की संख्या पशुओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। इसलिए, पशुओं की संख्या में वृद्धि की अपेक्षा उनके प्रजनन क्षमता में सुधार पर ध्यान देने का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। राज्य और केन्द्र दोनों ने विकसित बीज द्रव्य की आपूर्ति हेतु प्रजनक फार्मों की स्थापना क़ी है। किसानों के कार्यस्थल पर गुणवत्ता वाले प्रजनन आदानों को सुलभ कराने के लिए गौपशु और भैंस प्रजनन की एक राष्ट्रीय परियोजना भी शुरू की गई है।

[अनुवाद]

वन्य जीवन के संरक्षण हेतु विदेशी सहायता

13. **श्री एम. के. सुब्बा :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य जीव संरक्षण हेतु प्रमुख अमरीकी संगठन और कई अन्य विदेशी एजेंसियां असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिगबोई के अन्य वन क्षेत्रों एवं अन्य स्थानों में मोटी खाल वाले जानवरों के लिए पर्यावास विकसित कर हाथियों को संरक्षण और प्रोत्साहन देकर असम को सहायता प्रदान करने के लिए आगे आई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक एजेंसी द्वारा प्रस्तावित सहायता की प्रकृति क्या है और कितनी सहायता प्रदान की जाएगी; और

(ग) इस वर्ष अब तक प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है और मोटी खाल वाले जानवरों के पर्यावास विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र मत्स्य और वन्यजीव सेवा ने एशियाई हाथी संरक्षण निधि से असम में निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमति दे दी है:

1. सोनाई रूपा अभयारण्य में शिकार-रोधी शिविरों का निर्माण	35,085 अमरीकी डालर।
2. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और अतिरिक्त क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का सृजन करना	42,882 अमरीकी डालर
3. डिगबोई वन प्रभाग के तहत मानव-हाथी भिड़ंत को कम करने के प्रयास	37,240 अमरीकी डालर

(ग) सोनाई रूपा अभ्यारण्य (35,085 अमरीकी डालर) के लिए निधियां "कल्याण क्षेत्रों व विकास न्यास" के माध्यम से प्राप्त हुई हैं और ये कार्य प्रगति पर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और डिगबोई वन प्रभाग के लिए उपरोक्त न्यास और संयुक्त राष्ट्र मत्स्य और वन्यजीव सेवा द्वारा संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं लेकिन निधियां अभी तक जारी नहीं की गई हैं।

क्योंझर में क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय

14. श्री अनन्त नायक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के क्योंझर जिले में क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए कार्यालय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा बनाए गए और कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) द्वारा अनुमोदित प्रतिमानकों के अनुसार खोले जाते हैं। इन प्रतिमानकों के अन्तर्गत, प्रतिष्ठानों, कर्मचारियों, प्राप्त हुए/निपटाए गए दावों की संख्या, क्षेत्रीय कार्यालय से दूरी, जनसांख्यिकीय स्थिति इत्यादि जैसे मानदण्डों के आधार पर प्रस्ताव की जांच की जाती है। नए कार्यालय खोलने पर विचार करते समय, संबंधित राज्य की कर्मचारी भविष्य निधि की क्षेत्रीय समिति की सिफारिश को भी ध्यान में रखा जाता है। उड़ीसा में क्योंझर में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव पर क्षेत्रीय समिति, उड़ीसा ने विचार किया था और यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया था।

[हिन्दी]

झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव

15. श्री राम टहल चौधरी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव हेतु वार्षिक आवंटन में लगातार कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि रखरखाव और मरम्मत के अभाव में अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत खस्ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और मरम्मत एवं रखरखाव के लिए जारी की गई धनराशि इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जारी की गई धनराशि	मरम्मत और रखरखाव के लिए जारी की गई धनराशि
2000-2001	11.89	6.60
2001-2002	29.71	19.79

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत सामान्यतः यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

[अनुवाद]

भू-कटाव रोधी कार्यों हेतु योजना

16. श्री टी. गोविन्दन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में भू-कटाव रोधी कार्यों हेतु कोई योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्यों को शामिल करते हुए "गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य" नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम वर्ष 2000–2001 में शुरू की गई थी।

[हिन्दी]

चारे की आवश्यकता

17\. **श्री सुरेश चन्देल : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चारे की आवश्यकता का आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार चारे की मांग और आपूर्ति कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) देश में राज्यवार चारे की मांग तथा आपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश में राज्यवार चारे की मांग तथा आपूर्ति

राज्य	सूखा चारा (000 टन)		हरा चारा (000 टन)	
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	38042	32338	16521	32918
असम	12920	8398	6461	8200
बिहार	55831	33499	27916	37000
गुजरात	21849	11798	10924	31300
हरियाणा	10441	15249	5221	10114
हिमाचल प्रदेश	5900	7375	2950	8314
जम्मू एवं कश्मीर	7784	2490	3892	7316
कर्नाटक	27118	21698	13559	23118
केरल	8248	2474	4124	3010
मध्य प्रदेश	57561	43171	28781	63516
महाराष्ट्र	38051	40334	19025	38630
मणिपुर	2756	845	1375	1218
मेघालय	1629	326	815	5700
नागालैंड	577	712	288	3430
उड़ीसा	19137	18005	24569	24218
पंजाब	23235	26659	12345	11000
राजस्थान	25838	25826	12919	52944
सिक्किम	403	380	201	845
तमिलनाडु	16055	18555	8028	10993
त्रिपुरा	1104	810	552	1274
उत्तर प्रदेश	93604	60818	46802	32925
पश्चिम बंगाल	29082	26192	14541	7240

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ा किया जाना/जोड़ा जाना

18\. **श्री भीम दाहाल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ा किए जाने/जोड़े जाने संबंधी कुछ परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) मणिपुर में रा.रा. 39 को 410 से 430.400 कि. मी. तक चौड़ा करने के लिए अभी हाल में राज्य सरकार से 17.48 करोड़ रुपए की दो परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ग) इन परियोजनाओं की जांच की जा रही है और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर इन पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

प्रति श्रमिक मजदूरी

19. श्री बसुदेव आचार्य : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रमिक की प्रतिदिन मजदूरी के संबंध में विश्व में भारत का स्थान क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : श्रमिक की प्रतिदिन की मजदूरी के संबंध में देशों का स्थान निर्धारित करना अनेक कारणों जैसे प्रयोग की गई अलग–अलग प्रणालियां, विभिन्न मुद्राएं, भिन्न–भिन्न क्रय शक्ति के फलस्वरूप संभव नहीं हुआ है। फिर भी, कुछ देशों में प्रति श्रमिक मजदूरी के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रकाशन 'ईयर बुक ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स 2001' के आधार पर एक विवरण संलग्न है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1998–1999 के अनुसार भारत में श्रमिक की औसत मासिक मजदूरी 3251 रुपए है।

विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	प्रति श्रमिक मजदूरी (वर्ष 1998)
1	2	3
1.	आस्ट्रेलिया	443 (डालर में मजदूरी/सप्ताह)
2.	चीन	623 (यूआन में, मजदूरी/मास)
3.	मिस्र	113 (पांउड में, मजदूरी/मास)
4.	फ्रांस	54 (फ्रैंक में मजदूरी/घण्टा)
5.	जर्मनी	14 (मार्क में, मजदूरी/घण्टा)
6.	हांगकांग	395 (डालर में, मजदूरी/दिन)
7.	इंडोनेशिया	204 (रुपिया में, मजदूरी/सप्ताह)
8.	जापान	8691 (येन में, मजदूरी/मास)
9.	मैक्सिको	15 (पैसो में, मजदूरी/घण्टा)
10.	फिलीपीन	122 (पैसो में, मजदूरी/घण्टा)
11.	पाकिस्तान	3706 (रुपये में, मजदूरी/मास)
12.	रूस	1050 (रूबल में, मजदूरी/मास)
13.	श्रीलंका	150 (रुपये में, मजदूरी/घण्टा)
14.	संयुक्त राज्य	10 (पौंड में, मजदूरी/सप्ताह)
15.	संयुक्त राज्य अमेरिका	17 (डालर में, मजदूरी/घण्टा)

स्रोत : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ईयर बुक ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स, 2001)

राजमार्गों की मरम्मत और निर्माण हेतु धनराशि

20. श्री जे. एस. बराड़ : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–02 में राजमार्गों की मरम्मत और निर्माण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कितना बजट आवंटन किया गया है;

(ख) क्या ये लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं और आवंटित धनराशि खर्च कर दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) वर्ष 2002–03 के लिए नए राजमार्गों की मरम्मत और निर्माण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2001–2002 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निष्पादन लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

वर्ष 2001–2002 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव से संबंधित बजट आवंटन और उन पर व्यय इस प्रकार है :

(करोड़ रु.)

	विकास		रखरखाव	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
मंत्रालय की धनराशि	1737 (अनंतिम)	1722	720	581 (अनंतिम)
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	5046 (सरकारी आवंटन 3060)	4189	192	192

(ग) और (घ) उपलब्धि में गिरावट सामान्यतः भूमि अधिग्रहण में विलंब, ठेके सौंपने में विलंब, ठेके संबंधी समस्याओं तथा पुल की नींव में समस्याओं आदि के कारण है। गिरावट से बचने के लिए परियोजनाओं की तिमाही समीक्षा और कड़ी निगरानी विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करनाः, गहन उप मृदा जांच की जा रही है।

(ङ) वर्ष 2002–2003 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों के लिए नियत निष्पादन लक्ष्य का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

वर्ष 2002–2003 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव से संबंधित बजट आवंटन और उन पर व्यय इस प्रकार है :

धनराशि का आबंटन (करोड़ रु.)

	विकास	रखरखाव
मंत्रालय की धनराशि	1681	684
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग	10039 (सरकारी	107

विवरण-I

वर्ष 2001–02 के लिए निष्पादन लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	मदों का विवरण	2001–02 के लिए लक्ष्य	2001–02 के दौरान उपलब्धियां
	निष्पादन लक्ष्य		
1.	निर्माण कार्यों का पूरा कराना (सं.)	620	620
2.	निम्न ग्रेड के खंडों का सुधार (कि.मी.)	89	118
3.	इकहरी लेन को दो लेन का बनाना (कि.मी.)	583	589
4.	कमजोर दो लेनों का सुदृढ़ीकरण (कि.मी.)	547	686
5.	चार लेन बनाना (कि.मी.)	679	331
6.	बाइपासों का निर्माण (सं.)	10	8
7.	बड़े पुलों का निर्माण	77	24
8.	छोटे पुलों और रेल उपरि पुलों का निर्माण (सं.)	96	99
9.	सड़क गुणता सुधार (कि.मी.)	2909	2764

विवरण-II

वर्ष 2002–03 के लिए निष्पादन लक्ष्य

क्र.सं.	मदों का विवरण	2002–03 के लिए लक्ष्य
1	2	3
	निष्पादन लक्ष्य	
1.	निर्माण कार्यों का पूरा करना (सं.)	755
2.	निम्न ग्रेड के खंडों का सुधार (कि.मी.)	[illegible]

1	2	3
3.	इकहरी लेन को दो लेन का बनाना (कि.मी.)	633
4.	कमजोर दो लेनों का सुदृढ़ीकरण (कि.मी.)	754
5.	चार लेन बनाना (कि.मी.)	443
6.	बाइपासों का निर्माण (सं.)	17
7.	बड़े पुलों का निर्माण	29
8.	छोटे पुलों और रेल उपरि पुलों का निर्माण (सं.)	145
9.	सड़क गुणता सुधार (कि.मी.)	4136

[हिन्दी]

कपास उत्पादकों के लिए कल्याणकारी योजना

21. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कपास की क्या दर निर्धारित की गई है;

(ख) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कपास उत्पादकों के लिए कुछ नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार कपास का उत्पादन करने वाले किसानों को कोई ऋण प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 2001–02 के दौरान कपास की मूल किस्मों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नलिखित हैं :

किस्म	मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल कपास)
जे–34/एफ–414/एच–777	1675
एच–4	1875

(ख) और (ग) भारत सरकार उत्पादन, उत्पादकता और विपणन/ओटाई सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए महाराष्ट्र सहित देश के 13 कपास उत्पादक राज्यों में कपास प्रौद्योगिकी मिशन क्रियान्वित कर रही है। इसके अलावा, मूल्य में गिरावट की स्थिति में भारतीय कपास निगम द्वारा, भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर महाराष्ट्र को छोड़कर, जहां राज्य सरकार कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति स्कीम के तहत खरीद करती है, कपास की अधिप्राप्ति की जाती है।

(घ) कपास उत्पादकों, सहित किसानों को ऋण वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों आदि जैसी विभिन्न क्रेडिट एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। सरकार अपनी स्कीमों के तहत कपास उत्पादक किसानों को ऋण प्रदान नहीं कर रही है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रिक्त पद

22. श्री अमर राय प्रधान : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणीवार कौन–कौन से पद रिक्त हैं और ये पद किस तारीख से रिक्त हैं;

(ख) इन पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सोया तेल का आयात

23. श्री महबूब जहेदी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्जेंटीना, ब्राजील और अमेरिका जैसे विभिन्न देशों से सोया तेल का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001–2002 के दौरान सोया तेल का कितनी मात्रा में आयात किया गया और प्रत्येक देश से आयात किए गए सोया तेल के मूल्य क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी संभावना है कि आयातित सोया तेल ट्रांसजेनिक किस्मों से निकाला जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या आनुवंशिक रूप से संशोधित आहार का आयात जोखिम का कोई मूल्यांकन किए बिना किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) अप्रैल, 2001 से फरवरी, 2002 तक विभिन्न देशों से आयातित सोया तेल का ब्यौरा संलगन विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) आनुवंशिक रूप से संशोधित उत्पादों का आयात पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा अधिशासित है जो पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा संचालित किए जाते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित खतरनाक सूक्ष्म अवयत/ आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित अवयव अथवा कोशाणु, के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात तथा मण्डारण नियम, 1989 के नियम 11 में यह प्राक्धान है कि खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों मे संघटकों, तथा संयोजियों जिसमें आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित अवयव अथवा कोशाणु सम्मिलित अथवा अंतर्विष्ट प्रसंस्करण सहायक शामिल है, का आनुवंशिक अभियांत्रिकी स्वीकृति समिति (जी.ई.ए.सी.) की स्वीकृति के बिना उत्पादन, विक्रय, आयात अथवा उपयोग नहीं किया जाएगा।

सोया तेल के आयात के केवल दो मामले जी.ई.ए.सी. के समक्ष कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज और केअर, इंडिया द्वारा लाए गए हैं। आयातित किए जाने वाले तेल के नमूनों का जी.ई.ए.सी. के निर्देशों के अनुसार डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग एण्ड डायगनास्टिक (सी.डी.एफ.डी.), हैदराबाद में परीक्षण किया गया। सी.डी.एफ.जी. ने सूचित किया है कि नमूनों में न तो डी.एन.ए. है और न ही प्रोटीन। इसके बाद, जी.ई.ए.सी. ने इन खेपों को स्वीकृति प्रदान कर दी।

विवरण

(मात्रा मीटरी टन में मूल्य करोड़ रुपए में)

सोयाबीन अपरिष्कृत तेल

देश	मात्रा	मूल्य
अर्जेन्टीना	741418.98	1250.15
बहरीन आईएस	1500	2.17
ब्राजील	303028.45	488.1
इन्डोनेशिया	4650.38	7.4
मलेशिया	9324.71	17.68
नीदरलैण्ड	1750	2.89
सिंगापुर	250	0.36
दक्षिण अफ्रीका	2000	2.94
थाईलैण्ड	1379	2.45
संयुक्त राज्य अमेरिका	13572.87	22.65
अनिर्दिष्ट	2000	3.19

अन्य सोयाबीन तेल और इसके भाग

देश	मात्रा	मूल्य
अर्जेन्टीना	145978.73	231.90
ब्राजील	45617.89	77.85
डेनमार्क	53.3	0.12
जर्मनी संघीय गणराज्य	48.9	0.14
इन्डोनेशिया	1000.28	1.22
दक्षिण अफ्रीका	4000	5.93.
यू.ए.ई.	750	1.26
संयुक्त राज्य अमेरिका	5865.33	21.98

त्रिपुरा में होटल और मनोरंजन पार्क

24. श्री खगेन दास : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सराकर को त्रिपुरा सरकार से राज्य में सितारा होटल और मनोरंजन पार्क की स्थापना करने हेतु काई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) होटल और मनोरंजन पार्क की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) अगरतला के पास एक मनोरंजन पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव त्रिपुरा की राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था और वर्ष 2000–01 के दौरान इसे इक्विटी स्कीम के अधीन प्राथमिकता प्रदान की गई। वर्ष 2001–02 में राज्य सरकार ने इस परियोजना को केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्कीम के अधीन स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया, जिस पर सहमति नहीं हुई। होटल परियोजनाओं के निधिकरण हेतु कोई स्कीम नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में सूखे के प्रभाव का आकलन

25. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय दल ने आंध्र प्रदेश में सूखे के प्रभाव का आकलन करने के लिए मई, 2002 में राज्य का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस दल ने कौन–कौन से जिलों का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों के साथ किए गए विचार–विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) दल ने मेडक, प्रकासम, रंगारेड्डी और विजयनगरम जिलों का दौरा किया और जिला कलैक्टरों, ग्रामीणों, किसानों और मजदूरों से विचार–विमर्श किया। दल ने राज्य स्तर के अधिकारियों से भी विचार–विमर्श किया और राज्य के मुख्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रैप बैठक की।

(ग) जी, हां।

(घ) दल के दौरे के पश्चात, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के विशेष घटक के अंतर्गत राज्य को 5 लाख मी. टन खाद्यान्न आवंटित किए गए।

दीमापुर हवाई अड्डे पर (आईएलएस) विमान उतरने की सुविधा

26. श्री के. ए. सांगतम : क्या **नागर विमानन** मंत्री 18.3.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2245 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दीमापुर हवाई अड्डे पर विमान उतरने की सुविधा (आईएलएस) की संस्थापना और सहायक कार्यों के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और शुरू की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त उल्लिखित कार्य के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) उपकरण अवतरण प्रणाली (आईएलएस) के संस्थापन के लिए अपेक्षित भूमि को अभी तक असम राइफल ट्रेनिंग केन्द्र (एआरटीसी) द्वारा खाली नहीं किया गया है। भूमि खाली कराने के लिए एआरटीसी के साथ मामले को तत्काल सख्ती से उठाया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ 1.74 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आदेश पहले ही दे दिया गया है और अक्तूबर, 2002 में उपस्कर प्राप्त होने की संभावना है। परियोजनाओं को होने में लगभग

12 महीने लग जाएंगे। आईएलएस के संस्थापन और अन्य संबद्ध निर्माण कार्य करने संबंधी कार्रवाई केवल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि सौंपने के बाद ही की जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि संबंधी राजसहायता

27. **श्री नवल किशोर राय :**

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका के फार्म सिक्योरिटी एण्ड रूरल इन्वेस्टमेंट एक्ट 2002, जिसके तहत सरकार को कृषि संबंधी राजसहायता बढ़ाने की शक्ति दी गई थी, विश्व व्यापार संगठन की भावना और उसके साथ किए गए करार के विरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अधिनियम को वापस लेने के लिए अमेरिकी सरकार से बातचीत शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश की कृषि उपजों पर उक्त अधिनियम का क्या संभावित प्रभाव होगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) संयुक्त राज्य में कृषि को घरेलू समर्थन में वृद्धि का प्रस्ताव दोहा मंत्रीमंडलीय घोषणा की भावना के अनुरूप नहीं होगा जहां बाजार–व्यवस्था में संगत सुधार के उद्देश्य से वार्ता जारी रखने; सभी तरह की निर्यात राजसहायता को समाप्त करने के उद्देश्य से राजसहायता में कमी करने; और व्यापार में विकृति लाने वाले घरेलू समर्थन में तर्कसंगत कमी करने का निर्णय लिया गया था। रिपोर्टों से संकेत मिलते हैं कि संयुक्त राज्य कृषक बिल से विश्व बाजार में मूल्य पर दबाव पड़ेगा। इससे विकासशील देशों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है।

कृषि पर विश्व व्यापार समझौते में संयुक्त राज्य अमेरीका द्वारा घरेलू समर्थन में कमी के बाबत दी गई वचनबद्धता के अनुसार कुल समर्थन की सीमा 19.1 बिलियन अमेरिकी डालर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका मूल्य एवं उत्पादन से जुड़ी राजसहायता पर खर्च कर सकता है। यदि संयुक्त राज्य कृषक बिल में समर्थन की कुल मात्रा की गणना उपर्युक्त सीमा से अधिक होती है, तो संयुक्त राज्य कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौते में दी गई अपनी वचनबद्धता का उल्लंघन करेगा।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग बोर्ड

28. **डा. बलिराम :** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग बोर्ड का अभी तक गठन नहीं किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बोर्ड का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का पुनर्गठन सरकार के विचाराधीन है।

बाल श्रमिक को व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु धनराशि का आवंटन

29. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :**

श्रीमती जस कौर मीणा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाल श्रमिकों को प्रशिक्षण देने हेतु धनराशि आवंटित की थी;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाल श्रमिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) इससे कितने बाल श्रमिकों के लाभान्वित होने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) भारत सरकार कार्य से हटाए गए बाल श्रमिकों के लाभ के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम और स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान स्कीम नामक दो योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत विशेष स्कूलों/केन्द्रों की स्थापना की गई है जिनमें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, वजीफा, स्वास्थ्य देख-रेख आदि मुहैया कराई जाती है। इस प्रयोजन के लिए नौवीं योजना अवधि के दौरान, 249.60 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया था।

(ग) से (ङ) दसवीं योजना अवधि के दौरान, सरकार का राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण का संघटक जारी रखने की मंशा है।

योजना आयोग ने दसवीं योजना अवधि के लिए बाल श्रम योजना हेतु निधियों के कुल प्रावधान को अभी इंगित नहीं किया है। लाभान्वित होने वाले बाल श्रमिकों की संख्या वास्तविक निधि के आवंटन पर निर्भर करेगी।

यमुना कार्य योजना हेतु जापानी सहायता

30. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने यमुना कार्य योजना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त सहायता लेने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) तीन राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कार्यों को करने के लिए यमुना कार्य योजना चरण II के अन्तर्गत यमुना नदी के प्रदूषण निवारण के लिए एक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया। पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के अलावा हरियाणा के 24 शहरों और उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में कार्यों की अनुमानित लागत नीचे दिए अनुसार है :

दिल्ली	599 करोड़ रुपए
हरियाणा	349 करोड़ रुपए
उत्तर प्रदेश	1070 करोड़ रुपए
कुल	2018 करोड़ रुपए

परियोजना में नदी में पहुंचने वाले सीवेज के दिशापरिवर्तन के लिए विशिष्ट ढाल में सीवर बिछाना, सीवेज पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण, सीवेज शोधन संयंत्र, सीवेज विसंक्रमण सुविधाएं स्थापित करना, अल्प लागत शौचालयों का निर्माण, शवदाहगृह स्नानघाटों का सुधार, वनीकरण और जनभागीदारी एवं जन जागरूकता के कार्य शामिल हैं। परियोजना के अन्तर्गत प्रतिदिन कुल 1582 मि. लीटर अपशिष्ट जल की मात्रा का अवरोधन, दिशापरिवर्तन और शोधन किया जाना है। निधि प्राप्त करने के लिए यह प्रस्ताव मार्च 2002 में जापान बैंक फार इन्टरनेशनल को-आपरेशन को प्रस्तुत किया गया।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस द्वारा किराये में कमी

31. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने पश्चिमी क्षेत्र में हवाई यात्रा किराये में कमी की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या हवाई यात्रा किराये में ऐसी कमी देश भर में शुरू की जाएगी;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रयोजनार्थ पश्चिमी क्षेत्र का ही चयन करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपनी बाजार पूंजी बढ़ाने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने पिश्चमी सेक्टर समेत देश के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए घरेलू नेटवर्क से पार विभिन्न सेक्टरों पर हवाई किराए घटा दिए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हाल ही में, इंडियन एयरलाइंस ने अनेक मार्गों पर क्षमता में वृद्धि की है और अपने मार्किट शेयर में वृद्धि करने के उद्देश्य से नए लिंकों की पेशकश की है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड में रिक्त पद

32. **श्री के. येरननायडू :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्च पद 1980 में इसकी शुरूआत से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त पद भरने के लिए कितना समय लगने की संभावना है; और

(ग) बोर्ड को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों को अधिक लाभ प्रदान करने की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र बोर्ड पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में जल संसाधन विकास अभिज्ञात जल निकास विकास स्कीमों और बहुउद्देश्यीय बांध परियोजनाओं, हरंग जल निकास विकास स्कीम तथा पगलदिया बांध परियोजना के कार्यान्वयन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य करने के वास्ते मास्टर योजनाएं तैयार करने में लगा है। इस बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ बाढ़ प्रबंधन के लिए अल्प एवं दीर्घकालिक सुधारात्मक उपाय सुझाते हुए मास्टर प्लान भाग-I (ब्रह्मपुत्र की मुख्य शाखा), मास्टर प्लान भाग-II (बराक नदी एवं उसकी सहायक नदियों) तथा ब्रह्मपुत्र के कुछ उप-बेसिनों की मास्टर योजना भाग-III तैयार की है।

नेफेड

33. **श्री रामजी मांझी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफेड ने चना, जौ, मटर आदि की आपूर्ति हेतु आर्मी परचेज आर्गेनाइजेशनों द्वारा दी गई निविदा हासिल कर ली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या नेफेड ने इस निविदा को दिल्ली परिसंघ को दे दिया था जिसके पास निविदा को पूरा करने के लिए अवसंरचना की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जहां तक नीति और व्यापार का संबंध है, नेफेड अपने राज्य स्तरीय सहकारी संघ सदस्यों के माध्यम से सभी प्रकार की खरीद करता है। दिल्ली राज्य संघ, जो कि नेफेड का एक अभिन्न सदस्य है, को इसी अनुबंध के लिए एजेण्ट नियुक्त किया गया था क्योंकि इसके पहले सेना खरीद संगठन के साथ इसी प्रकार के अनुबंध को पूरा करने में इसने संतोषजनक ढंग से काम किया था।

वर्जिन एयरलाइंस द्वारा विमान सेवाओं को बंद किया जाना

34. **श्री के. पी. सिंह देव :**
श्री अम्बरीश :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्जिन एटलांटिक ने भारत और लंदन के बीच अपनी विमान सेवाओं का प्रचालन बंद करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस मुद्दे की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एअर इंडिया द्वारा इंग्लैंड के लिए संचालित उड़ानों की तुलना में वर्जिन एअरलाइंस द्वारा भारत से कुल कितनी उड़ानें संचालित की जाती हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) वर्जिन अटलांटिक ने अपनी मौजूदा प्रचालनों की वित्तीय अव्यवहार्यता के कारण 12 फरवरी, 2002 को एअर इंडिया के साथ अपना करार समाप्त करने के लिए

एक नोटिस जारी किया है जो कि नोटिस अवधि के छह माह के बाद प्रभावी होगा। इस मुद्दे पर विचार-विमर्श हेतु दो एयरलाइनों के प्रतिनिधियों की बैठक भी जून, 2002 में हुई जो कि बिना निष्कर्ष निकले ही समाप्त हो गई। दोनों एयरलाइनें करार समाप्ति का नोटिस प्रभावी होने से पहले फिर से बैठक करने पर सहमत हो गई हैं।

(ङ) इस समय, वर्जिन अटलांटिक एअर इंडिया के साथ किए गए कोड शेयर/ब्लॉक स्पेस करार के तहत भारतीय पक्ष की हकदारियों में से लंदन और दिल्ली के बीच सप्ताह में दो दिन सेवाएं प्रचालित कर रही है। दूसरी तरफ, एअर इंडिया यूनाइटेड किंगडम तक/से होकर प्रति सप्ताह 11 उड़ानें प्रचालित कर रही है।

[हिन्दी]

झारखंड और बिहार में
राष्ट्रीय राजमार्ग

35. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में विशेषकर झारखंड और बिहार में राज्यवार कितने राजमार्गों का दोहरीकरण किया जा रहा है और चौड़ा किया जा रहा है;

(ख) इन राज्यों में उन राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जहां दोहरीकरण/चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है और आज की तारीख के अनुसार उनमें से कितने राजमार्ग इस कार्य से वंचित हैं; और

(ग) उक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की सभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य उन राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के बारे में जानना चाहते हैं जिन्हें दोहरा बनाया जा रहा है/चौड़ा किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और उन्हें चौड़ा करना एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणों में किया जाता है। इकहरे/मध्यम लेन, 2/4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों तथा 10वीं योजना के दौरान चौड़े किए जाने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 4/6 लेन के बनाए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और पत्तन संपर्क सड़कों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सड़कों को चौड़ा करना एक सतत प्रक्रिया है और यह बता पाना संभव नहीं है कि संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग को कब तक चौड़ा कर दिया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई	राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई/जिसमें इकहरी/मध्यम लेन का मार्ग है	राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जिसमें 2/4 लेन का मार्ग है	राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जिसे 10वीं योजना के दौरान चौड़ा करने का प्रस्ताव है	राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो चौड़ी की गई, चौड़ी की जा रही है/रा.रा.वि. परियोजना और पत्तन संपर्क के तहत 4/6 लेन का बनाया जाना है।
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4038	348	3690	244	1779
2.	अरुणाचल प्रदेश	392	392	0	0	0
3.	असम	2836	848	1988	85	753
4.	बिहार	3502	2196	1306	686	723

1	2	3	4	5	6	7
5.	चंडीगढ़	24	0	24	0	0
6.	छत्तीसगढ़	1774	891	883	509	0
7.	दिल्ली	72	0	72	0	59
8.	गोवा	269	121	148	0	18
9.	गुजरात	2461	0	2461	52	1195
10.	हरियाणा	1361	555	806	185	332
11.	हिमाचल प्रदेश	1188	825	363	408	14
12.	जम्मू और कश्मीर	823	97	726	0	405
13.	झारखंड	1413	829	584	561	192
14.	कर्नाटक	3570	1617	1953	832	785
15.	केरल	1440	516	924	0	170
16.	मध्य प्रदेश	4664	1396	3268	350	666
17.	महाराष्ट्र	3626	314	3312	0	766
18.	मणिपुर	954	734	220	69	0
19.	मेघालय	717	428	289	185	0
20.	मिजोरम	927	927	0	0	0
21.	नागालैंड	369	268	101	0	0
22.	उड़सा	3301	1603	1698	623	514
23.	पांडिचेरी	53	0	53	0	0
24.	पंजाब	1553	0	1553	0	296
25.	राजस्थान	4597	1716	2881	1192	1237
26.	सिक्किम	62	62	0	—	0
27.	तमिलनाडु	3758	367	3391	96	1250
28.	त्रिपुरा	400	400	0	6	0

1	2	3	4	5	6	7
29.	उत्तर प्रदेश	4942	581	4361	143	1569
30.	उत्तरांचल	1075	760	315	95	0
31.	पश्चिम बंगाल	1951	505	1446	0	821
	जोड़	58112	19296	38816	6321	13544

[अनुवाद]

अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार

36. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों की समस्याओं की जानकारी है जिन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी जाती है और उनसे खतरनाक स्थितियों में काम कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 अधिनियम, में अन्तर्निहित कर्मियों के कारण किसी राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे और अधिक प्रभावकारी और लागू करने योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) सरकार अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों की समस्याओं से अवगत है। अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 का अधिनियमन किया है। अधिनियम में, समान या समान प्रकार के कार्य के लिए प्रवासी तथा स्थानीय श्रमिकों को एक समान पारिश्रमिक देने की बात कही गई है।

(ग) और (घ) केन्द्र और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के उपबंधों का प्रवर्तन करें। चूंकि अधिकतर श्रमिक अपनी मर्जी से आते-जाते हैं इसलिए अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन कठिन हो जाता है। अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन हेतु प्रवासी कर्मकारों के प्राप्तकर्ता राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी प्रवर्तन हेतु जांच के समय प्रवासी कर्मकारों के प्रेषक राज्यों के अधिकारियों के साथ सहयोग करें।

[हिन्दी]

धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास हेतु अनुदान

37. डा. जसवंतसिंह यादव :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री पी. डी. एलानगोवन :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विशेषकर चैन्नै क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में संरक्षित स्मारकों/विरासत स्थलों के परिरक्षण हेतु क्षेत्र-वार और स्मारक-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्मारकों/विरासत स्थलों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास इन स्थलों के रख-रखाव हेतु गैर-सरकारी एजेन्सियों के सुपुर्द करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रख-रखाव और संरक्षण

पर पिछले तीन वर्षों में किया गया व्यय चालू वित्तीय वर्ष में अब तक किए गए आवंटन का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाखों रुपए में)

क्र.सं.	मण्डल	संरक्षित स्मारकों की संख्या	1999–2000	2000–2001	2001–2002	वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक किया गया आवंटन
1.	चेन्नई मण्डल	414	117.14	125.76	178.53	31.74
2.	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	67	119.31	160.57	125.31	55.00
3.	राजस्थान (जयपुर मंडल)	153	166.00	174.69	235.00	109.00
4.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता मंडल)	113	84.69	77.70	148.73	40.90
5.	सभी भा.पु.स. द्वारा संरक्षित स्मारक	3606	2813.56	2917.65	4950.00	3700.00

*उपर्युक्त क्र.सं. 1 से 4 तक में दिए गए आकंड़े शामिल हैं।

[अनुवाद]

जल की कमी

38. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मई, 2002 के "दि. हिन्दु" में रांग पॉलिसीज लेड टू वाटर स्कार्सिटी शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र के किसी विशेषज्ञ ने भूमि और जल संसाधन विकास संबंधी बुनियादी पुस्तिका तैयार करने के लिए बारह राज्यों में सर्वेक्षण किया था;

(घ) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या सरकार ने विशेषज्ञ द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) समाचारों में बताए गए आंकड़े और ब्यौरे वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार देश में नदी–प्रणालियों में औसतन वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर आंकी गई है। इनमें से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल और 432 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल उपयोग के लायक है। वर्तमान में 605 बिलियन क्यूबिक मीटर जल का उपयोग विविध प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से बड़ी मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाओं जिनमें 3596 बड़े बांध शामिल हैं, के उचित संयोजन के निर्माण के साथ ही नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 99.76 मिलियन हेक्टेयर (अंतिम) सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने का अनुमान है। ये बड़े बांध 177 बिलियन क्यूबिक मीटर वर्षा जल का भंडारण

करते हैं। निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित परियोजनाओं के जरिए 207.77 बिलियन क्यूबिक मीटर वाले एक और भंडारण का सृजन किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त देश के जल संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए 3,76,000 टैंकों और तालाबों का भी निर्माण किया गया है।

प्राकृतिक संसाधनों से जल को उपयोग में लाने तथा निर्माणाधीन स्कीमों को जल्दी पूरा करके सिंचाई क्षमता के सृजन को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को उनके प्रयासों में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 1996–97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समयबद्ध तरीके से निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने में उन्हें मदद करने के लिए केन्द्रीय ऋण के रूप में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि इसका लाभ तत्काल प्राप्त किया जा सके। तद्नुसार, वर्ष 2001–02 के अंत तक राज्य सरकारों को 8480 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय जल नीति–2002 में इसके विकास और प्रबंधन के लिए वित्तीय संसाधन में वृद्धि करने के लिए जल संसाधन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रावधान है।

देश में कुल 14,22,664 ग्रामीण बस्तियां हैं। इनमें से 12,65,093 बस्तियां पूरी तरह और 1,40,208 बस्तियों में आंशिक रूप से ग्रामीण जल आपूर्ति सुविधा है और शेष 17,363 बस्तियों में यह सुविधा नहीं है। इसके अलावा, वर्तमान में 88 प्रतिशत शहरी जनसंख्या के शहरी जल आपूर्ति की सुविधा प्राप्त है।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1820 क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष (2001) है। तथापि, देश में वर्षा की स्थानिक विषमता के कारण तथा जनसंख्या घनत्व में अंतर होने के कारण भी वर्तमान में विभिन्न बेसिनों में जल की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक उपलब्धता बंगलादेश और मयनमार में गिरने वाली छोटी नदी बेसिनों में 16,990 क्यूबिक मीटर, ब्रह्मपुत्र–बराक बेसिन में 13,636 क्यूबिक मीटर से साबरमती बेसिन में 298 क्यूबिक मीटर के बीच का अंतर है। करीब 216 मिलियन लोगों के पास प्रति व्यक्ति वार्षिक 1000 क्यूबिक मीटर जल की उपलब्धता है।

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्रीय सुधार परियोजना के अंतर्गत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और छत पर गिरने वाले वर्षा जल का संचयन के माध्यम से वर्षा जल के संचयन को भी प्रोत्साहन दे रही है जिसके लिए राज्य सरकारों एवं अन्य क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने प्रायोगिक आधार पर "भूजल के पुनर्भरण का अध्ययन" पर एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में 174 स्कीमों को अनुमोदित कर दिया गया है।

एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में, भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणों ने जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिदृश्य योजना तैयार की है जिसमें अधिक जल वाले बेसिनों से कम जल वाले बेसिनों में जल का स्थानांतरण करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने का प्रावधान है जिससे पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, जल–विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, नौवहन, मत्स्य पालन, लवणता और प्रदूषण नियंत्रण आदि का लाभ होगा।

(ग) प्रश्न में उद्धृत महाराष्ट्र के विशेषज्ञ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र से एक विशेषज्ञ द्वारा किए गए किसी सर्वेक्षण के बारे में जल संसाधन मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रैवल एजेंटों का कमीशन

39. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **नागर विमानन** मंत्री 29 अप्रैल, 2002 के तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 495 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्रैवल एजेंटों के कमीशन को 9% से घटाकर 7% किए जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : उच्च वितरण लागतों में कुछ और बचत करने के लिए तथा इस तथ्य को भी देखते हुए कि भारत में प्रचालनरत अनेक एयरलाइनों ने आयटा मीटिंग में यथा सहमति अनुसार कमीशन कम करने का निर्णय ले लिया है, एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस ने भी कमीशन लेवल को 9% से 7% तक घटा दिया है।

वन भूमि के अतिक्रमणकर्ता का पुनर्वास

40. **डा. जयंत रंगपी :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल के महीनों में कतिपय राज्यों में वन भूमि में वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को हटाने संबंधी निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कौन–कौन से राज्यों में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है;

(ग) अब तक राज्य–वार कितने परिवारों को वनभूमि से हटाया गया है;

(घ) राज्य–वार वन भूमि से परिवारों को हटाने की कार्रवाई कब तक पूरी हो जाने की संभावना है; और

(ङ) राज्य–वार रक्षित वन क्षेत्र में कुल कितने परिवार रह रहे हैं; और

(च) वन भूमि से हटाए गए परिवारों के पुनर्वास के संबंध में सरकार की क्या नीति है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (च) जी हां। उच्चतम न्यायलय ने अपने दिनांक 23.11.2001 के आदेश एवं आगे दिनांक 7.5.2002 के आदेश में केन्द्र सरकार को देश में अतिक्रमणों के नियमितीकरण पर रोक लगाने और वन भूमि से अतिक्रमण को हटाने के निदेश दिए हैं, तदनुसार केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में और राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के उपबंधों के अनुरूप सयमबद्ध तरीके से अतिक्रमणकर्ताओं को हटाने के अनुदेश जारी किए थे। केन्द्र सरकार ने साथ–साथ राज्य एवं सर्किल स्तर पर अतिक्रमण–कर्ताओं को हटाने की प्रक्रिया पर निगरानी के लिए और दिशा निर्देश जारी किए हैं। कार्यवाही स्तर पर वनों के प्रबंधन एवं सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकारों का है इसलिए अतिक्रमणकर्ताओं को हटाने का मुख्यतः दायित्व राज्य सरकारों का है। हाल ही में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, शिलांग ने सरकार को सूचित किया है कि असम सरकार ने अतिक्रमण–कर्ताओं को हटाने के लिए कदम उठाए हैं। अतिक्रमणकर्ताओं के पुनर्वास की समस्या राज्य सरकारों का मामला है।

विशाखापतनम में यातायात को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेस हाइवे

41. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विशाखापतनम शहर में कान्वेन्ट जंक्शन से अयप्पा मंदिर जंक्शन तक यातायात को सुगम बनाने के लिए एक एक्सप्रेस हाइवे बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आएगी;

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या वहां पर कोई अन्य एक्सप्रेस मार्ग भी बनाए जाने हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) जी, हां। चार लेन की एक संपर्क सड़क का विकास किया जा रहा है। सिविल निर्माण कार्यों की लागत 80 करोड़ रुपए है। ठेका सौंप दिया गया है और इस परियोजना को दिसंबर, 2004 तक पूरा किया जाना हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

42. **श्री रामदास आठवले :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) उक्त प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति क्या है;

(घ) इन पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ङ) यह मंत्रालय नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण नहीं करता है। यह केवल कतिपय राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करता है और उनका विकास करता है। नौवीं योजना अवधि के दौरान, इस मंत्रालय ने देश में विभिन्न राज्यों में 23,814 किमी के नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की है। गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्राप्त 8 प्रस्तावों सहित सभी राज्यों से प्राप्त राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए संशोधित मानदंड के आधार पर समीक्षा के लिए जून, 2002 में सभी संबंधित राज्य सरकारों को वापस कर दिए गए हैं। निधियों की कमी के कारण फिलहाल देश में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग को घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, विभिन्न राज्यों से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्तावों में से कुछ राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने पर यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की अपलब्धता के आधार पर विचार कर सकती है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रिक्त पद

43. **श्री भान सिंह भौरा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/मंत्रालय के अधीन विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कौन–कौन से पद रिक्त पड़े हैं और ये पद विशेषः पंजाब में किस तारीख से रिक्त पड़े हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षण्मुगम) : (क) पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कोई कार्यालय नहीं है। 31 मार्च, 2002 को, ग्रुप "ए" स्तर पर अनुसूचित जाति के लिए एक रिक्ति और ग्रुप "बी" तथा "सी" स्तर पर अनुसूचित जनजाति के लिए एक–एक रिक्ति विद्यमान थी। पहली रिक्ति 13, अप्रैल, 1999 को सृजित हुई और अन्य दोनों रिक्तियां, क्रमशः 23 फरवरी, 2002 तथा 30 अप्रैल, 2001 को सृजित हुई थीं।

(ख) ग्रुप "ए" पद की रिक्ति को भरा नहीं जा सका क्योंकि उस तिथि पर कोई भी योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था। अन्य दोनों पद सीधी भर्ती कोटा के तहत हैं इसलिए संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना था।

(ग) ग्रुप "ए" पद पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की नियुक्ति की जा चुकी है। जहां तक ग्रुप "सी" पद का संबंध है, भर्ती की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। लेकिन ग्रुप "बी" के पद के मामले में रिक्ति को पद–आधारित रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति कोटे में बदलने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को लिखा गया है।

[हिन्दी]

भारत-पाक तनाव के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

44. **प्रो. रासासिंह रावत :**
श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–पाक के बीच चल रहे तनाव के कारण भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने विदेशी पर्यटकों ने भारत विशेषतः राजस्थान की यात्रा की है और यह किन–किन देशों से आए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आने वाले विदेशी पर्यटकों

में कितने प्रतिशत कमी आई और इससे राजस्व के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) सरकार ने विदेशी पर्यटक यातायात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मेले आयोजित करने का है;

(च) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन-कौन से राज्यों/शहरों का चयन किया गया है;

(छ) क्या मेलों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन दिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) वर्ष 2001 और 2002 के दौरान देश में विदेशी पर्यटक आगमन में कमी-विश्व व्यापार केन्द्र पर हुए आतंकवादी हमले, अफगानिस्तान में युद्ध और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के बारे में गलत धारणाओं के कारण हुई।

(ख) वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान भारत भ्रमण हेतु चोटी के दस देशों से आए विदेशी पर्यटकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान राजस्थान राज्य में विदेशी पर्यटकों के भ्रमण की संख्या क्रमशः 562685, 623100 और 608283 हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटकों की संख्या और पर्यटन के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा आय नीचे दिए गए अनुसार है :

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन	% बदलाव	विदेशी मुद्रा आय (करोड़ रुपयों में)	% बदलाव
1999	2481928	—	12951	—
2000	2649378	6.7	14238	9.9
2001	2537282	–4.2	14344	0.7

(घ) भारत के लिए विदेशी पर्यटक यातायात में वृद्धि हेतु विभिन्न कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- पर्यटन विकास कार्य को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना;
- एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना;
- नए पर्यटन बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना;
- विश्व स्तर की अवसंरचना का सृजन करना;
- सतत एवं प्रभावी मार्केट योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना;
- ग्रामीण और लघु क्षेत्र पर्यटन के विकास पर विशेष बल देना तथा;
- सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा शिष्टाचार और नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों और बेहतर शासन की ओर ध्यान देना।

(ङ) जी, हां।

(च) से (ज) चौथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन मेला (आईटीटीएम 2002) नई दिल्ली में सितम्बर 2002 के दौरान होना निश्चित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन मेला एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें विभिन्न राज्य पर्यटन विभागों और सरकारी निकाय, यात्रा अभिकर्ता, यात्रा प्रचालक, होटल और रिजार्ट, एअरलाइन, साहसिक यात्रा प्रचालक आदि भाग लेंगे। नई दिल्ली में अप्रैल, 2002 में हुआ पाटा का सम्मेलन देश में पर्यटन उद्योग को बल प्रदान करने वाला एक अन्य कार्यक्रम था और इसने सम्पूर्ण विश्व को सफलतापूर्वक संदेश दिया कि भारत एक सुरक्षित, आरामदेह, कम खर्चीला और इन सभी के साथ-साथ अवकाश तथा व्यवसायी यात्रियों के लिए अतुलनीय गंतव्य स्थल है।

विवरण

राष्ट्रिकता देश	पर्यटक आगमन 1999	राष्ट्रिकता देश	पर्यटक आगमन 2001	राष्ट्रिकता देश	पर्यटक आगमन 2001
यू.के.	345,085	यू.के.	432,624	यू.के.	405,472
यू.एस.ए.	251,926	यू.एस.ए.	348,292	यू.एस.ए.	329,147
श्रीलंका	120,072	श्रीलंका	129,193	श्रीलंका	112,813
फ्रांस	85,891	फ्रांस	100,022	फ्रांस	102,434
जर्मनी	85,033	जापान	98,159	कनाडा	88,600
कनाडा	82,892	कनाडा	84,013	जापान	80,634
जापान	79,373	जर्मनी	83,881	जर्मनी	80,011
आस्ट्रेलिया	73,041	मलेशिया	60,513	मलेशिया	57,869
सिंगापुर	53,310	आस्ट्रेलिया	53,995	आस्ट्रेलिया	52,691
मलेशिया	52,617	इटली	50,419	सिंगापुर	42,824

आम का निर्यात

45. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आम की फसल की पैदावार का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस वर्ष भारत से राज्य–वार किन–किन देशों को आम का निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) आम की खेपों को विदेश भेजने के लिए सरकार ने क्या–क्या सुविधाएं विकसित की हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान आम का उत्पादन क्रमशः 9781.80 और 10503.50 हजार मीटरी टन था।

(ख) भारत विश्व के लगभग 49 देशों को आम का निर्यात करता है। मुख्य देशों में जहां आम का निर्यात किया गया है, बहरीन, बांग्लादेश, बेल्जियम, फ्रांस, जोर्डन, कुवैत, मलेशिया, मालद्वीप, नेपाल, नीदरलैण्ड, सऊदी अरब, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका आदि शामिल हैं।

(ग) सरकार ने आम सहित नाशवान कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु नई दिल्ली, बंगलौर, मुम्बई, त्रिवेन्द्रम, चेन्नई और हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शीतागारों और कारगो सुविधाओं की स्थापना की है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य मंत्रालय ने समुद्री रास्ते से ब्रिटेन और हांगकांग को नियंत्रित वातावरण वाले डिब्बों में आम भेजना शुरू किया है।

[अनुवाद]

ब्रुश बनाने के लिए नेवलों की हत्या

46. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्रुश बनाने के लिए 50,000 नेवलों की हत्या की गई है

जैसा कि 11 जून, 2002 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

कम बजट वाले होटल

47. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार और स्थान-वार कम बजट वाले कितने होटल हैं;

(ख) क्या सरकार को कम आय वर्ग के घरेलू पर्यटकों के लिए "इकॉनॉमी होटलों" की आवश्यकता की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा कम बजट वाले होटल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार की सितारा श्रेणी के अनुसार, होटलों के वर्गीकरण की एक स्वैच्छिक योजना है। 1 से 3 सितारा श्रेणी में वर्गीकृत होटलों की सूचना संलग्न विवरण में देखी जा सकती है।

(ख) और (ग) जी, हां। हालांकि होटलों का निर्माण निजी क्षेत्र का कार्यकलाप है, कम खर्चीले (बजटीय) होटलों को उत्साहित करने के लिए, भारत सरकार कर में छूट, आयात पर सीमा शुल्क रियायत, नामित वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत ऋण पर ब्याज इमदाद (1 से 3 सितारा अनुमोदित होटल परियोजनाओं के लिए) जैसे कर संबंधी और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

विवरण

राज्य/स्थान	फरवरी 2002 तक अद्यतन			जोड़
	3 सितारा	2 सितारा	1 सितारा	
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
अजाजपुर	1	1		2
अदिलाबाद	1			1
गुदापा		1		1
गुंटूर	2	2		4
हनुमानकोन	1			1
हैदराबाद	19	11	3	33
काकानाडा	1	1		2
कुरनूल	3	1		4
मईलादुथुराई		1		1
नेलोर	3	1		4
निर्मल		1		1
निजामाबाद		4		4
पट्टापार्थी		2		2
राजामुन्दरी	1	1		2
श्रीकाकुलम		1		1
काडापल्लीगुडम		1		1
तिरूपति	6	1		7
विजयवाड़ा	6	2	2	10

1	2	3	4	5
विशाखापटना	3	3		6
वारंगल		1		1
जोड़	47	36	5	88
असम				
डिब्रूगढ़		1		1
गुवाहाटी	3	2		5
जोरहाट		1		1
सिबसागर		1		1
सिलेहर		1		1
तिनसुखिया	1	1		2
जोड़	4	7	0	11
बिहार				
भागलपुर		1		1
बोधगया	1			1
बोकारो	3	2		5
धनबाद	1	2		3
गया	1			1
जमशेदपुर	2	1	1	4
पटना	4	1		5
रांची	4	2		6
मुजफ्फरपुर			1	1
जोड़	16	9	2	27
दिल्ली				
दिल्ली	11	17	9	37
जोड़	11	17	9	37

1	2	3	4	5
गोवा				
गोवा	14	33	22	69
जोड़	14	33	22	69
गुजरात				
अहमदाबाद	10	1		11
अमीपुरा	1			1
अंकलेश्वर		1		1
भरूच		1		1
भावनगर	1	2		3
भुज			1	1
गांधीनगर	1			1
जामनगर	1			1
महसाना	1			1
राजपुर	1	2		3
सफूतारा		1		1
सूरत	3	1		4
वडोदरा	5	1	2	8
वापी		1		1
वलसाद		1		1
जोड़	24	12	3	29
हरियाणा				
बहादुरगढ़	1			1
बादशाहपुर	1			1
फरीदाबाद	2			2
गुड़गांव	4			4

1	2	3	4	5
करनाल	1			1
मानेसर	1			1
पानीपत	2			2
पंचकुला	2			2
रेवाड़ी	1			1
सिकापुर	1			1
यमुनानगर	1			1
जोड़	17	0	0	17
हिमाचल प्रदेश				
डलहौजी	1	1		2
कतरेन	1			1
मनाली	1			1
परवानू		2		2
शिमला	2			2
सोलन		1		1
जोड़	5	4	0	9
जम्मू एवं कश्मीर				
गुलमर्ग	1	1		2
जम्मू		1		1
कटरा		1		1
पहलगाम	1			1
श्रीनगर	2	3		5
जोड़	4	6	0	10
कर्नाटक				
बंगलौर	7	11	2	20
हसन			1	1
हुबली			1	1
मंगलौर	2			2
मिरकारा	1			1
मैसूर	2	3	3	8
जोड़	12	14	7	33
केरल				
अल्लेपी		3	1	4
अलपुज्जा			1	1
अलवाई			1	1
अंगमत्ति	1	1	1	3
कन्नानौर		1		1
चिंगानासरी				
अरनाकुलम				
गुरवाई		3	1	4
कन्नूर		1		1
कोच्चि	10	10	5	25
कोर्सानेट		1		1
त्रिचुर	2	1		3
उद्योगमण्डल		1	1	2
पोठानेडू		1		1
कोटारकारा	1			1
कोट्यम	1	7	5	13
कावलम		2	1	3
कोजीकोट		5	1	6

1	2	3	4	5
कुमीली		2		2
कुन्नार		2		2
पलक्कड़	3	1		4
मरारूर	1		1	2
कोयलन		1	1	2
सुलान बे टरी		1		1
टेली चेररी		1	1	2
थेक्कडी	1	2	1	4
तिरूवनन्त	4	3	1	8
थाडूपुजा			2	2
त्रिशुर	2	5	1	8
बेनाड		1	1	2
ईमाकुलम	1	1	1	3
जोड़	27	60	28	115
मध्य प्रदेश				
भोपाल	5	3		8
ग्वालियर	1		1	2
इन्दौर	2	1		3
जबलपुर	1	3	1	5
खजुराहो	2			2
खान्डवा		2		2
माण्डला			1	1
रायपुर	3		1	4
भिलाई	1			1
जोड़	15	9	4	28

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र				
अकोला	1			1
अमरावती			1	1
औरंगाबाद		2	2	4
अहमदनगर			1	1
बिलासपुर			1	1
मुम्बई	25	29	9	73
बोर्डी			1	1
चन्देरपुर	1	1		2
चांदी			1	1
चिकलोन	1			1
एललोर			1	1
जलगांव		1		1
कारद	1	1		2
खण्डाला	1	1	1	3
खोबोली		1		1
कोल्हापुर		2		2
काभापुर		3		3
लोनावाला	2	2		4
मनीर				
महाबलेश्वर		2		2
मथेरन	3	2		5
नागपुर	2	4	2	8
नासिक	5	4	2	11
न्यूबोम्बे	1	1		2
पनवेल	1			1

1	2	3	4	5
पंचगढ़ी		3	1	4
पुणे	5	11	15	31
रोहा			1	1
उसमानाबाद		1		1
शिर्डी	1		3	4
सोलापुर	3	1	2	6
थाणे		2	2	4
विद्यानगर		1		1
बिहाली	1			1
वर्धा रोड़	1		1	2
जोड़	55	85	49	189
मेघालय				
शिलांग	2		1	3
जोड़	2	0	1	3
उड़ीसा				
अंगुल		2		2
भुवनेश्वर	5	1	1	7
कटक		2		2
धेनकनाल		2		2
पुरी	1	2		3
राउरकेला	1	1		2
जेपोर		1		1
जोड़	7	11	1	19
पंजाब				
अमृतसर	2	2		4
अबोहर		2		2
भटिंडा	1	6		7
डेरा बसी		1		1
फरीदकोट			2	2
गुरदासपुर		2		2
होशियारपुर		1		1
जालंधर	8	11		19
लुधियाना	7	10	2	19
पठानकोट		1		1
पटियाला	1	3		4
राजपुरा		2		2
मलोर		1		1
मोहाली		2		2
मोगा			2	2
अम्बाला		1		1
जोड़	19	45	6	70
राजस्थान				
अजमेर	1			1
अलवर	1	1		2
बेहरोड़	1			1
बीकानेर	1			1
चित्तौड़गढ़		1		1
श्रीगंगानगर		1		1
जयपुर	6	6	2	14
जैसलमेर	4	1		5

1	2	3	4	5
झुंझुनु	2			2
जोधपुर	1	4		5
कुम्बलगढ़	1			1
कोटा	2	३		5
माउंटआबू	1	3		4
उदयपुर	5	6		11
जोड़	26	26	2	54
सिक्किम				
गंगटोक	1			1
जोड़	1	0	0	1
तमिलनाडु				
चिदम्बरम			1	1
कोयम्बटूर	3	1	4	8
कुनोर	1	1		2
डिंडीगुल			1	1
इरोड			1	1
गिंगी		1		1
होंगानेक्कोल			1	1
कांचीपुरम	1		1	2
करूर		1	1	2
कन्याकुमारी	1		1	2
करारीकुडी			2	2
कोडईकनाल	2	1	1	4
चेन्नई	30	15	8	53
मदुरै	3	1	2	6
मामलापुरम	3	2	1	6
नागापट्टनम			1	1
कुर्द		1	1	2
तेनाली	1			1
तिरूवनमलाई		1		1
नेल्लोर	1			1
मेट्टूपलायन	1	1		2
नागरकोयल		1		1
नामाक्कल	1	1	1	3
नेवेली		1		1
पलानी		2		2
पलाची			1	1
रामेश्वरम			1	1
सलेम		3	1	4
तंजावुर	2	1	1	4
तिरूचंदूर			1	1
तिरूचिरापल्ली	1		2	3
तिरूनेलवेल्ली	1		1	2
तिरूपुर	1			1
उदागामण्डलम	4	2		6
वेल्लोर	1	1		2
यारकाड		1	1	2
जोड़	58	39	37	134
उत्तर प्रदेश				
आगरा	8	6		14

1	2	3	4	5
अलीगढ़		1		1
इलाहाबाद		3		3
बलरामपुर		1		1
गाजियाबाद	2			2
गजरौला	1			1
गोरखपुर		2		2
झांसी	1		1	2
कुशीनगर	1			1
कानपुर			1	1
लखनऊ	3			3
मथुरा	2			2
मुरादाबाद		1		1
श्रावस्ती	2			2
फतेहपुर सीकरी		1		1
नोएडा	2			2
रामपुर		1	1	2
वाराणसी	5	2		7
जोड़	27	18	3	48
उत्तरांचल				
अलमोड़ा		1		1
देहरादून	1	3	3	7
हरिद्वार		1		1
हलद्वानी	1			1
मंसूरी	4	2	1	7
नैनीताल	3	2	1	6

1	2	3	4	5
नरेन्द्रनगर	1			1
रामनगर	2			2
रानीखेत		1	1	2
ऋषिकेश		1		1
रोबार्टगंज			1	1
जोड़	12	11	7	30
पश्चिमी बंगाल				
आसनसोल	1			1
गोलापुर		1		1
कोलकाता	7	6	2	15
दार्जिलिंग	5	3		8
दीघा	1	1		2
दुर्गापुर	1			1
हलदिया	2			2
मालदा		1		1
सिलिगुड़ी	2	2		4
शान्तिनिकेतन	2			2
जोड़	21	14	2	37
अण्डमान निकोबार				
पोर्ट ब्लेयर		3		3
जोड़	0	3	0	3
चण्डीगढ़				
चण्डीगढ़	2	7		9
जोड़	2	7	0	9

1	2	3	4	5
दमन द्वीव				
दमन द्वीव	1			1
जोड़	1	0	0	1
दादरा नगर हवेली				
सिलवासा	1		1	2
होटलों की संख्या	1		1	2
लक्षद्वीप				
बंगाराम			1	1
होटलों की संख्या	0	0	1	1
पांडिचेरी				
पांडिचेरी	1		1	2
जोड़	1		1	2
महाजोड़	429	467	190	1086

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बीज नीति

48. डा. एस. वेणुगोपाल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बीज नीति, 2002 अपना ली है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातें क्या–क्या हैं;

(ग) क्या नई नीति से बीजों के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो क्या इस नीति के अंतर्गत गुणवत्ता वाले बीजों हेतु अनुसंधान और विकास के लिए अधिक निधियां प्रदान की जाएंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय बीज नीति, 2002, की अन्य बातों के साथ–साथ प्रमुख विशेषतायें हैं :

पौधों की नई और उन्नत किस्मों का विकास, गुणवत्ताप्रद बीजों को समय से उपलब्ध कराना, बीजों का अनिवार्य पंजीकरण, बुनियादी सुविधाओं का सृजन, गुणवत्ता के प्रति आश्वासन, बीज को बढ़ावा देना, बीज डीलरों के लिए लाइसेन्सिंग की व्यवस्था खत्म करना, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले बीजों के आयात की सुविधा, बीज के निर्यात को बढ़ावा देना तथा बीज बैंक और राष्ट्रीय बीज ग्रिड की स्थापना।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) गुणवत्ताप्रद बीजों के अनुसंधान और विकास के लिए केन्द्र सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्यीय कृषि विश्वविद्यालयों को पर्याप्त धन मुहैया करा रही है।

तम्बाकू उत्पादक किसान

49. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तम्बाकू उत्पादक किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर उनके हितों की रक्षा के लिए कोई उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। तम्बाकू बोर्ड उत्पादन को विनियमित करके किसानों के हितों की रक्षा करता है जिससे उन्हें उचित पारिश्रमिक मिल सके।

(ग) और (घ) तम्बाकू बोर्ड, गन्टूर को बाजार हस्तक्षेप के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य

(एम.एस.पी.) पर उत्पादकों से तम्बाकू उत्पाद की अधिप्राप्ति की जा सके। तथापि, आंध्र प्रदेश के किसानों को तम्बाकू निलामी द्वारा प्राप्त वर्तमान मूल्य बाजार हस्तक्षेप की मांग के अनुकूल नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन

50. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 मई, 2002 को 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'गवर्नमेन्ट प्रपोज टू अमेंड ई पी एफ एक्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है और इसमें कर्मचारियों को क्या-क्या लाभ दिए जाएंगे?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह समाचार छूट प्राप्त न्यासों से संबंधित है। कर्मकारों के हितों की रक्षा करने के लिए छूट प्राप्त न्यासों से संबंधित स्कीम में विभिन्न परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया है। इस अवस्था में संशोधन किए जाने के संबंध में कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

[हिन्दी]

पंचेश्वर और कोसी बांध

51. **श्री रामचन्द्र पासवान** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचेश्वर और कोसी बांधों के बारे में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंभीर मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) मतभेदों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) पंचेश्वर तथा कोसी बांध पर भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच मतभेद नहीं हैं। तथापि, कुछ ऐसे तकनीकी विषयों, जिनका पंचेश्वर बांध की विस्तृत रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए समाधान करने की आवश्यकता होगी, पर लगातार विचार-विमर्श चल रहा है।

खरीफ उत्पादन का लक्ष्य

52. **श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान खरीफ उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने किसानों को प्रतिवर्ष कुल कितना अनुदान प्रदान किया है;

(घ) उपरोक्त अनुदान से किसानों को कितना लाभ मिला है; और

(ङ) वर्ष 2002-2003 के दौरान किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रत्येक राज्य हेतु कितना धन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) वर्ष 2002-03 के दौरान खरीफ उत्पादन के लिये लक्ष्य का ब्यौरा निम्नलिखित है :

फसल	(मिलियन मी. टन)
1	2
चावल	78.64
मोटे अनाज	
ज्वार	5.60
बाजरा	6.68
रागी	2.42
छोटे कदन्न	0.65

1	2
मक्का	10.50
कुल मोटे अनाज	25.85
दालें	6.20
तिलहन	15.90

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्यों को निर्मुक्त की गई धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित स्कीमों का लाभ किसानों को प्रत्यक्ष, दोनों रूपों में मिलता है। किसानों को मिलने वाले लाभ प्रमाणित बीज, उर्वरक, राजसहायता प्राप्त दर पर कृषि उपकरण कीटनाशक, समेकित कीट प्रबन्ध, ऋण, प्रौद्योगिकी अन्तरण, प्रशिक्षण व मण्डी सहायता फसल बीमा के माध्यम से सुरक्षा तन्त्र, जल प्रबन्ध, आदि जैसे विभिन्न आदानों के लिये सहायता के रूप में होते हैं।

(ङ) कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा जहां कहीं भी सम्भव है, प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत वर्ष 2002–03 के दौरान किये गये राज्यवार आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्यों को निर्मुक्त धनराशियों का ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6175.51	3914.84	4235.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	475.05	761.31	1216.81
3.	असम	386.91	1099.27	1798.80
4.	बिहार	240.70	419.59	185.15
5.	छत्तीसगढ़	0.00	963.00	1610.05
6.	गोवा	202.06	49.12	215.00
7.	गुजरात	4789.31	4713.47	3108.33
8.	हरियाणा	1648.80	1833.74	1934.50
9.	हिमाचल प्रदेश	1116.09	1338.17	1896.97
10.	जम्मू और कश्मीर	1060.35	917.87	916.43
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	1175.49
12.	कर्नाटक	8159.30	7180.52	7039.95
13.	केरल	2571.59	3724.72	2698.61
14.	मध्य प्रदेश	7696.70	5506.69	6813.06
15.	महाराष्ट्र	8324.33	10633.31	10598.78
16.	मणिपुर	984.03	935.68	938.27
17.	मेघालय	598.02	724.74	17840.59
18.	मिजोरम	894.94	1088.99	951.50
19.	नागालैण्ड	1223.07	1489.72	1704.73
20.	उड़ीसा	4594.78	1680.81	2073.05
21.	पंजाब	1206.84	849.49	1063.00
22.	राजस्थान	8470.36	8133.23	6763.15
23.	सिक्किम	541.89	825.29	1292.44
24.	तमिलनाडु	5513.83	5665.59	5416.38
25.	त्रिपुरा	951.07	817.25	1609.1
26.	उत्तर प्रदेश	7603.00	7068.83	7938.75
27.	उत्तरांचल	0.00	882.83	1515.35
28.	पश्चिम बंगाल	1534.60	1537.09	2913.80
कुल :		76963.131	74754.33	83073.49

विवरण-II

वर्ष 2002–03 के दौरान प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत कोष का राज्यवार आयंटन

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वृहत प्रबंध	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	आयल पान विकास कार्यक्रम	कपास प्रौद्योगिकी मिशन	पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन	फार्म पर जल प्रबन्ध	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	3800.00	50.00	420.00	12.05	210.00	174.00	0.00	0.00	4666.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	440.00	10.00	21.00	11.15	0.00	0.00	1735.00	173.00	2390.15
3.	असम	700.00	12.00	57.00	8.20	2.00	0.00	1400.00	897.00	3076.20
4.	बिहार	2500.00	30.00	15.00	0.95	0.00	0.00	0.00	4140.00	6685.95
5.	छत्तीसगढ़	1400.00	.30.00	40.00	14.91	0.00	0.00	0.00	537.00	3021.91
6.	गोवा	200.00	1.00	3.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	209.00
7.	गुजरात	3200.00	60.00	425.00	1.15	20.00	244.00	0.00	0.00	3950.15
8.	हरियाणा	1600.00	20.00	50.00	0.57	0.00	77.00	0.00	0.00	1747.57
9.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	5.00	10.00	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1647.27
10.	झारखण्ड	1200.00	5.00	10.00	11.72	0.00	0.00	0.00	1225.00	2451.72
11.	जम्मू व कश्मीर	1600.00	9.00	10.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.05
12.	कर्नाटक	5800.00	66.00	284.00	19.85	45.00	166.00	0.00	0.00	6380.85
13.	केरल	3000.00	3.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	3031.00
14.	मध्य प्रदेश	4500.00	132.00	500.00	10.40	0.00	170.00	0.00	0.00	5312.40
15.	महाराष्ट्र	8200.00	134.00	485.00	31.88	0.00	410.00	0.00	0.00	9260.88
16.	मणिपुर	600.00	20.00	36.00	3.09	0.00	0.00	1220.00	173.00	2052.09
17.	मेघालय	600.00	9.00	12.00	2.79	0.00	0.00	1470.00	0.00	2093.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	मिजोरम	800.00	9.00	24.00	7.96	0.00	0.00	1590.00	138.00	2568.96
19.	नागालैण्ड	1000.00	20.00	45.00	7.96	0.00	0.00	1575.00	0.00	2647.96
20.	उड़ीसा	2500.00	20.00	30.00	1.15	7.00	64.00	0.00	1380.00	4002.15
21.	पंजाब	1700.00	5.00	5.00	1.05	0.00	50.00	0.00	0.00	1761.05
22.	राजस्थान	6700.00	162.00	500.00	8.18	0.00	163.00	0.00	0.00	7533.18
23.	सिक्किम	500.00	5.00	25.00	8.01	0.00	0.00	1420.00	0.00	1958.01
24.	तमिलनाडु	4200.00	63.00	300.00	10.75	50.00	138.00	0.00	0.00	4761.75
25.	त्रिपुरा	800.00	20.00	30.00	3.84	3.00	13.00	1365.25	0.00	2235.09
26.	उत्तर प्रदेश	6885.00	30.00	50.00	29.77	0.00	16.00	0.00	1917.00	8927.77
27.	उत्तरांचल	1400.00	9.00	15.00	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1434.65
28.	पश्चिम बंगाल	2400.00	9.00	80.00	10.65	0.00	15.00	0.00	920.00	3434.65
	कुल	69825.00	948.00	3500.00	262.00	352.00	1700.00	11775.25	11500.00	99862.25

[अनुवाद]

मछली की प्रजातियों का विलुप्त होना

53. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछलियों की कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने विलुप्त होने के कगार पर पहुंची मछली की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) मछली की कोई भी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर नहीं है। तथापि समुद्री घोड़े, जियान्ट ग्रुपर और इलास्मोब्रांच की कुछ प्रजातियां जिनमें शार्क, रेज और स्केट्स भी शामिल हैं, के संकटापन्न होने की सूचना मिली है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मछली की संकटापन्न प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची–I में शामिल किया गया है और इसके फलस्वरूप इन्हें सुरक्षा का उच्चतम दर्जा दिया गया है। ऐसी प्रजातियों के शिकार और इनके हिस्सों और उत्पादों के व्यापार पर प्रतिबंध है।

विवरण

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल प्रजातियों की सूची

1. रिहकोडोन टाइपस
2. एनोक्सिप्रिस्टिस कसपिडाटा
3. कारचरहिनस हेमियोडान
4. ग्लाइफिस गेंजटिक्स
5. ग्लाइफिस ग्लाइफिस

6. हिमान्तुरा फ्लुक्योटिलिस

7. प्रिसटिस माइक्रोडान

8. प्रिस्टिम जिजर्सरोन

9. रहाईकोबेटस एस्परिमस

10. यूरेजाइमस एसपरिमस

11. ऑल सिगनाथिडियन्स

12. जियान्ट ग्रुपर

[हिन्दी]

जल आपूर्ति सेवाओं का निजीकरण

54. श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री पी. आर. खूंटे :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में जल आपूर्ति सेवाओं को निजी क्षेत्र को सौंपने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रर्ती) : (क) और (ख) जल राज्य का विषय होने के कारण, ऐसी स्कीमों की आयोजना, तैयारी, कार्यान्वयन एवं वित्त पोषण, राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से तथा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। जल आपूर्ति का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने का अधिकार भी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का अतिक्रमण

55. श्री रामरती बिन्द : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 और दिल्ली से जयपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थान–वार कितने पेट्रोल पम्प हैं;

(ख) पेट्रोल पम्प मालिकों ने कितने स्थानों पर अतिक्रमण किया है;

(ग) अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) समस्त अतिक्रमण कब तक हटा दिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन

56. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केंद्रीय व्यवसाय संघों का पंजीकरण बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार केंद्रीय व्यवसाय संघों का पंजीकरण पुनः शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) व्यवसाय संघ (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का 31) के द्वारा व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में कतिपय संशोधन किए गए हैं। दिनांक 9.1.2002 की अधिसूचना के तहत इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित कर दिया गया है। मुख्य संशोधन उक्त अधिनियम की धारा 4, 6 9क, 11 तथा 22 के अंतर्गत किए गए थे। जो निम्नवत हैं :

(i) कर्मकारों के किसी भी व्यवसास संघ को तब

तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस प्रतिष्ठान अथवा उद्योग, जिससे उक्त संघ संबद्ध है, में लगे अथवा नियोजित कामगारों के कम से कम 10 प्रतिशत अथवा 100, जो भी कम हो, पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तारीख को ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य न हों। किसी भी मामले में 7 सदस्यों की न्यूनतम संख्या के बिना किसी भी संघ को पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

(ii) कामगारों के पंजीकृत व्यवसाय संघ में उस प्रतिष्ठान अथवा उद्योग, जिससे उक्त संघ संबद्ध है, में इसके सदस्यों के रूप में लगे अथवा नियोजित न्यूनतम 7 व्यक्तियों के अध्यधीन किसी भी समय कामगारों के 10 प्रतिशत अथवा 100, जो भी कम हो, से कम सदस्य नहीं होने चाहिए।

(iii) गैर–पंजीकरण/पंजीकरण पुनः शुरू किए जाने के मामले में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने संबंधी एक उपबंध का प्रावधान किया गया है।

(iv) पंजीकृत व्यवसाय संघ के सभी पदाधिकारी, पदाधिकारियों की कुल संख्या के 1/3 से अनधिक अथवा 5, जी भी कम हो, के अलावा वे व्यक्ति होंगे जो उस प्रतिष्ठान अथवा उद्योग में वास्तव में नियोजित हों जिससे उक्त व्यवसाय संघ संबद्ध है।

(v) व्यवसाय संघ के सदस्यों के अंशदान की न्यूनतम दर को ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मकारों के लिए संशोधित करके एक रुपए प्रतिवर्ष, अन्य संगठित क्षेत्रों के कर्मकारों के लिए तीन रुपए प्रतिवर्ष तथा अन्य सभी मामलों में 12 रुपए प्रतिवर्ष किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क नेटवर्क की स्थिति

57. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क नेटवर्क की राज्य–वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक इस पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इस परियोजना पर 31.5.2002 तक 5180 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

(ग) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को दिसम्बर, 2003 तक काफी हद तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	लंबाई (किमी)	उन्नयन करके 4/6 लेन का बनाना (लम्बाई किमी)	
			पूरा कर लिया गया	प्रगति पर
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1014	43	971
2.	बिहार	206	0	206
3.	दिल्ली	25	25	–
4.	गुजरात	485	167	318
5.	हरियाणा	152	152	–

1	2	3	4	5
6.	झारखंड	192	43	149
7.	कर्नाटक	623	98	525
8.	महाराष्ट्र	488	153	335
9.	उड़ीसा	440	28	412
10.	राजस्थान	725	172	553
11.	तमिलनाडु	342	0	342
12.	उत्तर प्रदेश	753*	113	556
13.	पश्चिम बंगाल	401	80	321
	जोड़	5,846	1,074	4,688

*84 किमी लंबे इलाहाबाद बाइपास के लिए ठेके अभी सौंपे जाने हैं।

[हिन्दी]

आई. ए. आर. आई. की लम्बित परियोजनाएं

58. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.ए.आर.आई. ने वर्ष 1995–2001 के दौरान 402 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी परियोजनाएं पूरी कर ली गईं, कितनी अधूरी पड़ी हुई हैं और कितनी परियोजनाएं अभी शुरू की जानी हैं;

(ग) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) अत्यधिक विलंब के कारण परियोजना लागत में कितनी वृद्धि हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। तथापि, वर्तमान में 402 इन हाउस परियोजनाएं है, जो वर्ष 1995 से 2001 के दौरान भी क्रियान्वित की जा रही थी। इनमें से 210 परियोजनाएं अप्रैल, 1994 से आरम्भ हुई थीं और 192 नई परियोजनाएं अप्रैल, 1992 के पश्चात जोड़ी गई थीं और ये परियोजनाएं चल रही हैं।

(ख) वर्ष 1994 में आरम्भ की गई 210 परियोजनाओं में से 180 परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं और उनकी अंतिम रिपोर्ट (आर.पी.एफ.III) प्राप्त हो चुकी है। अन्य 23 परियोजनाएं या तो आरम्भ ही नहीं हुई थीं अथवा बीच में ही छोड़ दी गई थीं।

(ग) कुछ मामलों में परियोजनाओं को पूरा होने में 5 वर्ष से भी अधिक की अवधि लगी ताकि नए अनुसंधान कार्यों को पूरा किया जा सके और कुछ मामलों में रुचिकर अनुसंधान निष्कर्षों की पुष्टि आगामी कुछ वर्षों में की जाना थी।

(घ) कुछ परियोजनाओं की बढ़ी हुई अवधि से लागत में वृद्धि नहीं हुई। निगरानी संबंधी पुष्टि होने से ऐसे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय में कमी आई।

[अनुवाद]

रावी-व्यास नदी का बंटवारा

59. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को 1981 के रावी–व्यास सामझौते के खंड एक और दो की व्याख्या और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी–व्यास जल बंटवारे हेतु बनाए गए फामूले को अंतिम रूप न दिए जाने के लिए राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस लम्बे समय से बकाया इस मामले पर विचार करने और इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने के लिए मुख्य मंत्रियों की एक और बैठक बुलाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भाखड़ा व्यास प्रबंधन वोर्ड की बैठकों में राजस्थान के 8.6 एम ए एफ कुल अंश के 0.6 एम ए एफ का पुनरुद्धार करने जैसे प्रस्ताव का न तो कोई समाधान किया जा सका और न ही जुलाई/अगस्त, 1992 के दौरान बुलाई गई पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की बैठकों में 0.6 एम ए एफ को पुनः प्रदान करने सहित जल से संबंधित विभिन्न मुद्दों को शामिल करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा तैयार समझौते, मसौदे पर मुख्य मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसलिए सरकार मुख्य मंत्रियों की दूसरी बैठक बुलाने का अपना प्रयास जारी रखे हुए है क्योंकि भाखड़ा व्यास प्रबंधन दिसम्बर, 1982 में हुई अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार तदर्थ अंतरित व्यवस्था के अनुरूप रावी-व्यास जल का वितरण कर रहा है।

कीटनाशकों के प्रभाव से किसानों की मौत

60. **श्री पी. आर. किन्डिया :**
श्रीमती मिनाती सेन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अप्रैल, 2002 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में "500 फार्मर्स डाई ऑफ पेस्टिसाइड एक्सपोजर इन आंध्र प्रदेश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जहरीले कीटनाशकों को काम में लाने में किसानों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिक मात्रा में बार-बार उपयोग और उच्च तापमान पर कृमिनाशियों के छिड़काव के अनुचित तरीकों के कारण अस्पताल में भर्ती होने की कुछ घटनाएं हुई थीं। ये घटनाएं कृमिनाशियों के अत्यधिक फैलाव खासकर किसानों/कृषि मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपायों की अनदेखी तथा छिड़काव दिन में गर्म अवधियों के दौरान करने के कारण घटित हुई हैं।

(ङ) कृमिनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन गठित पंजीकरण समिति सभी कीटनाशियों के लेबल और पर्ची का अनुमोदन करती है, जिसमें उपयोग के निर्देश भी शामिल होते हैं। अगर कृमिनाशियों का उपयोग वर्णित निर्देशों के अनुसार किया जाता है तो वे मानव जीवन, पशुओं और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके अलावा रासायनिक कृमिनाशियों की खपत को कम करने के लिए सरकार समेकित कृमि प्रबंध (आई.पी.एम.) को बढ़ावा दे रही है। किसानों को कृषक खेत स्कूलों के आयोजन द्वारा कृमिनाशियों के सुरक्षित और न्यायोचित उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। कृमिनाशी विषाक्तीकरण मामलों के नैदानिक और प्रभावकारी प्रबंध पर चिकित्सकों को भी प्रदान किया जाता है।

जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में अत्यधिक चौकसी

61. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के आरक्षित वन क्षेत्र में विस्फोटक पाए जाने के बाद से वहां अत्यधिक चौकसी की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो वहां कितने विस्फोटक पाए गए थे;

(ग) क्या दोषियों को पकड़ने के लिए कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। कार्बेट बाघ रिजर्व की दक्षिणी चारदीवारी के पास रिजर्व वन (बफर क्षेत्र) में 14.6.2002 को 17 अदद क्रूड विस्फोटक गोले मिले थे। इन गोलों का सामान्यतया जंगली सुअर जैसे छोटे स्तनपायी आदि को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। बाघ रिजर्व में गश्त बढ़ाने के लिए पुलिस की सहायता मांगी गई है।

लुप्तप्राय पक्षियों का अवैध व्यापार

62. श्रीमती प्रेनीत कौर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कानूनों और नियमों के बावजूद भारत में पक्षी पकड़ने वाले अभी भी लुप्तप्राय और दुर्लभ पक्षियों का व्यापार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) पक्षियों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का व्यापार निषिद्ध है। तथापि पक्षियों के अवैध व्यापार की कुछ घटनाओं का समय–समय पर पता लगाया जाता है और उनका निवारण वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार होता है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) राज्य स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए राज्यों में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समन्वय समितियां गठित की गई हैं।

(ii) राज्य वन्यजीव विंग के अधिकारियों द्वारा पक्षियों के व्यापारियों के स्टॉफ की नियमित जांच की जाती है।

(2) राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(ii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

(iii) निर्यात–आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(3) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करती है।

चावल अनुसंधान कार्यक्रम के लिए धन की कमी

63. श्री सुरेश कुरुप : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन की कमी का देश में चावल अनुसंधान कार्यक्रम पर असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन मुख्य अनुसंधानों पर इसका असर पड़ा है; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। धनराशि की कमी से देश में चावल अनुसंधान कार्यक्रम प्रभावित नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कपास उत्पादकों की दुर्दशा

64. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार प्रति वर्ष कितने क्षेत्र में कपास का उत्पादन किया गया और इस संबंध में दर्ज की गई उत्पादकता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कपास के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितनी कपास की खरीद की गई और किस मूल्य पर यह खरीद की गई तथा किस एजेंसी से यह खरीद की गई;

(घ) क्या सरकारी एजेंसियों द्वारा कपास की समय से और सीधी खरीद न किए जाने के कारण उड़ीसा के कालाहांडी, नौपाडा और बोलंगीर जिलों के कपास उत्पादकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो भविष्य में इस खरीद के लिए क्या उपचारात्मक उपायों की योजना बनाई जा रही है;

(च) गत पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कपास उत्पादकों द्वारा की गई आत्महत्या के मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) किसानों को कर्ज में डूबने से बचाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) गत 5 वर्षों यथा 1996–97 से 2000–01 के दौरान कपास के क्षेत्र और उत्पादकता के राज्यवार अनुमान संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1996–97 से 2001–02 के लिए कपास की मूल किस्मों जैसे एफ–414/एच–777/जे–34 और एच–4 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय कपास निगम भारत सरकार की एकमात्र ऐसी एजेन्सी है जो कपास के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से नीचे गिरने पर मूल्य समर्थन कार्य करती है। वर्ष 1996–97 से 2001–02 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी प्रचालनों के अन्तर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी प्रचालनों के अन्तर्गत वर्ष 2001–02 के दौरान उड़ीसा में भारतीय कपास निगम द्वारा की गई कपास की केन्द्रवार/जिलावार अधिप्राप्ति निम्नानुसार है :

(कपास क्विंटल में)

केन्द्र/जिला	न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत अधिप्राप्ति
रायगाडा	46599
केसिंगा	41142
उमरकोट	6612
योग	94353

चूंकि प्रसंस्करण सुविधाएं तीन स्थानों यथा रायगाडा, केसिंगा और उमरकोट तक सीमित हैं, भारतीय कपास निगम ने राज्य में इन तीन स्थानों पर अधिप्राप्ति केन्द्र खोले हैं। तथापि, राज्य के सभी जिलों में उत्पादित कपास विपणन हेतु उपरोक्त तीन केन्द्रों पर लाई जाती है।

भारतीय कपास निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उड़ीसा में किसानों को अपना कपास भारतीय कपास निगम को बेचने में कोई कठिनाई नहीं हुई।

(च) इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(छ) सरकार ने कपास उत्पादकों सहित कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। वर्ष 2002–03 के लिए वित्त मंत्री के बजट सम्भाषण के अनुसार, संस्थागत चैनलों के माध्यम से कृषि क्षेत्र का कुल ऋण वर्ष 2002–01 में 64,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2002–03 में 75,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। कृषि ऋण के संवितरण में भी आगे और सुधार किया जा रहा है। 31.3.2002 की स्थिति अनुसार सहकारी समितियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल 2.32 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं जिसमें 5093 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि सम्मिलित थी। इन उपायों से कपास उत्पादकों सहित किसानों की ऋण संबंधी स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है।

विवरण-I

प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में वर्ष 1996–97 से 2000–01 के दौरान कपास का क्षेत्र और उत्पादकता

क्षेत्र : 000 हैक्टेयर में

उत्पादकता : कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर

राज्य	क्षेत्र					उत्पादकता				
	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	1015.2	906.1	1280.9	1039.0	1022.0	315	248	202	261	277
गुजरात	1484.1	1519.0	1658.5	1539.3	1615.3	304	356	400	230	122
हरियाणा	652	638.0	582.0	544.0	555.0	393	301	255	408	424
कर्नाटक	668.1	499.0	636.5	545.7	560.0	237	246	261	207	298
केरल	12.3	11.7	14.6	4.8	4.8	279	291	281	273	290
मध्य प्रदेश	519.5	515.3	497.2	487.7	505.8	139	168	147	145	80
महाराष्ट्र	3084.7	3139.2	3199.1	3254.0	3076.9	173	95	139	162	100
मेघालय	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	123	127	127	126	179
उड़ीसा	15.7	22.0	29.0	38.1	40.4	327	278	311	272	275
पंजाब	742	724.0	562.0	476.0	474.0	441	220	180	340	430
राजस्थान	654.2	644.7	644.6	583.2	510.1	354	229	230	287	268
तमिलनाडु	252.2	227.8	218.6	178.3	193.9	222	267	316	324	285
उत्तर प्रदेश	7.8	9.0	7.5	7.0	5.7	159	157	18	146	146
अखिल भारत	9120.5	8868.4	9342.4	8709.7	8576.5	265	208	224	225	191

विवरण-II

1996–97 से 2001–02 के दौरान कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

वर्ष	किस्म	
	एफ–414/एच–777/जे–34	एच–4
1	2	3
1996–97	1180	1380
1997–98	1330	1530
1998–99	1440	1650
1999–2000	1575	1775
2000–01	1625	1825
2001–02	1675	1875

विवरण-III

वर्ष 1996–97 से 2001–02 (अक्टूबर से सितम्बर) के दौरान भारतीय कपास निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी प्रचालनों के अन्तर्गत कपास की राज्य–वार खरीद

('000 प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की हजार गांठें)

राज्य	1996-1997	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002*
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	453
गुजरात	–	–	–	–	–	222
हरियाणा	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	–	–	–	–	–	100
मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	62
पंजाब	–	–	–	–	–	–
राजस्थान	11	–	–	8	–	44
तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–
उड़ीसा	–	–	–	–	–	18
अन्य	–	–	–	–	–	–
कुल	11	–	–	8	–	899

*11.7.2002 की स्थिति

– शून्य/नगण्य

[हिन्दी]

अम्ल आधारित उद्योगों में बाल श्रमिक

65. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रमिकों को उस काम में भी लगाया जा रहा है जहां देश के विभिन्न भागों, विशेषकर मध्य प्रदेश और दिल्ली में, अम्ल का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अम्ल के संपर्क में आने से होने वाले चर्मरोगों के बारे में सरकार द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन

66. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000–2001 और चालू वर्ष के दौरान आज तक उत्तर प्रदेश में कितना दुग्ध उत्पादन हुआ;

(ख) क्या राज्य में दुग्ध और डेयरी उत्पादों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) 2000–01 और अब तक के दौरान उत्तर प्रदेश में (उत्तरांचल को छोड़कर) उत्पादित दूध की मात्रा इस प्रकार है :

वर्ष	दूध उत्पादन (000 टन)
2000–2001	13858
2001–2002*	15487
2002–2003* (अप्रैल–जून)	3753

*अनन्तिम

(ख) और (ग) जी, हां।

नवीनतम उपलब्ध अनुमान के अनुसार दूध समूह (चालू मूल्यों पर) से उत्पादन की कीमत में 1997–98 के दौरान 11801.2 करोड़ रुपए से बढ़करण 1999–2000 में 15757.4 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

दिल्ली के चिड़ियाघर में आधारभूत सुविधाओं का अभाव

67. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के चिड़ियाघर परिसर में घूमने के लिए परिवहन जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है जिन्हें कई बार उजागर किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर्यटक प्रकृति के साथ सम्मिलन कर सकते हैं, चिड़ियाघर के इर्द–गिर्द पैदल घूमना इस प्रक्रिया को सुगम बनाता है। उद्यान का चक्कर लगाने के लिए बच्चों और अपाहिज लोगों की सुविधा के लिए बैटरी से चलने वाली ट्रालियां उपलब्ध हैं। पेयजल की आपूर्ति के लिए पानी के कई नल लगाए गए हैं। चार स्थानों पर वाटर कूलर भी रखे गए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय चिड़ियाघर के भीतर खाने की दुकानों और कैफेटेरिया को प्रोत्साहित नहीं करता क्योंकि भूतकाल में पोथीलीन में रखे आधे खाए हुए खाने के उपभोग से जानवरों की मृत्यु हो चुकी है। तथापि, चिड़ियाघर के भीतर एक कैफेटेरिया की अनुमति दी गई है। चिड़ियाघर की कैन्टीन के अलावा चिड़ियाघर के गेट के बाहर कोल्ड ड्रिंक्स और चाय की कई दुकानें हैं। पर्यटकों को घुमाने के लिए प्रशिक्षित गाइड उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

पेंच टाइगर प्रोजेक्ट

68. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पेंच अभ्यारण्य और पेंच टाइगर प्रोजेक्ट पर होने वाले वार्षिक व्यय (राज्य और केन्द्र सरकार के मद से) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पेंच टाइगर प्रोजेक्ट सीमित अवधि की परियोजना है और इसका पूरी तरह से वित्त पोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पेंच अभ्यारण्य में बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या बाढ़ के न होने से मछली और जंगली जानवरों की तस्करी जोरों पर है;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार को मछली और जंगली जानवरों की विशेषकर शेर की खालों की तस्करी में अभ्यारण्य कर्मचारियों की मिलीभगत के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) पेंच अभ्यारण्य और पेंच बाघ रिजर्व के लिए वर्ष 2001–02 का स्थापना व्यय ब्यौरा क्रमश 18.56 लाख रुपये और 67.60 लाख रुपये हैं।

(ख) और (ग) बाघ परियोजना भारत सरकार की चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। राज्य सरकारों को बाघ रिजर्वों के बचाव और विकास कार्यों को करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। अनावर्ती मदों के लिए 100 प्रतिशत निधि और कार्य की आवर्ती मदों के लिए 50 प्रतिशत निधि उपलब्ध करवाई जाती है।

(घ) और (ङ) जनेटिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में सामान्यता बाड़ नहीं लगाई जाती है।

(च) पेंच बाघ रिजर्व में प्रभावी पैट्रोलिंग और बचाव उपायों से मछली के अवैध शिकार में पर्याप्त कमी हुई है। इसके अलावा मछुआरों के कुल 72.00 लाख रुपए के मुआवजे का भुगतान किया गया है।

(छ) और (ज) राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि मछली और वन्यजीवों की तस्करी में अभ्यारण्य के कर्मचारियों की मिलीभगत की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा पेंच बाघ रिजर्व में कोई शेर नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण

69. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से केंद्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने पुल बनाए गए;

(ग) 30 जून, 2002 तक केंद्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु राज्यवार कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं;

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या अधिकांश पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) सभी लंबित प्रस्तावों पर तकनीकी विशेषता और वर्ष 2002–2003 के दौरान निधियों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ङ) से (छ) भूमि अधिग्रहण में विलंब, स्थल स्थितियों के कारण डिजाइन में परिवर्तन, नींव में समस्याओं तथा ठेके संबंधी समस्याओं आदि के कारण कुछ पुलों पर निर्माण कार्य में विलंब हुआ है। कार्यों में शीघ्रता लाने के लिए कार्यों की तिमाही समीक्षा, विस्तृत परियोजना तैयारी तथा गहन उप–मृदा जांच की जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित किए गए पुलों की संख्या	30.6.2002 तक लंबित प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11	18	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	2	1	1
4.	बिहार	13	3	8
5.	चंडीगढ़	1	–	1

1	2	3	4	5
6.	छत्तीसगढ़	12	5	3
7.	दिल्ली	–	–	–
8.	गोवा	–	3	–
9.	गुजरात	2	10	1
10.	हरियाणा	2	1	1
11.	हिमाचल प्रदेश	16	–	1
12.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–
13.	झारखंड	7	3	1
14.	कर्नाटक	6	2	3
15.	केरल	7	2	–
16.	मध्य प्रदेश	12	2	–
17.	महाराष्ट्र	16	30	3
18.	मणिपुर	–	–	1
19.	मेघालय	9	4	1
20.	मिजोरम	1	–	2
21.	नागालैण्ड	–	–	–
22.	उड़ीसा	6	7	1
23.	पांडिचेरी	–	–	–
24.	पंजाब	7	–	2
25.	राजस्थान	20	15	2
26.	सिक्किम	–	–	–
27.	तमिलनाडु	16	14	–
28.	त्रिपुरा	–	–	–
29.	उत्तर प्रदेश	5	–	–
30.	उत्तरांचल	11	–	–
31.	पश्चिम बंगाल	7	2	4

आदर्श ईएसआई अस्पताल की स्थापना

70. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास प्रत्येक राज्य में एक आदर्श ईएसआई अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रथम चरण में कौन–कौन से राज्यों का चयन किया गया है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सैद्धान्तिक रूप से प्रत्येक राज्य में एक मॉडल अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने मौजूदा क.रा.बी. अस्पतालों को मॉडल अस्पताल में परिवर्तित करने पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति दे दी है।

परिसंपत्तियों, कर्मचारियों आदि के स्थानांतरण आदि से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के बाद इन अस्पतालों को चरणबद्ध रूप में अधिग्रहित किया जाएगा।

विवरण

मॉडल अस्पताल में परिवर्तित किए जाने हेतु प्रस्तावित मौजूदा क.रा.बी. अस्पताल

क्र.सं.	राज्य	क.रा.बी.नि. द्वारा प्रस्तावित अस्पताल	
1	2	3	
1.	आंध्र प्रदेश	नाचरम	200 बिस्तर
2.	असम	बेलटोला	50 बिस्तर
3.	झारखंड	रांची	50 बिस्तर

1	2	3
4. गोवा	मार्गाओ	50 बिस्तर
5. गुजरात	बापूनगर	600 बिस्तर
6. हरियाणा	गुड़गांव	100 बिस्तर (नया निर्माण)
7. हिमाचल प्रदेश	परवानू	50 बिस्तर
8. कर्नाटक	इंदिरा नगर	300 बिस्तर
9. केरल	उद्योग मंडल	155 बिस्तर
10. उड़ीसा	राऊरकेला	50 बिस्तर
11. पांडिचेरी	पांडिचेरी	50 बिस्तर
12. पंजाब	जालंधर	100 बिस्तर + 90 बिस्तर (न्यू ब्लॉक)
13. राजस्थान	जयपुर	236 बिस्तर
14. उत्तर प्रदेश	साहिबाबाद	100 बिस्तर
15. बिहार	फुलवारी शरीफ	50 बिस्तर
16. चंडीगढ़		50 बिस्तर

टिप्पणी : तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश, जहां क.रा.बी.नि. पहले ही से सीधे अस्पताल–सह–ओ.डी.सी. चला रहा है, राज्यों में इन्हें ही राज्य सरकारों के परामर्श से मॉडल अस्पतालों के रूप में उन्नत किया जाएगा।

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अनुमति

71. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भाविष्य निधि संगठन ने केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिपूर्तियों में अपना निवेश करने के लिए अनुभति दिए जाने हेतु सरकार से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र में निवेश की तुलना में इस निवेश पर आय कम है; और

(घ) यदि हां, तो इस आय का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यकरण पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ता है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास रखी निधि का निवेश सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है और यह निवेश केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किया जा रहा है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के निर्णय के अनुसार कर्मकारों की परिश्रम से बचाई गई राशि की सुरक्षा के पहलू को देखते हुए ये निवेश निजी क्षेत्र के बंधपत्रों/प्रतिभूतियों में नहीं किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

नदी जलमार्ग

72. **श्री मोहन रावले** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लंदन की थेम्स और मिस्र की नील नदियों पर विकसित जल परिभ्रमण के समान गंगा नदी पर भी जल परिभ्रमण विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने गंगा नदी पर वाराणसी तथा चुनार के बीच नदी जल परिभ्रमण प्रारंभ करने के लिए मेसर्स वोमसी के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नदी जल परिभ्रमण हेतु सरकार द्वारा सीधी कार्रवाई नहीं की जाती है। सरकार एक सुविधाकारक एवं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 और 13

73. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या शोलापुर जिले से होकर तथा उसके पास से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 और 13 को मजबूत

बनाने, उसका उन्नयन करने, चौड़ा करने और उसे चार लेनों वाले मार्ग बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या इनमें से किसी एक सेक्टर को बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) सिस्टम के अंतर्गत विकसित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) चार लेन बनाने के कार्य से भिन्न अन्य सुधार कार्यों को यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है।

(ख) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 की लंबाई 340 किमी. है। 227 किमी में सुधार कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। चालू वार्षिक योजना 2002–2003 के अंतर्गत रा.रा. 9 पर निम्नलिखित सुधार कार्य शुरू किए जाने का प्रस्ताव है—

खंड	अनुमानित लागत (लाख रु.)
115/0 से 118/0 किमी. और 138/0 से 144/400 किमी. (लंबाई = 9.4 किमी.)	173.72
144/400 से 155/0 किमी. (लंबाई = 10.6 किमी.)	184.35
278/0 से 288/0 किमी. (लंबाई = 10.0 किमी.)	168.80
322/0 से 327/0 किमी. और 339/0 से 348/720 किमी. (लंबाई = 14.72 किमी.)	257.51

महाराष्ट्र में रा.रा. 13 की लंबाई लगभग 30 किमी. है और इसे सुधार दिया गया हैं।

(ग) और (घ) बी.ओ.टी. आधार पर शुरू किए जाने के लिए निम्नलिखित तीन प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(i) रा.रा. 9 को 14/0 से 40/0 किमी. तक चार लेन का बनाना।

(ii) रा.रा. 9 को 209/580 से 241/0 किमी. तक और शोलापुर बाइपास को (0/0 से 4/580) चार लेन का बनाना।

(iii) रा.रा. 13 को 2/400 से 13/800 किमी. तक चार लेन का बनाना।

समुद्र तट और वाटिका संबंधी पर्यटन

74. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न देशों में स्थित अपने पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से विदेशों में "समुद्रतट" और "वाटिका" पर्यटन को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए पर्चे छपवाकर उन्हें वितरित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) विदेशी मार्केटों में समुद्रतटों और वाटिकाओं सहित भारत के विभिन्न पर्यटन उत्पादों का संवर्धन करना एक सतत क्रियाकलाप है। यह कार्य, प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देकर, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेकर, बाजार भंडार संवर्धन, कार्यशालाएं और सेमीनार, इंटरनेट विज्ञापन, सूचना के आयाम, ब्रोशर सहायता, व्यापक प्रचार आदि के माध्यम से भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

पेय पदार्थों के उत्पादन और उनके विपणन के लिए लाइसेंस

75. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में रेडी–टु–ड्रिंक चाय, कॉफी–दूध और जूस के उत्पादन और उनके विपणन के लिए कोका–कोला (भारत) या कोक को अनुमति/लाइसेंस दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लाइसेंस मुक्त हैं और उन्हें औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय फल उत्पाद आदेश, 1955 को कार्यान्वित करता है जो इस आदेश में उल्लिखित फल के रसों समेत फल उत्पादों के उत्पादन की परिस्थिति को विनियमित करता है। फल उत्पाद आदेश का संबंध चाय, कॉफी और दूध से नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने फल उत्पाद आदेश के तहत मैसर्स कोका–कोला (इंडिया) को विभिन्न लाइसेंस जारी किए हैं लेकिन भारत में फल–रसों के उत्पादन या बिक्री हेतु कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

अमरीका और ब्रिटेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

76. **श्री अम्बरीश** :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन–कौन से अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों से ब्रिटेन और अमरीका के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों से भी सीधी उड़ानें संचालित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में चल रही बातचीत का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) यू.के. के लिए मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई से सीधी उड़ान उपलब्ध हैं। यू.एस.ए. के लिए उड़ान मुंबई तथा दिल्ली से प्रचालित की जाती है।

(ख) से (घ) यू.के. तथा यू.एस.ए. के लिए मुंबई से सीधी उड़ानों के अलावा, एअर इंडिया को इन देशों के लिए अहमदाबाद, बंगलौर, चैन्नई, कोच्चि, कोलकाता तथा तिरूवनंतपुरम से मुंबई होकर सुविधाजनक अनेक हवाई संपर्क प्राप्त हैं। यू.के. तथा यू.एस.ए. के लिए विभिन्न हवाई अड्डों से सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित करने के लिए विदेशी एयरलाइनों को अनुमति दिया जाना एक सतत प्रक्रिया है और जिसकी समय–समय पर समीक्षा की जाती है और जो यातायात मांग और इंडियन कैरियरों को दिए जा रहे पारस्परिक लाभों पर निर्भर करती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार के अवसर

77. **डा. नीतिश सेनगुप्ता** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा सृजित रोजगार के अवसरों का कोई वार्षिक अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोजगार के अवसर सृजित करने में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की उपलब्धियां संतोषजनक रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस उद्योग को वास्तव में रोजगारोन्मुख बनाने के लिए कौन–कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रोंमें हैं तथा रोजगार के उत्पन्न होने वाले अवसरों का वार्षिक अनुमान केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता। वैसे राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् के माध्यम से हाल ही में एक अध्ययन करवाया गया है। इस अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार वर्ष 2001–02 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कुल 69.85 लाख रोजगार का अनुमान

लगाया गया है। इसके अलावा, इस अध्ययन के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यदि सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है तो प्रत्यक्ष रोजगार में 2.61 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि होने का अनुमान है। इस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन प्रत्यक्ष रोजगार की तुलना में 3.64 गुणा होने का अनुमान लगाया गया है।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1997–98 की रिपोर्ट के अनुसार भारी उद्योग, सूती कपड़ा और कागज उत्पादों की तुलना में खाद्य और पेय क्षेत्र में रोजगार के सबसे अधिक अवसर उत्पन्न होते हैं।

कर्नाटक को वित्तीय सहायता

78. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में वर्ष 2005 तक 41 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार से 8,667 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य सरकार को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) वर्ष 2002–03 के दौरान सरकार ने इस राज्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की है; और

(घ) राज्य सरकार ने इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग कर लिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवती) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की इकाइयां

79. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री मानसिंह पटेल :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात और पश्चिमी बंगाल में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कितनी इकाइयां स्थापित की गई और उन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) ग्रामीण औद्योगीकरण में हुई प्रगति और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन राज्यों में ग्रामीण युवक–युवतियां को प्रदान किए गए रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और कौन–कौन सी सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान किए जाने का प्रावधान है और चालू वित्त वर्ष के दौरान इन राज्यों के लिए क्या–क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) चालू योजनाओं में किए जाने वाले परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और इन राज्यों में कौन–कौन से नए प्रस्ताव आरंभ किए जाएंगे?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या और गुजरात तथा पश्चिम बंगाल को प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार से है :

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या		रु.लाखों में			
	गुजरात	पश्चिम बंगाल	गुजरात		पश्चिम बंगाल	
			अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1998–99	20	1513	2823.52	72.47	5655.30	523.98
1999–00	169	6230	1598.81	19.38	332.14	14.92
2000–01	356	781	1167.46	19.71	225.30	101.81

(ख) और (ग) सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से गुजरात और पश्चिम बंगाल सहित देश भर में खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत केवीआईसी 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए 25% की दर से मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है और 10 लाख रु. से ऊपर तथा 25 लाख रु. तक की परियोजनाओं हेतु, मार्जिन मनी की दर 10 लाख रु. का 25% जमा परियोजना की शेष लागत का 10 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ. पि. वर्ग/महिलाएं/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी/संस्थान तथा पर्वतीय सीमावर्ती एवं आदिवासी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर प्रदेश, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप के मामले में मार्जिन मनी अनुदान 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत का 30% है, परन्तु इस राशि से अधिक और 25 लाख रु. तक यह 10 लाख रु. का 30% जमा परियोजना की शेष लागत का 10% है। इस योजना के अन्तर्गत, लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का कम से कम 10% है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के मामले में लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का 5% है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास और संवर्धन हेतु 14.5.2001 को घोषित एक पैकेज कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अन्तर्गत है। इस पैकेज में पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट का विकल्प और विपणन विकास सहायता (एमडीए), खादी कारीगरों को बीमा सुरक्षा, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग एवं डिज़ाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन संवर्धन के उपाय, ब्रांड बिल्डिंग, कलस्टर विकास आदि शामिल हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल में वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान परियोजानओं के वित्तपोषण हेतु ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित लक्ष्य क्रमशः 928 और 1044 हैं।

(घ) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान चालू योजनाओं में वर्तमान में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

चारा उत्पादन में वृद्धि

80. श्री शिवाजी माने :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और जम्मू–कश्मीर में चारा उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई केन्द्रीय योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन राज्यों में इस योजना की सफलता का कोई मूल्यांकन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकाला है; और

(ङ) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इन राज्यों में विशेषकर चारे की कमी वाले क्षेत्रों में चारा उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य कौन–कौन से उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार आहार और चारा विकास के लिए राज्यों में "केन्द्रीय चारा विकास संगठन" नामक एक योजना चला रही है। जम्मू और गांधी नगर (गुजरात) में स्थित क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र क्रमशः जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र राज्यों में आहार और चारा कार्यक्रमों की देखरेख करते हैं। ये केन्द्र नई तैयार की गई चारा किस्मों के उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के संवर्द्धन में लगे हुए हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम फील्ड दिवस/कृषक मेले भी आयोजित करते हैं और विश्वविद्यालयों/आईसीएआर संस्थानों द्वारा तैयार की गई नई किस्मों को अपनाकर चारा उत्पादन संबंधी नवीनतम जानकारी दर्शाकर किसानों के खेतों पर चारा प्रदर्शन आयोजित करते हैं। इसके अलावा, "चारा फसलों संबंधी केन्द्रीय मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम" भी है जिसके तहत राज्य सरकारों को चारा मिनीकिट प्रदान किए जाते हैं जिसकी आपूर्ति किसानों को खरीफ और रबी दोनों मौसम में निःशुल्क की जाती है।

(ग) और (घ) प्रगति की निगरानी भारत सरकार द्वारा निरन्तर की जाती है।

(ङ) "सामान्य सम्पत्ति संसाधनों का सुधार सहित आहार और चारा उत्पादन का संवर्द्धन" नामक कई केन्द्रीय प्रायोजित

योजना को सम्पूर्ण देश में कार्यान्वयन के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित किया गया है। योजना का ई एफ सी मीमो तैयार किया जा रहा है।

कृषि और संबद्ध ग्रामीण उद्योगों के लिए योजना

81. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.सी.ए.आर. और अन्य संस्थानों ने कृषि और संबद्ध ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कतिपय योजनाओं का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्यान्न उत्पादन में भारत अन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे है; और

(घ) यदि हां, तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारत की प्रतिस्पर्धा को सुधारने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय विभिन्न संस्थानों के जरिए मुख्यतः कृषि तथा बागवानी फसलों, मात्स्यिकी और पशु उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान तथा विकास कार्य में लगे हुए हैं। यह कार्य 96 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/परियोजना निदेशालयों/ब्यूरो, 77 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं, 34 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय तथा पांच समकक्ष विश्वविद्यालयों के जरिए किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं अन्य देशों की तुलना में भारत खाद्य उत्पादन में पाछे नहीं है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित एग्रिकल्चर रिसर्च डाटा बुक 2001 के अनुसार विभिन्न जिन्सों के उत्पादन में भारत का स्थान निम्न प्रकार है :

जिन्स	स्थान	के बाद स्थान
1	2	3
अनाज	तीसरा	चीन, अमेरिका
गेहूं	दूसरा	चीन
चावल	दूसरा	चीन
कुल दलहनें	पहला	

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में संकरों तथा अधिक उपज देने वाले पौधों एवं बीज तथा अन्य रोपण सामग्रियों की आनुवंशिक रूप से उन्नत किस्में, अधिक उत्पादन के लिए पशुओं तथा मात्स्यिकी की उन्नत नस्लों का विकास करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से परिशुद्ध खेती का विकास होगा जिससे उत्पादन और उत्पादकता में और वृद्धि होगी और साथ ही साथ कम लागत पर उत्पादन करते हुए कृषि उत्पाद की क्वालिटी भी अच्छी होगी।

विभिन्न फसलों/कृषि पारिस्थितिकियों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक क्षमता प्रौद्योगिकी के संबंध में विकास संबंधी अनुसंधान कार्यों में गति लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी का भी विकास किया जा रहा है तथा इसे और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कृषि में प्रयोग किया जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग का क्षेत्र

82. **श्री विकास चौधरी** : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल कितना क्षेत्र है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : संभवतः माननीय सदस्य का आशय इनमें से प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई से है। ब्यौरे इस प्रकार हैं :

राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई (कि.मी. में)
1	2
महाराष्ट्र	3626

1	2
उत्तर प्रदेश	4942
उत्तरांचल	1075
बिहार	3502
झारखंड	1413
उड़ीसा	3301
पश्चिम बंगाल	1951

होटल उद्योग के लिए अवसंरचना

83. **श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्तर की होटल सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्यटन और मेजबानी क्षेत्र में अवसंरचना तैयार करने के लिए होटल उद्योग द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत में होटलों के कम उपयोग का कारण केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय का अभाव है;

(ग) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए कौन–कौन से उपचारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा होटलों पर लगाये जा रहे विलासिता कर और बिक्री कर का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) होटल और आतिथ्य उद्योग निजी क्षेत्र का कार्यकलाप है। अगस्त, 1991 से अप्रैल, 2002 तक होटल और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए 48611.47 मिलियन के सीधे विदेशी निवेश को सरकार द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभिन्न राज्यों की सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत में विभिन्न राज्यों में होटल अतिथियों के लिए लागू कर

राज्य	विलासिता कर		विक्रय कर	
1	2		3	
आन्ध्र प्रदेश	कमरा दरें		खाना और मदिरा	8%
	300 रुपए से कम	शून्य		
	300 रुपए से ज्यादा	5%		
	प्रकाशित मूल्य पर			
असम	कमरा दरें		खाना	8.8%
	100 रुपए से 200 रुपए तक	10%	मदिरा	शून्य
	201 रुपए से 300 रुपए तक	15%		
	300 रुपए और उससे ऊपर	20%		
	प्रकाशित मूल्य दर			
	केवल कमरा दरों पर			

1	2		3	
बिहार	कमरा दरें		भोजन	8% +
	सभी होटल	7%		(कारोबार कर 1%)
	वास्तविक पर		कारोबार कर पर	1%
	कमरे पर		शीतल पेय, जूस और आईसक्रीम	
			मदिरा	25% + 2%
छत्तीसगढ़	कमरा दरें		भोजन और मिनरल वाटर	9.2%
	150 रुपए से 300 रुपए तक	5%	शीतल पेय	10%
	300 रुपए और इससे ऊपर	10%	बीयर, भारतीय शराब	शून्य
	वास्तविक पर		विदेशी शराब	शून्य
	केवल कमरा पर			
दिल्ली	कमरा दरें		भोजन, जूस	8%
	500 रुपए तक	शून्य	मिनरल वाटर, सिगार	
	500 रुपए से ऊपर	12.5%	संवर्धित भोजन	12%
	वास्तविक पर		शराब	20%
	कमरा पर		तम्बाकू और शीतल पेय	शून्य
गोवा	कमरा दरें		भोजन	10.5%
	100 रुपए तक	शून्य	विदेशी शराब	21%
	1500 रुपए से कम किराया	8%		
	1500 रुपए से ऊपर	8%		
	जून से अगस्त के दौरान क्रमशः	2.5% और 4%		
	कमरे + टेलीफोन और हेल्थ क्लब सेवाओं,			
	बैंक्विट्स प्रदर्शनियों पर			
गुजरात	कमरा दरें		खाना और मदिरा	
	200 रुपए तक	शून्य	0–रुपए 75 प्रति व्यक्ति	शून्य
	201 रुपए से 400 रुपए तक	7.5%	75 रुपए प्रति व्यक्ति से ऊपर	12%
	401 रुपए से 600 रुपए तक	10%		
	600 रुपए और उससे अधिक	15%		

1	2		3	
हरियाणा	शून्य		भोजन	12%
			शीतल पेय और शराब	शून्य
हिमाचल प्रदेश	कमरा दरें		भोजन पर	8%
	सभी वर्ग	10%	शीतल पेय और शराब	शून्य
	वास्तविक पर			
	कमरा पर			
जम्मू एवं कश्मीर	ठहरने का कर	4.2%	खाना	8.4%
			बीयर और मदिरा	31.5%
केरल	कमरा दरें		भोजन	9.2%
	गैर वातानुकूलित	7.5%	विदेशी मदिरा	100%
	वातानुकूलित	15%	स्थानीय मदिरा पर कुल कारोबार कर	10%
	वास्तविक पर			
कर्नाटक	कमरा दरें		भोजन और मिष्ठान पर	15.75%
	150 रुपए तक	शून्य	शीतल पेय जल	4.2%
	151 रुपए से 250 रुपए तक	5%	भारतीय मदिरा	10.5%
	251 रुपए से 400 रुपए तक	10%	विदेशी मदिरा	63%
	401 रुपए और उससे ऊपर	12.5%	भारतीय शराब, सिगार और मिनरल	
	प्रकाशित किराए पर		वाटर	शून्य
	कमरा + टेलीफोन और लांड्री पर			
	बैंक्विट/हेल्थ क्लब/सम्मेलन पर	20% किराए		
महाराष्ट्र	कमरा दरें		भोजन और गैर अलकोहलिक पेय	
	199 रुपए तक	शून्य	4 सितारा और उससे ऊपर	20%
	200 रुपए से 1199 रुपए तक	4%	अन्य	13%
	1200 रुपए और ऊपर	6%	देशी शराब, आईएमएफएल	10%
	वास्तविक पर		50 लाख रुपए तक कारोबार के लिए	
	केवल कमरा पर		वर्गीकृत दर पद्धति	

1	2		3	
मध्य प्रदेश	कमरा दरें		भोजन और मिनरल वाटर	9.2%
	सभी होटल	10%	शीतल पेय	10%
	प्रकाशित किराए पर		बीयर, भारतीय शराब	शून्य
	केवल कमरा दर		विदेशी शराब	शून्य
उड़ीसा	शून्य		भोजन	8%
			शीतल पेय और भारतीय शराब	शून्य
			एस.टी. पर अतिरिक्त प्रभार	10%
पंजाब	शून्य		भोजन	8.8%
			आईसक्रीम	4.4%
			शीतल पेय, बीयर और आईएमएफएल	शून्य
			हार्ड लिकर	
राजस्थान	कमरा दरें		8% + 15% की दर से विक्रय पर	
	1200 रुपए तक	शून्य	अधिभार	
	1200 रुपए से ऊपर	10%		
	अगस्त से मार्च तक और अप्रैल से जुलाई तक 5% वास्तविक पर, केवल कमरे, हॉल/बगीचे पर किराया 10%			
उत्तर प्रदेश	कमरा दरें		भोजन	8%
	1000 रुपए तक	शून्य	राज्य के बाहर से आयातित शराब	32.6%
	1000 रुपए और उससे ऊपर	5%		
	वास्तविक पर			
	कमरा और अन्य सेवाएं जिन पर विक्रय कर नहीं दिया जाना है			
तमिलनाडु	कमरा दरें		भोजन	8%
	1000 रुपए से कम	20%	विदेशी शराब	70%

1	2		3	
	1000 रुपए से अधिक	25%	अन्य राज्यों से शराब	50%
	प्रकाशित किराए पर			
	केवल कमरा पर			
पश्चिम बंगाल	सभी कमरा दरें		भोजन (वातानुकूलित)	15%
	दर	10%	भोजन (गैरवातानुकूलित)	शून्य
	केवल वातानुकूलित कमरे पर		विदेशी शराब	30%
	वास्तविक पर		विदेशी सिगरेट, चॉकलेट्स	15%
	केवल कमरा पर		मिनरल वाटर	7%
			खरीदारी परिसर में कर 12% से 15% 5 लाख रुपए से अधिक के वार्षिक कारोबार के साथ केवल होटल और रेस्तरां पर लागू	

आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में राष्ट्रीय राजमार्गों का पुनर्निर्माण

84. **श्री ए. नरेन्द्र : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है और इनकी नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) कितने राष्ट्रीय राजमार्गों की तुरन्त मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश से 12 राष्ट्रीय राजमार्ग (कुल लंबाई 4038 कि.मी.) और उत्तराचंल से 9 राष्ट्रीय राजमार्ग (कुल लंबाई 1075 कि.मी.) गुजरते हैं। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को संसाधनों की उपलब्धता के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार कार्य यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणों में किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पर्यटन केन्द्रों का आधुनिकीकरण

85. **श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष अथवा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पर्यटन केन्द्रो के आधुनिकीकरण और विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक की सहयता से राज्यों में नए होटल और पर्यटक यात्री निवास खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनके साथ विचार-विमर्श करके अवसंरचना के विकास और पर्यटन के संवर्धन के लिए अभिनिर्धारित परियोजनाओं हेतु प्रत्येक वर्ष निधि मुहैया कराता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पर्यटन विभाग का वार्षिक आधार पर देश में 6 पर्यटन परिपथ अभिनिर्धारित करके इन परिपथों में अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, पर्यटन विभाग का राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पर्यटक गंतव्य स्थल अभिनिर्धारित करके इन स्थानों पर एकीकृत विकास प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

86. श्री वाई. वी. राव : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संस्कृति नीति से संबंधित दृष्टिकोण पत्र लगभग दस वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो संस्कृति संबंधी राष्ट्रीय नीति को अब तक अंतिम रूप ना देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस नीति को कब तक अंतिम रूप प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय संस्कृति नीति तैयार करने का मामला सरकार के विचाराधीन है। अतः फिलहाल इस संबंध में कोई विशिष्ट ब्यौरे नहीं दिए जा सकते हैं।

राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना

87. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर तमिलनाडु में राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में, विशेषकर तमिलनाडु में कौन-कौन से राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ दिया गया है; और

(घ) राजमार्गों के इस प्रकार आपस में जोड़ देने से इन राज्यों में भारी यातायात की आवाजाही में किस सीमा तक सहायता मिली है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (घ) यह मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है और सभी अन्य सड़कों का विकास कार्य संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है तथापि, यह मंत्रालय राज्य सड़कों अर्थात् राज्यीय राजमार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सड़क निधि के तहत निधियां आवंटित करता है। केंद्रीय सड़क निधि के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की योजना एवं पहचान राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

[हिन्दी]

भू-जल स्तर बढ़ाना

88. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त वर्षा जल संचयन के द्वारा भू-जल स्तर को बढ़ाने से संबंधित कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा कोई प्रयोग किसी अन्य राज्य में किया गया था और वह सफल सिद्ध हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अन्य राज्यों में भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने 23.48 करोड़ रुपए की लागत से नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भू-जल पुनर्भरण अध्ययन संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम "प्रायोगिक

आधार" पर शुरू की है। इस स्कीम के तहत जम्मू व कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश सहित 27 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 174 परियोजनाओं को अभिज्ञात किया गया है। अभी तक, महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश राज्यों में आकलन किया जा चुका है। जिसके अच्छे परिणाम पाए गए हैं।

(घ) सरकार ने अन्य राज्यों में भू-जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 150 करोड़ रुपए के प्रावधान से भू-जल पुनर्भरण की एक स्कीम का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

सिंहों का बंध्याकरण

89. **श्री एम. के. सुब्बा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सिंह संघर्ष समिति ने देश के वनों, राष्ट्रीय पार्कों और आरक्षित स्थलों में सिंहों के बंध्याकरण पर अपनी चिंता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में सिंहों की जन्म दर निराशाजनक रूप से कम है जो पूर्वी अफ्रीका में 9.7 प्रति हजार की तुलना में मात्र 4.2 प्रति हजार है; और

(ग) यदि हां, तो पिछली तीन गणनाओं के अनुसार असम और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के वनों में सिंहों की संख्या कितनी है और सिंहों को बढ़ावा देने और उन्हें सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) वन्यजीव कल्याण कार्यकर्ता सिंहों के बंध्याकरण के विरुद्ध समय-समय पर अभिवेदन करते रहे हैं। इस देश में एशियाटिक सिंह का कोई बंध्याकरण नहीं किया गया है। कुछ चिड़ियाघरों में हाइब्रिड सिंहों की संख्या वहन क्षमता से ज्यादा हो चुकी है। इस प्रकार के मामलों में चिड़ियाघर की वहन क्षमता के अनुसार इनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए मादा सिंहों का बंध्याकरण किया जाता है। सिंह केवल गुजरात के गिर वनों में पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में सिंहों का कभी भी कोई बंध्याकरण नहीं किया गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में 1995 और 2000 में सिंहों की संख्या क्रमशः 304 और 320 थी जो 5.26 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है। सिंहों की संख्या संबंधी बढ़ोतरी दर में गिरावट का कारण यह है कि उद्यान में इनकी संख्या उद्यान की वहन क्षमता से अधिक हो चुकी है। ऐसी रिपोर्ट भी मिली है कि 70 बाघ, गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बाहर रह रहे हैं।

[हिन्दी]

पश्चिमी बंगाल और गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग

90. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1997 से आज की तिथि तक पश्चिम बंगाल में जिन राजमार्गों को चौड़ा करने, विस्तार करने और मरम्मत करने संबंधी कार्य शुरू किए गए, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार गुजरात से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी ऐसे कार्य आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर होने वाले अनुमानित व्यय की राशि कितनी है; और

(ङ) उक्त कार्यों को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य में वर्ष 1997-98 से राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने और नए निर्माण के 17 कार्य प्रारंभ किए गए हैं जिन पर 2171.68 करोड़ रु. की लागत आएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण और सुधार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और पश्चिम बंगाल राज्य में वर्ष 1997-98 से राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण/सुधार पर 243.104 करोड़ रु. खर्च हुए हैं।

(ख) से (ङ) गुजरात राज्य में चालू वार्षिक योजना में 67.50 करोड़ रु. की लागत से चौड़ा करने और नए

निर्माण के 7 कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। अभी इन प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाना है कार्य प्रारंभ करने की तारीख बता पाना अभी संभव नहीं है। वर्ष 2002–2003 के लिए गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और सुधार के लिए 21.57 करोड़ का आवंटन किया गया है।

[अनुवाद]

नारियल गिरी और रबर का समर्थन मूल्य

91. **श्री टी. गोविन्दन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से हाल ही में नारियल गिरी अैर रबर का समर्थन मूल्य घोषित करने/बढ़ाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार को कुछ राज्य सरकारों से वर्ष 2002 मौसम के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की घोषणा के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2002 के लिए कोपरा की मूल्य–नीति घोषित हो चुकी है।

रबड़ के मामले में, सरकार को राज्य सरकारों से रबड़ के लिए समर्थन मूल्य घोषित करने/बढ़ाने के लिए हाल ही में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, सरकार ने रबड़ की दो सर्वाधिक इस्तेमाल की जाने वाली श्रेणी अर्थात् रिब्ड स्मोक्ड शीट–4 (आर.एस.एस.–4) और रिब्ड स्मोक्ड शीट–5 (आर.एस.एस.–5) के व्यापार के लिए रबड़ अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रमशः 32.09 रुपए प्रति कि.ग्रा. और 30.79 रुपए प्रति कि.ग्रा. न्यूनतम मूल्य निर्धारित और अधिसूचित किए हैं।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवा

92. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नई उदारीकरण की नीति के अंतर्गत रोजगार नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों विशेषकर हिमाचल प्रदेश में इन योजनाओं के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रदान किए जा रहे रोजगार का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि शिक्षित युवाओं के मध्य बेरोजगारी दर जो 1993–94 में 18.5% थी 1999–2000 में घटकर 14.8% रह गई।

अक्टूबर, 1993 से कार्यान्वित की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अधीन 1993–94 से 2001–2002 के दौरान देश में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 23.31 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के सृजन का अनुमान है, जिनमें से लगभग 25,000 शिक्षित बेरोजगार युवा हिमाचल प्रदेश से हैं।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं में निवेश में कमी

93. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में सार्वजनिक निवेश में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश परियोजनाएं राज्यों से प्राप्त राजसहायता के सहारे चल रही है क्योंकि अर्जित राजस्व सिंचाई के लिए आपूर्ति किए गए जल के अनुरूप नहीं होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या न्यून प्रयोक्ता प्रभारों के कारण राज्यों पर अत्यधिक वित्तीय दबाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई को राज्यवार किस सीमा तक राजसहायता प्रदान की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सिंचाई परियोजनाओं के लिए धान उगाने हेतु निगमीकरण के द्वारा और गैर–सरकारी क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने मौजूदा प्रणाली में परिवर्तन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (च) उत्तरवर्ती योजना अवधियों में सिंचाई क्षेत्र के लिए योजनावार परिव्ययों (पूर्णतः) में निरंतर वृद्धि हुई है। तथापि, कुल निवेश के संबंध में सिंचाई क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की प्रतिशतता में भागीदारी पहली योजना में 23% थी जो निरंतर घटकर के नौवीं योजना में लगभग 6% रह गई है।

भारत सरकार द्वारा अपनाई गई दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के दृष्टिकोण पत्र के अनुसार, उत्तरवर्ती योजना अवधियों में सिंचाई क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में गिरावट का मुख्य कारण सरकारों की संसाधन में कमियां रही हैं, इसका तात्पर्य यह है कि सब्सिडी दिए जाने से सार्वजनिक निवेश पर "प्रतिकूल प्रभाव" पड़ा है। विशेष रूप से वर्ष 1990 में कृषि से संबंधित नीतिगत दृष्टिकोण विद्युत, जल और उर्वरक जैसे आदानों (इनपुट) में सब्सिडी के द्वारा उत्पादन वृद्धि को सुरक्षित करना है।

सिंचाई सब्सिडी एक प्रत्यक्ष सब्सिडी है जो उपयोगकर्ताओं से जल दरों के द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के कार्य व्ययों की वसूली पर निर्भर करती है। चूंकि राज्यों से कार्यकारी व्यय और जल दरों की वसूली संबंधी आंकड़े आने में समय लगता है इसलिए वर्ष 1993–94 से वर्ष 1995–96 के लिए नदी–घाटी परियोजनाओं के संबंध में अनुमानित अप्रत्यक्ष सिंचाई सब्सिडी के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में जल संसाधनों की आयोजना, विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की व्यवस्था है। इस नीति का पैरा 13 इस प्रकार पठित है : "जहां कहीं संभव हो, विविध उपयोगों के लिए जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।" उपयोगकर्ताओं को निजी क्षेत्र की भागीदारी से नवीन विचारों को लागू करने, वित्तीय संसाधनों के सृजन और कारपोरेट प्रबंधन लागू करने तथा सेवा दक्षता और उत्तरदायित्व में सुधार करने में सहायता मिल सकती है। विशिष्ट स्थितियों में भवन निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, पट्टे पर देने और जल संसाधनों सुविधाओं के हस्तांतरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जा सकता है।

विवरण

सिंचाई के लिए नदी घाटी परियोजनाओं में आकलित अप्रत्यक्ष सब्सिडी का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	आकलित अप्रत्यक्ष सिंचाई सब्सिडी करोड़ रुपए में		
		1993–94	1994–95	1995–96
1.	आंध्र प्रदेश	428.1	510.0	617.2
2.	बिहार	50.9	58.0	52.7
3.	गुजरात	484.8	534.7	694.5
4.	हरियाणा	156.6	421.2	206.4
5.	जम्मू व कश्मीर	7.6	6.8	6.2
6.	कर्नाटक	243.6	285.3	327.0
7.	केरल	25.9	31.2	32.0
8.	मध्य प्रदेश	109.3	97.0	134.6
9.	महाराष्ट्र	674.4	812.3	984.9
10.	उड़ीसा	20.5	37.7	34.0
11.	पंजाब	95.3	74.4	81.7
12.	राजस्थान	262.3	276.1	314.2
13.	तमिलनाडु	117.9	122.6	145.3
14.	उत्तर प्रदेश	366.9	491.4	507.6
15.	पश्चिम बंगाल	66.3	73.5	83.3

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा व्यय की गई धनराशि

94. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) और अपने महाराष्ट्र स्थित प्रतिष्ठानों पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का राज्य स्थित अपनी इकाइयों को विकसित अथवा विस्तारित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने महाराष्ट्र में अपने प्रतिष्ठानों पर 13.04 करोड़ रुपयों का स्थापना व्यय किया है।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 2002–2003 में कोई नई इकाई स्थापित करने या मौजूदा इकाई के विस्तार हेतु किसी विशिष्ट योजना प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालय

95. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में इस समय कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार, प्रत्येक रोजगार कार्यालय में व्यवसाय–वार कितने व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया है; और

(ग) इनमें से राज्यवार कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) सूचना विवरण के रूप में सलंग्न है।

विवरण

31.12.1990 को रोजगार कार्यालयों में चालू रजिस्टर पर शिक्षित, अशिक्षित, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	31.12.1999 को रोजगार कार्यालयों की वास्तविक संख्या	चालू रजिस्टर पर संख्या (हजार में)					
			निरक्षरों सहित मैट्रिक से कम	10+2 उत्तीर्ण	स्नातकोत्तर सहित स्नातक	4 से 6 तक के कॉलमों का योग	अनुसूचित जाति सहित योग	अनुसूचित जनजाति सहित योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(क) राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	31	673.1	1994.6	558.1	3225.7	592.8	106.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	13.0	2.3	0.5	15.9	0.3	6.4
3.	असम	53	444.7	900.7	144.9	1490.3	92.5	162.0
4.	बिहार	68	763.8	2030.2	385.9	3179.9	375.6	227.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	गोवा	1	27.0	66.2	13.2	106.5	2.0	
6.	गुजरात	41	282.3	526.2	127.9	936.4	196.4	93.9
7.	हरियाणा	95	191.9	511.8	106.8	810.5	144.5	1.7
8.	हिमाचल प्रदेश	15	321.0	462.7	76.5	860.2	155.6	23.2
9.	जम्मू व कश्मीर	14	84.5	52.8	25.1	162.5	8.0	2.4
10.	कर्नाटक	40	625.6	1012.5	253.2	1891.4	266.8	62.4
11.	केरल	81	800.5	2809.8	273.5	3883.8	420.5	25.4
12.	मध्य प्रदेश	73	578.3	1670.4	368.9	2617.6	346.7	280.5
13.	महाराष्ट्र	42	1115.5	268.9	378.9	4181.5	605.2	140.3
14.	मणिपुर	11	104.3	228.6	52.7	385.6	5.9	113.5
15.	मेघालय	10	16.5	16.0	3.6	36.1	0.2	28.7
16.	मिजोरम	3	50.3	36.1	7.2	93.6		76.9
17.	नागालैण्ड	7	15.5	16.9	3.1	35.5	0.2	34.9
18.	उड़ीसा	39	233.7	574.3	182.3	990.3	149.2	95.7
19.	पंजाब	43	181.0	290.7	78.4	550.1	166.4	0.2
20.	राजस्थान	38	246.2	416.9	176.8	840.0	125.4	64.3
21.	सिक्किम*							
22.	तमिलनाडु	37	1572.5	2280.8	514.4	4367.8	965.9	11.5
23.	त्रिपुरा	5	187.6	60.3	37.9	285.8	43.4	38.2
24.	उत्तर प्रदेश	103	590.2	1542.6	452.9	2585.1	496.4	12.3
25.	पश्चिम बंगाल	75	2335.5	2565.3	700.4	5601.2	605.5	120.1
	(ख) संघ शासित प्रदेश							
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	19.3	6.8	1.7	27.8	--	0.7
27.	चंडीगढ़	2	42.7	50.8	12.0	105.4	27.6	0.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	दादरा व नगर हवेली	1	2.9	1.0	0.2	4.1	0.2	0.9
29.	दिल्ली	14	142.1	602.6	210.6	955.3	143.4	25.0
30.	दमन व दीव	2	3.1	2.5	1.1	6.7	0.5	0.5
31.	लक्षद्वीप	1	8.0	1.6	0.1	9.7	—	6.4
32.	पांडिचेरी	1	38.4	77.5	13.1	129.0	10.4	@
	योग	955	11711.1	23498.8	5161.5	40371.4	5948.0	1762.4

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़ें योग से मेल न खाएं।
@50 से कम।
— व्यवसाय-वार सूचना नहीं रखी जाती है।

दौलताबाद किले का अनुरक्षण

96. **श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औरंगाबाद स्थित दौलताबाद किले के जीर्णोद्धार के संबंध में कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2002–2003 के दौरान बजट में कितनी राशि का आवंटन किया गया है;

(ग) क्या औरंगाबाद नगर स्थित "बीबी का मकबरा" में पनचक्की के जीर्णोद्धार के लिए भी सरकार ने कोई प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दौलताबाद किले की संरक्षण आवश्यकताओं को जानता है। चालू वर्ष के लिए, किले के संरक्षण तथा रखरखाव के लिए 16.50 लाख रुपए का आवंटन किया गया है।

(ग) और (घ) "पवनचक्की" के नाम से जानी जाने वाली पानी की मिल "बीबी का मकबरा परिसर" औरंगाबाद के भीतर नहीं है। पानी की मिल एक राज्य संरक्षित स्मारक है तथा इसलिए यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता।

[अनुवाद]

विकलांगों को आरक्षण

97. **श्री अमर राय प्रधान : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों की अवधि के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत निःशक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार कितने पद आरक्षित रखे गए;

(ख) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार इनमें से कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे पदों पर वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार कितने निःशक्त शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नौकरी दी गई; और

(घ) शेष पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमानपत्तनों का निजीकरण

98. श्री महबूब जहेदी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानपत्तन अधिनियम, 1934 में ऐसा प्रावधान है कि आधार संरचना का शत–प्रतिशत नियंत्रण सरकार ही करेगी;

(ख) क्या सरकार द्वारा विमानपत्तनों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर दिये जाने से इस अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है;

(ग) क्या विमानपत्तनों को पट्टे पर दिये जाने से सुरक्षा संबंधी पहलुओं के साथ समझौता करना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) एयरपोर्ट अधिनियम 1934 जैसा कोई अधिनियम नहीं है, परंतु एक अधिनियम अर्थात् विमान अधिनियम, 1934 है। इस अधिनियम में विमान का निर्माण स्वामित्व, उपयोग, प्रचालन, बिक्री, आयात तथा निर्यात का नियंत्रण की व्यवस्था है किन्तु अधिनियम में सरकार को ढांचे का 100 प्रतिशत नियंत्रण करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

(ख) से (घ) सरकार "सिद्धांत रूप में" दिनांक 12.01.2000 को लम्बी अवधि के लीजिंग रूट के माध्यम से जब और जैसे ही उचित होगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एयरपोर्टों के पुनर्निर्माण के कार्य को करने का अनुमोदन दे चुकी है। इस संबंध में, मंत्रालय ने लोक सभा में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) बिल 2000 को पेश किया ताकि एयरपोर्टों को लीज पर दिया जा सके जो कि परिवहन और पर्यटन की विभागीय स्थाई समिति के समक्ष हाल ही में लंबित पड़े हैं। एयरपोर्टों को पट्टे पर देने का अंतिम निर्णय संसद द्वारा आवश्यक कानून के अनुमोदन के आधार पर एक पारदर्शी सार्वजनिक बोली के माध्यम से लिया जाएगा। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

घाटा उठाने वाले ग्रामीण उद्योगों को सहायता

99. श्री महेश्वर सिंह : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के, विशेषकर हिमाचल प्रदेश राज्य के गांवों में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कितने ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की गई है और उनमें कितने व्यक्ति काम करते हैं;

(ख) राज्यवार कितने ग्रामीण उद्योगों/संस्थाओं का पंजीयन किया गया है;

(ग) इन उद्योगों की वर्तमान वित्तीय स्थिति कैसी है और इनमें से कितने उद्योग लाभ कमा रहे हैं/घाटे उठा रहे हैं;

(घ) क्या घाटा उठाने वाले उद्योगों को सहायता देने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति अनुसार खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कुल 1,19,714 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया है तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के तहत 11 लाख नौकरियों का सृजन किया गया है। आर.ई.जी.पी. के तहत हिमाचल प्रदेश में 458 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया है तथा 31.3.2001 तक 4176 नौकरियां सृजित की गई हैं।

(ख) राज्यवार पंजीकृत ग्रामीण उद्योगों/संस्थानों के संबंध में सूचना का अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ) वैयक्तिक यूनिटों के लाभ/हानि के संबंध में सूचना का अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार ने के.वी.आई. सेक्टर के संवर्धन और विकास हेतु 14.5.2001 को एक पैकेज की घोषणा की है, जो कि कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत है। पैकेज में पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट तथा मार्किट विकास

सहायता (एम.डी.ए.) में विकल्प, खादी कारीगरों का बीमा करने, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग तथा डिजाइन सुविधाओं का सृजन, मार्किटिंग सम्वर्धन के उपाय, ब्रांड बिल्डिंग, कलस्टर विकास इत्यादि सम्मिलित हैं।

'एसोचैम' द्वारा कृषि निर्यात

100. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'एसोचैम' (एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया) ने कृषि-निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार को कतिपय सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बाघों की संख्या

101. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री रामचन्द्र पासवान :
श्री नरेश पुगलिया :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाघों की संख्या बड़ी तेजी से घटती जा रही है-जैसाकि 15 जून, 2002 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में हाल ही में कोई गणना की गई है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार/राष्ट्रीय उद्यानवार/प्राणि-उद्यानवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) दिनांक 15.6.2002 के हिन्दुस्तान टाइम्स के लेख में यह उल्लेख है कि राजस्थान में वर्ष 1997 से बाघों की संख्या स्थिर है। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राजस्थान में बाघों की संख्या लगभग 58 से 70 तक है।

(ग) और (घ) वर्ष 2001-02 के दौरान पूरे भारत में बाघों की संख्या का अनुमान लगाने की प्रक्रिया आरम्भ की गई थी लेकिन अभी तक केवल 10 राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इन राज्यों में बाघों की अनुमानित संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। राष्ट्रीय उद्यानवार बाघों की अनुमानित संख्या केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। प्राणी उद्यानों में बाघों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) और (च) जी, हां भारत द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं :

(i) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत शिकार एवं वाणिज्यिक उपयोग के विरुद्ध बाघों सहित वन्यजीवों को वैधानिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है।

(ii) वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षमता एवं स्वरूप बढ़ाने हेतु राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी जा रही है।

(iii) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने एवं मुकदमा दायर करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(iv) वन्यजीवों के चोरी छिपे शिकार एवं अवैध व्यापार को रोकने के लिए सचिव (पर्यावरण एवं वन) भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय एवं प्रवर्त्तन समिति का गठन किया गया है।

(v) भारतीय वन्यजीव बोर्ड की हाल ही की बैठक में वन्यजीव एवं वन को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में घोषित करने, फ्रंटलाईन स्टाफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरने और उन्हें अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वाह करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाने का संकल्प लिया गया था।

विवरण-I

राज्य द्वारा सूचित की गई देश में बाघों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-2002
1	2	3
1.	तमिलनाडु	60
2.	महाराष्ट्र	238
3.	पश्चिम बंगाल	349
4.	असम	354
5.	राजस्थान	58
6.	उत्तर प्रदेश	284
7.	आंध्र प्रदेश	192
8.	मिजोरम	4
9.	उड़ीसा	173
10.	उत्तरांचल	251

विवरण-II

वर्ष 2001-2002 के दौरान बाघों की स्थिति

चिड़ियाघर का नाम	स्थल	राज्य	जानवर का नाम	कुल
1	2	3	4	5
अलीपुर प्राणी उद्यान	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	बाघ बंगाल (सफेद)	5
अलीपुर प्राणी उद्यान	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	बाघ बंगाल	9
अरीगनार अन्ना प्राणी उद्यान	वंडालूर	तमिलनाडु	बाघ बंगाल	13
असम राज्य चिड़ियाघर/वनस्पति उद्यान	गुवाहटी	असम	बाघ बंगाल	3
असम राज्य चिड़ियाघर/वनस्पति उद्यान	गुवाहटी	असम	बाघ बंगाल (सफेद)	1
औरंगाबाद निगम चिड़ियाघर	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	बाघ बंगाल (सफेद)	8
औरंगाबाद निगम चिड़ियाघर	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	बाघ बंगाल	0
बलेरी बाल उद्यान/चिड़ियाघर	बलेरी	कर्नाटक	बाघ बंगाल	3
भगवान बिरसा जैव उद्यान	रांची	झारखंड	बाघ बंगाल	0
बीकानेर चिड़ियाघर	बीकानेर	राजस्थान	बाघ बंगाल	4
गांधी प्राणी उद्यान	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	बाघ बंगाल	4

1	2	3	4	5
इन्दिरा गांधी प्राणी उद्यान	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश	बाघ बंगाल	8
ईटानगर प्राणी उद्यान	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	बाघ बंगाल	3
जयपुर चिड़ियाघर	जयपुर	राजस्थान	बाघ बंगाल (सफेद)	2
जयपुर चिड़ियाघर	जयपुर	राजस्थान	बाघ बंगाल	4
जवाहरलाल नेहरू जैव उद्यान	बोकारो	झारखण्ड	बाघ बंगाल	6
जोधपुर चिड़ियाघर	जोधपुर	राजस्थान	बाघ बंगाल	2
कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर	इंदौर	मध्य प्रदेश	बाघ बंगाल	4
कमला नेहरू प्राणी उद्यान	अहमदाबाद	गुजरात	बाघ बंगाल	4
कमला नेहरू प्राणी उद्यान	अहमदाबाद	गुजरात	बाघ बंगाल (सफेद)	1
कानन पंडारी	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	बाघ बंगाल	2
कानपुर प्राणी उद्यान	कानपुर	उत्तर प्रदेश	बाघ बंगाल	3
कोटा चिड़ियाघर	कोटा	राजस्थान	बाघ बंगाल	8
लखनऊ प्राणी उद्यान	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	बाघ बंगाल (सफेद)	4
लखनऊ प्राणी उद्यान	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	बाघ बंगाल	3
महाराजा शाहजी छत्रपति चिड़ियाघर	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	बाघ बंगाल	2
महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर	शोलापुर	महाराष्ट्र	बाघ बंगाल	2
महेन्द्र चौधरी प्राणी उद्यान	छटबीर	पंजाब	बाघ बंगाल	27
मैत्री बाग चिड़ियाघर	भिलाई	छत्तीसगढ़	बाघ बंगाल (सफेद)	10
मैत्री बाग चिड़ियाघर	भिलाई	छत्तीसगढ़	बाघ बंगाल	8
छोटा चिड़ियाघर, पिपली	पिपली	हरियाणा	बाघ बंगाल	1
नन्दनकानन जैव उद्यान	भुवनेश्वर	उड़ीसा	बाघ बंगाल	20
नन्दनकानन जैव उद्यान	भुवनेश्वर	उड़ीसा	बाघ बंगाल (सफेद)	14
राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा	बनेरघट्टा	कर्नाटक	बाघ बंगाल	27
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान	दिल्ली	दिल्ली	बाघ बंगाल (सफेद)	7
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान	दिल्ली	दिल्ली	बाघ बंगाल	4

1	2	3	4	5
नेहरू प्राणी उद्यान	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	बाघ बंगाल	14
नेहरू प्राणी उद्यान	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	बाघ बंगाल (सफेद)	6
राजीव गांधी प्राणी उद्यान एवं वन्य जीव अनुसंधान केन्द्र		महाराष्ट्र	बाघ बंगाल (सफेद)	3
राजीव गांधी प्राणी उद्यान एवं वन्य जीव अनुसंधान केन्द्र		महाराष्ट्र	बाघ बंगाल	4
राजकोट नगर निगम चिड़ियाघर	राजकोट	गुजरात	बाघ बंगाल	6
रोहतक चिड़ियाघर	रोहतक	हरियाणा	बाघ बंगाल	1
सक्करबाग चिड़ियाघर	जूनागढ़	गुजरात	बाघ बंगाल	4
सक्करबाग चिड़ियाघर	जूनागढ़	गुजरात	बाघ बंगाल (सफेद)	4
संजय गांधी जैव उद्यान	पटना	बिहार	बाघ बंगाल (सफेद)	1
संजय गांधी जैव उद्यान	पटना	बिहार	बाघ बंगाल	2
संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क	बोरीवली (पूर्व)	महाराष्ट्र	बाघ बंगाल (सफेद)	6
संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क	बोरीवली (पूर्वी)	महाराष्ट्र	बाघ बंगाल	0
सायाजी बाग चिड़ियाघर	बड़ोदरा	गुजरात	बाघ बंगाल	2
सिपाहीजाला प्राणी उद्यान	सिपाहीजाला	त्रिपुरा	बाघ बंगाल	0
श्रीचामाराजेन्द्रा प्राणी उद्यान	मैसूर	कर्नाटक	बाघ बंगाल (सफेद)	4
श्रीचामाराजेन्द्रा प्राणी उद्यान	मैसूर	कर्नाटक	बाघ बंगाल	6
श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान	तिरूपति	आंध्र प्रदेश	बाघ बंगाल	6
टाटा स्टील प्राणी उद्यान	जमशेदपुर	झारखंड	बाघ बंगाल	4
थिरूवानन्थापुरम चिड़ियाघर	थिरूवानन्थापुरम	केरल	बाघ बंगाल	5
बाघ और शेर सफारी, थायरेकोप्पा	शिमोगा	कर्नाटक	बाघ बंगाल	21
बाघ सफारी	लुधियाना	पंजाब	बाघ बंगाल	6
उदयपुर चिड़ियाघर	उदयपुर	राजस्थान	बाघ बंगाल	4
वी.ओ.सी. उद्यान छोटा चिड़ियाघर	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	बाघ बंगाल	1

1	2	3	4	5
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	भोपाल	मध्य प्रदेश	बाघ बंगाल (सफेद)	2
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	भोपाल	मध्य प्रदेश	बाघ बंगाल	9
वीरमाता जीजाबाई उद्यान एवं चिड़ियाघर	मुम्बई	महाराष्ट्र	बाघ बंगाल	2
कुल				346

आगरा स्थित जूतों के कारखाने में आग

102. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री रामदास आठवले :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 24 मई, 2002 को उत्तर प्रदेश में आगरा स्थित जूतों के एक कारखाने में लगी आग से बहुत से कामगार मौत का शिकार बन गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश के अन्य भागों में विभिन्न कारखानों में हुई दुर्घटनाओं में राज्यवार/घटनावार कितने कामगार मारे गए;

(घ) जूता कारखानों द्वारा ज्वलनशील सामग्री की सार-संभाल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और ताजमहल के क्षेत्रपरिसर में और आसपास स्थित जूता कारखानों में कितने बाल श्रमिक काम करते हैं;

(ङ) क्या इन कारखानों से ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक इमारतों को भारी पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो बाल श्रमिकों का शोषण रोकने और इससे प्रभावित हुए कामगारों का पुनर्वास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) जी, हां। आगरा स्थित एक जूता कारखाने में आग लगने से 43 कर्मकारों की मृत्यु हुई है। और 11 कर्मकार घायल हुए। राज्य श्रम विभाग द्वारा की गई जांच से पता चला कि प्रथमदृष्ट्या दुर्घटना का कारण कारखाना मालिक द्वारा बरती गई लापरवाही था क्योंकि उसने कारखाने में प्रयुक्त होने वाली ज्वलनशील सामग्रियों के भण्डारण में पर्याप्त सावधानी नही बरती थी। आग एक चिनगारी के कारण लगी जिससे दरवाजे के पास रखी ज्वलनशील सामग्री जलने लगी। विभाग ने कारखाना अधिनियम, 1948 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए न्यायालय में चार अभियोजन मामले दायर किए हैं। राज्य प्रशासन ने पहले ही उक्त दुर्घटना में मरने वाले प्रत्येक कर्मकार के आश्रितों को 50,000/- रुपए और घायल हुए कर्मकारों के आश्रितों को 10,000/- रुपए की राशि प्रदान की है। पहचान किए गए कर्मकारों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत मुआवजे का भुगतान करने के लिए 84,71,307/- रुपए की संगणित राशि का भुगतान करने हेतु प्रबन्धन को एक नोटिस भी जारी किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लगी घातक और गैर घातक चोटों के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) से (च) कारखाना अधिनियम, 1948 में, धारा 7क के तहत कारखाना मालिक द्वारा अपने कारखाने में सुरक्षा के प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए सामान्य ड्यूटी की व्यवस्था के अतिरिक्त अध्याय IV-क के अन्तर्गत उन कारखानों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान भी रखे गए हैं जिनमें चलने वाली प्रक्रियाओं के लिए अत्यन्त ज्वलनशील द्रवों और गेसों का रखरखाव अपेक्षित है। तत्कालीन कारखाना अधिनियम की प्रथम सूची में अत्यन्त ज्वलनशीन द्रवों और गैसों का रखरखाव शामिल किया गया है। ये प्रावधान उन जूता कारखानों पर भी लागू होते हैं जिनमें इन सामग्रियों का प्रयोग जूतों के सोल बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है।

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों की पहचान के लिए 1997–2000 के दौरान तीन राज्य स्तरीय सर्वेक्षण कराए हैं। आगरा क्षेत्र में, इन सर्वेक्षणों और नियमित निरीक्षणों के दौरान प्रतिबंधित प्रक्रियाओं/व्यवसायों में लगे 165 बाल श्रमिकों और अन्य नियोजनों में लगे 626 बाल श्रमिकों की पहचान की गई है। इस प्रकार कुल 791 बाल श्रमिकों की पहचान की गई जिनमें से 728 बाल श्रमिकों को पहले ही स्कूलों में दाखिला दिलाया जा चुका है। प्रतिबंधित प्रक्रियाओं/व्यवसायों में पहचान किए गए 165 बाल श्रमिकों के 142 परिवारों में से 18 परिवारों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान किए गए हैं, 48 परिवार पहले ही नियोजित हैं, 32 परिवारों ने रोजगार लेने से इंकार कर दिया है और 41 परिवार आप्रवासी हैं। तीन परिवारों को अभी रोजगार दिया जाना शेष है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999		2000		2001	
		गैर–घातक	घातक	गैर–घातक	घातक	गैर–घातक	घातक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2427	127	2969	121	उ.न.	उ.न.
2.	असम	126	7	137	5	125	15
3.	अरुणाचल प्रदेश*	—	—	—	—	—	—
4.	बिहार एवं झारखण्ड	352	12	530	31	262	31
5.	छत्तीसगढ़	14	30	25	25	उ.न.	उ.न.
6.	गोवा	185	5	159	6	138	4
7.	गुजरात	10440	196	8107	179	उ.न.	उ.न.
8.	हरियाणा	337	44	397	42	उ.न.	उ.न.
9.	हिमाचल प्रदेश	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
10.	जम्मू एवं कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
11.	कर्नाटक	3799	52	2086	54	उ.न.	उ.न.
12.	केरल	1067	23	1020	14	889	16
13.	मध्य प्रदेश	4870	66	3051	47	उ.न.	उ.न.
14.	महाराष्ट्र	14073	152	11831	173	उ.न.	उ.न.
15.	मणिपुर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
16.	मेघालय	1	0	2	0	0	0
17.	मिजोरम*	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	नागालैण्ड	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
19.	उड़ीसा	1027	22	996	35	774	20
20.	पंजाब	775	4	768	5	उ.न.	उ.न.
21.	राजस्थान	1098	59	1255	44	उ.न.	उ.न.
22.	सिक्किम*	—	—	—	—	—	—
23.	तमिलनाडु	2472	38	2039	38	उ.न.	उ.न.
24.	त्रिपुरा	2	1	7	3	8	0
25.	उत्तरांचल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न	उ.न.	उ.न.
26.	उत्तर प्रदेश	1248	55	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
27.	पश्चिम बंगाल	34652	46	34710	57	39710	50
28.	अंडमान व निकोबार	98	7	83	6	उ.न.	उ.न.
29.	चंडीगढ़	1	2	12	1	उ.न.	उ.न.
30.	दादरा व नगर हवेली एवं दमन द्वीव	13	1	9	1	उ.न.	उ.न.
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
32.	दिल्ली	64	7	34	5	43	2
33.	पांडिचेरी	860	4	854	2	531	4

स्रोत : राज्यों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों से प्राप्त जानकारी

*कारखाना अधिनियम, 1948 लागू नहीं किया गया/कोई पंजीकृत कारखाना नहीं है/कोई बड़ा कारखाना नहीं।

उ. न. = उपलब्ध नहीं।

[हिन्दी]

वन भूमि को पट्टे पर दिया जाना

103. प्रो. दुखा भगत :

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासियों को मकान बनाने के लिए कोई वन भूमि पट्टे पर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आज तक, राज्यवार कितने क्षेत्रफल भूमि पट्टे पर दी गई है; और

(ग) इस योजना से कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचने का अनुमान है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत वन

भूमि के किसी गैर–वानिकी प्रयोग के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है। नीति विषयक मामले के अनुसार मकानों के निर्माण सहित गैर–स्थल विशिष्ट कार्यों के लिए वन भूमि वनेतर प्रयोग के लिए नहीं दी जाती है। इसलिए मकान बनाने के लिए आदिवासियों को पट्टे पर कोई वन भूमि आवंटित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय श्रमशक्ति निर्यात संवर्धन परिषद्

104. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय कामगारों को विदेश भेजने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए एक "केन्द्रीय श्रम शक्ति निर्यात संवर्धन परिषद्" बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद् का कार्य तथा अधिकार–क्षेत्र क्या होगा;

(ग) उक्त परिषद् की स्थापना से कामगारों को क्या लाभ होंगे;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप निजी यात्रा–एजेंटों द्वारा किए जाने वाले शोषण पर अंकुश लगेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) सरकार ने उत्प्रवास अधिनियम, 1993 में संशोधन के द्वारा केन्द्रीय जनशक्ति निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

(ख) से (ङ) ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास रहने वाले मवेशियों का टीकाकरण

105. श्री पी. सी. थामस : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास रहने वाले मवेशियों का टीकाकरण करने के बारे में कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001–2002 के दौरान प्रत्येक उद्यान के निकट चलाए गए ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नियमित तौर पर ऐसे मवेशियों को टीका लगाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ताकि उद्यानों के वन्य जीवों को किसी रोग का संक्रमण न हो?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) वन्य जीव विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राष्ट्रीय पार्कों के आस–पास रहने वाले गोपशुओं को टीके लगाता है।

वन महानिदेशक (वन्य जीव) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार राष्ट्रीय पार्कों एवं वन्य जीव सेन्चुरीज के आस–पास के गोपशुओं को टीका लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय पार्कों तथा वन्य जीव सेन्चुरीज) के आस–पास गोपशुओं को टीका लगाना महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसे इस क्षेत्र के प्रबंध के लिए तैयार प्रबंधन योजना में पहचान की है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों के पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनमें से एक केन्द्र सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता है।

वन विभाग पशुपालन विभागों के सहयोग से राज्यों में टीकाकरण कार्यक्रम चलाकर इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध राजसहायता का लाभ उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में भारत

106. डा. अशोक पटेल : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कोई प्रारूप नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रारूप नीति की विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विदेशी पर्यटकों के लिए एक "पर्यटक कार्ड" योजना शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 की घोषणा की है जिसमें दूसरों से अलग, विकसित होते व्यापक यात्रा और व्यापार के लाभ लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में भारत की छवि बनाने का प्रयत्न करना और गंतव्य स्थल के रूप में भारत को व्यापक अविदोहित संभावना के रूप में अवस्थित करने के प्रयास किए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय पर्यटन नीति के व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- पर्यटन को आर्थिक वृद्धि के एक मुख्य घटक के रूप में अवस्थित करना;
- रोजगार सृजन, आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष एवं गुणक प्रभावों को काम में लाने के प्रयास तथा ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करना;
- पर्यटन की वृद्धि के लिए घरेलू पर्यटन को मुख्य बल प्रदान करना;
- निजी क्षेत्र की सरकार के साथ गम्भीर भूमिका को स्वीकार करना, जो एक सक्रिय सुविधाकारक एवं उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है;
- राज्यों, निजी क्षेत्र एवं अन्य एजेंसियों की भागीदारी से भारत की अद्वितीय सभ्यता, हैरिटेज एवं संस्कृति के आधार पर एकीकृत पर्यटन परिपथों का सृजन एवं विकास;
- यह सुनिश्चित करना कि भारत में पर्यटक, शारीरिक बलवर्द्धन, मानसिक पुनर्योवन, सांस्कृतिक समृद्धता, आध्यात्मिक उन्नयन प्राप्त कर सकें एवं "भारतमय हो सकें";

(ग) विदेशी पर्यटकों के लिए "पर्यटक कार्ड" योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में बागवानी-विकास

107. **श्री राजो सिंह :**

श्री सुबोध राय :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर बिहार में बागवानी-विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) बिहार में बागवानी के विकास के लिए सरकार द्वारा आगे और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) भारत सरकार ने आठवीं और नौवीं योजना के दौरान बिहार सहित सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में बागवानी विकास स्कीमों को क्रियान्वित किया। अक्टूबर, 2002 से बागवानी के स्कीमों को कृषि का वृहत प्रबन्धन-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों को सहयोग/सहायता नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में मिला दिया गया है। स्कीम के कार्यक्रम अब राज्यों द्वारा कार्य योजना के माध्यम से क्रियान्वित किये जाते हैं। इस स्कीम के अधीन राज्य की जरूरतों के अनुसार जरूरतों के प्राथमिकता से राज्यों को अधिक लचीलापन मिला है।

बृहत प्रबंधन स्कीम के अधीन राज्य को वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान क्रमशः 261.07 रुपये और 1800 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इस स्कीम के अधीन बिहार में बागवानी का विकास प्रमुख क्षेत्र है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भी सभी राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों में कटाई पश्चात प्रबंधन सहित बागवानी विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउन्डेशन ने भी बिहार में प्याज एवं आलू सहित सब्जियों के उन्नयन का कार्य शुरू किया है।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों को पर्यटनगत व्यापार-मिशनों का जाना

108. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्री महोदय की अध्यक्षता में खाड़ी देशों को गए पर्यटनगत व्यापार–मिशनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कदम के परिणामस्वरूप, भारत की ओर अरब देशों के और अधिक पर्यटकों के आकर्षित होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विपणनगत और पैकेज–योजनागत ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) नागर विमानन मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्ट मण्डल ने भारत के विभिन्न पर्यटन उत्पादों के संवर्धन के लिए हाल ही में दुबई, आबूधाबी, मस्कट एवं बहराइन का दौरा किया। इसमें कुछ राज्यों के पर्यटन मंत्री, सरकारी पदाधिकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे। इस संवर्धनात्मक कार्य के एक भाग के रूप में सेमीनार, कार्यशालाएं, साक्षात्कार और भारतीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में नए पैकेजों की शुरूआत की गई ताकि इस क्षेत्र से पर्यटकों के आगमन में और संवर्धन किया जा सके।

कृषकों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

109. श्री बी. के पार्थसारथी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में विस्तार–सेवाओं का सबल बनाने के लिए जो कदम उठाये जाने पर विचार किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से वित्तपोषण करके, कृषकों के लिए क्षेत्रीय/जिला कृषि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापति करने तथा विस्तार–कार्यों का सम्पादन करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्यों द्वारा विस्तार–कार्य कर्मचारियों के वेतनादि पर काफी धनराशि खर्च की जाती है किन्तु उनके पास आचारसंरचना का अभाव है जिससे विस्तारगत सेवाओं की प्रभावशीलता घट गई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(ङ) क्या इस विषय में एक विशेष केन्द्रीय योजना शुरू करने का विचार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) यद्यपि कृषि विस्तार राज्य का विषय है, तथापि कृषि मंत्रालय ने बहुत से उपाय किये है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्य कृषि प्रबन्ध एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान 7 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा पंजाब और झारखण्ड में से प्रत्येक में वरिष्ठ/माध्यमिक स्तर के कार्यकर्त्ताओं की तकनीकी और प्रबन्धकीय कुशलता में सुधार लाने के लिये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के प्रौद्योगिकी प्रचार–प्रसार में आविष्कार संबंधी घटक के तहत स्थापित किये गये हैं/किये जा रहे हैं। किसानों को सूचना सेवा की प्रणाली भी स्थापित की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिला स्तर पर 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केन्द्रों के क्रियाकलाप सम्पादित करने के लिये 53 आंचलिक अनुसंधान केन्द्रों को भी पुनः अधिदेश दे रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के क्रियाकलापों में प्रौद्योगिकी प्रमाणन/परिमार्जन, प्रमुख प्रदर्शन तथा किसानों व विस्तार कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण देना शामिल है।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसा कि संलग्न विवरण में उल्लिखित है।

(ङ) जी, हां। राज्यों के विस्तार प्रयासों तथा सुधारों में सहायता देने के लिये एक पुनः निरूपित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 10वीं योजना (2002–2007) के दौरान कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

(च) प्रस्तावित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में विस्तार सेवाओं को बहु–एजेंसी प्रणाली तथा बहुमुखी बनाने के लिए

इसका पुनरुद्धार करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों का दोहन करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, इसमें प्रणाली को और अधिक मांग–आधारित तथा किसानों के प्रति उत्तरदायी बनाते हुए सामूहिक पद्धति, कृषक सहभागी विधियों, और आधरभूत/कार्यनीति संबंधी नियोजना प्रक्रियाओं पर अत्यधिक बल देते हुए अनुसंधानपरक तथा विकेन्द्रीकृत संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रस्ताव है। कृषि विस्तार में इन सुधार उपायों को "राज्य–विस्तार–कार्य–योजना" के माध्यम से 10वीं योजना (2002–07) के दौरान किये जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

कृषि विस्तार सेवाओं के पुनरुद्धार के उद्देश्य से उठाये गए कदमों का ब्यौरा

कृषि विस्तार हेतु एक नीतिगत ढांचा तैयार किया गया है। इसमें विस्तार सेवाओं के पुनरुद्धार की परिकल्पना है ताकि यह बहुमुखी, बहु–अभिकरणीय तंत्र बन सके जो सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का दोहन कर सके। इसके अलावा, इसमें प्रणाली को और अधिक मांग–आधारित तथा किसानों के प्रति उत्तरदायी बनाते हुए सामूहिक पद्धति, कृषक सहभागी विधियों और आधारभूत/कार्यनीति संबंधी नियोजन प्रक्रियाओं पर अत्यधिक बल देते हुए अनुसंधानपरक तथा विकेन्द्रीकृत संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रस्ताव है। कृषि विस्तार में इन सुधार उपायों को "राज्य विस्तार कार्य योजना" के माध्यम से 10वीं योजना (2002–07) के दौरान प्रचालित किए जाने का प्रस्ताव है।

विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के प्रौद्योगिकी प्रसार अनुसंधान नामक घटक की 7 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पंजाब में पायलट आधार पर जांच की जा रही है जहां प्रौद्योगिकी प्रचार प्रसार प्रक्रिया में नई संस्थागत व्यवस्थाओं तथा नवीन दृष्टिकोणों का अनुप्रयोग किया जा रहा है।

विभागीय कर्मियों, पर्यवेक्षकों, उद्यमियों और मालियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु "बागवानी में मानव संसाधन विकास" पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम राज्य बागवानी/कृषि विभागों और चुनिंदा कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि के माध्यम से चलाई जा रही है।

राज्यों में पशुपालन गतिविधियों के उन्नयन की जरूरतों को पूरा करने हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम पशुपालन विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वित की जा रही है।

कृषक महिलाओं हेतु विस्तार सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से कृषि में महिला नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम और विदेशी (डेनमार्क, डच और सं.रा.वि. कार्यक्रम) सहायता प्राप्त कृषि महिला समर्थन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया है।

स्थानीय भाषा/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कृषि फिल्मों के निर्माण और किसान मेलों/प्रदर्शनियों के आयोजन को बढ़ावा देने हेतु राज्यों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करके कृषि सूचना संचार प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान अभिव्यक्तिकरण दौरे, वैज्ञानिकों के साथ परस्पर बैठकों, गैर–सरकारी संगठनों और किसान संगठनों को भी सहायता दी जा रही है।

विस्तार कार्मिकों और किसानों के क्षमता निर्माण हेतु 22 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में स्थित 26 केन्द्रीय समेकित कृमि प्रबंध केन्द्रों के माध्यम से समेकित कृमि प्रबंध की धारणा को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विमानपत्तनों पर यात्री सुविधाएं

110. **श्री अशोक ना. मोहोल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर अभी भी यात्री–सुविधाओं का उन्नयन–कार्य किया जाना शेष है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) जी, नहीं। सभी हवाई अड्डों तथा उन सिविल एन्कलेवों, जहां से अनुसूचित उड़ानें प्रचालित होती हैं, पर उपयुक्त यात्री सुविधाएं मुहैया की गई हैं। इन सुविधाओं को सतत आधार पर यातायात जरूरतों और स्थान उपलब्धता को भी ध्यान में रखकर अपग्रेड किया जाता है। जब कभी

नए अटर्मिनलों का निर्माण किया जाता है, वहां पर फ्लाइट डिस्पले बोर्डों, कन्वेयर बेल्ट, एक्स-रे सामान उपस्कर, रेस्टॉरेंट व स्नेक बार, एसटीडी/पीसीओ काउंटर, ट्रेवलर्स रिक्विजिट्स स्टॉल्स आदि सहित सभी आधुनिक यात्री सुविधएं मुहैया की जाती हैं।

[हिन्दी]

बारिश के संबंध में सर्वेक्षण

111. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि के क्षेत्र में सिंचाई हेतु बारिस पर निर्भरता दूर करने के दृष्टि से इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष रहा है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) भारत सरकार के भारतीय मौसम विज्ञान विभाग देश में वर्षा की नियमित निगरानी करता है। यह आकलन 35 जल-मौसम वैज्ञानिक उप-प्रभागों के आधार पर किया जाता है। स्वतंत्रता के समय देश के 17 प्रतिशत कृषि क्षेत्र की सिंचाई की गई थी एवं शेष 83 प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर थी।

वर्षा पर कृषि की निर्भरता समाप्त करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के अंत तक 99.79 मिलियन हेक्टेयर अनंतिम की सिंचाई क्षमता सृजित की गई और वर्ष 1998-99 तक 57.03 मिलियन हेक्टेयर (अनंतिम) क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराई गईं जो कृषि क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत है। यह सब वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से जल संसाधनों के विकास द्वारा संभव हो पाया है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए नवीनतम आकलन के अनुसार देश में 1132 बिलियन क्यूबिक मीटर के उपयोज्य जल संसाधनों में से 139.9 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई सृजित की जा सकती है। जल की कमी वाले मौसम के दौरान जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 177 टी सी एम का भंडारण पहले ही सृजित किया जा चुका है और निर्माणाधीन एवं योजना स्तर वाली परियोजनाओं के पूरा होने से 207 टी सी एम भंडारण सृजित होने की संभावना है। चल रही सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्त लाभों को और अधिक बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने, राज्यों के संसाधन आवश्यकता को बढ़ाने एवं अभिज्ञात किए वृहद एवं माध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जो कि निर्माण की अन्तिम अवस्था में है, को पूरा करने के लिए राज्य को केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराने के लिए वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत मार्च, 2002 के अंत तक 8480.03 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता पहले ही जारी की जा चुकी है। अभिज्ञात किए गए अंतिम अवस्था वाली अभिज्ञात वृहद एवं माध्यम परियोजनाओं को 100 प्रतिशत ऋण सहायता मुहैया कराने के वास्ते इस कार्यक्रम को पुनः अभिमुखीकरण किया गया जो कि फरवरी, 2002 से प्रभावी होकर फास्ट-ट्रैक कार्यक्रम के तहत एक वर्ष (दो कार्यकारी मौसमों) में पूरा किया जा सकेगा।

वर्षापोषित क्षेत्रों में कृषि को अनियमित मानसून से बचाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1990-91 में वर्षा पोषित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना शुरू की है। इसमें ऐसे क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। नौवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान वर्ष 2000-01 तक 22.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया गया है।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

112. श्री के. एच. मुनियप्पा :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती प्रभा राव :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
डा. मन्दा जगन्नाथ :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः माह के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेश मंत्रालय ने विभिन्न देशों में अपने वाणिज्य दूतावासों को यह निर्देश जारी किया था कि वे उन देशों द्वारा पर्यटकों के लिए जारी की गई भारत यात्रा न करने संबंधी सलाह को वापिस ले लें;

(ग) यदि हां, तो क्या इन निदेश को वापिस लिए जाने का अनुसरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो भारत की यात्रा करने के इच्छुक विदेशी पर्यटकों में विश्वास पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने देश के जैन मंदिर परिसरों की हालत सुधारने के लिए निधियां आवंटित की हैं;

(च) यदि हां, तो क्या इस सूची में कर्नाटक के पुराने जैन मंदिर परिसरों को शामिल किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) वर्ष 2002 (जनवरी से जून) के दौरान देश में विदेशी पर्यटक आगमन में वर्ष 2001 की इसी समयावधि की तुलना में 14.9 प्रतिशत की कमी आई।

(ख) से (घ) विदेश मंत्रालय से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) संस्कृति विभाग ने कर्नाटक में विभिन्न जैन मंदिरों में और उनके चारों तरफ विकासात्मक कार्यकलापों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग को 299.39 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। विभिन्न जैन मंदिरों/परिसरों, जिनके लिए सहायता दी गई है में—श्री दिगम्बर जैन सहस्त्रकूट जैनालय, अरासिकेरी, जिला—हसन (कर्नाटक) रायबाग (कर्नाटक) में आदिनाथ जैन मंदिर, कुठानाथ बसाडी (हम्पी), गेरूसोप्पा में चतुर्मुख बसाडी, करकला (हम्पी) में बाहुबली मूर्ति, जैन मंदिर, पट्टाडकल, गेरूसोप्पा में चतुर्मुख बसाडी, पंचकूटा बस्ती, (मंडया) हसन (श्रावणवेलगोला), हेमोकूटा हिल्स (हम्पी) और हेले विड (हसन) में मंदिरों का समूह शामिल है।

आई.टी.डी.सी. की उपदान राशि में गिरावट

113. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पर्यटन विकास निगम के 11 होटलों की उपदान राशि में 23 करोड़ रुपए की गिरावट का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) सभी होटलों/शुल्क मुक्त दुकानों और भारत पर्यटन विकास निगम के सम्बद्ध व्यवसायों सहित निगम की उपदान निधि की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	31.3.01 तक	31.3.02 तक (अनन्तिम)
उपदान प्रावधान	32.28	31.61
जीवन बीमा निगम के पास उपलब्ध राशि	20.23	16.80
कमी	12.05	14.81

(ग) वित्तीय वर्ष 2000—2001 के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के लेखा परीक्षित लेखे के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 15 के अनुसार वास्तविक आधार पर उपदान मुहैया कराया गया था। भारत पर्यटन विकास निगम की सामान्य प्रक्रिया में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए

पर्याप्त धन था। पिछले वर्षों में सामान्य भुगतान प्रतिवर्ष 3 से 4 करोड़ रुपए की सीमा तक था। अतः कोई जांच पड़ताल नहीं की गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भू-जल-स्तर में गिरावट

114. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ हिस्सों में भू-जल-स्तर में कमी आई है जिससे हैंड पंप और ट्यूबवेल बेकार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे प्रभावित स्थानों के नाम क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपेक्षित भू-जल-स्तर को बनाये रखने के लिए इस समस्या पर काबू पाने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए प्रेक्षणों से देश में 22 जिलों के कुछ स्थानों में भू-जल की गिरावट की स्थिति देखने में आई है जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाण, कर्नाटक, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी शामिल है। यह सूचना मिली है कि ऐसे कुछ क्षेत्रों में हैंड पंप तथा नलकूप सूख गए हैं।

(ग) से (ङ) जल, राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन से संबंधित स्कीमों की योजना, उनका वित्तपोषण एवं कार्यान्वयन करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। भारत सरकार विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, भू-जल का कृत्रिम पुनर्भरण तथा छत के वर्षा जल का संचयन कर वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा दे रही है। केन्द्र सरकार द्वारा देश में भू-जल की गिरावट को रोकने तथा उसका उपयोग करने के लिए अनेकों उपाय किए हैं। ये उपाय इस प्रकार हैं :

(i) भू-जल प्रबंधन एवं विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन।

(ii) वर्ष 1970 में एक मॉडल बिल परिचालित किया गया था जिसे सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1992 एवं वर्ष 1996 में पुनः परिचालित किया गया ताकि वे भूमि जल विकास के उपयोग को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए उचित कानून बना सकें।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअल परिचालित करना ताकि वे भू-जल स्तर की गिरती प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्र विशेष की कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम तैयार कर सके।

(iv) देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 23.48 करोड़ रुपये की लागत से "प्रायोगिक आधार" पर भू-जल के पुनर्भरण अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन करना।

(v) दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए 150 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भू-जल के पुनर्भरण के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का प्रस्ताव किया गया है।

(vi) पूरे देश में जल संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण संबंधी जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

पशुओं हेतु आधुनिक मेला स्थलों को विकास

115. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देशभर में पशुओं के विपणन

हेतु आधुनिक मेला स्थलों के विकास की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पशु बाजारों के विकास की वर्तमान योजनाएं कौन सी हैं;

(घ) वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) वर्ष 2001–2002 और चालू वर्ष के दौरान आज तक कितनी धनराशि व्यय की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस विभाग द्वारा कोई योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

116. **श्रीमती श्यामा सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख पर्यावरणविदों ने देश में प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक और अवैज्ञानिक दोहन पर चिंता जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश में क्षीण होती हरियाली के संरक्षण हेतु कुछ कार्यक्रमों की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का देश में तेजी से क्षीण होते प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) सतत प्रबंधन सिद्धांत पर तैयार की गई कार्य योजना में निर्धारित किए अनुसार वनों की कटाई की अनुमति दी जाती है। वर्ष 1987 से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून के माध्यम से हर दो वर्ष बाद देश के वन आवरण का मूल्यांकन किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा तैयार की गई वन स्थिति रिपोर्ट, 1999 के अनुसार पूर्व मूल्यांकन की तुलना में, वन आवरण में 3896 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, वन संरक्षण और विकास हेतु उपाय किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं :

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा भारत सरकार से वित्तीय सहायता के साथ वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(ii) वनों के विकास और परिरक्षण हेतु विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(iii) अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरुद्धार में ग्रामीण समुदायों को शामिल किए जाने के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

(iv) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पारिस्थितिकीय स्थायित्व और वन संसाधनों के संरक्षण और विकास में निवेश में बढोतरी के माध्यम से वानिकी और वन संसाधनों के योगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम तैयार किया है।

(v) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दावानल की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

अनुकंपा आधार पर नियुक्ति

117. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और विभागों में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों के विद्यमान मानदंड क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुकंपा आधार पर कितनी नियुक्तियां की गईं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान मृतक कर्मचारियों के कितने आश्रितों को रोजगार नहीं दिया गया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किसी समूह "ग" अथवा "घ" पद पर सीधे भर्ती कोटे के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां होने वाले रिक्त पदों के अधिकतम 5 प्रतिशत तक भर्ती की जा सकती है।

(ख) विगत तीन वर्षों (1999-2001) के दौरान अनुकंपा के आधार पर दो नियुक्तियां की गई थीं।

(ग) वर्ष 1999-2001 के दौरान इस प्रयोजन हेतु निर्धारित कोटे में रिक्त पद न होने के कारण मृतक कर्मचारियों के छः आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सका।

प्रमुख पत्तनों को जोड़ने वाला सुपर राजमार्ग

118. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दस बड़े पत्तनों को जोड़ने वाला सुपर राजमार्ग निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पत्तन का ब्यौरा क्या है, राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है और परियोजना लागत कितनी है; और

(ग) इसका निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों/राज्यीय सड़कों के माध्यम से देश के 10 महापत्तनों के लिए पर्याप्त सड़क संपर्क के विकास का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) प्रत्येक पत्तन, राजमार्ग की कुल लंबाई, परियोजना लागत तथा कार्य पूरा होने की संभावित तारीख के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पत्तन संपर्क परियोजनाएं

क्र.सं.	पत्तन	विकास के लिए खंड	लंबाई कि.मी.	लागत करोड़ रु.	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	पारादीप	राष्ट्रीय राजमार्ग-5ए (0 कि.मी. से 74 कि.मी.)	74	350	सितम्बर, 2005
2.	हल्दिया	राष्ट्रीय राजमार्ग-41 (रा.रा. 6 पर कोलाघाट से हल्दिया)	53	220	अप्रैल, 2005
3.	विशाखापत्तनम	राज्यीय सड़क	12	80	दिसम्बर, 2004
4.	चेन्नै और इन्नौर	चेन्नै-इन्नौर एक्सप्रेस मार्ग	6	140	दिसम्बर, 2005
5.	तूतीकोरिन	राष्ट्रीय राजमार्ग-7ए (तूतीकोरिन-तिरुनेलवेली खंड)	51	175	सितम्बर, 2005
6.	कोचीन	राष्ट्रीय राजमार्ग-47 (348/382 से 358/300 कि.मी. और (5 बड़े पुल)	10	100	जून, 2005
7.	नव मंगलूर	राष्ट्रीय राजमार्ग-17 (कारसगोडू-मंगलौर-उडुपी खंड) और राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (मंगलौर-बांटवल खंड)	37	140	सितम्बर, 2005

1	2	3	4	5	6
8.	मुरगांव	राष्ट्रीय राजमार्ग–17बी (पत्तन से रा.रा. 17 पर वर्ना जंक्शन)	18	53	सितम्बर, 2003
9.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन	पैकेज–I राष्ट्रीय राजमार्ग–4बी + राष्ट्रीय राजमार्ग–4	30	143	अप्रैल, 2004
		पैकेज–II राज्यीय राजमार्ग–54 + आमरा मार्ग + पनवेल क्रीक पुल	16	130	अप्रैल, 2005
10.	कांडला	राष्ट्रीय राजमार्ग–8ए (समख्याली–गांधीधाम)	56	191	पूरा हो चुका है
		जोड़	363	1722	

[हिन्दी]

राजस्थान को जल संसाधन परियोजनाओं हेतु अनुदान

119. **डा. जसवंतसिंह यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जल संसाधन परियोजनाओं हेतु राजस्थान सरकार को कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई और इस पर वास्तव में कुल कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न वित्तपोषित कार्यक्रमों स्कीमों में से केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए वित्तपोषण अनुदान के रूप में मुहैया कराया जाता है। तदनुसार जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राजस्थान सरकार को जारी किए गए अनुदान की राशि और राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार वास्तविक कुल व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	जारी किए गए अनुदान की राशि (रुपये लाख में)	वास्तविक कुल व्यय (रुपये लाख में)
1999–00	2700.00	6943.67
2000–01	1592.19	6295.37
2001–02	2654.66	3977.48 (जनवरी, 2002 तक)

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टें एवं परियोजना वार जारी किए गए प्रस्ताव नियमित आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं, उनके लिए जारी किया जाता है।

[अनुवाद]

वन भूमि का अन्यत्र उपयोग और अतिक्रमण

120. **श्री रमेश चेन्नितला :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से राज्य के आदिवासियों को वन भूमि के उपयोग की अनुमति देने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को केरल के वायनाड जिले में वन भूमि के अतिक्रमण की जानकारी मिली है; और

(घ) यदि हां,. तो अतिक्रमण रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) केरल सरकार ने वर्ष 1999 में इस मंत्रालय को भूमिहीन आदिवासियों में वितरण के लिए केरल के विभिन्न जिलों में सरकार के अधिकार में 8000 हेक्टेयर निजी वन के वनेतर प्रयोग के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव निर्धारित फोर्मेट में नहीं था और इसलिए केरल सरकार से प्रस्ताव को उपयुक्त फोर्मेट में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

इस वर्ष केरल सरकार से आदिवासियों के पुनर्वास के लिए केरल के कासरगोडा, कन्नूर वायनाड, पालाकाड, मालप्पुरम और कोजीकोड में 12196.1829 हेक्टेयर वन भूमि के वनेतर प्रयोग का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम की कमी पाई गई थी और इसलिए इसे राज्य सरकार को वापिस कर दिया गया।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने सूचित किया है कि मार्च से जून, 2002 के महीनों में वायनाड जिले में वनभूमि के अतिक्रमण के प्रयास किए गए थे। वन विभाग कड़ी निगरानी कर रहा था और अधिकतर अतिक्रमणों को सरसरी तरीके पर बेदखल कर दिया गया था। केरल में भूमिहीन आदिवासियों ने पुनर्वास को कार्यान्वित न किए जाने के प्रतिरोध में वन क्षेत्र के पुनः अतिक्रमण के प्रयास किए थे। इसके बाद समझौता हो गया था और आदिवासी लोगों ने हड़ताल वापिस लेने और उनके द्वारा अतिक्रमित वन भूमि को खाली करने पर सहमति हो गई थी। अधिकतर क्षेत्रों में अतिक्रमण लौटा दिए गए हैं।

स्टाकहोम सम्मेलन

121. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाकहोम सम्मेलन में अपशिष्ट के भस्मीकरण हेतु डायोक्सीन और भट्टी को प्रमुख स्रोत के रूप में पहचान की गई है और वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे देश में अभी भी डायोक्सीन और भट्टी कर प्रचुर मात्रा में निर्माण किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पी.वी.सी. के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का है क्योंकि यह अपनी पूरी उपयोगिता अवधि में विषाक्त रहता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस स्थिति का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) स्टाकहोम कन्वेंशन के अनुसार डायोक्सिन और फ्यूरेन को छोड़ने के लिए अपशिष्ट इनसिनरेटरों की एक सम्भावित स्रोत के रूप में पहचान की गई है। कन्वेंशन ने इन उत्सर्जनों के अनजाने में छोड़े जाने को कम करने अथवा समाप्त करने के लिए अनेक उपाय निर्धारित किए हैं। सरकार ने देश में स्थायी आर्गेनिक प्रदूषकों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यू एन आई डी ओ) के साथ कार्य करने के लिए एक परियोजना तैयार की है जिसके लिए विश्व पर्यावरण सुविधा से निधि प्राप्त होगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वन्य जीवों हेतु भोजन

122. श्री जे. एस. बराड़ : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय पशुओं के वध पर प्रतिबंध के करण विभिन्न चिड़ियाघरों में वन्य जीवों को उचित भोजन नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वन्य जीवों को क्या वैकल्पिक मांस दिया जा रहा है;

(ग) वन्य जीवों के लिये परंपरागत मांस की तुलना में गैर–परंपरागत मांस पर कितना मासिक व्यय हुआ;

(घ) क्या परंपरागत मांस का आयात किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) केन्द्र सरकार के ध्यान में लाया गया है कि नंदन कानन प्राणी उद्यान के चिड़ियाघर प्राणियों के लिए मांस की आपूर्ति में बाधा पड़ी है क्योंकि जिन कसाईखानों से वे गाय का मांस प्राप्त कर रहे थे, वे बन्द हो गए हैं।

(ख) नन्दन कानन प्राणी उद्यान को सलाह दी गई है कि चिड़ियाघर के प्राणियों को भैंस का मांस दिया जाए। देश के अधिकतर चिड़ियाघरों में केवल भैंस का मांस ही चिड़ियाघर के प्राणियों को दिया जाता है।

(ग) परंपरागत मांस के लगभग 1.34 लाख रुपये मासिक खर्च के मुकाबले गैर–परम्परागत मांस (6.6.02 से 5.7.02) पर लगभग 5.08 लाख रुपये खर्च हुए।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित औद्योगिक इकाइयां

123. श्री रामदास आठवले : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित औद्योगिक इकाइयों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) देश के आदिवासी क्षेत्रों में स्थिति ऐसी इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन इकाइयों द्वारा शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सहकारी और निजी क्षेत्र की ऐसी कितनी इकाइयों को सहायता मुहैया कराई गई?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) 31.12.2001 की स्थिति अनुसार ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा राज्य–वार औद्योगिक यूनिटों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में अलग से डाटा/सूचना का अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है।

(घ) 31.12.2001 तक आर.ई.जी.पी. के तहत के.वी.आई.सी. द्वारा 1,29,653 यूनिटों को सहायता प्रदान की गई है।

विवरण

आर.ई.जी.पी. के तहत 31.12.2001 की स्थिति अनुसार राज्यवार परियोजनओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आर.ई.जी.पी. के तहत परियोजनाएं
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	9487
2.	अरुणाचल प्रदेश	314
3.	असम	310
4.	बिहार	514
5.	गोवा	1654
6.	गुजरात	662
7.	हरियाणा	3189
8.	हिमाचल प्रदेश	698

1	2	3
9.	जम्मू एंड कश्मीर	4964
10.	कर्नाटक	9848
11.	केरल	4712
12.	मध्य प्रदेश	16397
13.	महाराष्ट्र	15094
14.	मणिपुर	612
15.	मेघालय	2633
16.	मिजोरम	723
17.	नागालैण्ड	4503
18.	उड़ीसा	898
19.	पंजाब	6860
20.	राजस्थान	19464
21.	सिक्किम	18
22.	तमिलनाडु	3404
23.	त्रिपुरा	34
24.	उत्तर प्रदेश	10999
25.	पश्चिमी बंगाल	9982
26.	अंडमान एंड निकोबार	113
27.	चंडीगढ़	122
28.	दादरा नागर हवेली	07
29.	दमन एंड दीव	0
30	दिल्ली	201
31.	लक्षद्वीप	08
32.	पांडिचेरी	897
33.	छत्तीसगढ़	139
34.	झारखंड	83
35.	उत्तरांचल	110
	कुल	1,29,653

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग

124. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार इन राजमार्गों का विकास नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में इन सड़कों के विकास के लिए कौन–कौन से कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्रमशः विवरण–। और ॥ में संलग्न है।

(ख) से (घ) वर्तमान प्राथमिकता राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़क गुणता में सुधार कराना है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्धारित मानदंडों के अनुसार कमजोर सड़क को मजबूत करना, चौड़ा करना, सड़क ज्यामितीय में सुधार और बड़े तथा छोटे पुलों के पुनर्निमाण का कार्य, यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में शुरू किया जाएगा।

विवरण-I

मध्य प्रदेश से कुल मिलाकर 18 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं जिनकी कुल लंबाई 4734.00 कि.मी. है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं

क्र.सं.	रा.रा. संख्या	विवरण	मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण शहर	लंबाई (कि.मी.)
1.	3	मुंबई–आगरा	ग्वालियर–शिवपुरी–इंदौर–सेंधवा	695.8
2.	7	वाराणसी–कन्याकुमारी	मंगावन–रीवा–कटनी–जबलपुर–लखंडन–सेवनी–खावसा	590.10
3.	12	जबलपुर–जयपुर	जबलपुर–भोपाल–बियाओरा–राजगढ़–खिलचीपुर	484.57
4.	12ए	जबलपुर–चिल्पी–सिमगा	जबलपुर–मंडला	189.00
5.	25	लखनऊ–शिवपुरी	करेरा–शिवपुरी	80.00
6.	26	झांसी–लखंडन	सागर–देवरी–करेली–लखंडन	272.64
7.	27	इलाहाबाद–मंगावन	कटरा–मंगावन–चकघाट	51.65
8.	59	अहमदाबाद–इंदौर	झाबुआ–राजगढ़–दोहद–धाड़–इंदौर	168.80
9.	59ए	इंदौर–बेतूल	इंदौर–छपरा–कनौड़–क्षतेगांव–हरदा–मुआफी–सोदलपुर–चिचोली–खेरी–बेतूल	277.20
10.	69	नागपुर–ओबेदुल्लागंज	चिचोली–मुलतै–बेतूल–शाहपुर–केसिया–इटारसी–होशंगाबाद–बुधनी–ओबेदुल्लागंज	255.80
11.	75	ग्वालियर–रीवा	ग्वालियर–दतिया–अलीपुरा–नौगांव–छतरपुर–पन्ना–नागोड़–सतना–रीवा	308.80
12.	75 विस्तार	रीवा–रांची	रीवा–चुरहट–सीधी–जियावन–सोहर–बरगवा–बैडॉन–मरहूली	211
13.	76	पिंडवाड़ा–इलाहाबाद	शिवपुरी	41.40
14.	78	कटनी–गुमला	कटनी–शहडोल–गुमला	233.6
15.	79	अजमेर–लबोड़ जंक्शन	नयागांव–नीमच–मंदसौर–जाओरा–रतलाम–बदनावर	240.00
16.	86	कानपुर–सागर	छतरपुर–बांदा–सागर	185.60
17.	86 विस्तार	सागर–देवास	सागर–राहतगढ़–ग्यारसपुर–विदिशा–भोपाल–रायसेन–देवास	340.00
18.	92	ग्वालियर–भौगांव	ग्वालियर–महगावन–फुपकलां	108.00
		जोड़		4734.01

विवरण-II

छत्तीसगढ़ से कुल मिलाकर 9 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं जिनकी कुल लंबाई 1827.3 कि.मी. है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	रा.रा. संख्या	विवरण	छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण शहर	लंबाई (कि.मी.)
1.	6	हजीरा–कलकता	राजनांदगांव–दुर्ग–भिलाई–जयपुर–पिथारा–सुरईपाली	318.40
2.	12ए	जबलपुर–शिमगा	चिल्पी–कवर्धा–बमीनारा–शिमगा	126.60
3.	16	निजामाबाद–जगदलपुर	भोपालट्टनम–वीजापुर–जगदलपुर	217.00
4.	43	रायपुर–विजयनगरम	रायपुर–धामतारी–कानपुर–कंडागांव–जगदलपुर–कोटपाड़	313.60
5.	78	कटनी–गुमला	मनेन्द्रगढ–बोवीपुरथापुर–सूरजपुर–अम्बिकापुर–पुथालगांव–जशपुरनगर	350.30
6.	200	रायपुर–चंडीखोल	रायपुर–शिमला–बिलासपुर–तंजगीर–सुप्ता–रायगढ़	313.00
7.	202	हैदराबाद–भोपालपट्टनम	भोपालपट्टनम	36.00
8.	216	रायगढ़–सारणपाली	रायगढ़–सारणगढ़–नरईपाली	86.80
9.	217	रायपुर–गोपालपुर	घोरारी–महासुमुनद–सौरमार	65.60
			जोड़	1827.30

[अनुवाद]

नारियल जटा का उत्पादन और उसके उत्पादों में वृद्धि

125. श्री अनन्त नायक : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नारियल का उत्पादन बढ़ाने और उसके उत्पादों में वृद्धि करने हेतु उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दसवीं योजना के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की जाएगी;

(ख) क्या नारियल बोर्ड ऐसे प्रत्येक राज्य में जहां नारियल जटा काफी मात्रा में उपलब्ध है, कोई कदम उठा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) देश में कॅयर उत्पादन में वृद्धि तथा विस्तार करने की दृष्टि से कॅयर बोर्ड एक सम्बर्धनकर्ता तथा सुविधादाता के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न सम्वर्धनात्मक कार्यक्रमों जैसे कि अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और विस्तार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, घरेलू तथा निर्यात मार्किट संवर्धन कार्य करता है और गैर–परम्परागत क्षेत्रों में नई कॅयर औद्योगिक यूनिटों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता विस्तारित करता है।

दसवीं पंचवर्षीचय योजना 1.4.2002 से शुरू हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कॅयर बोर्ड द्वारा किए गए प्रयासों के साथ–साथ इनमें जनशक्ति विकास कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, नई कॅयर औद्योगिक यूनिटों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, मार्किट विकास

सहायता, मार्किट सम्वर्धन तथा कॅयर उत्पादों इत्यादि के नए उपयोगों का प्रदर्शन करना शामिल है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को पूरा करने हेतु विश्व बैंक से ऋण

126. **श्री रामचन्द्र पासवान :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को पूरा करने हेतु विश्व बैंक से ऋण लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा इस उद्देश्य हेतु विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक द्वारा कुल 1611 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान किया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विश्व बैंक ऋणों के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ऋण राशि	ऋण प्रारंभ/समापन	सम्मिलित राज्य
1.	प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	200.0 मिलियन अमरीकी डालर	1986/1993	गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
2.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	306.0 मिलियन अमरीकी डालर	1992/2001	पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
3.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	516.0 मिलियन अमरीकी डालर	2000/2006	उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड
4.	ग्रांड ट्रक सड़क सुधार (जी टी आर आई पी)	589.0 मिलियन अमरीका डालर	2001/2006	उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर

127. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री पी. आर. किन्डिया :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कर्मचारी भविष्य निधि पर दिये जाने वाली ब्याज दर को 9.5 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत करने के लिये वित्त मंत्रालय से कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि का केन्द्रीय न्यासी बोर्ड उक्त प्रस्ताव पर सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या लाखों कामगारों के हित में इस निर्णय की समीक्षा किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने 22 जनवरी, 2002 को हुई अपनी बैठक में वर्ष 2002–2003 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के संबंध में ब्याज दर की घोषणा के मुद्दे पर विचार किया था और मामले पर आगे और विचार किए जाने तक ब्याज दर 9.5 प्रतिशत बनाए रखने की सिफारिश की। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) ने 12 अप्रैल, 2002 को हुई अपनी बैठक में पुनः यह इच्छा व्यक्त की है कि पिछली बैठक में अंतरिम आधार पर संस्तुत की गयी ब्याज की दर 9.5 प्रशिशत पर बनी रहनी चाहिए। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

विदेशी विमान कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें

128. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री अम्बरीश :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक विदेशी कंपनियों ने भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो देशवार और विमान कंपनीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भी इन देशों के साथ परस्पर व्यवस्था का अनुरोध किया है ताकि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया इन देशों के लिए उड़ान शुरू कर सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो. नाईक) : (क) से (ङ) सेशलस की एयर सेशल्स, ताइवान की चाइना एयरलाइंस, चीन की चइना ईस्टर्न एयरलाइंस, अफगानिस्तान की एरिएना अफगान एयरलाइंस, ईरान की महान एयर, साइप्रस की साइप्रस एयरवेज, स्विटजरलैंड की क्रास एयर (अब स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस) ने हाल ही में भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने में रुचि दिखाई है। इन देशों के लिए विमान सेवा प्रचालित करने के लिए इंडियन कैरियरों को पारस्परिक यातायात अधिकार भी उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

सिक्किम में पर्यटन को बढ़ावा

129. **श्री भीम दाहाल** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान देश में विशेषकर सिक्किम में विदेशी/घरेलू पर्यटकों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में विशेषकर सिक्किम में घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन स्थलों के विकास हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2001 के दौरान, स्वदेशी पर्यटक आगमन में 6.2 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि हुई है। तथापि, वर्ष 2001 के दौरान वर्ष 2002 की तुलना में देश में विदेशी आगमन में 8 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2002 और 2001 के दौरान सिक्किम राज्य में स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों के भ्रमण की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है :

वर्ष	भ्रमण की संख्या	
	स्वदेशी पर्यटक	विदेशी पर्यटक
2000	143105	10409
2001	203306	31028

वर्ष 2001 के दौरान, विदेशी पर्यटक आगमन में कमी, विश्व व्यापार केन्द्र पर हुए आतंकवादी हमले, अफगानिस्तान में युद्ध और देश में सुरक्षा के बारे में गलत धारणाओं के कारण हुई।

(ग) पर्यटक स्थलों के विकास सहित पर्यटन अवसंरचना का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। देश में पर्यटन का विकास करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शमिल हैं :

- पर्यटन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में अवस्थित करना।
- पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत प्रतिस्पर्धात्मक में बढ़ोतरी करना।
- उत्पाद विकास में सुधार तथा विस्तार करना।
- विश्व स्तरीय अवसंरचना का सृजन करना।
- प्रभावशाली विपणन के लिए नीतियां बनाना।

वर्ष 2001–2002 के दौरान, सिक्किम राज्य में पर्यटन के विकास के लिए 108.93 लाख रुपए राशि की पांच परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

औरंगाबाद वन विभाग द्वारा शुरू किए गए कार्य

130. **कुंवर अखिलेश सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध अजंता और एलोरा गुफाओं के संबंध में वन विभाग द्वारा शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) इससे कुल कितने कार्य दिवस का सृजन हुआ है और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) औरंगाबाद वन विभाग द्वारा वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान वनों के विकास हेतु कुल खर्च की गई धनराशि का कार्यक्रम–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान औरंगाबाद वन विभाग द्वारा खर्च की गई धनराशि का योजना–वार ब्यौरा क्या है और कुल कितने दिन कार्य किए गए?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजन्ता और एलोरा गुफाओं में वनीकरण कार्यों के लिए 160.80 लाख रुपए खर्च किए गए। वर्ष–वार खर्च का ब्यौरा और सृजित कार्य दिवसों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता और एलोरा में शुरू किए गए वनीकरण कार्यों का ब्यौरा

वर्ष	व्यय (लाख रुपए में)	सृजित कार्य दिवस (लाखों में)
1997–98	30.33	0.56
1998–99	शून्य	शून्य
1999–00	66.46	1.06
2000–01	21.99	0.34
2001–02	42.02	0.61
कुल	160.80	2.57

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना हेतु धनराशि

131. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना के अंतर्गत विशेषकर राजस्थान हेतु वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए जारी की गई धनराशि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी राज्यों ने केन्द्रीय सहायता का अच्छी तरह उपयोग कर लिया है और क्या प्रगति खर्च की गई धनराशि के अनुरूप हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एनडब्ल्यू एसडीपी योजना की समीक्षा करने और सभी राज्यों द्वारा लागू/क्रियान्वित की जाने वाली व्यापक दिशा-निर्देशों को तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) नवम्बर, 2000 तक सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) एक स्वतंत्र केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही थी, इसके पश्चात इसे वृहद् प्रबंध पद्धति के अंतर्गत समाहित किया गया है। योजना के शामिल किए जाने से पहले वर्ष 1998-99 से 2000-01 के लिए निधियों की निर्मुक्ति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप में पनधारा विकास के लिए सामान्य प्रस्ताव के अनुरूप एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. को नौवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए मूलतः पुनर्गठित किया गया। विभिन्न एजेन्सियों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिए डब्ल्यू.ए.आर.ए.एस.ए. जल सहभागिता दिशा निर्देशी सिद्धान्त इस मंत्रालय द्वारा लाए गए। ये दिशानिर्देशी अन्य बातों के साथ-साथ लोगों की भागीदारी पर केन्द्रित हैं और स्थान विशिष्ट तथा कम लागत की देशी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने की तकनीक के चयन के लचीलेपन को अनुमति देते हैं।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान वर्ष 1998-99 से 2000-01 के अतंर्गत एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. के अंतर्गत निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/के. शा. प्र.	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	900.000	900.000	300.000
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.000	17.000	10.000
3.	असम	125.000	0.000	10.000
4.	बिहार	125.000	0.000	7.000
5.	छत्तीसगढ़	0.000	0.000	474.840
6.	गोवा	8.000	3.000	2.000
7.	गुजरात	2000.000	2000.000	1000.000
8.	हरियाणा	220.000	35.000	25.000
9.	हिमाचल प्रदेश	175.000	200.000	245.000
10.	जम्मू एवं कश्मीर	38.000	15.000	2.000
11.	झारखंड	0.000	0.000	0.000
12.	कर्नाटक	2000.000	1700.000	1100.000
13.	केरल	1434.000	350.000	175.000
14.	मध्य प्रदेश	1609.000	2650.000	1230.160
15.	महाराष्ट्र	3060.000	800.000	1290.000
16.	मणिपुर	200.000	300.000	30.000
17.	मेघालय	200.000	250.000	30.000
18.	मिजोरम	700.000	466.000	100.000
19.	नागालैण्ड	500.000	500.000	80.000
20.	उड़ीसा	550.000	200.000	205.000
21.	पंजाब	45.000	8.000	16.000
22.	राजस्थान	4000.000	3700.000	2310.000
23.	सिक्किम	150.000	200.000	40.000
24.	तमिलनाडु	1650.000	1700.000	1160.000
25.	त्रिपुरा	300.000	350.000	80.000

1	2	3	4	5
26.	उत्तर प्रदेश	1750.000	1512.000	1400.000
27.	उत्तरांचल	0.000	0.000	0.000
28.	पश्चिम बंगाल	600.000	750.000	124.000
29.	दादरा एवं नगर हवेली	1.000	0.000	2.000
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	65.000	34.000	23.000
	कुल	22436.000	18640.000	11471.000

[हिन्दी]

महाराष्ट्र को धनराशि

132. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य जल संकट को सुलझाने हेतु 500 करोड़ रुपए की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवती) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने कृषि मंत्रालय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसमें उसने राज्य में सूखे की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 500 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है। इस पर कृषि मंत्रालय में कार्यवाही विभिन्न चरणों में है।

किसानों को राहत सहायता

133. **श्री मानसिंह पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किसानों को अत्यधिक वर्षा, ओला-वृष्टि, सूखा और कीटों इत्यादि के कारण हुए नुकसानों के लिए राहत सहायता प्रदान करने हेतु तैयार की गई योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष में उपरोक्त कारणों से किसानों को राज्यवार कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों को हुए नुकसानों की प्रतिपूर्ति हेतु मवेशी बीमा योजना शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत सहायता आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) में से दी जाती है और इसके बाद असाधारण प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता, कोष (एन.सी.सी.एफ.) में से दी जाती है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने अभी तक रिपोर्ट दी है कि उनके राज्य के कुछ भाग दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं जिससे 199 आदमी और 1100 से ज्यादा पशुओं की जानें गई हैं, इसके अलावा 0.13 लाख हेक्टयर फसलगत क्षेत्र को क्षति पहुंची है।

(ग) और (घ) जी, हां। पशुपालन और डेरी विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2000 में देश के 8 चुनिंदा जिलों में प्रायोगिक (पाइलाट) आधार पर एक केन्द्र क्षेत्रीय पशुधन बीमा योजना शुरू की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम को क्रियान्वित किए जाने के लिए योजना आयोग ने अनुमोदन नहीं किया है।

[अनुवाद]

राजमार्गों पर आसपास लगे पेड़ों की बिक्री

134. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली-सोनीपत राजमार्ग के आसपास लगे हजारों पुराने पेड़ों की बिक्री की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या निवारात्मक कदम उठाने का है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) हरियाणा वन विभाग ने सूचित किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिल्ली–सोनीपत राजमार्ग पर स्थित वृक्षों को राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 को छः लेन किए जाने के कार्य के दौरान आवश्यक अनुमोदन के साथ काटा गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वनीकरण की क्षतिपूर्ति के लिए हरियाणा सरकार के पास आवश्यक निधियां जमा करा दी हैं।

[हिन्दी]

पर्यटन स्थलों का विकास

135. श्री राधा मोहन सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्राचीन तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2002–03 के दौरान इन पर्यटन स्थलों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटक यातायात में वृद्धि की दृष्टि से, तीर्थ यात्रा, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को समाहित करते हुए एकीकृत विकास के लिए अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों का संवर्धन योजना के मुख्य घटक हैं। इन कार्यकलापों में—राज्य सरकारों के सहयोग से मास्टर प्लानों की तैयारी, सुगम्यता में सुधार, असंकुल, गंतव्य स्थलों के चारों ओर के वातावरण में सुधार, गंतव्य स्थल का प्रदीप्तिकरण, पहुंच स्थलों तक प्रकाश–प्रदर्शन शामिल है। अवसंरचना विकास के अलावा, पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए भारत और विदेश स्थित कार्यालयों के माध्यम से स्थलों का संवर्धन किया जाता है।

(ग) वर्ष 2002–2003 के दौरान, इस उद्देश्यार्थ 41.50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा

136. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सहित देश भर में स्मारकों/ऐतिहासिक महत्व के उन स्थलों का ब्यौरा क्या है जो भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं; और

(ख) सरकार द्वारा राज्यों में घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) उत्तर प्रदेश में आगरा का ताजमहल और लालकिला, सारनाथ और कुशीनगर के बौद्ध स्थल, वाराणसी के पुराने घाटों इत्यादि सहित देश में बड़ी संख्या में ऐतिहासिक महत्व के स्मारक/स्थल स्वेदशी और विदेशी दोनों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

(ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने देश में विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित लघुअवधि योजनाएं तैयार की हैं :

(1) पर्यटन विकास कार्य को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना।

(2) एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि के लिए भारत के वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना।

(3) नए पर्यटन बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना।

(4) विश्व स्तर की अवसंरचना का सृजन।

(5) सतत एवं प्रभावी मार्केट योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना।

(6) ग्रामीण और लघु पर्यटन के विकास पर विशेष बल देना।

(7) सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा शिष्टाचार और नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों और बेहतर शासन की ओर ध्यान देना।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पेड़ प्रजातियों का विलुप्त होना

137. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में महत्वपूर्ण प्रजाति के पेड़ विलुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रजातियों को बचाने और उनके संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता ने देश की परिसंकटमय और संकटग्रस्त पौधा प्रजातियों को उनके द्वारा प्रकाशित "रेड डाटा बुक" खण्ड 1–3 में सूचीबद्ध किया है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड की कई संकटग्रस्त वृक्ष प्रजातियां सूची में शामिल हैं।

(ग) भारत सरकार द्वारा दुर्लभ, परिसंकटमय और संकटग्रस्त पौधों के स्वःस्थाने व स्थान बाह्य संरक्षण के लिए कदम उठाए गए हैं। इन प्रजातियों के बहुलीकरण और शुरूआत संबंधी कार्य विभिन्न संस्थानों के प्रयोगात्मक बागानों, विश्वविद्यालयों और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में चल रहा है। भारत सरकार के पास मात्र इस उद्देश्य के लिए वानस्पतिक उद्यानों की सहायता हेतु एक परियोजना है। वनों की सुरक्षा हेतु वानिकी संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम" के तहत सभी राज्यों को केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

[अनुवाद]

डीजल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध के कारण दिल्ली में प्रदूषण पर प्रभाव

138. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल से चलने वाले लोक परिवहन की बसों पर प्रतिबंध के कारण दिल्ली में वायु/ध्वनि प्रदूषण में परिवर्तन से संबंधित कोई आकलन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वायु प्रदूषण पर डीजल से चलने वाले वाहनों के प्रतिबंध का प्रभाव का आकलन किस एजेंसी के माध्यम से कराया गया है; और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) डीजल वाली कितनी बसों पर जुर्माना किया गया है और इससे अब तक कितनी धनराशि एकत्र हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग चौराहे पर, डीज़ल से चलने वाली लोक परिवहन बसों पर 5.4.2002 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू प्रतिबंध के पहले और बाद में किए गए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरी वायु प्रदूषण के निम्नलिखित स्तरों को दर्शाती है :

क्र.सं.	अवधि	अंतः श्वसनीय विविक्त पदार्थ (आरएसपीएम)	निलंबित पदार्थ	नाइट्रोजन डाई–आक्साइड (एनओ$_2$)	सल्फर डाई–आक्साइड (एसओ$_2$)
		(औसत तिमाही आंकड़ा प्रति घन मीटर माइक्रोग्राम में)			
1.	जनवरी से मार्च, 2002	315		78	10
2.	अप्रैल से जून, 2002	265		73	9

दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण पर डीज़ल से चलने वाली लोक परिवहन बसों पर प्रतिबंध के बाद आए परिवर्तन का कोई आकलन नहीं किया गया।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के 5 अप्रैल, 2002 के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में, आवश्यक लागत जमा करने के बाद ही, डीज़ल से चलने वाली बसों को प्रतिदिन के आधार पर आवागमन की अनुमति होगी। चूंकि डीज़ल से चलने वाली बसों से प्रतिदिन के आधार पर लागत वसूली जाती है, इसलिए ऐसी बसों की संख्या दिन पर दिन परिवर्तित होती रहती है। डीज़ल बसों से लागत के रूप में 17,03,50,500/– रु. (सत्रह करोड़ तीन लाख पचास हजार पांच सौ रुपए केवल) की वसूली हुई है।

नई कृषि नीति

139. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 10 जून, 2002 को एक नई कृषि नीति की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में वनों का विकास

140. श्री रामजी मांझी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जुलाई, 2002 के "दी टाइम्स ऑफ इंडिया" में "व्हाट्स ए सिटी विदाउट ए फारेस्ट ऑफ ट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वनों के विकास हेतु दिल्ली के विभिन्न विभागों को कितनी धनराशि जारी की गई है और इस धनराशि का विभाग–वार किस प्रकार उपयोग किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली में वन क्षेत्र से सभी गैर–वानिकी गतिविधियों को समाप्त करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं और वन के विकास हेतु इन्हें कब तक समाप्त किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2000 के अनुसार दिल्ली का वन आवरण 26 वर्ग कि.मी. से बढ़कर 88 वर्ग कि.मी. हो गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा विकास संबंधी अन्य विभागों जैसी विभिन्न एजेंसियां दिल्ली का वृक्ष आवरण बढ़ाने में जुटी हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वन विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान योजना और गैर–योजना के तहत किए गए खर्च संबंधी ब्यौरा निम्नलिखित है :

वर्ष	धनराशि (रुपए में)
1997–98	963.24 लाख
1998–99	878.21 लाख
1999–00	1137.54 लाख
2000–21	1281.17 लाख
2001–02	1543.08 लाख

उक्त धनराशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वन और गैर–वन क्षेत्रों में पौध रोपण, स्थापना, प्रचार उपायों तथा वन्यजीव अभयारण्य आदि पर खर्च की गई है। सीपीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, पीडब्ल्यू डी, एमसीडी तथा डीडीए जैसे अन्य विभागों ने भी अपने संबंधित क्षेत्रों में पौध रोपण गतिविधियां शुरू की हैं।

(ग) वन क्षेत्रों में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (एफसीए) के तहत पूर्व अनुमति के बिना किसी भी गैर वन गतिविधि की अनुमति नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम के अतिक्रमण और/या उल्लंघन संबंधी मामले प्रकाश में आने पर इन्हें दूर करने के लिए संबंधित सांविधिक प्रावधानों के तहत उपाय किए जाते हैं।

कर्नाटक में "जोग" जलप्रपात (जोगफॉल्स) का विकास

141. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने जोग जलप्रपात (जोगफॉल्स) को आकर्षक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने का कार्य आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कितनी धनराशि प्रदान करने का है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनसे विचार-विमर्श करके प्रत्येक वर्ष अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए निधि मुहैया कराता है। पर्यटन विभाग द्वारा जोग जलप्रपातों (जोगफॉल्स) के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं :

(1) वर्ष 1998-99 में जोग 24.80 लाख रुपए की लागत वाली परियोजना से अतिरिक्त पर्यटक सुविधाओं का विस्तार।

(2) वर्ष 1999-2000 में जोग के लिए मध्यमार्ग पर 8 लाख रु. की लागत वाली परियोजना से जनसुविधाओं का प्रावधान।

(3) वर्ष 1999-2000 के दौरान जोग में 10 लाख रु. की लागत वाली परियोजना से जोग जलप्रपात (जोगफॉल्स) की व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट।

(ग) परियोजना का कार्यान्वयन और निष्पादन करना कर्नाटक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

142. **श्री शिवाजी माने :** क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1997 से आज तक महाराष्ट्र में किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने विस्तार और रख-रखाव का कार्य शुरू किया गया है और महाराष्ट्र से गुजरने वाले अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस तरह के कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ख) इस पर कुल कितना अनुमानित खर्च होगा और आज की स्थिति के अनुसार इस पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) महाराष्ट्र में कुल 14 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने, विस्तार और रख-रखाव का कार्य यातायात की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध रूप में किया जाता है। महाराष्ट्र से गुजरने वाले 14 राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम इस प्रकार हैं :

1.	रा.रा.सं. 3	मुंबई-आगरा
2.	रा.रा.सं. 4	थाणे (मुंबई) - चेन्नै
3.	रा.रा.सं. 4बी	प्लास्पे-जेएनपीटी
4.	रा.रा.सं. 6	सूरत -कोलकाता
5.	रा.रा.सं. 7	वाराणसी-कन्याकुमारी
6.	रा.रा.सं. 8	दिल्ली-मुंबई
7.	रा.रा.सं. 9	पुणे-हैदराबाद
8.	रा.रा.सं. 13	सोलापुर-मंगलौर
9.	रा.रा.सं. 16	निजामाबाद-जगदलपुर
10.	रा.रा.सं. 17	पनवेल-कोचीन
11.	रा.रा.सं. 50	नासिक-पुणे
12.	रा.रा.सं. 69	नागपुर-ओबेदुल्लागंज
13.	रा.रा.सं. 204	कोल्हापुर-रत्नागिरि
14.	रा.रा.सं. 211	धुले-सोलापुर

(ख) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए आवंटन और व्यय इस प्रकार है :

वर्ष	विकास		अनुरक्षण	
	आवंटन (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)	आवंटन (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)
1997–98	80.62	80.62	51.58	57.57
1998–99	113.83	116.59	49.58	49.58
1999–00	217.98	204.19	46.55	47.69
2000–01	214.66	198.61	40.65	40.65
2001–02	173.26	172.01	52.01	52.00

राजस्थान में नए उद्योगों की स्थापना

143. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1998 से गत चार वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में ग्रामीण उद्यागों को बढ़ावा देने और नए उद्योगों की स्थापना हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या केन्द्र सरकार और खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु कोई आर्थिक सहायता, ऋण और राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार और खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ग्रामीण उद्योगों के लिए सुदृढ़ आर्थिक आधार बनाने और नए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) सरकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु, देशभर में राजस्थान राज्य सहित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत केवीआईसी 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए 25% की दर पर मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है। 10 लाख रु. से अधिक और 25 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी की दर 10 लाख रु. का 25% जमा परियोजना की शेष लागत का 10% है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.वर्ग/महिलाएं आदि और पर्वतीय, सीमावर्ती एवं आदिवासी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर प्रदेश, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के लिए मार्जिन मनी अनुदान 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत का 30% है। 10 लाख रु. से अधिक और 25 लाख रु. तक परियोजना लागत के लिए, यह 10 लाख का 30% जमा परियोजना की शेष लागत का 10% है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का 10% है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के मामले में, लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का 5% है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। 31.03.2001 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत, देश में, राजस्थान सहित वित्त पोषित परियोजनाओं और सृजित कार्यों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास और संवर्धन हेतु 14.5.2001 को एक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में, पांच वर्षों के लिए छूट की नीति, छूट का विकल्प और विपणन विकास सहायता (एमडीए), खादी कारीगरों को बीमा सुरक्षा, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग और डिजाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन संवर्धन के उपाय, ब्रांड बिल्डिंग, क्लस्टर विकास आदि शामिल हैं। यह पैकेज कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अन्तर्गत है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(31.3.2001 की स्थिति के अनुसार) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार वित्तपोषित परियोजनाएं और सृजित जॉब्स

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	व्यक्ति लाखों में
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8933	81985
2.	अरुणाचल प्रदेश	310	2747
3.	असम	205	1865
4.	बिहार	417	3736
5.	गोवा	1446	13188
6.	गुजरात	596	5385
7.	हरियाणा	2993	27475
8.	हिमाचल प्रदेश	458	4176
9.	जम्मू एवं कश्मीर	4964	45498
10.	कर्नाटक	8937	81985
11.	केरल	4141	37915
12.	मध्य प्रदेश	15666	144249
13.	महाराष्ट्र	14165	130486
14.	मणिपुर	612	5604
15.	मेघालय	2562	23518
16.	मिजोरम	723	6594
17.	नागालैंड	4500	41212
18.	उड़ीसा	777	7033
19.	पंजाब	6225	57038
20.	राजस्थान	17454	160124
21.	सिक्किम	18	219
22.	तमिलनाडु	2886	37374
23.	त्रिपुरा	21	220
24.	उत्तर प्रदेश	9809	89681
25.	पश्चिमी बंगाल	8305	77160
26.	अंडमान एवं निकोबार	112	989
27.	चंडीगढ़	99	879
28.	दादरा व नगर हवेली	07	68
29.	दिल्ली	172	1538
30.	पांडिचेरी	893	8132
31.	छत्तीसगढ़	79	659
32.	झारखंड	06	56
33.	उत्तरांचल	44	330
	कुल	1,19,714	1099118

[अनुवाद]

'नेशनल लाईब्रेरी' का परिवर्तन

144. श्री विकास चौधरी :
श्री एस. पी. लेपचा :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नेशनल लाईब्रेरी' कोलकाता को एक स्वायत्तशासी संस्थान में परिवर्तन हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल लाईब्रेरी ने वर्ष 1995–2001 से बिना लाईब्रेरियन के ही कार्य किया है;

(घ) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान उक्त लाईब्रेरी के निदेशक को या तो अंशकालिक आधार या तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम, 1976 में राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता को स्वायत्त दर्जा प्रदान करने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम लागू करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) जी, हां। जुलाई, 2001 से एक नियमित प्रधान पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी कार्य कर रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) 1998 में निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय के पद पर नियुक्त व्यक्ति ने उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के 6 माह के भीतर अचानक उक्त संगठन को छोड़ दिया। अब इस पद को तदर्थ आधार पर भरा गया है। उक्त रिक्त पद को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर भरने के प्रयास अभी सफल नहीं हो पाए हैं।

वनों में आग

145. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अनुमानतः कुल कितने वन क्षेत्र प्रतिवर्ष आग लगने के कारण प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या उत्तरांचल में बार–बार आग लगती है;

(ग) यदि हां तो दो वर्षों के दौरान और इसके बाद उत्तराचंल में कौन–कौन से क्षेत्र आग के द्वारा प्रभावित हुए हैं;

(घ) क्या विभाग द्वारा हमारे देश में वनों में आग लगने के कारणों, उनके प्रभाव तथा वनों में आग के निवारण और प्रबंधन से संबंधित और नीतिगत मुद्दों पर अच्छी तरह अनुसंधान व प्रलेखन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) अनुमान है कि हर वर्ष 3 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र दावानल से प्रभावित होता है।

(ख) और (ग) जी, हां। दावानल के मौसम में उत्तरांचल सहित देश के वन क्षेत्रों में बार–बार वनों में आग लगती रहती है। उत्तरांचल के पहाड़ी क्षेत्र विशेषकर चिर पाइन के शंकुधारी वनों में बार–बार आग लगने का कारण मानव हस्तक्षेप है। उत्तरांचल वन विभाग द्वारा प्रकाशित, उत्तरांचल वन सांख्यिकी 2001 के अनुसार अनुमान है कि पिछले दो वर्षों के दौरान 13.76 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र दावानल से प्रभावित हुआ था।

(घ) से (च) जी, हां। विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और वन विभाग अनुसंधान विंग द्वारा दावानल अध्ययन किए जाते हैं। उनके माध्यम से प्राप्त अनुभव के आधार पर भारत सरकार ने दावानलों के निवारण और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार किया है जिसमें दावानल के कारण और प्रभाव औरन उनके निवारण और नियत्रंण की विधियां शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा जून, 2000 में सभी राज्यों को राष्ट्रीय दावानल दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दावानल निवारण और नियंत्रण के सुदृढ़ घटकों सहित एक "एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम" कार्यान्वित की जाएगी।

इंटर-सिटी एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य

146. श्री वाई. वी. राव : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार देश में 2000 किलोमीटर लंबी इंटर–सिटी एक्सप्रेस वे का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) इस समय देश में इंटर–सिटी एक्सप्रेसवे निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

तेल्ली वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र का जलप्लावित होना

147. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुबनसीरी विद्युत परियोजना को क्रियान्वित करने से तेल्ली वन्यजीव अभयारण्य के किसी हिस्से के डूब जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभयारण्य के किस सीमा तक और कितने प्रतिशत क्षेत्र के डूबने की संभावना है;

(ग) इस परियोजना से नदी की धारा में होने वाले विपथण से अभयारण्य क्षेत्र की पारिस्थितिकी के प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) सुबनसीरी विद्युत परियोजना के कार्यान्वित होने से, तेल्ली वन्यजीव अभयारण्य के 42 हेक्टेयर क्षेत्र के डूबने की संभावना है जो कि अभयारण्य के कुल क्षेत्र का 0.1 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) अभयारण्य का डूबने वाला क्षेत्र किनारे पर है। परियोजना से नदी के मार्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए परियोजना के पारिस्थितिकीय प्रभाव आकलन एक अनिवार्य शर्त है।

वन्यजीव अपराध आसूचना प्रकोष्ठ की स्थापना

148. श्री टी. गोविन्दन : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने वन्यजीव अपराध आसूचना प्रकोष्ठ गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के प्रभार में एक वन्यजीव अपराध प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। वन्यजीव अपराध प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों और भारत सरकार के विभिन्न प्रवर्तन अभिकरणों और आसूचना संगठनों से वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार संबंधी आसूचना एकत्र करना है और उपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) के परामर्श से प्रवर्तन कार्रवाई के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिकरण के साथ मामला उठाना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना

149. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों को क्रियाशील करने के मामले में निजी विमान सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने हेतु इंडियन एयरलाइंस द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार के साथ किसी समाझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या नए संपर्कों, अतिरिक्त उड़ानों एवं पर्यटन विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य में पर्यटन की संभावना वाले स्थानों की पहचान की गई है;

(घ) क्या यात्रा पैकेजों, अतिरिक्त उड़ानों इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए नागपुर का चयन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) इंडियन एयरलाइंस ने पर्यटन को बढ़ावा देने

के लिए अनेक सेल्स और मार्केटिंग पहल की हैं जैसे कि विदेशी पर्यटकों के लिए अमेरीकी डॉलर में विशेष किराया, भारतीय राष्ट्रिकों तथा भारत में बसे विदेशी दोनों के लिए भारतीय रुपया में किराए की विशेष स्कीम, एपेक्स किराए–सेलेक्ट घरेलू सेक्टरों पर अग्रिम खरीद स्कीम आदि।

(ख) से (ङ) इंडियन एयरलाइंस ने महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता–ज्ञापन के अनुसरण में, इंडियन एयरलाइंस और महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम महाराष्ट्र में नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, मुंबई जैसे महत्वपूर्ण गंतव्य स्थलों के लिए जहां इंडियन एयरलाइंस उड़ानें प्रचालित करती है, भूमि प्रबंध व्यवस्था समेत पैकेज के ब्यौरे तैयार कर रही है और साथ ही सैटेलाइट टाउनों को भी कवर कर रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

150. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक की तिथि तक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) से लाभान्वित होने वाले उत्तर प्रदेश के किसानों की जिलावार संख्या कितनी है; और

(ख) इस देश में इस योजना को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य ने खरीफ, 2000 मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कार्यान्वित की है। उत्तर प्रदेश में लाभान्वित किसानों का जिला–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस स्कीम को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए थे :

- राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के आरम्भ किए जाने के समय राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरीय सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- स्कीम के प्रचार के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किए गए थे।
- कार्यान्वयन एजेन्सी ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को किसानों में लोकप्रिय करने के लिए इलैक्ट्रानिक और अन्य मीडिया का व्यापक उपयोग किया।
- किसानों की जानकारी के लिए देशी भाषाओं में पैम्पलैट मुद्रित कराए गए।

विवरण

प्रत्येक मौसम में लाभान्वित किसानों की संख्या

क्र.सं.	जिला	खरीफ 2000	रबी 2000	खरीफ 2001*
1	2	3	4	5
1.	सहारनपुर	550	110	321
2.	मुजफ्फरनगर	1252	—	—
3.	मेरठ	3065	—	—
4.	बागपत	—	14	—
5.	बुलन्दशहर	2538	4732	716
6.	गाजियाबाद	13	631	
7.	गौतमबुद्ध नगर	441	571	—
8.	अलीगढ़			538
9.	हाथरस			568
10.	मथुरा	5466		888
11.	फिरोजाबाद	97	3278	
12.	मैनपुरी	298		
13.	एटा	468	826	2736
14.	बरेली	5330	97	—
15.	बदायूं	616	4	123
16.	शाहजहांपुर	5059		4817
17.	पीलीभीत	754	14	

1	2	3	4	5
18.	बिजनौर	748	734	—
19.	मुरादाबाद	5961	35	2864
20.	ज्योतिबा फुले नगर	1445	—	—
21.	रामपुर	—	169	—
22.	फरूखाबाद	—	—	13
23.	कन्नौज	404	—	—
24.	इटावा	2309	1479	3372
25.	औरैया	5474	—	—
26.	कानपुर नगर	33	44	13
27.	कानपुर देहात	—	100	417
28.	फतेहपुर	—	698	144
29.	इलाहाबाद	1219	2402	1052
30.	कौशाम्बी	—	208	—
31.	प्रतापगढ़	4684	1624	361
32.	बांदा	3610	1614	125
33.	चित्रकूट	855	2116	446
34.	वाराणसी	59	3548	—
35.	चन्दौली	2938	2216	1
36.	गाजीपुर	9644	—	877
37.	जौनपुर	—	—	1942
38.	मिर्जापुर	553	1016	1397
39.	सोनभद्र	308	—	—
40.	संत रविदास नगर	4	987	—
41.	आजमगढ़	4212	8934	391
42.	मऊ	—	1203	—
43.	बलिया	1970	2369	—
44.	गोरखपुर	691	1103	1452
45.	महाराजगंज	1	—	193
46.	देवरिया	—	—	191
47.	कुशीनगर	—	2	127
48.	बस्ती	602	3418	—
49.	सिद्धार्थ नगर	635	855	—
50.	संत कबीर नगर	—	5440	246
51.	लखनऊ	1568	—	—
52.	उन्नाव	6185	632	—
53.	राय बरेली	1587	1060	44
54.	सीतापुर	16692	52	87
55.	हरदोई	1436	2455	222
56.	खीरी	—	—	—
57.	फैजाबाद	—	377	—
58.	अम्बेडकर नगर	—	171	16
59.	सुल्तानपुर	1607	3020	221
60.	बाराबंकी	60	620	657
61.	गौंडा	—	—	—
62.	बलरामपुर	—	—	—
63.	बहराइच	582	585	—
64.	श्रावस्ती	—	1490	—
65.	आगरा	—	4069	—

1	2	3	4	5
66.	झांसी	—	410	3
67.	ललितपुर	—	705	556
68.	जालौन	—	8320	—
69.	हमीरपुर	4971	715	405
70.	महोबा	2099	5639	210
	सकल योग	111093	82911	28656

*राज्यों का हिस्सा प्राप्त न होने के कारण खरीफ 2001 के दावों का अभी संवितरण नहीं किया गया है।

खाड़ी देशों में पर्यटन को बढ़ावा

151. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खाड़ी देशों में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) शिष्टमंडल का नेतृत्व नागर विमानन मंत्री द्वारा किया गया और शिष्टमण्डल ने आबूधाबी, मस्कट एवं बहराइन का दौरा किया। इसमें कुछ राज्यों के पर्यटन मंत्री, सरकारी पदाधिकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे। इस क्षेत्र से भारत के लिए पर्यटन का संवर्धन करने की दृष्टि से, बड़ी संख्या में सेमीनार, कार्यशालाएं, साक्षात्कार और भारतीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस संवर्धनात्मक कार्य के परिणामस्वरूप, बड़ी संख्या में नए पैकेजों की शुरूआत की गई, ताकि इस क्षेत्र से पर्यटकों के आगमन में और संवर्धन किया जा सके।

[अनुवाद]

दुग्ध उत्पादन

152. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिनांक 26 मई, 2002 के "दि एशियन एज" में प्रकाशित समाचार के अनुसार कर्नाटक मिल्क फेडेरेशन द्वारा तैयार 3,000 टन स्किम्ड दुग्ध पाउडर पिछले नौ माह से बेकार पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कुल कितनी मात्रा में दुग्ध उत्पादन किया गया है और इसका क्या मूल्य है;

(ङ) प्रति व्यक्ति दूध की आवश्यकता और उपलब्धता कितनी है और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रति वर्ष कुल कितने मूल्य का दूध बेकार हुआ; और

(च) दूध एवं इससे बने उत्पादों की बर्बादी की रोकथाम हेतु दूध एवं दूध उत्पादों के सरंक्षण एवं भंडारण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) कर्नाटक दुग्ध परिसंघ और इसके सदस्य दूध संघों के पास मई, 2002 में स्किम्ड दूध चूर्ण का 1875 मी. टन स्टॉक था न कि 3000मी टन।

(ख) और (ग) कर्नाटक में दूग्ध संघों के डेयरी संयंत्र पुनरर्थापना के लिए स्किम्ड दूग्ध चूर्ण के कुछ भाग का उपयोग करते हैं और शेष को बेच देते हैं। जुलाई, 2002 तक स्किम्ड दूग्ध का स्टॉक 1816 मी. टन है जिसमें मई और जून, 2002 के दौरान उत्पादित 800 मी. टन स्किम्ड दूग्ध चूर्ण शामिल है। कर्नाटक डेरियां आन्तरिक रूप से स्टॉक के हिस्से का उपयोग कर सकेंगी और शेष मात्रा को समाप्ति की तारीख के भीतर बेच सकती हैं।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उत्पादित दूध की मात्रा और कीमत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के अनुसार दूध की प्रति व्यक्ति आवश्यकता लगभग 250 ग्राम प्रतिदिन है। वर्ष 2001-2002 के लिए देश में अनुमानित प्रति व्यक्ति उपलब्धता 226 ग्राम प्रतिदिन है।

भारत सरकार को किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से उक्त अवधि के दौरान दूध के बेकार पड़े होने की कोई सूचना नहीं मिली है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के पास उपलब्ध अधिशेष दूध को दूध चूर्ण, घी और अन्य मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों में बदल दिया जाता है ताकि उनके पास उपलब्ध अधिशेष दूध का उपयोग किया जा सके।

(च) ऑपरेशन फ्लड और समेकित डेयरी विकास कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रमों के तहत देश ने दूग्ध तथा दूग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण, संरक्षण और भंडारण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे तैयार किए हैं।

विवरण

दुग्ध उत्पादन के अनुमान और दूध का अनुमानित मूल्य

क्र.सं.	राज्य/संघ प्रदेश शासित	दुग्ध उत्पादन और अनुमानित मूल्य					
		1999-2000*		2000-01*		2001-02**	
		उत्पादन (000' टन)	मूल्य (लाख रु. में)	उत्पादन (000' टन)	मूल्य (लाख रु. में)	उत्पादन (000' टन)	मूल्य (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5122	578427	5521	623487	5145	581025
2.	अरुणाचल प्रदेश	45	5082	45.5	5138	55	6211
3.	असम	733	82778	738	83342	894	100959
4.	बिहार	3740	422358	3878	437943	4068	459399
5.	गोवा	43	4856	44	4969	47	5308
6.	गुजरात	5255	593447	5317	600449	5573	629359
7.	हरियाणा	4679	528399	4849	547598	4976	561940
8.	हिमाचल प्रदेश	741	83681	760	85827	810	91473
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1286	145228	1037	117108	1088	122868
10.	कर्नाटक	4473	505136	4598	519252	5357	604966
11.	केरल	2673	301862	2771	312929	2907	328288
12.	मध्य प्रदेश	5600	632408	5806	655672	6091	687857
13.	महाराष्ट्र	5706	644379	5850	660641	6024	680290

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	67	7566	69	7792	73	8244
15.	मेघालय	62	7002	64	7228	71	8018
16.	मिजोरम	18	2033	14	1581	11	1242
17.	नागालैंड	49.5	5590	50	5647	54	6098
18.	उड़ीसा	847	95652	875	98814	865	97684
19.	पंजाब	7700	869561	7984	901633	8375	945789
20.	राजस्थान	7260	819872	7455	841893	6330	714874
21.	सिक्किम	35	3953	35.5	4009	46	5195
22.	तमिलनाडु	4574	516542	4899	553244	4629	522753
23.	त्रिपुरा	49	5534	51	5759	53	5985
24.	उत्तर प्रदेश	14153	1598298	14840	1675881	16506	1864023
25.	पश्चिम बंगाल	3465	391302	3470	391867	4079	460641
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	23	2597	24	2710	25	2823
27.	चंडीगढ़	42	4743	44	4969	46	5195
28.	दादरा व नगर हवेली	1	113	1	113	1	113
29.	दमन एवं दीव	10	1129	10	1129	1	1242
30.	दिल्ली	290	32750	292	32976	321	36251
31.	लक्षद्वीप	1	113	1	113	1	113
32.	पांडिचेरी	36	4065	37	4178	38	4291
	अखिल भारत	78779	8896456	81430	9195890	84570	9550490

*अनन्तिम **प्रत्याशित

[हिन्दी]

अनुबंधित कृषि

153. श्री रामजीलाल सुमन :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के बाद देश में अनुबंधित कृषि आरंभ हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने भू–क्षेत्र में अनुबंधित कृषि की जा रही है; और

(घ) कौन-कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अनुबंधित कृषि में उद्यम किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में स्मारकों का संरक्षण

154. श्री राजो सिंह : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विशेषकर पटना, मुंगेर, वैशाली और जमुई में स्थित स्मारकों के संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) गत चार वर्षों के दौरान इन स्मारकों पर कितना धन खर्च किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) बिहार राज्य में पटना, वैशाली के जिलों में कुल 14 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं तथा मुंगेर और जमुई में केन्द्र द्वारा किसी स्मारक/स्थल का संरक्षण नहीं किया जाता।

बिहार राज्य में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के लिए पर्याप्त उपाय दैनंदिन रख-रखाव, संरचनात्मक मरम्मतों, रासायनिक परिरक्षण तथा पर्यावरणीय विकास के माध्यम से पुरातत्वीय सिद्धान्तों के अनुसार किए जाते हैं।

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान, पटना तथा वैशाली में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर निम्नखिलित व्यय किया गया :

1998-1999	77,310 रु.
1999-2000	17,81,508 रु.
2000-2001	7,11,987 रु.
2001-2002	17,64,974 रु.

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में पशुपालन संबंधी विकास

155. श्री बी. के. पार्थसारथी :

श्री गंता श्रीनिवास राव :

श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में पशुपालन क्षेत्र के विकास हेतु क्रियान्वित की गई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में उक्त कार्य हेतु राज्य को योजनावार कितना धन जारी किया गया है;

(ग) राज्यों को धन प्रदान करने से संबंधित निर्धारित किए गए मानदंड क्या हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त क्षेत्र में क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) पशुपालन और डेयरी विभाग पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए उनके प्रयासों को पूरा करने हेतु प्रमुख रूप से बुनियादी ढांचे के लिए राज्य सरकारों को अनुदान सहायता प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश सहित राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर धनराशि निर्मुक्त की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में पशुपालन विकास के लिए जारी की गई धनराशि के योजनावार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना	आंध्र प्रदेश को वर्षवार जारी की गई धनराशि (लाख रुपए में)		
		1999-00	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय गोपशु और प्रजनन संबंधी परियोजना	10.48	891.25	741.75
2.	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	5.71	0.18	25.27
3.	व्यवसायिक दक्षता विकास	18.00	7.50	0.00

1	2	3	4	5
4.	पशुप्लेग उन्मूलन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	13.66	40.00	20.00
5.	वधशालाओं/पशुशव उपयोगिता केन्द्रों का आधुनिकीकरण/सुधार	0.00	0.00	63.00
6.	पशुधन उत्पादन के अनुमान के लिए समेकित नमूना सर्वेक्षण	11.00	10.33	10.00
	कुल	58.85	949.26	860.02

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु योजना

156. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री के. पी. सिंह देव :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जून, 2002 के "दि हिन्दू" में "न्यू स्कीम टू बूस्ट टूरिज्म" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार नई योजना जो पर्यटन क्षेत्र को एक नई दिशा देने के लिए पूरी तरह व्यापक होगी, तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनके साथ परामर्श करके अवसंरचना के विकास और पर्यटन के संवर्धन के लिए प्रत्येक वर्ष अभिनिर्धारित परियोजनाओं हेतु निधि मुहैया करता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पर्यटन विभाग वार्षिक आधार पर देश में 6 पर्यटन परिपथ अभिनिर्धारित करने और इन परिपथों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव करता है। इसके अलावा, पर्यटन विभाग राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पर्यटक गंतव्य स्थलों को अभिनिर्धारित करने और इन स्थानों में एकीकृत विकास करने का प्रस्ताव करता है।

[हिन्दी]

स्मारकों का रख-रखाव

157. श्री रामदास आठवले : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में अनेक ऐतिहासिक स्मारक उचित रख-रखाव के अभाव में विलुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ याचिकाओं का संज्ञान लेते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को जून 2002 में नोटिस जारी किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने अपना जवाब दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का यह एक सतत प्रयास है कि केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का रख-रखाव उचित आकार में किया जाए। सभी संरक्षित स्मारकों का रख-रखाव और संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने ऐतिहासिक स्मारकों के प्रति लापरवाही तथा खराब रख-रखाव तथा पुरावशेषों की चोरी का आरोप लगाते हुए माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में एक जनहित याचना दायर की है।

(ङ) न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया को उत्तर देने के लिए 13.8.2002 तक का समय दिया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को पानी छोड़ा जाना

158. श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्री पी. डी. एलानगोवन :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कर्नाटक प्रतिवर्ष तमिलनाडु को 205 टी.एम.सी. फीट पानी छोड़ने के कावेरी नदी जल विवाद प्राधिकरण के अंतरिम आदेशों का पालन नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अंतर्गत दिनांक 10.12.1991 को सरकारी राजपत्र में कावेरी जल विवाद अधिकरण का दिनांक 25 जून, 1991 का अंतरिम आदेश प्रकाशित किया है जो विवादों के पक्षकारों के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी है। पक्षधारी राज्यों को चाहिए कि अब वे अंतरिम आदेश लागू कर दें। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने अधिकरण के दिनांक 25 जून, 1991 के अंतरिम आदेश और इससे संबंधित सभी अनुवर्ती आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए कावेरी नदी प्राधिकरण और एक निगरानी समिति शामिल करते हुए दिनांक 11 अगस्त, 1998 को अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 क के अंतर्गत एक स्कीम को अधिसूचित किया है। कावेरी नदी प्राधिकरण ने अब तक तीन बैठकें और निगरानी समिति ने 12 बैठकें आयोजित की हैं। जल वर्षा 1995–96 और 2001–2002 में जब वर्षा अपर्याप्त मात्रा में दर्ज की गई, को छोड़कर जबसे अंतरिम आदेश हुआ है, सभी जल वर्षों में तमिलनाडु के मेत्तूर जलाशय में वार्षिक अन्तर्वाह 205 टी.एम.सी. फीट से भी अधिक था। कावेरी नदी प्राधिकरण के निर्देश पर केन्द्रीय जल आयोग ने एक जलाभाव भागीदारी फार्मूला (डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला) तैयार किया है। तमिलनाडु राज्य ने यह टिप्पणी की है कि जलाभाव की भागीदारी से संबंधित मामले पर अधिकरण विचार कर रहा है इसलिए यह मामला निर्णयाधीन है। कर्नाटक का मानना है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा अपनाए गए रुख से इस मामले पर चर्चा करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा।

[हिन्दी]

निजी विमान सेवाओं से प्रयोक्ता शुल्क

159. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने स्वामित्व वाले विमानपत्तनों का निजी विमान सेवाओं द्वारा उपयोग करने के लिए उनसे शुल्क वसूल करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं नियम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने स्वामित्व में हवाई अड्डों पर विभिन्न सुविधाओं के प्रयोग करने पर सभी एयरलाइनों से शुल्क वसूलती है। इन शुल्कों की वसूली भारतीय विमानपत्तनों प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22 के अनुसार की जाती है। शुल्कों का वर्गीकरण यातायात और गैर–यातायात शुल्कों के अंतर्गत किया जाता है जिसमें मार्ग, नेवीगेशनल, सुविधा शुल्क, एक्स–रे सामान शुल्क, टर्मिनल नेवीगेशनल अवतरण शुल्क काउंटर/स्पेश/हैंगर सुविधा लाइसेंस शुल्क आदि समेत अवतरण व पार्किंग शुल्क, आवास शुल्क, हवाई अड्डा शुल्क शामिल है। ये शुल्क मुहैया किए गए स्थान, विमानों के वजन, कार्गो के वजन, घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों एवं उड़ानों तथा इन सुविधाओं के उपयोग की समयावधि आदि के आधार पर अलग–अलग होते हैं।

फलों एवं सब्जियों का संरक्षण

160. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक फलों एवं सब्जियों का संरक्षण करने की किसी जैव संवर्धित तकनीक का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तकनीक को बाजार में कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं

161. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उन सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 2001–2002 के दौरान विश्व बैंक ने वित्तीय सहायता स्वीकृत की है;

(ख) उक्त प्रयोजन हेतु विश्व बैंक द्वारा कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए 143 मिलियन अमेरीकी डालर के बराबर 110 मिलियन एस.डी.आर. क्रेडिट के लिए 15.3.2002 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उसमें 6,20,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र वाले 23 जिलों में अन्य के साथ–साथ 90 वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई स्कीमें शामिल हैं। इस परियोजना की क्रेडिट बंद होने की तारिख 31.3.2008 है। अभी तक वर्ष 2002 तथा 2003 के दौरान 12.76 मिलियन नियोजित अमेरिकी डालर के अनुमानित वितरण की तुलना में राजस्थान सरकार को 5 मिलियन अमेरिकी डालर वितरित किया गया है।

[अनुवाद]

नारियल वृक्षों का बचाव

162. श्री रमेश चेन्नितला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक नारियल की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले एक रोग कोकोनेट स्पाईट से नारियल वृक्षों को बचाने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त रोगों की रोकथाम करने हेतु जैव कृषि को बढ़ावा देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) नारियल के वृक्षों को "ईरियोफाइड माइट" से बचाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) जैविक उपायों के माध्यम से 'माइट' पर नियंत्रण करने के लिए जैव एजेंटों का विकास करने हेतु नारियल विकास बोर्ड ने परियोजना निदेशालय, जैव वैज्ञानिक नियंत्रण (पी.डी.बी.सी.) के माध्यम से 3 लाख की लागत वाली एक अनुसंधान परियोजना प्रायोजित की है। "माइकोहिट" नामक एक जैव–एजेंट का विकास किया जा चुका है। बागानों में इसकी क्षमता और जैव वैज्ञानिक सुरक्षा की जांच की जा रही है। इस दिशा में और अधिक अनुसंधान करने के लिए बोर्ड ने पी.डी.बी.सी. को 6.65 लाख रु. भी निर्मुक्त किए हैं;

(2) नारियल विकास बोर्ड ने केन्द्रीय पादप रोपण फसल अनुसंधान संस्थान और राज्यीय कृषि विश्व विद्यालयों के साथ मिलकर किसानों में जागरूकता अभियान/सेमिनार/सामूहिक विचार विमर्श का आयोजन किया है;

(3) नारियल विकास बोर्ड ने विभागीय कर्मचारियों और किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए हैं और एक वेवसाइट जारी किया है ताकि इंटरनेट पर "माइट" से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सके;

(4) नारियल "माइट" पर अनुसंधान कार्य किए जाने के लिए राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन.ए.टी.पी.) के अंतर्गत 142.45 लाख रु. की राशि प्रदान की गई है।

(5) नारियल "माइट" के प्रबंधन संबंधी उपयुक्त नियंत्रणकारी उपायों के विकास कार्य की समीक्षा और उसमें समन्वयकारी प्रयास करने के लिए एक संचालन समिति गठित की गई थी। यह समिति प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा कर रही है तथा इसकी अंतिम बैठक 14.6.2002 को हुई थी। समिति ने एक सर्वांगीण दृष्टिकोण की सिफारिश की है जिसमें पोषण के स्तर में सुधार, "माइट" से प्रभावित नारियल बागानों के प्रबंधन के लिए वानस्पतिक और जैव कीटनाशियों का प्रयोग भी शामिल है।

नारियल "माइट" पर नियंत्रण करने के लिए 1998-99 से 2000-01 के दौरान राज्यों को नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

राज्य	दी गई सहायता (करोड़ रुपए में)
केरल	30.09
कर्नाटक	13.50
तमिलनाडु	10.54
आंध्र प्रदेश	3.70
उड़ीसा	0.16
योग	57.99

(ख) और (ग) नारियल विकास बोर्ड द्वारा भारत में चलाई जा रही "नारियल उद्योग के समेकित विकास" नामक स्कीम में "उत्पादकता सुधार हेतु नारियल बागानों में समेकित कृषि" नामक एक घटक भी शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत जैविक खाद ईकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 20,000/-रु. की राशि प्रदान की जाती है। "माइट" से प्रभावित नारियल बागानों के प्रबंधन के लिए जिसमें पोषण स्तर में सुधार और वानस्पतिक और जैव कीटनाशियों जैसे कि नीम खली, नीम तेल के मिश्रण के प्रयोग और प्रतिरोधी अंतर/मिश्रित फसलों के उत्पादन को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है जिसमें कीटनाशियों के कम उपयोग पर जोर दिया गया है।

यमुना नदी में जहरीले रसायनों का छोड़ा जाना

163. **श्री बसुदेव आचार्य : क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यमुना नदी में जहरीले रसायनों को छोड़े जाने की ओर आकृष्ट किया गया है जिसके परिणामस्वरूप हजारों मछलियां मारी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दोषी कंपनियों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रत्येक कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) सरकार को आगरा से बटेश्वर क्षेत्र में 13 और 17 जून, 2002 को यमुना नदी में मछलियों के मरने की घटना की जानकारी है। कुछ लघु उद्योगों के अलावा, उस क्षेत्र में स्थित मथुरा रिफाइनरी ही बड़ा उद्योग है। रिफाइनरी में पहले से ही बहिस्राव शोधन संयंत्र लगा हुआ है जो निर्धारित मानकों के अनुरूप बहिस्राव का निस्तारण करता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जल की कमी

164. **श्री जे. एस. बराड़ : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई हिस्से जल की भारी कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने वर्षा जल संचयन एवं बाढ़ जल संग्रहण हेतु कोई नई परियोजना आरंभ की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा लगाए

गए नवीनतम आकलन के अनुसार, देश की नदी प्रणालियों में औसतन वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बिलियन घन मीटर आंकी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1820 घन मीटर प्रति वर्ष (2001) है। तथापि, देश में वर्षा के स्थानिक परिवर्तन के कारण तथा जनसंख्या घनत्व के अंतर के कारण भी विभिन्न बेसिनों में जल की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक उपलब्धता इस समय बंगलादेश एवं म्यांमार में गिरने वाली लघु नदी बेसिनों में 16,990 घन मीटर, ब्रह्मपुत्र बराक बेसिन में 13,636 घन मीटर से साबरमती बेसिन में 298 घन मीटर तक का अंतर है। इसके अतिरिक्त, वर्षा में अस्थाई अंतर से भी कुछ वर्षों में जल की अस्थाई कमी हो जाती है।

विभिन्न उपयोगों के लिए जल की उपलब्धता बढ़ाने और उनके किफायती उपयोग के लिए राज्य सरकारों द्वारा उनके संसाधनों तथा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार स्कीमों की आयोजना, क्रियान्वयन और वित्तपोषण किया जाता है। राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 99.74 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने का अनुमान है। यह 3596 बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के निर्माण के कारण संभव हुआ है जो 177 बिलियन घनमीटर वर्षा जल का भंडारण करता है। निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं के माध्यम से 207.77 बिलियन घन मीटर के एक और भंडारण को सृजित किए जाने की संभावना है। प्राकृतिक संसाधनों से जल को उपयोग में लाने एवं निर्माणाधीन स्कीमों को जल्दी से पूरा करते हुए सिंचाई क्षमता के सृजन को तेज करने के लिए उनके प्रयासों में राज्य सरकारों को मदद करने की दृष्टि से भारत सरकार ने वर्ष 1996–97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक समयबद्ध तरीके से निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में उन्हें मदद करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि जल्द ही उसका लाभ प्राप्त हो सके। तदनुसार वर्ष 2001–02 के अंत तक ए. आई.बी.पी. के अंतर्गत राज्य सरकारों को 8480 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2002–03 के लिए 2800 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया।

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत चलाए जाने वाले त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्रीय सुधार परियोजना के तहत जल विभाजक प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और छत पर गिरने वाले वर्षा जल के संचयन के जरिए वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा दे रही है जिसके लिए राज्य सरकारों और अन्य क्रियान्वयन अभिकरणों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने प्रायोगिक आधार पर "भूजल के पुनर्भरण पर अध्ययन" पर एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना शुरू की है। जिसके अंतर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में 174 स्कीमें अनुमोदित की गई हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम को 150.00 करोड़ रुपए के व्यय से बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में भविष्य में जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को जल का हस्तांतरण करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है। जिससे पेय जल आपूर्ति, सिंचाई, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, नौवहन मत्स्य पालन, लवणता और प्रदूषण नियंत्रण आदि जैसे लाभ प्राप्त होंगे।

बांस-रोपण

165. **श्री अनन्त नायक :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पूर्वोत्तर राज्यों में बांस–रोपण को बढ़ावा देने की व्यापक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में संबंधित राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव के संबध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नौवीं योजना के पिछले 3 वर्षों के दौरान 30579 हेक्टेयर क्षेत्र के सुधार के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तुत

की गई 22 परियोजनाओं को 21.06 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।

जारी की गई तथा उपायोग में लाई गई धनराशि, वास्तविक लक्ष्य तथा स्वीकृत परियोजनाओं की उपलब्धियों को दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) वित्तीय : लाख रु. में

क्र.सं.	राज्य	नौवीं योजना स्वीकृत	1999–2000		2000–01		2001–02		कुल नौवीं योजना	
			जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	258.40	—	—	60.00	163.04	150.00	70.14	210.00	233.18
2.	असम	72.90	—	—	30.00	26.67	20.00	—	50.00	26.67
3.	बिहार	102.63	—	—	30.00	—	—	—	30.00	0.00
4.	छत्तीसगढ़	143.23	—	—	20.52	90.10	90.00	48.94	110.52	139.04
5.	गोवा	16.84	—	—	7.83	3.90	4.00	7.93	11.83	11.83
6.	गुजरात	119.70	—	—	50.00	48.38	45.00	49.73	95.00	98.11
7.	हरियाणा	34.85	—	—	10.14	0.00	24.71	34.09	34.85	34.09
8.	हिमाचल प्रदेश	17.85	—	—	8.85	5.24	9.00	11.03	17.85	16.27
9.	जम्मू व कश्मीर (एसएफ)	120.25	—	—	15.00	15.00	30.00	40.48	45.00	55.48
10.	केरल	100.50	—	—	30.00	32.30	40.00	53.55	70.00	85.85
11.	मध्य प्रदेश	163.50	—	—	49.48	56.83	50.00	18.49	99.48	75.32
12.	महाराष्ट्र	49.42	—	—	30.00	29.72	14.00	14.55	44.00	44.27
13.	मणिपुर	104.30	—	—	73.37	30.00	—	—	73.37	30.00
14.	मेघालय	24.75	—	—	10.00	9.78	5.00	5.00	15.00	14.78
15.	मिजोरम	101.64	10.00	—	32.00	32.06	59.64	69.58	101.64	101.64
16.	नागालैंड	148.20	—	—	40.00	40.00	30.00	—	70.00	40.00
17.	उड़ीसा	170.40	9.02	—	30.00	28.34	45.00	67.78	84.02	96.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	राजस्थान	82.50	—	—	39.00	24.10	40.50	42.63	79.50	66.73
19.	सिक्किम	95.92	15.00	—	48.45	63.45	32.47	32.47	95.92	95.92
20.	त्रिपुरा	47.80	8.00	—	10.00	10.91	4.32	10.00	22.32	20.91
21.	उत्तर प्रदेश	90.50	—	—	20.00	19.99	17.87	16.78	37.87	36.77
22.	पश्चिम बंगाल	39.60	—	—	15.00	12.54	20.00	20.52	35.00	33.06
	कुल	2105.68	42.02	—	659.64	742.35	731.51	613.69	1433.17	1356.04

(ख) वास्तविक : क्षेत्र हे. में

क्र.सं.	राज्य	नौवीं योजना	2000–01		2001–02		कुल नौवीं योजना	
		लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	4000	1500	1500	2500	2834	4000	4334
2.	असम	1126	0	0	1126	0	1126	0
3.	बिहार	1500	0	0	1500	0	1500	0
4.	छत्तीसगढ़	2125	0	0	2125	2125	2125	2125
5.	गोवा	240	120	0	120	120	240	120
6.	गुजरात	1500	0	0	1500	1500	1500	1500
7.	हरियाणा	325	100	0	225	325	325	325
8.	हिमाचल प्रदेश	262	0	0	262	262	262	262
9.	जम्मू व कश्मीर (एसएफ)	1400	0	0	1400	700	1400	700
10.	केरल	750	0	0	750	760	750	750
11.	मध्य प्रदेश	2100	0	0	2100	1900	2100	1900
12.	महाराष्ट्र	791	0	0	791	791	791	791
13.	मणिपुर	1800	600	0	1200	0	1800	0
14.	मेघालय	400	0	0	400	250	400	250

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	मिजोरम	1500	0	0	1500	1500	1500	1500
16.	नागालैंड	2400	900	900	1500	0	2400	900
17.	उड़ीसा	3000	1000	0	2000	2245	3000	2245
18.	राजस्थान	1000	0	0	1000	1000	1000	1000
19.	सिक्किम	1300	800	800	500	500	1300	1300
20.	त्रिपुरा	900	450	70	450	399	900	469
21.	उत्तर प्रदेश	1600	400	0	1200	752	1600	752
22.	पश्चिम बंगाल	560	0	0	560	560	560	560
	कुल	30579	5870	3270	24709	18523	30579	21793

[हिन्दी]

पर्यटकों में कमी

166. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002–03 के दौरान जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त राज्यों में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचनानुसार, वर्ष 2002 (जनवरी से जून) के दौरान, वर्ष 2001 की इसी समयावधि की तुलना में, जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए पर्यटक भ्रमण में 27.9 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2002 के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए पर्यटक भ्रमण की संख्या निम्नानुसार है :

राज्य	पर्यटक भ्रमण की संख्या		
	2001	2002	% बदलाव
जम्मू और कश्मीर (जनवरी से जून)	2665705	1921256	–27.90
हिमाचल प्रदेश (जनवरी से मार्च)	1142273	1320682	15.62
उत्तरांचल (जनवरी से फरवरी)	909861	976704	7.34

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटक आगमन में कमी, राज्य में चालू परिस्थितियों के कारण आई।

(ग) अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में पर्यटन विकास कार्य को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना, एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना, नए पर्यटन बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना, विश्व स्तर की अवसंरचना का सृजन, सतत एवं प्रभावी मार्केट योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना, ग्रामीण और लघु क्षेत्र पर्यटन के विकास पर बल देना तथा सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा

शिष्टाचार और नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों और बेहतर शासन की ओर ध्यान देना शामिल है।

[अनुवाद]

सरकारी प्रतिभूतियां गायब होना

167. श्री नरेश पुगलिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) द्वारा छूट वाली निधियों की लेखापरीक्षा से पता चला है कि 2.33 करोड़ रुपए की वास्तविक सरकारी प्रतिभूतियां गायब हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) हानि के लिए जिम्मेदारी तय करने तथा दोषियों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की कुल सं. 2558 है। 1827 प्रतिष्ठानों से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्टों के विश्लेषण से पता चलता है कि आवंटन पत्र और निवेश संबंधी अन्य प्रमाण तो उपलब्ध हैं किंतु 23,07,78,785/– रु. मूल्य की प्रतिभूतियां न्याय के पास प्रत्यक्षतः उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) चूंकि निवेश संबंधी प्रमाण छूट–प्राप्त न्यास के पास होते हैं, इसलिए इसमें चिंताजनक कुछ भी नहीं है। किसी प्रकार का नुकसान पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ विधितः कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

ई पी एफ में जमा राशि

168. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत जमा की गई राशि का राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के संबंध में जमा की गई राशि का राज्य–वार और वर्ष–वार अलग–अलग ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) सरकारी कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे में नहीं आते। इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी भी जिनके पेंशन अंशदान उपर्युक्त अधिनियम की धारा 16(2) द्वारा विनियमित होते हैं, अधिनियम के दायरे से बाहर रखे गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखा परीक्षित खातों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान जमा राशियों का क्षेत्र–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1998–99 से 2000–2001 तक कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से प्राप्त राशि

(सभी आंकड़े लाख रुपयों में)

क्र.सं	क्षेत्रीय कार्यालय (राज्य)	कर्मचारी भविष्य निधि 1998–99	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	30,718.52	35,768.31	39,645.34
2.	बिहार	7,038.17	6,979.73	7,692.68
3.	दिल्ली	33,304.15	39,402.87	46,285.81
4.	गुजरात	39,206.79	45,375.57	46,722.27
5.	हरियाणा	17,109.94	23,115.11	22,571.65
6.	हिमाचल प्रदेश	3,198.30	3,718.17	4,104.58
7.	कर्नाटक	37,887.00	45,469.11	54,723.21
8.	केरल	20,105.20	23,663.68	26,011.88
9.	मध्य प्रदेश	21,412.58	25,465.50	25,771.47
10.	महाराष्ट्र एवं गोवा	1,23,359.90	1,41,951.11	1,58,706.67
11.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य	3,083.85	3,552.58	4,285.89

1	2	3	4	5
12.	उड़ीसा	6,851.93	7,979.15	8,890.14
13.	पंजाब व संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़	24,361.15	28,155.59	29,833.33
14.	राजस्थान	16,130.69	19,411.32	20,460.22
15.	तमिलनाडु	58,965.54	67,811.95	77,216.22
16.	उत्तर प्रदेश	29,199.19	30,882.34	33,992.85
17.	पश्चिम बंगाल तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	26,980.80	31,903.33	34,354.24
	कुल	4,98,913.71	5,80,605.42	6,41,268.46

[अनुवाद]

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा आदिवासी/ ग्रामीण कला और संस्कृति का संवर्धन

169. **श्री ए. नरेन्द्र : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश तथा उत्तरांचल सहित विभिन्न राज्यों में आदिवासी और ग्रामीण कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे स्वैच्छिक संगठनों और संस्थाओं के नाम क्या हैं और उन्हें उक्त अवधि के दौरान कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई तथा उनके द्वारा आज तक प्राप्त उपलब्धियों का संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन संगठनों ने आवंटित अनुदान का उचित रूप में उपयोग किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का प्रस्ताव इसका मूल्यांकन करने का अथवा इसकी जांच कराने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (छ) जानकारी संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और मरम्मत

170. **श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष** 2001-2002 के दौरान उत्तर प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और वर्तमान राजमार्गों की मरम्मत के लिए कितनी राशि आवंटित की गई और कितनी खर्च की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : राज्यों के लिए धनराशि का आवंटन संबंधित राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 2001-02 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आवंटित धनराशि और किए गए व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं—

(लाख रु.)

	आवंटन	व्यय
निर्माण/विकास	14662.88	11757.58
अनुरक्षण	6619.14	4311.74

मध्य प्रदेश में वन भूमि का वाणिज्यिकरण

171. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नंदन कानन सुरक्षित वन के

1 कि.मी. के दायरे में निर्माण पर प्रतिबंध लगाने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेशों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेंच अभयारण्य (पेंच बाघ परियोजना) और मध्य प्रदेश में कान्हा जैसे अन्य राष्ट्रीय उद्यानों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित जनजातीय लोगों की भूमि का न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करके वाणिज्यिकरण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सड़क निधि

172. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को केन्द्रीय सड़क निधि के आवंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का उक्त मानदंडों की समीक्षा करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 2001–2002 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से प्रत्येक राज्य को कितना हिस्सा मिला;

(ङ) क्या किसी राज्य ने और निधियों की मांग की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) किन राज्यों ने उक्त निधि का उचित ढंग से उपयोग नहीं किया है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) नवीकृत केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए धनराशि के आवंटन में संबंधित राज्य में ईंधन की खपत को 60% और भौगोलिक क्षेत्र को 40% महत्व दिया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्तमान मापदंड तर्कसंगत हैं।

(घ) वर्ष 2001–02 के लिए केन्द्रीय सड़क निधि की जमा राशि के राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) वर्ष 2001–02 के दौरान मिजोरम राज्य के लिए 2 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई थी जिसे वर्ष 2002–03 के लिए 2.96 करोड़ रु. की जमा राशि से समायोजित कर ली गई है।

(छ) राज्यों द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के उपयोग की प्रतिशतता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ज) प्रारंभ में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि के उपयोग की गति धीमी थी। तथापि, इस मामले को मुख्यमंत्रियों के स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है ताकि मामले में तेजी से प्रगति हो और धनराशि का उपयोग हो। इससे उपयोग की समग्र स्थिति में सुधार हुआ है।

विवरण

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2000–02 के लिए सी आर एफ जमाराशि	2001–01 से 2002–03 तक सी आर एफ से कुल जमा राशि	सी आर एफ से जारी की गई कुल राशि	शेष (कॉलम 4–5)	जमा राशि के उपयोग/जारी की गई राशि की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	162.49	243.94	125.969	117.9718	52
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.93	32.79	7.4200	25.3708	23
3.	असम	29.81	45.21	24.8300	20.3808	55
4.	बिहार	51.81	85.71	16.1100	69.6008	19
5.	छत्तीसगढ़	45.59	62.87	37.4500	25.4208	60
6.	गोवा	7.73	11.82	1.3100	10.5108	11
7.	गुजरात	137.92	206.05	79.7900	126.2608	39
8.	हरियाणा	63.45	99.20	31.4100	67.7908	32
9.	हिमाचल प्रदेश	20.70	31.45	10.7044	20.7464	34
10.	जम्मू और कश्मीर	60.57	91.62	21.2502	70.3706	23
11.	झारखंड	36.07	47.32	6.0700	41.2508	13
12.	कर्नाटक	113.00	171.13	50.0100	121.1208	29
13.	केरल	53.83	81.54	9.2300	72.3108	11
14.	मध्य प्रदेश	124.42	191.01	50.8205	140.1903	27
15.	महाराष्ट्र	211.98	313.39	68.3500	245.0408	22
16.	मणिपुर	6.50	9.74	2.2200	7.5208	23
17.	मेघालय	8.81	13.10	5.7385	7.3623	44
18.	मिजोरम	5.92	8.88	7.9200	0.9608	89
19.	नागालैंड	4.97	7.44	3.3700	4.0700	45

1	2	3	4	5	6	7
20.	उड़ीसा	57.71	87.53	9.7000	77.8308	11
21.	पंजाब	84.15	124.58	35.7300	88.8508	29
22.	राजस्थान	151.66	228.37	84.4400	143.9308	37
23.	सिक्किम	2.19	3.29	0.7400	2.5500	22
24.	तमिलनाडु	133.46	200.68	82.3400	118.3408	41
25.	त्रिपुरा	3.80	5.73	2.0770	3.6530	36
26.	उत्तरांचल	21.78	29.37	8.2000	21.1708	28
27.	उत्तर प्रदेश	176.46	272.89	30.5568	242.3340	11
28.	पश्चिम बंगाल	72.00	108.88	32.5605	76.3203	30
	संघ राज्य क्षेत्र					
29.	अंडमान–निकोबार द्वीपसमूह	3.52	5.35	0.5833	4.7667	11
30.	चंडीगढ़	5.39	7.60	1.0100	6.5900	13
31.	दादरा एवं नगर हवेली	2.51	3.58	0.8134	2.7666	23
32.	दमन एवं दीव	1.76	2.52	0.3000	2.2200	12
33.	दिल्ली	58.62	85.67	10.6834	74.9866	12
34.	लक्षद्वीप	0.15	0.20	0.0233	0.1767	12
35.	पांडिचेरी	4.37	6.56	0.9900	5.5700	15

अधिक पैदावार वाला चावल

173. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'सुपर राइस' की अधिक पैदावार देने वाली किस्म विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

विमानपत्तनों पर इंडियन एयरलाइंस द्वारा स्थान का उपयोग

174. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रमुख विमानपत्तनों पर इंडियन एयरलाइंस के लिए आरक्षित टर्मिनल स्थान का पूरी तरह उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस को मुंबई तथा दिल्ली में अपनी अंतरदेशीय उड़ानों के लिए आरक्षित टर्मिनल दिए गए हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग होता है। चेन्नई और कोलकाता में इंडियन एयरलाइंस को आरक्षित टर्मिनल स्थान प्राप्त नहीं है तथा इंडियन एयरलाइंस अन्य एयरलाइनों के साथ टर्मिनल शेयर कर रही है।

असम में बाढ़ नियंत्रण

175. श्री एम. के. सुब्बा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक के दल ने अपने हाल ही के असम दौरे के दौरान सरकार के साथ बाढ़ नियंत्रण की समस्या पर विचार–विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और बैठक में क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) असम सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही के असम दौरे के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया था लेकिन बाढ़ नियंत्रण समस्या पर सीधा विचार–विमर्श नहीं हुआ तथा इस क्षेत्र पर एशियाई विकास बैंक की सहायता के लिए विचार नहीं किया गया।

स्काई मार्शलों का दुर्व्यवहार

176. श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री रामजीवन सिंह :

श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री दिनेश चन्द्र यादव :

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

श्री अजय सिंह चौटाला :

श्री मोहन रावले :

श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जून, 2002 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'स्काई मार्शल हरासेज एयर होस्टेस' तथा 25 जून, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'मार्शल्स, दि न्यू टेरर इन इंडियन स्काईज' शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस तथा एलायंज एयर की उड़ानों में अभी तक दुर्व्यवहार की ऐसी कितनी घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ग) सरकार द्वारा जिम्मेदार पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) जी, हां। स्काई मार्शलों द्वारा कथित कदाचार की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख समाचार पत्रों में हुआ है।

कुल 6 मामले दर्ज हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), जहां से ये स्काई मार्शल लिए जाते हैं, के पास ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए उनका अपना आंतरिक सिस्टम है। इन सभी घटनाओं की तत्काल जांच की गई और जिन स्काई मार्शलों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी उनको उचित दंड दिया गया है और उनको एनएसजी से निकाल दिया गया है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी. सी.ए.एस.), एनएसजी तथा सतत आधार पर एयरलाइनों के बीच परस्पर विचार–विमर्श हुए हैं तथा ऐसी घटनाओं के घटित होने पर संयुक्त रूप से तुरत उपयुक्त कार्रवाई की गई।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करना

177. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी षणमुगम) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान 29 परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है। कार्यान्वित परियोजनाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-02 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में कार्यान्वित उन खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की राज्य-वार संख्या जिनमें विदेशी निवेश किया गया

क्र.स.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	गुजरात	1
3.	हरियाणा	2
4.	कर्नाटक	2
5.	केरल	3
6.	महाराष्ट्र	7
7.	मध्य प्रदेश	1
8.	उड़ीसा	1
9.	पंजाब	1
10.	राजस्थान	1
11.	तमिलनाडु	4
12.	उत्तर प्रदेश	3
	कुल	29

विमानपत्तनों पर सुरक्षा

178. श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मई, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में '2 ब्रीच आई जी आई सिक्यूरिटी, एंटर रनवे' और 22 जून, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में 'आई जी आई से उड़ान भरने वाले विमान आसानी से आतंकवादियों का निशाना बन सकते हैं' शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा सभी विमानपत्तनों, विशेषकर आईजीआई विमानपत्तन की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 19.5.2002 को सीआईएसएफ के कार्मिकों द्वारा एक नेपाली शम्शेर सिंह घीसिंग को दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे के पेरीमीटर रोड पर पकड़ा गया था। प्रारंभिक जांच-पड़ताल से पता चला है कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं था। उसके विरुद्ध भारतीय पेनल कोड की धारा 447 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच कार्य चल रहा है।

दिनांक 19.5.2002 को मोहम्मद अमीर नामक एक तेरह वर्षीय लड़के को सीआईएसएफ के कार्मिकों द्वारा उस समय पकड़ा गया था जब वह ऑपरेशन एरिया के भीतर हवाई जहाज को देखते हुए पेरीमीटर दीवार से गिर गया था। उसे दिनांक 19.5.2002 को गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था।

आईजीआई हवाई अड्डे पर हवाई जहाजों की संरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग (एन एच)-8 के दोनों ओर आगे और पीछे 250 मीटर तक मार्ग को लोगों/वेंडरों/वाहनों को एकत्र न

होने देने तथा वाहनों को खड़ा न करने के आदेश जारी किए हैं।

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर आईजीआई हवाई अड्डे समेत सभी हवाई अड्डों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं--

(i) पेरीमीटर दीवार की निगरानी और पेट्रोलिंग।

(ii) पहुंच नियंत्रण को और अधिक कड़ा करना तथा विमान में सवार होने से पूर्व संपूर्ण सुरक्षा जांच सुनिश्चित करना।

(iii) सीआईएसएफ तथा क्विक रिएक्शन टीम (क्यूआरटी) की तैनाती।

(iv) रजिस्टर्ड बैगेज की स्क्रीनिंग।

[अनुवाद]

वर्षा जल संचयन

179. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए भू-जल संसाधनों के संवर्धन के लिए वर्षा-जल संचयन की तकनीकी से भारी संभावनाएं पैदा हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण ने इस बात का आकलन किया है कि दिल्ली और अन्य राज्यों में किस सीमा तक वर्षा-जल संचयन किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली और अन्य राज्यों में भू-जल संसाधनों के संवर्धन हेतु प्रभावी ढंग से वर्षा-जल संचयन हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ङ) क्या राज्यों में सूखा प्रवण क्षेत्रों में जल संचयन हेतु केन्द्रीय सरकार से कोई केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार बयौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा किए गए आकलन के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि देश में प्रत्येक वर्ष 36453 मिलियन क्यूबिक मीटर बहने वाले अधिशेष वर्षा जल से भूजल को बढ़ाया जा सकता है। भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल की उपलब्धता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने 23.48 करोड़ रुपए की लागत से 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रायोगिक आधार पर भूजल पुनर्भरण के अध्ययन संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम कार्यान्वित की है। इस स्कीम के तहत 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वयन के वास्ते 174 परियोजनाओं को अनुमानित किया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान इस बोर्ड ने देश के विभिन्न राज्यों में 155 प्रायोगिक परियोजनाओं को शुरू किया है जिसमें से 15 परियोजनाएं दिल्ली में हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं राजस्थान राज्यों में अभी तक किए गए आकलन के अनुसार 66690 क्यूबिक मीटर वर्षा जल का प्रायोगिक अध्ययनों के आधार पर भूजल संसाधनों को बढ़ाने में उपयोग किया गया है।

(ङ) और (च) सूखा प्रवण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के वास्ते राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए जल संसाधन मंत्रालय कोई स्कीम नहीं चलाता है।

विवरण

भूजल पुनर्भरण के वास्ते वर्षा जल की राज्य-वार अनुमानित उपलब्धता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्षा जल उपलब्धता (एम सी एम में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1095
2.	बिहार (झारखंड सहित)	1120
3.	छत्तीसगढ़	258
4.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र	444

1	2	3
5.	गोवा	529
6.	गुजरात	1408
7.	हरियाणा	685
8.	हिमाचल प्रदेश	149
9.	जम्मू व कश्मीर	161
10.	कर्नाटक	2065
11.	केरल	1078
12.	मध्य प्रदेश	2320
13.	महाराष्ट्र	2318
14.	उड़ीसा	406
15.	पंजाब	1200
16.	राजस्थान	861
17.	सिक्किम	44
18.	तमिलनाडु	3597
19.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल सहित)	14022
20.	पश्चिम बंगाल	2664
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
22.	चंडीगढ़	26

[हिन्दी]

राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना

180. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राजस्थान में पर्यटन और उससे संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है और एक 'मास्टर प्लान' तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राजस्थान राज्य में निरंतर पर्यटन विकास हेतु अगले 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना तैयार की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कुटीर उद्योगों का विकास

181. श्री बी. के. पार्थसारथी :
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आंध्र प्रदेश के कुटीर उद्योगों के साथ-साथ देश के विभिन्न कुटीर उद्योगों के विकास हेतु कोई कार्य योजना या पैकेज दिए जाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस परियोजनार्थ राज्यवार कितना धन आवंटित किया गया; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कुटीर उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) सरकार कृषि और ग्रामीण उद्योगों सहित खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए देश भर में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत केवीआईसी 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत पर 25% की दर से मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है और 10 लाख रु. से अधिक तथा 25 लाख रु. तक की परियोजना के लिए मार्जिन मनी की दर 10 लाख

रु. का 25% जमा परियोजना की शेष लागत का 10% है। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी/संस्थान और पहाड़ी सीमा और जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप के मामले में मार्जिन मनी अनुदान 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत का 30% है, परन्तु इस राशि से अधिक और 25 लाख रु. तक यह परियोजना की शेष लागत का 10% है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का कम से कम 10% है। अ.जा./अनु.ज.जा./तथा अन्य कमजोर वर्गों के मामले में लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का 5% है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि के माध्यम से चलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त, खादी ग्रामाद्योग क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन हेतु सरकार ने 14.5.2001 को एक पैकेज की घोषणा की जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। पैकेज में पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट का विकल्प और बाजार विकास सहायता (एमडीए) खादी कारीगरों को बीमा सुरक्षा, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग और डिजाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन संवर्धन के उपाय, ब्रांड बिल्डिंग, क्लस्टर विकास शामिल है। केवीआईसी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान और ऋण के रूप में संवितरित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2000-2001 हेतु खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार निष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

के.वी.आई.सी. द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान का राज्यवार संवितरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		खादी	ग्रा.उ.	खादी	ग्रा.उ.	खादी	ग्रा.उ.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	275.35	340.75	627.53	705.15	192.99	327.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	5.40	0.50	3.08	30.10
3.	असम	59.79	6.72	86.87	0.77	54.31	4.70
4.	बिहार	1196.53	33.96	305.36	44.48	323.90	2.38
5.	गोवा	–	40.36	0.79	–	18.25	40.24
6.	गुजरात	2554.96	268.56	1585.85	12.96	1023.71	143.75
7.	हरियाणा	652.94	185.23	414.44	239.42	459.95	192.20
8.	हिमाचल प्रदेश	76.51	272.94	445.99	26.37	191.40	25.92
9.	जम्मू एवं कश्मीर	182.50	352.13	112.96	20.77	66.64	152.90
10.	कर्नाटक	1008.73	1228.32	426.31	756.44	367.94	335.31
11.	केरल	205.45	395.94	762.62	357.98	291.24	519.61

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	178.49	1319.02	595.37	23.32	266.95	35.27
13.	महाराष्ट्र	310.59	308.97	419.17	444.24	287.19	91.76
14.	मणिपुर	–	266.93	0.40	169.70	2.51	418.26
15.	मेघालय	2.36	44.93	7.42	6.50	12.40	48.83
16.	मिजोरम	0.02	344.39	0.99	155.74	0.11	0.50
17.	नागालैंड	5.37	396.94	17.48	5.38	12.12	186.45
18.	उड़ीसा	172.53	87.02	116.61	161.67	52.46	15.52
19.	पंजाब	345.73	605.12	967.26	158.33	466.26	6.77
20.	राजस्थान	1490.71	461.80	879.73	319.85	608.82	99.43
21.	सिक्किम	–	–	–	–	2.70	0.50
22.	तमिलनाडु	2690.76	414.10	3874.13	262.07	1908.50	183.04
23.	त्रिपुरा	0.50	–	–	1.91	3.72	0.01
24.	उत्तर प्रदेश	4201.30	1454.00	5153.75	514.17	4310.44	412.70
25.	पश्चिम बंगाल	595.10	20.49	325.78	6.36	208.91	16.39
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	0.00	0.50
27.	चंडीगढ़	–	–	–	4.36	0.23	0.00
28.	दादरा एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	–
29.	दिल्ली	669.27	31.34	–	–	253.77	12.99
30.	दमन एवं दीव	–	–	354.06	72.96	0.00	0.00
31.	पांडिचेरी	–	26.23	–	–	24.11	1.12
32.	लक्षद्वीप	0.39	34.64	0.23	0.50	0.00	0.00
33.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	
34.	झारखंड	–	–	–	–	–	
35.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	
	कुल योग	16875.88	8940.83	17486.50	4466.90	11860.09	20141.58

विवरण-II

के.वी.आई.सी. द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण का संवितरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		खादी	ग्रा.उ.	खादी	ग्रा.उ.	खादी	ग्रा.उ.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	19.76	31.10	49.29	3.96	44.66	2.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	0.00	0.00	0.26
3.	असम	0.79	2.00	106.17	13.02	44.65	1.47
4.	बिहार	53.83	7.02	26.37	–	112.68	0.04
5.	गोवा	–	1.55	–	–	0.00	0.00
6.	गुजरात	43.34	29.13	19.38	–	8.79	10.92
7.	हरियाणा	2.10	8.88	84.71	8.00	1.10	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	6.52	4.33	4.78	–	15.05	3.19
9.	जम्मू एवं कश्मीर	6.61	0.52	–	–	28.66	0.26
10.	कर्नाटक	102.75	61.58	43.16	0.68	31.24	11.77
11.	केरल	35.48	13.68	15.49	–	50.06	7.59
12.	मध्य प्रदेश	8.18	12.11	14.75	–	62.18	12.32
13.	महाराष्ट्र	7.62	41.96	8.77	15.66	4.55	11.85
14.	मणिपुर	–	0.34	11.86	0.42	4.10	0.49
15.	मेघालय	–	0.86	0.23	–	4.96	0.26
16.	मिजोरम	0.10	–	–	–	0.82	14.00
17.	नागालैंड	–	–	15.41	–	12.14	0.95
18.	उड़ीसा	6.10	8.34	3.20	2.30	18.10	35.87
19.	पंजाब	11.45	1.21	60.94	5.00	0.36	0.00
20.	राजस्थान	19.70	23.60	34.69	1.49	6.27	0.95

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	–	–	–	–	0.29	1.54
22.	तमिलनाडु	42.27	37.41	22.45	8.06	25.54	5.47
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–	3.60	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	332.88	191.10	64.25	36.54	131.15	53.69
25.	पश्चिम बंगाल	36.28	48.54	13.92	1.00	101.75	0.06
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	0.00	0.00
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	0.23	–
28.	दादरा एवं नगर हवेली	–	–	–	–	–	
29.	दिल्ली	1.65	10.11	–	–	25.96	–
30.	दमन एवं दीव	–	–	5.00	–	–	–
31.	पांडिचेरी	–	1.29	–	–	–	–
32.	लक्षद्वीप	–	–	4.20	–	–	–
33.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	
34.	झारखंड	–	–	–	–		
35.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	
	कुल योग	737.41	536.60	609.02	126.84	737.66	174.99

विवरण-III

के.वी.आई.सी. कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2000–2001 के दौरान राज्यवार निष्पादन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन (रु. लाख में)	बिक्री (रु. लाख में)	नियोजन (लाख व्यक्तियों में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	36119:30	37029.83	3.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	160.72	224.25	0.00
3.	असम	5093.53	4852.53	1.15
4.	बिहार	18200.21	19479.95	2.84
5.	गोवा	2405.31	2885.00	0.09
6.	गुजरात	42787.27	59355.15	0.95
7.	हरियाणा	10371.74	13292.98	0.86
8.	हिमाचल प्रदेश	10262.55	15011.20	0.90
9.	जम्मू एवं कश्मीर	12966.12	14393.50	1.13

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	49765.89	62179.50	2.12
11.	केरल	22245.19	29830.10	2.05
12.	मध्य प्रदेश	41416.97	40612.32	1.69
13.	महाराष्ट्र	122179.93	130801.90	5.23
14.	मणिपुर	4363.77	5853.39	0.57
15.	मेघालय	2866.05	3675.00	0.21
16.	मिजोरम	3048.11	5353.00	0.17
17.	नागालैंड	4171.28	5364.93	0.23
18.	उड़ीसा	5677.43	6011.02	1.85
19.	पंजाब	26709.24	27382.32	1.57
20.	राजस्थान	59619.93	67346.21	4.55
21.	सिक्किम	213.73	200.46	0.05
22.	तमिलनाडु	64075.37	72768.80	11.20
23.	त्रिपुरा	1283.32	1764.00	0.27
24.	उत्तर प्रदेश	113668.81	132978.57	11.80
25.	पश्चिम बंगाल	24558.45	25606.94	4.42
26.	छत्तीसगढ़	655.40	683.44	0.03
27.	झारखंड	355.82	632.69	0.06
28.	उत्तरांचल	307.47	385.66	0.02
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	252.60	319.94	0.13
30.	चंडीगढ़	1085.00	2045.36	0.13
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
32.	दमन एवं दीव	0.00	3.10	0.00
33.	दिल्ली	3464.92	6443.60	0.24
34.	लक्षद्वीप	6.45	8.93	0.01
35.	पांडिचेरी	968.47	734.51	0.08
	कुल योग	692326.35	795510.09	60.07

सी जी डब्ल्यू बी द्वारा वर्षा जल संग्रहण योजना

182. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भू–जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) ने आगामी वर्षा कालीन मौसम के दौरान वर्षा जल संग्रहण की कोई आकस्मिक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय और तकनीकी सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति

183. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती प्रभा राव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र का एक बड़ा भाग सूखे की गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों की संख्या भी 5 लाख तक बढ़ने की संभावना है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने स्थिति का जायजा लेने के लिए एक दल भेजने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ङ) क्या केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(च) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 500 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग पर सहमति दे दी गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के 16 जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं।

(ग) राज्य सरकार ने इस स्कीम में मई, 2002 के दौरान 3.56 लाख की दैनिक श्रम उपस्थिति सूचित की थी और जून, 2002 के दौरान 3.91 लाख की दैनिक श्रम उपस्थिति की प्रत्याशा की थी।

(घ) और (ङ) जी, हां।

(च) और (छ) वर्ष 2002–03 के लिए आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से की पहली किश्त की 64.995 करोड़ रु. की राशि राज्य को निर्मुक्त कर दी गई है ताकि वह सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं के आने पर तत्काल राहत उपाय कर सके। राज्य सरकार ने सूखे को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से 500 करोड़ रु. की सहायता के लिए अनुरोध किया था और इस बारे में कार्रवाई की जा रही है।

सरस्वती नदी के मार्ग की खुदाई

184. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकार की सहायता से लुप्तप्रायः सरस्वती नदी के समूचे मार्ग की खुदाई शुरू करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी समय सीमा, यदि कोई हो, निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जल संसाधन मंत्रालय ने लुप्त सरस्वती नदी के समूचे मार्ग की खुदाई शुरू करने की कोई योजना तैयार नहीं की है। तथापि, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद, केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड और क्षेत्रीय दूर संवेदी सेवा केन्द्र, मुम्बई के सहयोग से भूजल विभाग, राजस्थान सरकार बहु–विषयक अध्ययन कर नदी मार्ग का उचित निर्माण करके सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग में भूजल की क्षमता वाले स्थानों की पहचान करने का कार्य कर रहे हैं।

(ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भू भौतिकी पद्धतियों का उपयोग करते हुए राजस्थान के किशनगढ़–तनोट–तोंगेवाला क्षेत्र में अन्वेषण किए हैं और पेलिओचैनल में स्थित सत्रह स्थलों में से पांच स्थानों पर ताजा जल पाया गया है। ये कुएं भूमि स्तर से 70 से 136 मीटर की गहराई पर खोदे गए और इनसे 60 से 1000 मीटर प्रति मिनट जल की प्राप्ति हुई है। समस्थानिक अध्ययनों के द्वारा जल की अवधि का पता लगाने के लिए यह अध्ययन जारी है। केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड के सामान्य भूजल अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन शुरू किए गए हैं और इसके लिए केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड को अलग से निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं।

(ग) इस संपूर्ण प्रक्रिया में शामिल क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए, इन अध्ययनों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना कठिन है।

कार्गो सम्भलाई सुविधाएं

185. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर कार्गो सम्भलाई सुविधाएं बढ़ाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न विमानपत्तनों पर कार्गो टर्मिनलों के पुनर्निर्माण पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) उक्त कार्गो टर्मिनलों में आयात और निर्यात सम्भलाई की क्षमता और किस सीमा तक बढ़ी है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने चार मैट्रो हवाई अड्डों अर्थात् मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई तथा कोलकाता हवाई अड्डों पर विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त आधुनिक समेकित कार्गो टर्मिनलों जबकि चार घरेलू हवाई अड्डों अर्थात् नागपुर, गुवाहाटी, लखनऊ तथा कोयम्बटूर हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो की हैंडलिंग के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्गो टर्मिनलों का निर्माण किया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के कार्गो टर्मिनलों पर एक ही छत के नीचे रैगुलेटरी/सुविधा एजेंसियां, एक्सक्लुसिव स्टोरेज, आयात-निर्यात व ट्रांस शिपमेंट कार्गो के लिए प्रोसेसिंग और जांच एरिया एक्सक्लुसिव अन-अक्म्पनाइड बैगेज यूनिट, माल भारवाही के लिए कार्गो एप्रन, एक्स-रे स्क्रीनिंग मशीन, हजारडियस कार्गो शेड, आयात सामग्री के लिए कोल्डस्टोरेज, कीमती कार्गो के स्टोरेज के लिए स्ट्रांग रूम, कैफेटेरिया तथा बैंक जैसी सुविधाएं सभी कार्गो टर्मिनल पर मुहैया की गई हैं। दिल्ली और चेन्नई हवाई अड्डों पर निर्यात के लिए पेरिशेबल कार्गो हेतु अति आधुनिक सेंटर, व-ब्रिज, क्लोज सर्किट टी वी सर्विलैंस सिस्टम तथा पब्लिक एड्रैस सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है। दिल्ली हवाई अड्डे पर बिल्ट-इन वेइंग सुविधा तथा जीवित पशु शैड वाली एलेवेटिड ट्रांसफर वेहिकल सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है। मुम्बई हवाई अड्डे पर डाकघर की भी व्यवस्था की गई है। घरेलू हवाई अड्डों पर जहां अंतरराष्ट्रीय कार्गो की हैंडलिंग की जाती है वहां एक्स-रे स्क्रीनिंग मशीन जैसी सुविधाएं मुहैया की गई हैं और नागपुर हवाई अड्डे पर घरेलू कुरियर सुविधा जबकि गुवाहाटी हवाई अड्डे पर कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं।

(ग) कार्गो टर्मिनलों के नवीकरण पर कुल व्यय हुआ वह वर्ष 2000-01 के दौरान 1411.08 लाख रुपए जबकि वर्ष 2001-02 के दौरान 809.62 लाख रुपए का है।

(घ) निर्यात और आयात क्षमता की हैंडलिंग क्षमता में वर्ष 1997-98 से वर्ष 2001-02 की अवधि के दौरान चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्रतिवर्ष 424390 टन भार से प्रतिवर्ष 603060 टन भारत तक की वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग

186. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसके रख-रखाव पर कितनी राशि खर्च की गई और इसकी स्थिति को सुधारने के लिए कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : (क) जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस राजमार्ग के अनुरक्षण पर हुए व्यय की राशि इस प्रकार है—

वर्ष	राशि (करोड़ रु.)
1999-2000	5.20
2000-2001	5.59
2001-2002	4.02 (अनंतिम)

[अनुवाद]

सीटीयूओ के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

187. श्री नरेश पुगलिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजूकेशन (सीबीडब्ल्यूई) ने सेंट्रल ट्रेड यूनियन आर्गेनाइजेशन (सीटीयूओ) के प्रतिनिधियों और इसके अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में सीबीडब्ल्यूई द्वारा श्रमिक संघों को कितनी सहायता अनुदान राशि दी गई और उक्त अवधि के दौरान उनमें से प्रत्येक को कितनी राशि दी गई?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों के प्रतिनिधियों तथा इसके अधिकारियों के लिए 59 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। व्यवसाय संघ संगठनों द्वारा अपने श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उन्हें सहायता अनुदान भी प्रदान किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यवसाय संघ संगठनों द्वारा ऐसे 541 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनके लिए उन्हें 13,81,972/– रुपये का सहायता अनुदान प्रदान किया गया है। उनमें से प्रत्येक के लिए दी गई धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा व्यवसाय संघ संगठनों को दिया गया सहायता अनुदान

(धनराशि रु. में)

क्र.सं.	व्यवसाय संघ का नाम	वर्ष		
		1999–2000	2000–2001	2001–2002
1.	भारतीय मजदूर संघ	63,095	40,906	1,26,886
2.	भारतीय राष्ट्रीय व्यवसाय संघ कांग्रेस	1,14,629	55,056	75,178
3.	हिन्द मजदूर सभा	84,446	84,190	50,535
4.	अखिल भारतीय व्यवसाय संघ कांग्रेस	70,027	30,677	69,294
5.	राष्ट्रीय श्रम संगठन	26,677	15,165	15,363
6.	हिन्द खेत मजदूर पंचायत	19,125	9,261	11,725
7.	सोसाइटी अधिनियम, 1960 का XXI के अंतर्गत पंजीकृत अन्य स्वतंत्र संघ, परिसंघ तथा अन्य निकाय	1,09,266	1,04,439	2,05,532
	कुल	4,87,265	3,39,694	5,54,513

[हिन्दी]

हिरण के सींगों का निर्यात

188. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिरण के सींगों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान हिरण के सींगों के निर्यात से कुल कितनी आय अर्जित की गई;

(घ) क्या उक्त निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने के संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) शैड मृगश्रृंग डीलरों द्वारा अवैध खरीद के अनेक मामले केन्द्र सरकार के ध्यान में आने के बाद सरकार द्वारा

4.8.1998 से शैड मृगश्रृगों के निर्यात, उससे विनिर्मित वस्तुओं और शैड मृगश्रृगों की शेविंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

(ग) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हिरण मृगश्रृगों से हुए निर्यात अर्जन संबंधी कोई पक्का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तथापि, शैड मृगश्रृगों की विनिर्मित वस्तुओं के 120 मी. टन की निर्यात सीमा और 180 मी. टन मृगश्रृगों की शेविंग्स वर्ष 1997–98 के दौरान जारी की गई थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा को मान्यता

189. श्री शिवाजी माने : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने वाले कुछ विश्वविद्यालयों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तय किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों को अब तक विश्वविद्यालय–वार मान्यता न दिए जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि और पशुचिकित्सा विज्ञान में शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान नहीं करती है।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

भू-मंडल के तापमान में वृद्धि

190. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 मई, 2002 के दैनिक जागरण में 'ग्लोबल वार्मिंग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए कोई वैज्ञानिक कदम सुझाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये पूर्वानुमान पहले भी सामने आए थे; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) सरकार को, दिनांक 19 मई, 2002 के दैनिक जागरण में 'ग्लोबल वार्मिंग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है जिसमें हिमालयी हिमानी अपसरण, तूफानों के कारण तटवर्ती क्षेत्रों को खतरा, मानसून पैटर्न परिवर्तन, उपज की पैदावार में गिरावट और जल उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख किया गया है। भू–मंडलीय उष्णता के संभव प्रभावों का मूल्यांकन, मुख्यतः जलवायु परिवर्तन प्रतिरूपण (मॉडलिंग) पर आधारित होता है। वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यू एम ओ) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन ई पी) द्वारा संयुक्त रूप से गठित जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्तर–सरकारी पैनल (आई पी सी सी) द्वारा भू–मंडलीय उष्णता के खतरे को समझने हेतु संगत वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक सूचना का व्यापक मूल्यांकन किया जा रहा है और उसके द्वारा वर्ष 1990, 1996 और 2001 में अब तक तीन व्यापक मूल्यांकन रिपोर्टें प्रकाशित की जा चुकी हैं। वर्ष 2001 में प्रकाशित हाल ही की तीसरी मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बीसवीं शताब्दी के बाद पृथ्वी के भूपृष्ठ का तापमान 0.6 ± 0.2 सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है। बीसवीं शताब्दी के दौरान भू–मंडलीय औसत समुद्र स्तर 1 से 2 मि.मी. की दर से बढ़ते रहने का अनुमान है। रिपोर्ट से यह पता चलता है कि वर्ष 1990 और वर्ष 2100 की अवधि के दौरान भू–मंडलीय भू–पृष्ठ का तापमान औसतन 1.4 से 5.8 सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसी अवधि के दौरान औसत समुद्र स्तर 0.09 से 0.88 मीटर तक बढ़ सकता है। अधिकांश उष्णकटिबंधीय और अर्धउष्णकटिबंधीय देशों में

अनाज की उपज की संभावित पैदावार में गिरावट आ सकती है। बाढ़ और सूखा जैसी चरम मौसम घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। 21वीं शताब्दी के दौरान गैर–ध्रुवीय हिमानी का विशाल अपसरण जारी रहने की संभावना है। वृष्टिपात पैटर्न में परिवर्तन हो सकता है तथा कई क्षेत्रों में पानी की कमी और बढ़ सकती है।

भारत, जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक पक्षकार है और जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव के साथ–साथ परिणामों तथा अनुक्रिया नीतियों के वैज्ञानिक ज्ञान को उन्नत करने से संबंधित उपयुक्त उपाय करके जलवायु परिवव्रन (भू–मंडलीय उष्णता) से संबंधित मुद्दों को हल करने हेतु सभी पक्षकारों के साथ मिलकर काम करता है। इसने (भारत ने) इस कन्वेंशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा संरक्षण, विद्युत क्षेत्र सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा, ईंधन के लिए स्वच्छतर ऊर्जा, वनीकरण और वन संरक्षण, कोयला का सफल उपयोग, गैस फ्लेयरिंग में कमी, तेल क्षेत्र में अपशिष्ट ताप वसूली प्रणालियों का अधिष्ठापन और कृषि क्षेत्र में बेहतर कृषि प्रैक्टिस शामिल हैं। जल संसाधनों, मानव स्वास्थ्य और उपज पैदावार पर भू–मंडलीय उष्णता के परिणामों का अध्ययन करने के लिए कई अध्ययन प्रारंभ किए गए हैं। स्रोतों द्वारा ग्रीन हाऊस गैसों के मानवजनित उत्सर्जनों और सिंकों द्वारा निष्कासित पदार्थों की राष्ट्रीय सूची तैयार करने हेतु भी कदम उठाए गए हैं। आशा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के उपशमन में उठाए गए इन कदमों का सकारात्मक योगदान होगा।

[अनुवाद]

भारत और इंग्लैंड के बीच द्विपक्षीय समझौता

191. श्री वाई. वी. राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इंग्लैंड के बीच दोनों देशों में उड्डयन बाजार को खोलने के लिए द्विपक्षीय बातचीत विफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उड्डयन बाजार को खोलने के लिए किसी अन्य देश के साथ चर्चा कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारत–इंग्लैंड मार्ग पर एयर इंडिया को कितनी उड़ानें संचालित करने की अनुमति है;

(च) एयर इंडिया द्वारा वास्तव में कितनी उड़ानें भरी जाती हैं; और

(छ) इस क्षेत्र में पूरी उड़ानें नहीं भरने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) दिनांक 20–21 जून, 2002 को, लंदन में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुई द्विपक्षीय विमान सेवा के बारे में विचार–विमर्श दोनों पक्षों की स्थिति में सर्वाधिक विविधता के कारण बिना किसी अंजाम पर पहुंचे ही समाप्त हो गया। जबकि ब्रिटिश प्राधिकारियों ने चरणबद्ध तरीके से प्रति सप्ताह 15 सेवाएं बढ़ाने की हकदारी का अनुरोध किया, भारत ने ग्रीष्म 2004 तक प्रति सप्ताह 4 अतिरिक्त उड़ानों की पेशकश की थी। इसके अलावा, यू. के. के प्राधिकारियों ने हीथ्रो एयरपोर्ट पर एयर इंडिया को अतिरिक्त स्लॉट देने की प्रतिबद्धता से साफ इंकार किया। दोनों पक्ष निकट भविष्य में दुबारा बैठक करने पर सहमत हो गए हैं।

(ग) और (घ) देश में विभिन्न हवाई अड्डों से विदेशी एयरलाइनों के यातायात अधिकार एवं प्रचालन की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में, इस वर्ष ईरान, जार्डन, अफगानिस्तान, इटली, श्रीलंका, सिंगापुर, कतर और यू.के. के साथ द्विपक्षीय नागर विमानन वार्ताएं की गई हैं। हकदारियों में वृद्धि के अतिरिक्त, श्रीलंका, सिंगापुर और कतर और यू.के. की नामित विमान कंपनियों को बेंगलूर, हैदराबाद, कोचीन और गया जैसे नए स्टेशनों तक पहुंच दी गई है।

(ङ) और (च) भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों देशों की नामित विमान कंपनियां प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह 19 सेवाएं प्रचालित करने की हकदार हैं जिसमें से 3 आवृत्तियां कोलकाता–लंदन सैक्टर पर प्रचालित की जानी हैं। वर्तमान में एयर इंडिया यू.के. से होकर/तक प्रति सप्ताह 11 सेवाएं

प्रचालित कर रही है। वर्जिन अटलांटिक जो एक नामित ब्रिटिश वाहक है, यह भी भारतीय पक्ष की हकदारी से प्रति सप्ताह दो सेवाएं प्रचालित कर रही है।

(छ) एयर इंडिया द्वारा अपनी पूर्ण हकदारी का प्रयोग नहीं करने की मुख्य वजह हीथ्रो हवाई अड्डा पर उपयुक्त स्लॉट उपलब्ध न होना है।

कृषि विपणन सुधार

192. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विपणन संबंधी कृतकबल ने कृषि विपणन सुधार के संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस कृतकबल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या इस कृतकबल ने अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) कृषि विपणन रिफार्म पर अंतर मंत्रालयी कृतकबल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 28.6.2002 को प्रस्तुत कर दी है। कृतकबल के प्रमुख सिफारिशों में शामिल है--

(1) राज्य कृषि उत्पाद विपणन विनियमन अधिनियम के संशोधन द्वारा सीधे विपणन और अनुबंध कृषि कार्यक्रमों, निजी और सहकारी क्षेत्र में प्रतियोगी कृषि बाजार की प्रोन्नति और ऐसे विनियमन और सुधार से जुड़े विपणन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया करना,

(2) सभी कृषि जिंसों के व्यापार और विपणन तथा उत्पादन, आपूर्ति, भंडारण और दुलाई के लिए आवश्यक जिंस अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रतिबंध हटाने के लिए नियंत्रणों और विनियमों का प्रगतिपूर्ण विखंडन,

(3) फसलों (बधक वित्त पोषण) के विपणन के लिए किसानों को संस्थागत ऋण के प्रवाह को बढ़ाने और उनसे उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य हासिल करने की उनकी क्षमता को बढ़ाना,

(4) कृषि जिंसों के लिए विनिमय भंडारण रसीद प्रणाली को शुरू करने को शामिल करके ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सेवाओं की उपलब्धता का विस्तार,

(5) फारवर्ड कान्ट्रैक्ट्स अग्रेषण संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के संशोधन द्वारा मूल्य जोखिम प्रबंधन को उन्नत करके और मूल्य खोज को सरल बनाकर सभी कृषि जिंसों में भावी व्यापार को अनुमति देना,

(6) किसानों और अन्य बाजार कार्यकर्त्ताओं को बाजार प्रभावी विस्तार सेवाएं मुहैया करके कृषि विपणन में आसूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा इलेक्ट्रानिक व्यापार की सुविधा तैयार करना ताकि दूरस्थ खरीददारों से सीधे व्यापार करने को सुनिश्चित किया जा सके, तथा

(7) कृषि विपणन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए खेती करने वाले समुदायों को सहायता हेतु प्रशिक्षण और विस्तार प्रणाली को पुनरभिमुख करना और देश में अच्छी विपणन पद्धति पर जागरूकता उत्पन्न करना।

कृतक बल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) नीति को बंद किए जाने को स्वीकृति नहीं दी है जिससे कि पिछले तीन दशकों में देश की अच्छी सेवा की है। किंतु बदलते परिवेश में यह सुझाव दिया गया है कि एम एस पी को अधिप्राप्ति से पृथक् करते हुए एक वैकल्पिक नीति पर विचार किया जाए विशेष रूप से यदि निजी क्षेत्र को कृषि उत्पाद के विपणन में सही भूमिका निभानी है। कृतक बल का विचार है कि वैकल्पिक नीति किसानों को उनकी आय के संरक्षण के लिए बीमा कार्यक्रम (एम एस पी और ऐतिहासिक उपज पर आधारित) के माध्यम से वित्तीय समर्थन मुहैया कराने वाली हो। कृतक बल ने यह भी कहा कि जब तक वैकल्पिक नीति विकसित और कार्यान्वित की जाती है, वर्तमान प्रमुख/केन्द्रीय एजेंसियां और राज्य संगठनों को खाद्यान्नों की

विकेन्द्रीयकृत अधिप्राप्ति करने के लिए सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों और संबंधित केन्द्रीय सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ परामर्श से अंतर मंत्रालयी कृतक बल की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में निवेश

193. श्री राजो सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए निवेश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का निवेश बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के कब तक लागू होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) कृषि में सरकार द्वारा निवेश, जो पूंजी निर्माण के निबंधन पर आंका जाता है, मुख्यतया सिंचाई के लिए होती है। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकाय एवं गैर विभागीय वित्तीय उपक्रमों (एन डी सी यू) के संदर्भ में कृषि में सकल स्थायी पूंजी संरचना के आंकड़ों का तीन वर्षीय ब्यौरा क्रमशः वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-01 के लिए संलग्न विवरण में विनिर्दिष्ट है।

(ख) और (ग) सभी प्रकार के सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन का कार्य सर्वप्रथम राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। तथापि, संघ सरकार ने केन्द्रीय ऋण सहायता (सी एल ए) को लागू करके सिंचाई क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को वर्ष 1996-97 से लागू किया है ताकि राज्य बड़े/मध्यम सिंचाई/बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को अतिशीघ्र पूरा कर सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च, 2002 के अंत तक राज्य सरकारों को 8480.03 करोड़ रु. का सी एल ए मुहैया की गई और वर्ष 2002-03 के लिए 2800 करोड़ रु. के बजट प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

राज्यों, केन्द्र और स्थानीय निकायों (वर्तमान मूल्यों पर) द्वारा कृषि (सिंचाई) में सकल स्थायी पूंजी संरचना (जी एफ सी एफ) के अनुमान

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	1998-99	1999-00	2000-01
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	70530	105859	120369
2.	अरुणाचल प्रदेश	350	473	502
3.	असम	10394	13108	11507
4.	बिहार	19975	68013	22990
5.	गोवा	11	2420	2137
6.	गुजरात	50530	57052	50432
7.	हरियाणा	29637	27663	11991
8.	हिमाचल प्रदेश	3817	1393	3726
9.	जम्मू व कश्मीर	2863	1786	2612
10.	कर्नाटक	64829	66753	66142
11.	केरल	15983	16022	21084
12.	मध्य प्रदेश	50763	53761	69041
13.	महाराष्ट्र	61640	72067	100792
14.	मणिपुर	3115	4217	5155
15.	मेघालय	727	643	1925
16.	मिजोरम	46	672	253
17.	नागालैंड	236	142	66
18.	उड़ीसा	59596	51809	38306
19.	पंजाब	53482	30029	13846
20.	राजस्थान	51129	42118	36353

1	2	3	4	5
21.	सिक्किम	41	40	0
22.	तमिलनाडु	19494	38071	33174
23.	त्रिपुरा	1400	2187	2730
24.	उत्तर प्रदेश	52347	58945	95511
25.	पश्चिम बंगाल	14973	15949	13806
26.	पांडिचेरी	126	164	195
27.	दिल्ली	63	0	524
	कुल सभी राज्य	638072	731356	725169
	केन्द्र	100	100	100
	स्थानीय निकाय	12500	4100	4700
	एन डी सी यू (कृषि)	11600	15600	15600
	कुल सभी राज्य (जी एफ सी एफ)	662272	751156	745569

[अनुवाद]

हाथियों के लिए संरक्षित वन

194. श्री एम. के. सुब्बा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में वर्तमान में हाथियों के लिए संरक्षित वनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या असम के जंगलों में हाथियों की कम होती संख्या को देखते हुए बेहाली संरक्षित वन को हाथी परियोजना के अंतर्गत शामिल करने की लगातार मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) केन्द्र सरकार ने असम सरकार की निम्नलिखित हाथी आरक्षित क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए निवेदन किया है—

1. सोनित हाथी आरक्षित क्षेत्र
2. पश्चिम असम हाथी आरक्षित क्षेत्र
3. डिब्रु हाथी आरक्षित क्षेत्र
4. काजीरंगा करबी अगलोंग हाथी आरक्षित क्षेत्र

भारत सरकार ने सोनितपुर, पश्चिमी असम और डिब्रु हाथी आरक्षित क्षेत्रों के लिए अपनी सहमति दे दी है और राज्य सरकार को आवश्यक अधिसूचनाएं जारी करने के लिए निवेदन किया है। काजीरंगा करबी अगलोंग हाथी आरक्षित क्षेत्र को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) बेहाली वन आरक्षित क्षेत्र सोनितपुर हाथी आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत पहले ही शामिल है।

राष्ट्रीय जल नीति

195. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में एक सामान्य निवेश का प्रावधान है जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या जल मुद्दे पर चेन्नई में हुए सेमिनार में एकत्रित हुए विशेषज्ञों ने यह माना कि निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए उचित वातावरण तैयार करने में नीति निर्माण विफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सेमिनार में दिए गए सुझावों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में जल संसाधन की आयोजना, विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी

का प्रावधान है। इस नीति का पैरा–13 इस प्रकार पठित है–

"विविध उपयोगों, जहां कहीं व्यवहार्य हो, के लिए जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए निजी क्षेत्र की भागीदारी उपयोगकर्त्ताओं को नवीन विचारों को लागू करने, वित्तीय संसाधनों का सृजन करने और कारपोरेट प्रबंधन लागू करने तथा सेवा दक्षता और उत्तरदायित्व में सुधार लाने में सहायक हो सकती है। विशिष्ट स्थितियों के मद्देनजर, जल संसाधन के निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, पट्टा और स्थानांतरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के विभिन्न संयोजनों पर विचार किया जा सकता है।"

(ख) और (ग) जल संसाधन मंत्रालय को जल से संबंधित मुद्दों पर चेन्नई में आयोजित ऐसे किसी सेमिनार की जानकारी नहीं है जिसमें इस प्रश्न में उल्लिखित कोई टिप्पणियां की गई थीं।

(घ) और (ङ) जल राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों में से और अपनी–अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप स्कीमों की आयोजना, तैयारी, क्रियान्वयन एवं वित्तपोषण किया जाता है। यदि राज्य जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहते हैं तो निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए ढांचा राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाना है।

[हिन्दी]

मृदा अपरदन

196. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मृदा अपरदन की समस्या और बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार कितना मृदा अपरदन हुआ है; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) मिट्टी कटाव पर समय आधारित आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण देश में मिट्टी कटाव की समस्या की व्यापकता के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

(ख) कृषि एवं सहाकारिता विभाग के आकलन के अनुसार देश में लगभग 125 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र मिट्टी कटाव (जल एवं तूफान दोनों से) से प्रभावित होने का अनुमान है। मिट्टी कटाव से प्रभावित राज्यवार क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मिट्टी कटाव रोकने के लिए केन्द्र सरकार कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास, पर्यावरण एवं वानिकी मंत्रालय आदि में विभिन्न भूमि आधारित कार्यक्रम चला रही है।

विवरण

जल एवं तूफान कटाव से प्रभावित राज्यवार क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जल कटाव (क)	तूफान कटाव (ख)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	103.54	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.58	–
3.	असम	13.34	–
4.	बिहार	32.39	–
5.	गोवा	1.35	–
6.	गुजरात	94.62	7.04
7.	हरियाणा	15.35	14.00
8.	हिमाचल प्रदेश	10.75	–
9.	जम्मू व कश्मीर	6.73	–
10.	कर्नाटक	102.25	–
11.	केरल	15.77	–

1	2	3	4
12.	मध्य प्रदेश	155.10	–
13.	महाराष्ट्र	175.89	–
14.	मणिपुर	2.94	–
15.	मेघालय	5.48	–
16.	मिजोरम	2.87	–
17.	नागालैंड	2.77	–
18.	उड़ीसा	27.71	–
19.	पंजाब	9.14	–
20	राजस्थान	188.41	156.92
21.	सिक्किम	2.58	–
22.	तमिलनाडु	32.42	–
23.	त्रिपुरा	0.45	–
24.	उत्तर प्रदेश	58.98	–
25.	पश्चिम बंगाल	7.64	–
26.	संघ राज्य क्षेत्र	1.21	–
	कुल	1071.26	177.96
	कुल (क + ख)	1249.22 लाख हेक्टे. = 125 मिलियन हेक्टे.	

जीन परिवर्तित फसलों पर अनुसंधान

197. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जीन परिवर्तित फसलों पर अपना अनुसंधान पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) यदि नहीं, तो अनुसंधान कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) पराजीनी फसलों पर अनुसंधान करना एक निरंतर चलने वाला कार्य है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कुछ संस्थान पराजीनी फसलों के विकास कार्य में लगे हुए हैं और कीट–रोध के लिए मुख्यतया बी.टी. जीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।

(ख) कपास के अलावा चावल, टमाटर, बैंगन आदि पर भी पराजीनी फसलों के संबंध में खेतों पर सीमित मात्रा में कीट रोधी परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) विभिन्न फसलों पर विभिन्न प्रयोजनों से पराजीनी फसलों के विकास संबंधी अनुसंधान कार्य एक निरन्तर चलने वाला कार्य है। कपास की खेती के लिए 3 संकर जातियों की पहले ही सिफारिश की गई है। अन्य फसलों के संबंध में अनुसंधान कार्य विभिन्न चरणों में है।

पराजीनी फसलों के बदलाव और विकास के पश्चात् जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में जैव सुरक्षा और विष–विज्ञान अध्ययन किए जाते हैं, क्योंकि उक्त विभाग जैव प्रौद्यागिकी/पराजीनी फसलों के लिए नोडल विभाग हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रभावी मूल्यांकन करने के पश्चात् पराजीनी फसलों को अंतिम रूप में जारी किया जाता है।

[अनुवाद]

नई कृषि और ग्रामीण उद्योग नीति

198. **श्री बी. के. पार्थसारथी :**
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण में हाल में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखकर नई कृषि और ग्रामीण उद्योग नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक नीति तैयार करने के प्रयास में लगी हुई है ताकि यह बदलते वातावरण को स्वयं अपना ले और आर्थिक उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रभावी रूप से चुनौतियों का भी सामना करे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तटीय राज्यों में अपरदन-रोधी परियोजनाएं

199. श्री वी. वेत्रिसेलवन :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान सरकार ने तटीय राज्यों से अरदन–रोधी परियोजनाएं प्राप्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000--01 और 2001–02 के दौरान पूरी नहीं की जा सकी चालू परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तटवर्ती राज्य पश्चिम बंगाल की उन परियोजनाओं के ब्यौरे, जिन्हें सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीम, अर्थात् "गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटाव–रोधी कार्यों" के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया है, इस प्रकार हैं–

क्र.सं.	स्कीम का नाम	31 मार्च, 2002 के अनुसार कार्यों की स्थिति
1.	खसकोल और दौलतटोला थाना में ब्लाक मानिक चक और इंगलिश बजार, जिला माल्दा के निकट 6 पुराने तटबंधों पर तट सुरक्षा कार्य	पूर्ण
2.	चंदनपाड़ा (250 मी.) थाना सुती में, लालवाड़ा (350 मी.), लक्ष्मीनगर (250 मी.) थाना–फरक्का, जिला मुर्शिदाबाद में मौजूदा तट सुरक्षा कार्यों का विस्तार एवं पुनरुद्धार कार्य	निर्माणाधीन
3.	गंगा नदी के दाएं तट–पद्मा भागवेंगोला (2100 मी.) थाना जिला मुर्शिदाबाद में खरीबाना अलियापुर का सुरक्षा कार्य	निर्माणाधीन
4.	गंगा–पद्मा नं. एस 1 (काकजीपाड़ा) यू 3 व यू 1 (हजारपुर), नं. 8 (अर्जुनपुर) के दाएं तट पर तलावरोध (बेड बार) का नवीकरण और कुली पर एन 1 जिला मुर्शिदाबाद के 200 मीटर प्रतिप्रवाह पर अतिरिक्त नया तलावरोध कार्य	निर्माणाधीन

(घ) इन परियोजनाओं की मानीटरी की जा रही है।

दलहनों का उत्पादन

200. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2001–02 के दौरान दलहन का उत्पादन 26.71 प्रतिशत बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में दलहन के उत्पादन में यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2002–03 के दौरान दलहन उत्पादन में और बढ़ोतरी को प्रोत्साहन देने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2001–02 के दौरान दलहन का उत्पादन 26.71 प्रतिशत तक बढ़ा है। दलहन के उत्पादन में वृद्धि वर्ष 2001–02 के दौरान विशेषतया मुख्य दलहन उत्पादक राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हुई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने 30 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन पी डी पी) की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के प्रभावकारी कार्यान्वयन सहित वर्ष 2002–03 के दौरान पहले ही दलहनों का उत्पादन बढ़ाने की कार्यवाही की है। इस स्कीम में बीजों के उत्पादन और वितरण, बीज मिनीकिटों, राइजोबियम कल्चर, छिड़काव यंत्रों, उन्नत फार्म उपकरणों, सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि के वितरण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त देश में दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उन्नत उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए फील्ड प्रदर्शन और कृषक प्रशिक्षण का भी आयोजन किया जा रहा है।

(ङ) भारत सरकार ने 2002–03 के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्यों को छह माह की अवधि के लिए 949.0 लाख रु. (भारत सरकार का शेयर) आवंटित किया है।

[हिन्दी]

बिहार में नहरों की खुदाई

201. श्री राजो सिंह : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में नहरों की खुदाई के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) यद्यपि राज्य में पूरी तरह से नहरों की खुदाई करने संबंधी प्रस्ताव बिहार राज्य से प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, बिहार सरकार ने चार नई सिंचाई स्कीमें प्रस्तुत की हैं, इनमें नहरों की खुदाई शामिल है। इनमें से दो स्कीमें अर्थात् पुनपुन बैराज तथा तिलैया धाधर परियोजना को जल संसाधन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के द्वारा कुछ शर्तों के अधीन स्वीकृति की है। शेष दो स्कीमें अर्थात् अपर महानन्दा सिंचाई स्कीम तथा कदवान जलाशय परियोजना के संबंध में राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।

[अनुवाद]

नये प्रकार की वाहन पंजीकरण-संख्या प्लेटें

202. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश भर में एल्युमिनियम और लेजर–प्रिंट की सहायता से नये प्रकार की वाहन पंजीकरण–संख्या प्लेटों का प्रचलन शुरू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन कंपनियों के विषय में ब्यौरा क्या है जिन्हें नये प्रकार की पंजीकरण संख्या प्रदर्शक प्लेटों के विनिर्माण का लाइसेंस जारी किया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) नई उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट के तकनीकी विनिर्देश, प्लेट की जांच/टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अधिकृत जांच एजेंसियों के नाम तथा इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा, सरकार द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2001 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 221 (अ), दिनांक 22 अगस्त, 2001 के का.आ. सं. 814 (अ), दिनांक 24 सितम्बर, 2001 के का. आ. सं. 938 (अ), दिनांक 16 अक्टूबर, 2001 के का.आ. सं. 1041 (अ) और दिनांक 9 मई, 2002 के का.आ. सं. 499 (अ) द्वारा पहले ही अधिसूचित कर दी गई है।

(ख) केन्द्र सरकार ऐसी प्लेटों के किसी निर्माता को लाइसेंस प्रदान नहीं करती है। संभावित निर्माता/विक्रेता के केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों से अपने उत्पादन अनुमोदित कराने होंगे। तत्पश्चात्, विक्रेता/विक्रेताओं का चयन

करना संबंधित राज्य सरकार का कार्य है। 10.7.2002 की स्थिति के अनुसार 4 कंपनियों अर्थात् मै. शिमनीट अच प्रा. लि., मै. रीयल इंडस्ट्रीज, मै. ईस्टर्न स्टील एंड सॉ और मै. उत्सव सेफ्टी सिस्टम ने अधिकृत जांच एजेंसियों से टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए हैं और कुछ अन्य संभावित विक्रेताओं के उत्पादन जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं।

बाल श्रम के उन्मूलन हेतु निधि

203. श्री अधीर चौधरी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना की अवधि के दौरान बाल श्रम के उन्मूलन हेतु आवंटित निधि को बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पूर्ववर्ती योजना की अवधि की अपेक्षा इस आवंटन में कितनी वृद्धि की जा रही है;

(ग) क्या पूर्ववर्ती योजना के दौरान बाल श्रम-उन्मूलन हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की गई;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चालू योजना की अवधि के लिए बाल श्रम-उन्मूलन संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसकी प्राप्ति के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) नौवीं योजना अवधि में बाल श्रम योजनाओं के लिए आवंटित की गई कुल निधि 249.60 करोड़ रु. थी। 10वीं योजना के लिए आवंटन में वृद्धि करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। योजना आयोग ने 10वीं योजना अवधि के लिए उपर्युक्त योजनाओं के लिए निधियों के कुल प्रावधान का अभी तक संकेत नहीं दिया है।

(ग) से (ङ) श्रम मंत्रालय कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम का मुख्य उद्देश्य काम से हटाए गए बाल श्रमिकों को स्कीम के अंतर्गत स्थापित किए गए विशेष स्कूलों में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक रखने के बाद, औपचारिक स्कूल पद्धति से जोड़ना है। जागरूकता उपायों के माध्यम से बच्चों को कार्य पर जाने से रोकना भी स्कीम का सम्बद्ध उद्देश्य है।

मुख्य धारा में लाने की स्थिति के प्रबोधन की प्रक्रिया 1998 में शुरू की गई। अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार 1.40 लाख बाल श्रमिकों को औपचारिक स्कूल पद्धति की मुख्य धारा में लाया जा चुका है।

[हिन्दी]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन

204. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजीयन प्रमाणपत्र, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का निजीकरण करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में कोई संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की शक्तियां, राज्य सरकार के पास हैं। इस समय विद्यमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

[अनुवाद]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

205. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लाइसेंस देने वाले प्राधिकारियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के खंडों का समान रूप से अनुपालन नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने लाइसेंस के मामले में समरूपता लाने की योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों की संख्या कितनी है जहां यह योजना क्रियान्वित की जा रही है; और

(ङ) इस योजना से सभी राज्यों को कब तक लाभान्वित होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) केन्द्र सरकार को देश के किसी भी भाग में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के मामले में किसी परिवर्तन की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) ड्राइविंग लाइसेंस पूरे देश में संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकरणों द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में यथानिर्धारित फार्म 6 अथवा 7 में जारी किए जाते हैं। संभवतः यह संदर्भ, स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने के संबंध में है, जिसके लिए सभी राज्यों को एक मानकीकृत सॉफ्टवेयर परिचालित किया गया है। उक्त सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले राज्यों को किसी भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की छूट है। इस समय इस प्रयोजन के लिए कोई समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है। केन्द्रीय मोटर यान नियमावली में संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन, राज्यों को अंतिम तारीख अधिसूचित करने के लिए अधिकृत करते हैं जिसके बाद केवल स्मार्ट कार्ड विधि से ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने हैं।

[हिन्दी]

कार्यालय खर्च

206. श्री रामदास आठवले : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रचार, विज्ञापनों, स्वागत, नाश्ता, उद्‌घाटनों, सेमिनारों, सम्मेलनों, यात्राओं (विदेश यात्राओं सहित), टेलीफोन के बिलों, जिनमें एस.टी.डी. और आई.एस.डी. काल शामिल हैं, बिजली के बिलों (विशेषकर एयरकंडीशनरों और कूलर के बिल) संबंधी खर्च और मंत्रालय द्वारा किए गए ऐसे अन्य खर्चों में कमी करने हेतु कोई अभियान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन मदों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार गैर-योजना व गैर विकास परक खर्चों में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी संदर्भ में, अन्य प्रकार के उपायों के अलावा, सभी मंत्रालयों/विभागों को फिजूल खर्ची से बचने के लिए समय-समय पर निर्देश दिए जाते हैं। इन उपायों में शामिल हैं-पदों के सृजन पर रोक, स्वीकृत पदों की संख्या में कटौती रिक्त पदों के भरे जाने पर प्रतिबंध, कार्यालय संबंधी खर्चों में कटौती, वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा और मनोरंजन/आवभगत पर आने वाले खर्च पर प्रतिबंध, सम्मेलनों/सेमिनारों आदि के आयोजन पर प्रतिबंध, बिजली की खपत में कटौती, एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधाओं पर प्रतिबंध, कार्यालय तथा आवासीय टेलीफोनों की 'मुफ्त काल' की संख्या पर प्रतिबंध, आदि।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कृषि-निर्यात क्षेत्र हेतु नीति

207. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौदह चयनित राज्यों में अब तक 28 कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनमें अब तक कुल कितना बहुएजेंसी निवेश किया गया है;

(ग) गैर–सरकारी क्षेत्र, केन्द्र सरकार, अन्य एजेंसियों और राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण ने दावा किया है कि कुल निवेश के परिणामस्वरूप अगले पांच वर्षों में 3440.53 करोड़ रु. की निर्यात आय होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) 28 कृषि निर्यात जोन स्थापित करने के लिए कार्यवाही की गई है।

(ख) 28 कृषि निर्यात जोनों में 780.87 करोड़ रु. निवेश किए जाने का अनुमान है तथा अभी तक लगभग 16.58 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों से प्रस्तावित निवेश नीचे दिया गया है–

संघ सरकार और अन्य एजेंसियां	261.54 करोड़ रु.
राज्य सरकार और राज्य एजेंसियां	75.12 करोड़ रु.
निजी क्षेत्र	444.21 करोड़ रु.

अभी तक किया गया कुल निवेश लगभग 16.58 करोड़ रु. है।

(घ) और (ङ) 28 कृषि निर्यात जोनों से अगले 5 वर्षों के दौरान प्रक्षेपित समेकित निर्यात लगभग 4033 करोड़ रु. है। ये प्रक्षेपण कृषि निर्यात जोनों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कृषि प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (ऐपीडा) द्वारा संग्रहित किए गए हैं। प्रक्षेपित निर्यातों के प्रत्याशित मूल्य के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(मूल्य करोड़ रु. में)

I	II	III	IV	V
205.35	451.37	732.45	1091.6	1552.37

सिंधु जल आयोग की बैठक

208. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :
डा. (श्रीमती) राजेश्वरम्मा वुक्कला :
श्री बी. वी. एन. रेड्डी :
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :
श्री जी. गंगा रेड्डी :
श्री जयप्रकाश :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सिंधु जल आयोग की एक बैठक नई दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत जल बंटवारे पर परस्पर बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने केन्द्र सरकार को पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि की समीक्षा का मुद्दा उठाने का सुझाव दिया है और चिनाव नदी पर बगलिहर जल विद्युत परियोजना और राकी नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के पूरा होने पर चिंता जताई है;

(घ) यदि हां, तो बातचीत का परिणाम क्या निकला;

(ङ) क्या इस बैठक में भारत द्वारा किसी परिवर्तन का सुझाव दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क), (ख), (ङ) और (च) 28 मई से 1 जून, 2002 की अवधि के बीच नई दिल्ली में आयोजित स्थाई सिंधु आयोग की 87वीं बैठक के दौरान सिंधु जल संधि 1960 के तहत न ही जल के बंटवारे संबंधी विचारों का आदान–प्रदान हुआ और न ही किसी बदलाव का सुझाव दिया गया।

(ग) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे कोई

सुझाव/जम्मू व कश्मीर सरकार की समस्याएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) बैठक के दौरान, भारत ने स्थाई सिंधु आयोग द्वारा एक भारत में तथा दूसरा पाकिस्तान में, दो दौरे करने तथा समझौते द्वारा चेनाव मेन में बगलिहर जल विद्युत संयंत्र संबंधी प्रश्नों को हल करने के प्रयास की दृष्टि से 87वीं बैठक के बाद तीन महीने के भीतर पाकिस्तान में एक बैठक करने के लिए पाकिस्तान के अनुरोध पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की गई हे। भारत 1 जुलाई से 10 अक्टूबर, 2002 तक मानसून अवधि के दौरान भारत द्वारा पाकिस्तान को बाढ़ प्रवाह सूचना देने के लिए पाकिस्तान के अनुरोध पर विचार करने के वास्ते तथा वर्ष 2001 एवं 2002 के दौरान ऐसी सूचना देने के लिए लागत की प्रतिपूर्ति करने तथा अपने विचारों से अवगत कराने के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। स्थाई सिंधु संधि ने 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपने कार्यों संबंधी अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा अपनी 86वीं एवं 87वीं बैठकों के रिकार्ड को अंतिम रूप दे दिया है।

[हिन्दी]

रसोई गैस का प्रयोग

209. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक ऐसा नियम बनाने का है जिसके द्वारा रसोई गैस चालित निजी कारों को चलने की अनुमति होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में शिक्षित वर्ग अपने वाहनों में रसोई गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुमानित संख्या कितनी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) ऑटो ईंधन के रूप में एल पी जी के उपयोग को पहले ही अधिकृत किया जा चुका है और मोटर वाहनों में इस्तेमाल किए जा सकने वाली एल पी जी किटों के बारे में आवश्यक विनिर्देश पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को मोटर वाहनों की पंजीकरण पुस्तिका में एल पी जी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल की स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत किया गया है बशर्ते किसी अधिकृत जांच एजेंसी द्वारा विधिवत अनुमोदित एल पी जी किटों का इस्तेमाल किया जा रहा हो।

(ग) और (घ) वाहनों का यातायात, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित एवं विनियमित किया जाता है। एल पी जी का उपयोग करने वाले वाहनों की संख्या के बारे में कोई भी सूचना इस मंत्रालय द्वारा न तो एकत्र की जाती है और न ही रखी जाती है।

[अनुवाद]

श्रमिकों का आर्थिक शोषण

210. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में श्रमिकों के आर्थिक शोषण को रोकने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध गत एक वर्ष के दौरान और उसके बाद श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) देश में श्रमिकों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं या किए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) देश में श्रमिकों के आर्थिक शोषण को अनेक ऐसे श्रम कानूनों के अधिनियमन और प्रवर्तन के माध्यम से रोका जाता है जिनका लक्ष्य कर्मकारों के कल्याण, उनकी सामाजिक सुरक्षा, संरक्षा और स्वास्थ्य का संवर्धन एवं संरक्षण है।

श्रम समवर्ती सूची में है। केन्द्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही विधानों को अधिनियमित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) का संगठन केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों के उपबंधों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है जबकि राज्य क्षेत्र में इन्हें राज्य

श्रम प्रवर्तन तंत्र द्वारा लागू किया जाता है। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के निरीक्षण अधिकारी प्रतिष्ठानों का नियमित एवं आवधिक निरीक्षण करते हैं, अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं और जहां आवश्यक होता है चूककर्ता नियोजकों के खिलाफ दावे और अभियोजन मामले दर्ज करते हैं। वर्ष 2001–2002 के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों ने 34968 निरीक्षण किए, 360712 अनियमिताओं में सुधार किया, 16040 अभियोजन चलाए और चूककर्ता नियोजकों के 7475 सिद्धदोष सुनिश्चित किए।

सरकार ने निजीकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए श्रम सुधारों की प्रक्रिया शुरू की है। इस सबके बावजूद सरकार श्रम सुधारों के दौरान कर्मकारों के उचित हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। संगठित क्षेत्र में श्रम से संबंधित कानूनों को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव देने और असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के लिए न्यूनतम संरक्षण स्तर सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक विधान बनाने के संबंध में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

किसानों द्वारा आत्महत्या

211. श्री खगेन दास : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण के बोझ के कारण देश के विभिन्न भागों में किसानों ने आत्महत्या की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों के ऋण माफ करने संबंधी योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 106 किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना है।

(ग) और (घ) कुछ राज्य सरकारों ने इन ऋणों को माफ करने के लिए समय–समय पर लिखा है। किन्तु नीति के अनुसार भारत सरकार कृषि ऋणों की पूरी तरह से समाप्ति के पक्ष में नहीं है क्योंकि इससे वसूली की प्रणाली में खराबी आती है और इस प्रकार वित्तीय संस्थाओं की व्यवहार्यता कमजोर बनती है।

डेयरी और फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए धनराशि

212. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विभाग के तहत डेयरी विकास के लिए 36.52 करोड़ रुपए तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग के तहत कृषि के लिए 2167 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। सरकार राज्यों को कुछ योजनाओं के लिए अनुमानित आवंटन तय करती है, किन्तु धनराशि उनसे प्राप्त प्रस्तावों की व्यवहार्यता के आधार पर जारी की जाती है। 2001–2002 के दौरान डेयरी विकास तथा कृषि के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत जारी धनराशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

2001–2002 के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कृषि के लिए तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा डेयरी विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी धनराशि का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कृषि और सह–कारिता विभाग	पशुपालन एवं डेयरी विभाग
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3108.49	–
2.	असम	553.25	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	257.12	–

1	2	3	4
4.	बिहार	1836.49	64.47
5.	झारखंड	697.83	–
6.	छत्तीसगढ़	874.03	379.20
7.	गोवा	90.00	–
8.	गुजरात	2614.83	–
9.	हरियाणा	970.74	–
10.	हिमाचल प्रदेश	869.62	200.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	819.66	–
12.	कर्नाटक	3646.42	–
13.	केरल	2051.25	–
14.	मध्य प्रदेश	3252.22	500.00
15.	महाराष्ट्र	5465.53	–
16.	मणिपुर	420.70	59.17
17.	मिजोरम	379.89	–
18.	मेघालय	215.18	132.07
19.	नागालैंड	669.24	–
20.	उडीसा	2029.47	–
21.	पंजाब	1051.66	–
22.	राजस्थान	4603.48	–
23.	सिक्किम	241.55	–
24.	तमिलनाडु	2784.69	–
25.	त्रिपुरा	508.89	–
26.	उत्तर प्रदेश	3792.75	217.58
27.	उत्तरांचल	680.35	–
28.	पश्चिम बंगाल	1414.53	–
	कुल	45919.66	1552.49

वायु प्रदूषण के कारण मौतें

213. श्री अधीर चौधरी :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जून, 2002 के 'दी टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'एयर पॉल्यूशन गोज टू दी हार्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 40 हजार लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने देश के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण को रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) जी, हां। तथापि, ऐसा कोई निर्णायक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जिससे वायु प्रदूषण को मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार ठहराने की पुष्टि की जा सके।

(घ) और (ङ) वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकार तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम नीचे दिए गए हैं–

(i) प्रदूषण उपशमन हेतु एक व्यापक नीति विकसित की गई है जिसके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रक और निवारक पहलुओं पर बल दिया गया है।

(ii) सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक और नए वाहनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं जिन्हें दिल्ली सहित राज्य सरकारों के विभिन्न परिवहन विभागों द्वारा प्रवृत्त किया जाता है।

(iii) पूरे देश में 1.2.2000 से सीसारहित पेट्रोल और पूरे देश में 1.1.2000 से अधिकतम 0.25% सल्फरयुक्त डीजल की आपूर्ति की जा रही है। प्रमुख नगरों में अति निम्न सल्फरयुक्त (0.05%) ईंधन की शुरूआत भी की गई है।

(iv) सी.एन.जी. वाहनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, दिल्ली तथा मुम्बई में कई खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से मोटर कारों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) की आपूर्ति की जाती है।

(v) पेट्रोल में बैंजीन की मात्रा को कम किया गया है।

(vi) देश भर में 295 परिवेशी वायु गुणता मानीटरी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(vii) प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(viii) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कदम उठाए गए हैं।

(ix) उद्योगों से यह अपेक्षा भी की गई है कि वे अपने संयंत्रों को प्रारंभ करने से पहले आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपाय करें।

(x) उद्योगों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने बहिःस्राव और खतरनाक अपशिष्ट प्रवाहित करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अपने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त कर लें।

(xi) अत्यधिक प्रदूषित 24 क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

निधियों का दुरुपयोग

214. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कई राज्यों ने पर्यटन के विकास हेतु आवंटित निधियों का उपयोग करने के बजाय उनका दुरुपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और वे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कौन–कौन से हैं जिन्होंने निधियों का दुरुपयोग किया है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार भविष्य में इन राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थलों के विकास हेतु प्रत्यक्ष निवेश पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार दिशा–निर्देशों के अनुसार अभिनिर्धारित पर्यटन परियोजनाओं के लिए प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रस्ताव की पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर धनराशि स्वीकृत की जाती है। परियोजनाओं के लिए धनराशि की उपयोगिता का उत्तरदायित्व मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, धनराशि की उपयोगिता के संबंध में, कार्यान्वयन में विलंब, यदि कोई हो, को उपचारात्मक उपायों हेतु राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ उठाया जाता है।

(घ) और (ङ) नौवीं योजना की स्कीमों में, राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से वित्तीय अंशदान पर विचार किया गया था। अब दसवीं योजना में यह प्रस्ताव है कि पर्यटक परिपथों की एकीकृत विकास स्कीम में समस्त निधिकरण पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। तथापि, परियोजना की कुछ मदों के लिए राज्य का सहयोग अपेक्षित होगा।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.25 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 16 जुलाई, 2002/25 आषाढ़, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/26/1/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।